राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 04] पन्द्रहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का बीसवां दिवस [संख्या: 05

बुधवार,

12 फरवरी 2020

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री रामनारायण मीना। प्लीज, क्वेश्चन आवर है, आप बैठें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): कल टिप्पणी की गयी थी सदन में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, आप देखिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको अध्यक्ष की व्यवस्था पर भरोसा नहीं है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): पूरा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर एक्सपंज कर दिया है तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष: फिर पूछने की जरूरत ही नहीं है। श्री रामनारायण जी मीना।

खातौली (कोटा) में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण

36. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इटावा (कोटा) द्वारा पत्र क्रमांक भवन/2017/604-07 दिनांक 05.12.2017 लिखकर आबंटित भूमि ग्राम खातौली सी.एच.सी. निर्माण के लिए उपयुक्त बताई जाने पर संवेदक को निर्माण कार्य के लिए कार्यादेश जारी किया गया है? यदि हां, तो निर्माण कार्य किस दिनांक को प्रारम्भ किया जाकर किस दिनांक तक पूर्ण कर लिया जाएगा? आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विभाग को आबंटित उक्त भूमि के पूर्वी तरफ इटावा से खातौली होकर श्योपुर, बड़ौदा (मध्य प्रदेश) को जाने वाली

(श्री रामनारायण मीना)

मुख्य सड़क है तथा खातौली ग्राम में उपलब्ध राजकीय भूमि में से सी.एच.सी. निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? यदि हां, तो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने में हो रहे विलम्ब के लिए कौन जिम्मेदार है?

(3) क्या यह भी सही है कि विभाग की निर्माण एजेन्सी द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने से बजट राशि व्यपगत होने की स्थिति पैदा हो रही है तथा आमजन एवं विभाग को भी सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है? यदि हां, तो इसके लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री रघु शर्मा): (1) जी हां। ब्लाक चिकित्सा अधिकारी, इटावा (कोटा) द्वारा पत्र क्रमांक भवन/2017/604-07 दिनांक 05.12.2017 से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खातौली के निर्माण हेतु आबंटन के लिए प्रस्तावित भूमि को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की दृष्टि से उपयुक्त बताया गया है। प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

संवेदक को निर्माण हेतु कार्यादेश दिनांक 26.12.2018 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ होने की दिनांक 05.01.2019 एवं कार्य पूर्ण होने की दिनांक 04.10.2019 थी। इसकी प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) स्वास्थ्य विभाग को आबंटित उक्त भूमि के पूर्व की तरफ लगभग 150 फीट की दूरी पर इटावा से खातौली होकर मुख्य सड़क है। इस मुख्य सड़क से 150 फुट का पहुंच मार्ग आबंटित भूमि तक उपलब्ध नहीं है।

प्रस्तावित भूमि की उपयुक्तता बाबत विवाद एवं पहुंच मार्ग की अनुपलब्धता के कारण कार्य शुरू नहीं हो पाया है।

(3) जी नहीं। सीएचसी खातौली के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि रु. 525.00 लाख एनएचएम मद में जारी की गयी थी, जो कि कार्य प्रारम्भ नहीं होने के कारण कमिटेड दायित्वों के अन्तर्गत आगामी वर्षों में सम्मिलित की जाती है। इस कारण से बजट राशि व्यपगत होने की स्थिति नहीं है।

स्वास्थ्य विभाग को आबंटित उक्त भूमि के पूर्वी तरफ इटावा से खातौली होकर श्योपुर, बड़ौदा (मध्य प्रदेश) को जाने वाली मुख्य सड़क से खसरा नम्बर 471 एवं 472 ग्राम पंचायत खातौली के नाम गैरमुमकिन आबादी में दर्ज भूमि से इस कार्य हेतु 150 फीट लम्बाई एवं 50 फीट चौड़ाई

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

के पहुंच मार्ग की आवश्यकता होगी। इस हेतु ग्राम पंचायत खातौली ने उक्त भूमि उपलब्ध कराने हेतु सहमति प्रदान कर दी है।

उपलब्ध भूमि को विकसित किये जाने के कारण निर्माण कार्य में लगने वाली राशि को ध्यान में रखते हुए दो मंजिला भवन के निर्माण कार्य पर विचार करते हुए यथाशीघ्र निर्माण का प्रयास किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में जिस प्रकार से सरकारी मशीनरी काम कर रही है, उसका असर आम जनता पर भी हो रहा है और हमारे ऊपर भी हो रहा है। 2017 में आबंटन आदेश है। 5/2/2018 को स्वास्थ्य विभाग ने, 2018 का मतलब है कि दो साल से ऊपर हो गये हैं, पजेशन ले लिया और स्वास्थ्य विभाग कहता है कि साहब, ये उपयुक्त भूमि है तो दो साल, दो महीना जो खराब हुआ, कौन अधिकारी है जिसने निर्माण कार्य प्रारम्भ होने में रोक की? यदि यह प्रश्न विधान सभा में नहीं उठता और मंत्री जी अगर व्यक्तिगत रूचि लेकर इस मामले को नहीं जांचते...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री से निवेदन है कि जो अधिकारी आपके सामने असत्य कथन करता है, पंचायत ने लिखकर दे रखा है...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए। मैं अगला प्रश्न पूछूंगा।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): मेरा यह अर्ज करना है कि मंत्री जी किस तारीख को प्रारम्भ करेंगे? पंचायत का प्रस्ताव है, सहमति है, सब कुछ है, उस अधिकारी के खिलाफ जिसने आपको स्वयं मेरे सामने डिसीव किया, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं और किस तारीख को निर्माण कार्य प्रारम्भ कर रहे हैं?

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल माननीय सदस्य को मैंने मेरे चैम्बर में बुलाया था, अधिकारियों को भी बैठाया। जमीन की स्थिति बहुत खराब है, जो राशि स्वीकृत है, अगर इस भूमि पर बनाएंगे तो इस राशि में यह सीएचसी नहीं बन सकती। हमने इसका समाधान निकालने की कोशिश की और आप भी कल सहमत होकर गये हैं। मैं इनको यह आश्वासन देता हूं कि जल्दी से जल्दी यह काम शुरू होकर दो मंजिला भवन,

(श्री रघु शर्मा)

चूंकि भूमि इस तरह की है, सारा पैसा इसको समतल करने में लग जाएगा, इसलिए अगर हमको सीएचसी बनानी है, जिसका हमने कल रास्ता निकाल लिया इनके साथ बैठकर, तो हम इसका काम शुरू कर देंगे और जितना जल्दी हो सकता है, इस सीएचसी का निर्माण काम कराने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री गोविन्द प्रसाद।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक ही प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री गोविन्द प्रसाद।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): मैं पूरक प्रश्न पूछ सकता हूं?

श्री अध्यक्ष: अलाउ नहीं है। आप बैठें।

झालावाड़ में किसानों की कर्ज माफी

37. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों का फसली ऋण माफ किये जाने की स्वीकृति जारी की गयी है? यदि हां, तो कितनी राशि तक कर्ज माफ किये जाने के प्रावधान हैं? आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार ने माह अक्टूबर, 2018 से 15 जनवरी, 2020 तक जिला झालावाड़ में कितने किसानों का कितना-कितना कर्ज माफ किया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) जी हां। सहकारी बैंकों के माध्यम से वितरित अल्पकालीन फसली ऋण जो किसानों की ओर दिनांक 30.11.2018 को बकाया था, सम्पूर्ण राशि माफी हेतु पात्र है। कर्जा माफी हेतु निर्धारित मापदण्ड, पात्रता एवं अन्य शर्तें योजना में उल्लिखित हैं। योजना की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 2019 के अन्तर्गत झालावाड़ जिले में अक्टूबर, 2018 से 15 जनवरी, 2020 तक 87438 किसानों का 310.17 करोड़ रुपये अल्पकालीन फसली ऋण माफ किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहता हूं कि आपने फसली ऋण तो माफ कर दिए लेकिन कई किसान रबी की फसली ऋण से वंचित रह गये हैं, इसका क्या कारण रहा?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): फसली ऋण वितरण का कार्यक्रम रबी का समय पर हो गया है, बराबर जारी है। यदि कोई बाकी है तो आप बता दें, उनको ऋण मिल जाएगा। बराबर क्रमवार जारी है, बंद नहीं है। कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। हमने 4 हजार करोड़ का ऋण बांट दिया है रबी के लिए और आज भी वह जारी है।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना): माननीय मंत्री महोदय, आप जो कह रहे हैं कि बांट दिए गये हैं लेकिन मैं आपको मेरे मनोहरथाना विधान सभा क्षेत्र में ऐसे किसानों के नाम दे रहा हूं जिनको अभी तक ऋण नहीं मिल पाया है। जैसे हीरालाल पुत्र आशाराम लोदा, निवासी आवलहेडा, गुलाब बाई पत्नी...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नाम की आवश्यकता नहीं है। नहीं मिला तो लिस्ट दे दीजिए।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना): मैं आपको यह सूची उपलब्ध करा दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को सूची उपलब्ध करा दूंगा।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): आप सूची उपलब्ध करा देंगे, अवगत करा दिया जाएगा किन कारणों से उनको ऋण नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पिछली बार भी निवेदन किया और अबकी बार भी मैं कर रहा हूं कि समय पर उसका लोन जमा नहीं होने के कारण से उसको लोनिंग दोबारा नहीं हुई और इसके कारण से 31 जुलाई जो एक कट आफ डेट थी इंश्योरेंस की आगे की फसल की, वह राजस्थान में लाखों किसानों की नहीं हुई है। इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कहें।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): यह प्रश्न अलग है। आपने यह प्रश्न पहले भी उठाया था और नोटिस भी आए थे। उस समय पर भारत सरकार का पोर्टल बंद था, इस कारण से किसानों का ऋण नहीं हुआ। हमारी किश्त टाइम पर चली गई थी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। जाहिदा खान।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिलकुल नहीं। अंकित नहीं होगा। अगला प्रश्न।

कामां में निजी भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

38. श्रीमती जाहिदा खान (कामां): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र कामां में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में से कितने केन्द्र निजी भवनों में संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार निजी भवनों में संचालित उक्त केंद्रों को भी सरकारी भवनों में संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास (श्रीमती ममता भूपेश): (1) विधान सभा क्षेत्र कामां के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना कामां के 311 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं जिसके अन्तर्गत 32 आंगनबाड़ी केन्द्र निजी भवनों में संचालित हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय/स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से भूमि आबंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती जाहिदा खान (कामां): माननीय अध्यक्ष जी, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार कामां विधान सभा क्षेत्र में मिनी आंगनबाड़ी खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक तथा नहीं, तो क्यों? दूसरा, मैं यह पूछना चाहूंगी कि लैंड अलाटमेंट के लिए आपके विभाग ने क्या कार्यवाही की है इन 32 के लिए?

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी का जो सवाल है, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान होने के बाद ही राज्य इसको संज्ञान में लेता है। भारत सरकार में हमने पत्र भेज रखा है माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देशन में कि हमें नये आंगनबाड़ी, क्योंकि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से बड़ा राज्य है,

(श्रीमती ममता भूपेश)

गांवों की, ढाणियों की दूरियां बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हमने भारत सरकार से निवेदन किया है कि हमें नये आंगनबाड़ी सेंटर और मिनी आंगनबाड़ी सेंटर खोलने की अनुमति दी जाए। जैसे ही भारत सरकार द्वारा अनुमति आएगी, 60:40 के रेशो से राजस्थान सरकार, हमारा विभाग इस पर आगे कार्यवाही करने का प्रयास करेगा।

जो 32 केन्द्र हैं, अभी सरकारी भवनों में नहीं खुले हुए हैं उनके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, वित्तीय संसाधन उपलब्ध होते ही उनको खोलेंगे। एक चीज मैं आपके माध्यम से और निवेदन करना चाहती हूं कि सीएसआर के माध्यम से हम आंगनबाड़ी केन्द्र खोल कर दे रहे हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि कामां के अंदर जो आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं, उनको भी सीएसआर के द्वारा जोड़ा जाए। साथ ही मैं आपके माध्यम से, तमाम सदस्यों से एक निवेदन करना चाहती हूं कि आंगनबाड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, प्रश्न के संबंध में।

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): प्रश्न का जवाब, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि हम सब लोग सदस्य हैं, हमारे पास विधायक निधि भी आती है। मेरी आपके माध्यम से सभी सदस्यों से प्रार्थना है कि अपनी निधि का दस प्रतिशत पैसा आंगनबाड़ी बनाने में भी दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, प्रश्न के संबंध में ही जवाब दें।

श्रीमती जाहिदा खान (कामां): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहती हूं कि 32 आंगनबाड़ी केन्द्र हैं जो निजी भवनों में चल रहे हैं, उनके लैंड अलाटमेंट के लिए आपके विभाग ने क्या प्रक्रिया की है?

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): लैंड अलाटमेंट प्रक्रियाधीन है। राजस्व विभाग को, पंचायती राज विभाग को, हमने पंचायतों के अंदर निवेदन किया हुआ है, विभाग के द्वारा लिखा हुआ है। जैसे ही हमें पट्टों की अनुमति मिल जाएगी, हम इन स्थानों पर भी भवन निर्माण का कार्य शीघ्र शुरू करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री ओम प्रकाश हुड़ला।

महुवा में माडा योजना में स्वीकृत कार्य

39. श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

(1) विधान सभा क्षेत्र महुवा में माडा योजना के तहत जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2018 तक कहां-कहां किस-किस कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि कब-कब स्वीकृत की गयी? वर्षवार व ग्रामवार विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त अवधि के दौरान कौन-कौनसे कार्य पूर्ण हो गये हैं तथा कौन-कौनसे कार्य अब तक पूर्ण नहीं हुए हैं व उक्त कार्यों के पूर्ण नहीं होने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में माडा योजनान्तर्गत वर्तमान में किस-किस स्थानों के कितने कार्यों के आवेदन कब से लंबित हैं तथा लंबित आवेदनों का कब तक निस्तारण कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री अर्जुन सिंह बामनिया): (1) विधान सभा क्षेत्र महुवा में माडा क्षेत्र में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2018 तक निम्नानुसार राशि स्वीकृत की गयी है:-

(राशि लाखों में)

क्रम संख्या	**नाम कार्य व स्थान**	**पं.स.**	**स्वीकृत राशि**	**स्वीकृत दिनांक**
1.	राजकीय जनजाति आवासीय विद्यालय नया गांव महुवा में आधारभूत सुविधा	महुवा	65.36	15.12.2017
2.	राजकीय जनजाति आवासीय विद्यालय नया गांव महुवा में वाटर स्टोरेज टैंक निर्माण	महुवा	2.68	30.07.2019

(2) विधान सभा क्षेत्र महुवा में माडा क्षेत्र में विभाग द्वारा स्वीकृत उपरोक्त दोनों कार्य पूर्ण हो गये हैं। सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र महुवा में माडा क्षेत्र का कोई आवेदन विभाग में लम्बित नहीं है। सूचना परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): थैंक यू सर।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कान्ति प्रसाद।

सरिस्का अभयारण्य में क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण

40. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरिस्का अभयारण्य की सरिस्का वाया काली घाटी-टहला तक की सड़क पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मार्ग पर सड़क बनाने पर रोक लगी हुई है? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक रोक हटाकर उक्त सड़क का निर्माण करा दिया जाएगा?

(3) क्या यह भी सही है कि अभयारण्य की सुरक्षा हेतु चारदीवारी का कार्य सीमेंट से करवाया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को सीमेंट से बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, वन (श्री सुखराम विश्नोई): (1) जी नहीं।

यह सड़क सरिस्का अभयारण्य टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में स्थित है, जिसको प्रतिवर्ष विभागीय स्तर से संधारित किया जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.05.2009 के अनुसरण में परिवहन के लिए यह सड़क बंद कर दी गयी है।

(2) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.05.2009 के अनुसरण में सरिस्का टहला सड़क मार्ग परिवहन के लिए बन्द किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रोक के कारण सड़क का निर्माण किया जाना संभव नहीं है।

(3) जी हां। सरिस्का टाइगर रिजर्व/अभयारण्य की बाहरी वन सीमा पर वन्य जीवों की सुरक्षा के अतिरिक्त अतिक्रमण, अवैध खनन तथा वन्य जीवों द्वारा किसानों की फसलों को नुकसान से बचाने की दृष्टि से सीमेंट से पक्की दीवार का निर्माण कराया जाता है।

जी नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रोक के कारण उक्त सड़क का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आपने रास्ते बंद कर दिए, परिवहन बंद कर दिया। जनहित में सरकार या आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर, जनता के हित में कुछ करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे?

मेरा दूसरा निवेदन यह है, आपने दिखाया रिजर्व कोर एरिया के अंदर स्थित है, जिसको प्रतिवर्ष विभागीय स्तर से संधारित किया जाता है। हर वर्ष आप वहां मोरम डालकर रास्ते को सुधारते हो, वह किसके लिए सुधारते हो? यह बता दीजिए।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष जी, भर्तृहरि का मेला लगता है इसलिए वैकल्पिक मार्ग की मरम्मत कराकर इस कच्चे मार्ग को वन्य जीवों की सुरक्षा व पर्यटक के लिए, पांडुपोल, भर्तृहरि मेले की दृष्टि से इस मार्ग को कच्चा रिपेयर किया जाता है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। शंकर सिंह रावत।

ब्यावर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्टेडियम में सुविधाएं बढ़ाने की कार्ययोजना

41. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ब्यावर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल स्टेडियम निर्माण पर अब तक कितनी राशि स्वीकृत की गयी है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) उक्त स्टेडियम में क्या-क्या कार्य पूर्ण हो गये तथा क्या-क्या कार्य शेष हैं? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या सरकार ब्यावर के युवाओं को खेलों में प्रोत्साहन देने हेतु उक्त स्टेडियम में सुविधा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त बजट स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल (श्री अशोक): (1) ब्यावर शहर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल स्टेडियम पर निर्माण कार्यों हेतु युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट-क संलग्न है।

(2) उक्त स्टेडियम में पूर्ण हुए कार्यों व शेष कार्यों का विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)

(3) जी नहीं। मांग के अनुसार बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृति जारी की जाती है। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्टेडियम के लिए पहले भी हमने विधायक कोष से पैसे दिए थे। स्वयं माननीय मंत्री महोदय ने मौका देखा है। उसमें जो कमियां पाई गयी थीं, आपने निर्देश भी दिए थे, ऐसे अधिकारियों की लापरवाही से आधा भी नहीं बना है, पूरा पैसा खर्च नहीं किया गया। आपने निर्देश दिया था, स्वयं ने माना है कि गलती की गयी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): उसके ऊपर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई, अभी, इसमें आप और कितना पैसा देने जा रहे हैं? यह दो चीज बताइए।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 2010 -11 में 10 लाख रुपये, 2007 से 2011 में 20 लाख रुपये, 2004 के 30 लाख रुपये, पहले पीडब्ल्यूडी के माध्यम से सैंक्शन हुए थे, जिनके काम पूरे हो चुके हैं। 2015 में हमारे विभाग के द्वारा 91 लाख रुपये सैंक्शन हुए थे। 91 लाख में से 55 लाख का काम पूर्ण हो चुका है। केवल एथलेटिक ट्रैक का काम नहीं हुआ है। हालांकि यह सवाल पिछले बजट सैशन में भी माननीय सदस्य ने लगाया था, उसके बाद मैं खुद ब्यावर स्टेडियम अगले ही दिन जाकर आया था। प्रतिमा की एमएलए कोष से बात है, वह इस सवाल के अंदर नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से उसकी जगह बदली, वह गलत हुआ है। मैंने संबंधित डिपार्टमेंट को लैटर लिख दिया है कि जिन्होंने उसमें लापरवाही की है, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

माननीय सदस्य, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं 91 लाख में से आपके स्टेडियम के लिए 2015 में जो पैसा सैंक्शन था, वह आपका पैसा कौन लेकर गया, वह आपको पता है, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। 2015 में किसकी सरकार थी, आपके स्टेडियम का पैसा कैसे आपके माननीय खेल मंत्री लेकर गये, वह सब चीजें आपके सामने हैं। बाकी बचे हुए पैसे का आपकी

(श्री अशोक)
सरकार में जो काम हुआ, उसकी गुणवत्ता अगर आप चैक कराएंगे तो पिछली सरकार ने 5 साल में क्या काम किया, वह आप सबके सामने आ जाएगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, उसमें मैं आपसे निवेदन करूं, आप कह रहे हैं कि 91 लाख रुपये हमारी सरकार ने स्वीकृत किए हैं, वह सरकार ने स्वीकृत नहीं किए हैं, वह विधायक कोष के 10 प्रतिशत सहभागिता योजना के तहत स्वीकृत हुए हैं। उसके अलावा सरकार की तरफ से एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ है।

दूसरा निवेदन है कि आपने जो कमियां पायीं, उसको दंडित करने के लिए आप स्वयं वहां पर बोलकर आए, फिर आपने माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय के सामने रखी, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि कार्यवाही होगी या ऐसे ही रहेगा? जिन्होंने अनियमितता की उनको सजा मिलनी चाहिए।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): कार्यकारी एजेंसी मेरे डिपार्टमेंट की नहीं है। मैंने संबंधित डिपार्टमेंट को, जो मैंने पाया, आपके सामने लैटर लिखकर, कार्यवाही के लिए लिख दिया है। कार्यवाही करना उनका काम है। मेरे डिपार्टमेंट की होती तो मैं कार्यवाही करके आपको उसका जवाब दे देता।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। फूल सिंह मीणा।

उदयपुर में बाल श्रमिकों की मुक्ति

42. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) उदयपुर पुलिस द्वारा 1 जनवरी, 2018 से जनवरी 2020 तक कितने बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया? उक्त बाल श्रमिक किन-किन जिलों व राज्यों से लाये गये थे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यवाही में कितने लोगों के विरुद्ध किन-किन धाराओं में एफआईआर दर्ज कर चालान पेश किये गये? थानेवार व प्रकरणवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, श्रम (श्री टीकाराम जूली): (1) उदयपुर पुलिस द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2018 से जनवरी 2020 तक मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों

(राज्य मंत्री, श्रम)

का थानेवार विवरण अनुलग्नक-1 पर संलग्न है, जिसके अनुसार वर्ष 2018 से जनवरी, 2020 तक 394 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। इनमें से 372 बाल श्रमिक राजस्थान राज्य के तथा शेष 22 बाल श्रमिक पश्चिम बंगाल व झारखण्ड राज्यों से थे। राजस्थान के राजसमन्द से 44, नागौर से 3, पाली से 3, अजमेर से 1 एवं उदयपुर ज़िले से 321 बाल श्रमिक मुक्त कराये गये।

(2) उक्त कार्यवाही में प्रत्येक प्रकरण में दर्ज की गयी एफआईआर व संबंधित धाराओं का विवरण तथा चालान पेश किये गये प्रकरणों का विवरण थानेवार उपरोक्त अनुलग्नक-1 पर संलग्न है, जिसके अनुसार एफआईआर धारा 75, 79 जे.जे. एक्ट, धारा 3,14 बाल व कुमार प्रतिषेध अधिनियम, धारा 370, 374, 323 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 5 व 6 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत 109 एफआईआर दर्ज कर 126 अभियुक्तों के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं यह पूछना चाहता हूं कि पकड़े गये उस संस्था या मालिक का चालान पेश किया गया है या किसी को सज़ा भी दी गयी है? यदि सज़ा दी गयी है तो ऐसे कितने केस हैं, किस-किस को सज़ा दी?

दूसरा, जिस होटल या उद्योग में अनेक बार पकड़े गये व्यक्तियों के ऊपर, बार-बार गलती करने के बाद में भी कोई सख्त कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

तीसरा, 13 केस पैंडिंग हैं और 45 व्यक्तियों के खिलाफ जो केस दर्ज हैं, उनके ऊपर कब तक कार्यवाही होगी?

चौथा यह है, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि हर महीने इसकी जांच क्यों नहीं की जाती है? अगर हर महीने जांच की जायेगी तो हमारे बालकों को, जो वास्तव में अन्याय हो रहा है, वह बचेगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि इसके अन्दर जो कार्यवाही हुई आपको संज्ञान में होगा जिसमें जो चालान पैंडिंग हैं, उनमें 42 लोगों के खिलाफ कार्यवाही प्रस्तावित है, जिसमें 12 लोग अरैस्ट हो चुके हैं जो राजस्थान के हैं। बाकी जो लोग बचे

(श्री टीकाराम जूली)

हुए हैं, वे लोग गुजरात के हैं। इसके अन्दर हमारे यहां की टीम ने, जिसमें पुलिस विभाग और अन्य विभागों के लोग थे, उन्होंने वहां रेकी करके, सूरत के अन्दर जिस कम्पनी के अन्दर बाल श्रमिक थे, वहां पर सुबह पांच बजे छापा मारा और इन बाल श्रमिकों को वहां से मुक्त कराया। वह सारा प्रोसीजर जो है, क्योंकि बाल श्रम के अन्दर जो कार्यवाही की जाती है, वह सम्बन्धित जिला अधिकारी कर सकता है। चूंकि यह दूसरे स्टेट का मामला है, हम लोगों ने इसकी पूरी कार्यवाही करके, बयान लेकर, हमारा जो लेबर कमिश्नर है, वह वहां के लेबर कमिश्नर को पूरी रिपोर्ट भिजवा रहा है। उसके आधार पर वहां पर उन पर सारे नियम-कानून तय होंगे और उसके खिलाफ उन पर कार्यवाही की जाएगी।

दूसरा, चूंकि बाल श्रम के अन्दर कार्यवाही करने का अधिकार सम्बन्धित एस.डी.ओ. को है। जहां भी इस प्रकार के प्रकरण आते हैं, हमारे द्वारा, या सम्बन्धित पांच-छह विभाग और, जो हमारे साथ मिलकर काम करते हैं, वह सब इसकी कार्यवाही के लिये सम्बन्धित एस.डी.एम. को लिखते हैं और उसके बाद इसके अन्दर कार्यवाही की जाती है।

चूंकि मामला बहुत गम्भीर था, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं इसके लिये बैठक ली और इसके लिये आदेश जारी किये हैं कि हम वहां पर जो चैक-पोस्ट है उस पर निगरानी रखें। माननीय अध्यक्षजी, इसमें हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि जो परिवार के लोग हैं, वे स्वयं ही बच्चों को वहां भेजते हैं। कुछ दलाल टाइप के लोग हैं, जो उनको वहां पर भिजवाते हैं और परिवार के लोग, वहां पर जो हैं, उनसे मिलने का बहाना करके बच्चे जाते हैं। इस विषय में भी चैकिंग के दौरान, अभी पिछले दिनों चैकिंग की गयी श्रम विभाग के द्वारा, जिसमें छह बच्चों को उसके अन्दर मुक्त कराया गया। एक दलाल के खिलाफ भी इसके अन्दर हमने एफ.आई.आर. दर्ज कराई है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, इसमें संस्था का नाम नहीं है। कहीं होटल या संस्था का नाम दो, वह भी अगर आप इसमें दे देंगे तो हमारे को भी पता रहेगा कि किस संस्था ने बार-बार ऐसी गलतियां की हैं।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को, जो संस्थाएं हैं, जिनके खिलाफ कार्यवाही हुई है, उनके नाम बाकायदा आपको उपलब्ध कराएंगे।

(श्री टीकाराम जूली)

मैं माननीय सदस्यों से भी अनुरोध करना चाहूंगा आपकी नजर में भी अगर कहीं भी इस प्रकार की घटना नजर आती है, बाल श्रम कहीं आपकी नजर में आता है, अगर आप हमें अवगत कराएंगे तो निश्चित तौर पर उस पर कार्यवाही होगी, यह मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि मानव तस्करी डिपार्टमेंट पूरा एक अलग से बनाया और इसी समस्या का समाधान जिस थाने के एरिये में अगर इस प्रकार के बाल श्रमिक मिल जाएं तो उस थाने का इसके बारे में कोई आप उत्तरदायित्व निर्धारित कर सकते हैं क्या, तो इसका स्थाई हल हो जाए।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिये लगातार हर माह कलेक्टर के स्तर पर मोनिटरिंग कमेटी बनी हुई है, जिसकी बैठक होती है, उसमें हम यह प्रस्तावित करेंगे कि सम्बन्धित जो भी अधिकारी, जिसके इलाके में इस प्रकार के काम होते हैं, उसके खिलाफ भी कोई कार्यवाही की जाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मेरा यह कहना था कि जिस थाना क्षेत्र में अगर बाल श्रमिक काम करता हुआ मिलता है, समय-समय पर तो आप टीम भेजते हैं, एक्शन करते हैं और बच्चे पकड़कर भी लाते हैं, उनको छुड़ाते हैं। मैं कहता हूं, क्यों नहीं उस थाने के इंचार्ज को इस बात के लिए उत्तरदायी बनाया जाए कि उसके क्षेत्र में अगर इस प्रकार के बाल श्रमिक कहीं काम कर रहे हैं तो उसकी भी जिम्मेदारी होगी।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): इसके लिए सम्बन्धित विभाग को हम भिजवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री पानाचन्द मेघवाल।

कोटा के राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में रिक्त पद

43. श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा व अन्य अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय तथा प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक के कुल कितने पद कब से रिक्त चल रहे हैं? विभागवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

(2) राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा की स्थापना से लेकर अब तक विश्वविद्यालय में कितनी बार भर्ती प्रक्रिया हुई तथा उसमें किन-किनको नियुक्ति दी गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में कई बार भर्ती विज्ञापन जारी कर भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त विश्वविद्यालय में शिक्षकों के पद रिक्त होने से शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है?

(5) क्या सरकार राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा सहित प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (डा. सुभाष गर्ग): (1) राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर एवं तकनीकी शिक्षा विभाग राज्य सरकार के अन्तर्गत स्वायत्तशाषी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक रिक्त पदों का विभागवार/वर्षवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा की स्थापना से लेकर अभी तक हुई भर्तियों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

संस्थान में नियुक्तियों का व्यक्तिवार/पदवार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) जी हां। विवरण परिशिष्ट-2 में उल्लेखित है।

(4) जी नहीं। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में रिक्त पदों के विरुद्ध शिक्षण कार्य गैस्ट फैकल्टी तथा NPIU फैकल्टी के माध्यम से करवाया जा रहा है।

(5) जी हां। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर एवं तकनीकी शिक्षा विभाग राज्य सरकार के अन्तर्गत स्वायत्तशाषी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों से रिक्त पदों को भरने के प्रस्ताव संस्था के सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात् प्राप्त होने पर आवश्यकता व संसाधनों की उपलब्धता अनुसार वित्त विभाग से प्रस्ताव पर सहमति प्राप्त कर रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

(राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा)

कॉलेज शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित कोटा सहित प्रदेश के महाविद्यालयों में प्राचार्य के रिक्त पदों को पदोन्नति द्वारा, शिक्षकों/पुस्तकालयाध्यक्ष/पी.टी.आई. के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी प्राप्त होने पर भरने की कार्यवाही की जायेगी। अशैक्षणिक वर्ग के रिक्त पदों को पदोन्नति/नवीन नियुक्ति/अनुकम्पात्मक नियुक्ति पश्चात् कार्मिक उपलब्ध होने पर शीघ्र भरने की कार्यवाही की जाएगी।

उच्च शिक्षा विभाग के अधीन संचालित विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव मांगे गये हैं। प्रस्ताव प्राप्त होने पर औचित्य का आंकलन कर, वित्त विभाग से सहमति प्राप्त कर आवश्यक पदों को भरने की अनुमति दी जाएगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, राजस्थान में तकनीकी शिक्षा की बहुत ही दयनीय स्थिति हो चुकी है। 2011 से अब तक विश्वविद्यालय ने विभिन्न भर्ती विज्ञापनों के जरिये बेरोजगार युवकों से 1,05,77,536 रुपये की धनराशि एकत्रित की है, जबकि अभी तक एक भी पद पर भर्ती नहीं की गयी है तो क्या तकनीकी शिक्षा विभाग जो 2011 से लगातार विज्ञापनों के माध्यम से भर्तियां निकाल रहा है, उन विज्ञापनों की भर्तियों पर भर्ती करने का प्रयास करेगा?

नम्बर दो, मंत्रीजी ने कहा है कि शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानने का प्रयास करूंगा कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली हैं। पैट्रो कैमिकल, आई.टी. ऐसे कई विभाग हैं, जिनमें एक भी पद भरा हुआ नहीं है। क्या गैस्ट फैकल्टी की अस्थाई शिक्षा से तकनीकी शिक्षा का विकास किया जा सकता है? क्या आप स्थाई शिक्षकों की भर्ती करने का प्रयास करेंगे?

नम्बर तीन, बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जिनमें मार्केट में डिमाण्ड है, जैसे रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर.टी.यू. में नहीं हैं, इसलिये राष्ट्रीय स्तर पर हम बहुत पिछड़े हुए हैं। क्या राजस्थान टैक्निकल शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिये नई ब्रांचेज स्थापित करने का प्रयास करेंगे? नम्बर चार ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पांच प्रश्न पूछेंगे क्या?

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): तीन हुए हैं अभी तो।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। हो गया अब, एक प्रश्न, दो, तीन, चार, ऐसे तो अंत नहीं होगा।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, पहली चीज आपने कही थी कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के द्वारा करोड़ों रुपये विज्ञापनों के माध्यम से इकट्ठे किये गये हैं। आपने जो जानकारी की है, मैं निश्चित रूप से इसकी जांच कराऊंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से विश्वविद्यालय खुला, तब से करीब-करीब 97 लोगों की आर.टी.यू., कोटा में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की गयी। कुल 164 पद रिक्त चल रहे हैं, जिसके अगेंस्ट करीब 77 लोग, जो टेक-यू-फोर स्कीम है, जिसके तहत तकनीकी विशेषज्ञों को उपलब्ध कराया जाता है, प्लस गैस्ट फैकल्टी, इनके माध्यम से शिक्षण कार्य की व्यवस्था करवाई जा रही है। बाकी रही, अभी खुद आर.टी.यू. के वाइस चांसलर को निर्देशित करके राज्य सरकार ने प्रस्ताव मंगवाये हैं। यह पहली बार होता है कि राज्य सरकार खुद विश्वविद्यालयों से अनुरोध कर रही है, जो कि डाइरेक्ट महामहिम, चांसलर के अधीन होते हैं, कि आप भर्तियों के लिए प्रस्ताव भेजें, हम अनुमति भिजवाएंगे। आर.टी.यू. के, इंजीनियरिंग कालेजों के वह प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवा दिये गये हैं। जैसे ही स्वीकृति मिलती है, विश्वविद्यालयों को अनुमति दे दी जाएगी।

दूसरा, आपने जो कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नए कोर्सेज को लेकर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि लगातार चार-पांच बैठकें करके और आपको खुशी होगी पूरे सदन को इस बात की जानकारी देकर कि पहली बार तकनीकी शिक्षा विभाग में सी.आई.आई. और इंडस्ट्रीज के साथ बैठक करके उन लोगों को विश्वविद्यालयों की बोर्ड आफ स्टडीज और कमेटी कोर्सेज में नोमिनेट करवाया गया और कोर्स रिस्ट्रक्चर्स करवाये गये और उसमें पहली बार यह निर्देश दिये गये कि बी.टैक. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और थ्री-डी के कोर्सेज शुरू किये जाएं।

साथ ही, मैं यह बताना चाहूंगा कि पॉलीटैक्निक कालेज एजुकेशन को लेकर वहां पर भी इस तरह का कोर्स पिछले कई वर्षों से चल रहा था। छात्र

(डा. सुभाष गर्ग)

आठ-आठ साल में पॉलीटैक्निक का डिप्लोमा जो पूरा नहीं कर पा रहे थे और देखा गया कि मैथेमेटिक्स इस स्टैंडर्ड का पढ़ाया जा रहा है कि जहां बी.टैक. में जो मैथेमेटिक्स पढ़ाया नहीं जाता, उस तरह का उससे भी कठिन मैथेमेटिक्स वहां पर पढ़ाया जा रहा है, तो निर्देश दिये गये, उनको भी लिबरल करते हुए इस बात की व्यवस्था की गयी कि उन बच्चों को जल्दी से पॉलीटैक्निक कालेजों की मिल जाए।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए जितना प्रयास इन एक, सवा वर्षों में किया गया है, वैसा प्रयास इस राजस्थान के इतिहास में नहीं किया गया और इसका परिणाम है कि इस साल प्रवेशित संख्या में वृद्धि हुई है, प्लेसमेंट में हमारे स्टूडेंट्स की वृद्धि हुई है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री ज्ञानचंद पारख। आपका हो गया, आप चार प्रश्न पूछ चुके हैं।

पाली के नया गांव औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों हेतु भूमि का आवंटन

44. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली के नया गांव स्थित औद्योगिक क्षेत्र में रीको द्वारा अब तक किस-किस उद्योग के लिये कितने-कितने भूखण्ड आबंटन अथवा विक्रय किये गये हैं एवं कितने भूखण्ड किस-किस साइज के अभी तक रिक्त पड़े हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में आबंटित या विक्रय किये गये भूखण्डों में औद्योगिक इकाई लगाने की अनुमति किन-किन कारणों से नहीं दी जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित करने हेतु कोई विशेष पैकेज एवं सहायता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या-क्या? यदि नहीं, तो किन-किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) पाली में रीको द्वारा 274.41 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र नया गांव विकसित किया गया है। इस औद्योगिक क्षेत्र में कुल 501 औद्योगिक भूखण्ड नियोजित किये गये हैं। इन

(उद्योग मंत्री)

501 नियोजित औद्योगिक भूखण्डों में से 186 भूखण्ड चूड़ी उद्योग के लिए नियोजित हैं तथा शेष 315 भूखण्ड सामान्य श्रेणी के उद्योगों के लिए नियोजित हैं।

वर्तमान में इस क्षेत्र में 157 भूखण्ड आबंटित किये जा चुके हैं। उक्त आबंटित भूखण्डों में से 75 भूखण्ड चूड़ी उद्योग हेतु आबंटित किये जा चुके हैं तथा 82 भूखण्ड सामान्य श्रेणी के उद्योगों को आबंटित किये जा चुके हैं। इस औद्योगिक क्षेत्र में आबंटन हेतु कुल 344 भूखण्ड रिक्त हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	**भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)**	**रिक्त भूखण्डों की संख्या**
1.	150.00	4
2.	200.00	4
3.	250.00	79
4.	500.00	8
5.	700.00	25
6.	1000.00	33
7.	1500.00	92
8.	1950.00	68
9.	3000.00	9
10.	4000.00	20
11.	10000.00	2
कुल		**344**

(2) इस औद्योगिक क्षेत्र में आबंटित या विक्रय किये भूखण्डों पर किसी कारण से उद्योग लगाने की रोक नहीं है। तथापि, इस औद्योगिक क्षेत्र हेतु जारी पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 22.12.2017 में वर्णित शर्तों के तहत भारत सरकार के ईआईए नोटिफिकेशन 2006 में उल्लेखित ए एवं बी श्रेणी की औद्योगिक इकाइयां लगाया जाना प्रतिबंधित हैं।

(3) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 17.12.2019 से राज्य में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 प्रभावी की गई है। यह योजना राज्य के सभी क्षेत्रों तथा औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उद्यमों पर लागू है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना में किसी विशेष औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने हेतु विशेष पैकेज व सहायता के प्रावधान नहीं किए जाते हैं।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय मंत्री महोदय, जैसा कि आपके उत्तर से स्पष्ट है कि आठ सालों में अभी तक एक तिहाई से भी कम भूखण्ड आबंटित किये गये और आठ साल में अभी मात्र एक इकाई निर्माणाधीन है और बाकी सारे के सारे भूखण्ड वैसे के वैसे खाली पड़े हैं। मेरा प्रश्न यह है कि पाली में टैक्सटाइल उद्योग की बहुत ही बेहतरीन संभावनाएं हैं और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी ई.टी.पी. के लिए सरकार की ओर से एक बहुत अच्छी सब्सिडी कर दी है तो बहुत सारे उद्यमी अब नया उद्योग लगाने के लिए तैयार भी बैठे हैं। यह आपके भूखण्ड खाली हैं, सब्सिडी आपने बहुत बढ़ा दी, जिससे सारे लोग आगे बढ़कर आएंगे तो अभी आपने ग्रीन कैटेगरी के लिए ही भूखण्ड आबंटन करने की अपनी ओर से स्वीकृति दे रखी है। क्या आप ओरेंज और रैड कैटेगरी के उद्योग, जिसकी पाली में आवश्यकता है, उसको भी भूखण्ड आवंटन करेंगे, जो भी अपना ई.टी.पी. लगा दे? पोल्यूशन बिलकुल नहीं, यह हम भी चाहते हैं कि पोल्यूशन नहीं हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): वह आप दोगे? क्या चूड़ी उद्योग के लिए भी सरकार कोई विशेष पैकेज पाली में देगी? उसकी भी बहुत संभावना है। चूड़ी उद्योग बढ़े।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें। एक्सप्लेन नहीं करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): हां, यही पूछ रहा हूं मैं। चूड़ी उद्योग के लिए देगी क्या? यही तो प्रश्न पूछ रहा हूं मैं।

श्री अध्यक्ष: आप एक्सप्लेन नहीं करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): आप इनका जवाब दे दें।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि पावरलूम के वहां पर बहुत अच्छे उद्योग लग सकते हैं। 6.8.2014 को पावरलूम के स्थान पर सामान्य उद्योगों के लिए उस जमीन को परिवर्तित किया गया था। चूड़ी उद्योग के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। चूड़ी उद्योग लगाने के लिए किसी तरह का नहीं, भारत सरकार की ए और बी कैटेगरी जो 2006 का नोटिफिकेशन है, उसके अंतर्गत ही प्रतिबंध है। बाकी उसमें भी अगर कोई इस तरह पावरलूम पर पिछली सरकार के समय 2014 में ही परिवर्तन किया गया था, हमने तो कोई परिवर्तन किया भी नहीं और आपकी जैसी राय है, जैसी आपके वहां के लोगों की इच्छा है, हमने भूखण्डों

(श्री परसादी लाल)

का आबंटन कर दिया। आक्शन, ई-आक्शन से भी वहां पर 30 भूखण्डों का अभी इसी महीने में आबंटन हो जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ से कहीं भी किसी उद्योग पर प्रतिबंध लगाने की कोई मंशा नहीं है।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहा, मैं पावरलूम की बात बिलकुल नहीं कर रहा हूं। मैं टैक्सटाइल में जो ओरेंज कैटेगरी की टैक्सटाइल है और रेड कैटेगरी जिसमें आप अब बहुत अच्छी सब्सिडी देने जा रहे हो, जिसकी आपने घोषणा की है, क्या ऐसे उद्यमी जो ओरेंज या रेड कैटेगरी की टैक्सटाइल यूनिट लगाना चाहते हैं, उनको भी इसमें आप भूखण्ड आबंटन करने की मंशा रखते हैं या नहीं रखते हैं? यह मैं सीधी सी बात पूछ रहा हूं, कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं है इसमें।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, रेड कैटेगरी और आप जिस तरह की बात कर रहे हैं इसके लिए ए और बी कैटेगरी में भारत सरकार से प्रतिबंधित है, फिर भी वहां पर आपकी अगर इस तरह की इच्छा है तो आई.डी.सी. को कहेंगे कि वह अपने इस निर्णय को बदलकर भारत सरकार से पुन: अनुमति लेने के लिए वहां पर कार्यवाही करे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री नारायण सिंहजी।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपदा राहत कोष से जो 90 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नारायण सिंहजी, आप प्रश्न पूछें, आप क्या बोल रहे हो? प्रश्न संख्या बोलो खाली, प्रश्न संख्या-45 बोलें।

टिड्डी प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को आर्थिक सहायता

45. **श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा): क्या आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि रबी फसल वर्ष 2019 के समय प्रदेश के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, पाली एवं सिरोही जिलों में टिड्डी दल का हमला हुआ था तथा इससे लाखों किसानों की करोड़ों रुपयों की फसलें खराब हो गयीं? यदि हां तथा तो क्या सरकार आपदा राहत कोष से किसानों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नारायण सिंह देवल)

(2) उक्त टिड्डी प्रभावित जिलों में सरकार द्वारा किस-किस जिले में, कितने-कितने किसानों को, कितनी-कितनी राशि आपदा राहत कोष से उपलब्ध करवाई है? विधान-सभावार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (मास्टर भंवरलाल मेघवाल): (1) जी हां। टिड्डी आक्रमण से 8 जिलों के 77676 प्रभावित किसानों में से 53915 किसानों को 89.93 करोड़ रुपये का कृषि आदान अनुदान वितरित किया जा चुका है।

(2) किसानों की संख्या एवं उपलब्ध कराई गयी सहायता राशि का जिले एवं विधान-सभावार विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपदा राहत कोष से 90 करोड़ की आर्थिक सहायता दी गयी है। मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि इस 90 करोड़ में भारत सरकार की कितनी राशि है और राज्य सरकार की कितनी राशि है? आपने अपने जवाब में पूरे राजस्थान में 77676 किसानों का नुकसान माना है तो यह आंकड़ा इतना ही है या इससे भी बड़ा है?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एस.डी.आर.एफ. के नोर्म्स के मुताबिक 75 परसेंट भारत सरकार का और 25 परसेंट राजस्थान सरकार का शेयर है।

जहां तक दूसरा क्वेश्चन इन्होंने जो किया है कि जो काश्तकार 77676 हैं, उनका आंकड़ा बढ़ा क्या? मैं उनको यह कहना चाहूंगा कि 10 तारीख तक यह आंकड़ा पूरा हमने तैयार करके और 10 तारीख तक जो 89.93 करोड़ रुपये हमने जिलों को दिये हैं, उसके बाद हमने दो दिन के अंदर इस राशि को बढ़ाकर 106 करोड़ 21 लाख रुपये हमने दो दिन में और दे दिये हैं और जिला कलेक्टर्स के मार्फत 98 करोड़ 65 लाख रुपये खातों के अंदर खातेदारों, काश्तकारों के पास चले गये और शेष जो राशि है, वह डे-बाई-डे जितने काश्तकारों का कलेक्टर के यहां से हमारे पास आता है, उतने पैसे डे-बाई-डे काश्तकारों के खाते में जमा कराने की कोशिश करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि टिड्डी के द्वारा जो आक्रमण किया गया है, उस आक्रमण के

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

बाद जो भी काश्तकार प्रभावित हुआ है, उसको किसी प्रकार की राहत देने में कोई कमी सरकार नहीं रखेगी, यह मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्रीजी से जानना चाहा था कि 90 करोड़ में राज्य सरकार का कितना पैसा है, इन्होंने खाली परसेंटेज बताया है, मैं अमाउंट चाह रहा हूं।

दूसरा, जो आप सहायता दे रहे हैं, इसमें सीमांत, लघु-सीमांत या सभी काश्तकार को दे रहे हैं और इसके अलावा रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में टिड्डी सात दिन रही और आपके जवाब में आपने मात्र 49 किसानों का नुकसान ही बताया, तो सदन के माध्यम से मेरी मांग है कि इसमें कई किसान वंचित रह गये, उनको आप सर्वे करवाकर कब तक भुगतान देंगे?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट कहा है कि एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स के मुताबिक 75 प्रतिशत राशि भारत सरकार की है और 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार का शेयर है। रानीवाड़ा क्षेत्र के अंदर मैं कहना चाहूंगा 49 काश्तकार हैं, जिनके यहां टिड्डी का प्रकोप हुआ है, टिड्डी ने वहां पर आक्रमण किया है और उनको नुकसान पहुंचाया है। उन 49 काश्तकारों को 4 लाख 56 हजार रुपये खातों में जमा करा दिये गये हैं। आपका क्वेश्चन यह भी है कि अब और काश्तकार हैं क्या? मैं कहना चाहूंगा कि जिला कलेक्टर के द्वारा ज्योंही हमारे विभाग को इस बात की सूचना दी जाती है कि अमुक काश्तकार का इतना नुकसान हुआ है, 33 प्रतिशत से ऊपर, उसको हम तत्काल राशि यहां से जिला कलेक्टर को भेजते हैं, जिला कलेक्टर काश्तकार के खातों में पैसे जमा करा देते हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मंत्री महोदय, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने एस.डी.आर.एफ. से 106 करोड़ की सहायता देने की बात कही। एस.डी.आर.एफ. के नोर्म्स बने हुए हैं, सीमांत और लघु सीमांत के हैं, 33 प्रतिशत खराबे के हैं। यह जो एक हजार करोड़ का किसान कल्याण कोष है, क्या सरकार गुजरात की तर्ज पर प्रति हैक्टेयर जो टिड्डी का नुकसान हुआ है, उसमें पांच हजार या दस हजार रुपये की राशि देने की मंशा रखती है या नहीं?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नंबर दो, आपने आठ जिलों की गिरदावरी के आधार पर यह राशि दी है। क्या यह सही नहीं है कि टिड्डी का प्रकोप पूरा और आंशिक रूप से लगभग 14 जिलों में है, शेष बचे हुए जिले के किसानों को आप राहत देंगे, गिरदावरी कराएंगे या नहीं कराएंगे?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक किसान राहत कोष का सवाल है, पिछले बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी, लेकिन यह चूंकि राहत का काम है, वह एक अलग प्रश्न है।

दूसरी बात कहना चाहूंगा कि जिन जिलों के अंदर जिला कलेक्टरों ने हमारे पास यह भेजा है कि हमारे किसानों का इतना नुकसान हुआ है, उनको हमने राहत प्रदान की है, और भी जहां पर कलेक्टरों द्वारा किसान के राहत की बात आएगी तो हम पैसा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, मदन दिलावर। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री अध्यक्ष: मदन दिलावर।

जे.के. लोन अस्पताल (कोटा) में आवश्यक उपकरण

46. श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा के जे.के. लोन अस्पताल में दिसम्बर, 2019 से 20 जनवरी, 2020 तक कितनी मौतें हुई हैं? मौतों के क्या-क्या कारण रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अस्पताल में कितने-कितने वार्मर, एम्बुलाइजर, इन्फ्यूजन पम्प व वेंटीलेटर भर्ती बच्चों के हिसाब से होने चाहिए थे? कितने-कितने थे तथा उनमें से 20 दिसम्बर से 27 दिसम्बर, 2019 तक कितने-कितने चालू हालात में थे?

(3) भर्ती बच्चों हेतु कितने चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ व अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता सरकारी व एमसीआई मानदण्डों के अनुसार होनी चाहिए थी? उक्त तिथियों में कितने कार्यरत थे? पदनाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री रघु शर्मा): (1) कोटा चिकित्सा महाविद्यालय के जे.के. लोन अस्पताल में 01 दिसम्बर, 2019 से 20 जनवरी, 2020 तक 135 मौतें हुईं। मौतों के कारण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है|

(2) कोटा चिकित्सा महाविद्यालय के जे.के. लोन अस्पताल के NICU मे संचालित बैड्स के हिसाब से 20 दिसम्बर से 27 दिसम्बर, 2019 तक आवश्यक उपकरणों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) कोटा चिकित्सा महाविद्यालय के जे.के. लोन अस्पताल में उक्त तिथियों में स्वीकृत एवं कार्यरत स्टाफ का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है|

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कोटा जे.के. लोन अस्पताल में भारत सरकार के लक्ष्य प्रोजेक्ट के तहत निरीक्षण करने आयी एक्सपर्ट की टीम, जो 27 तारीख को आयी थी तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की टीम जो जनवरी, 2020 को निरीक्षण करने आयी थी तथा राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने भी अपना निरीक्षण किया है तो उन तीनों रिपोर्टों का निष्कर्ष क्या है, बताएं।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर कुल 90 और 30, 90 वार्ड तो जे.के. लोन अस्पताल के अंदर हैं और 30 न्यू मेडिकल कालेज अस्पताल के अंदर हैं, 5 NICU में हैं और 5 PICU में, कुल 130 बैड हैं और इसमें राजस्थान सरकार के द्वारा जो सैंक्शंड बैड हैं, वह 120 हैं, लेकिन एक्चुअल में जो रनिंग बैड हैं, वह 174 की कैपेसिटी पर रन कर रहे हैं और जो वार्ड में हो, चाहे NICU में हो, चाहे PICU में हो, वह सैंक्शंड बैड 130 के हिसाब से, तो नर्सिंग स्टाफ पर्याप्त मात्रा में है। ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप पहले सुनिये।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जहां तक एक्सपर्ट टीम की रिपोर्ट की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं, ऐसी कोई रिपोर्ट हमको नहीं मिली है। सदन को गुमराह करने की जरूरत इसलिए नहीं है, बच्चों की मौत संवेदना का

(श्री रघु शर्मा)

विषय है, हमारे लिए भी है, इनके लिए भी होना चाहिए, इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह हम पहले दिन से कह रहे हैं। यह आई.एम.आर. की प्राब्लम है, अध्यक्ष महोदय, जो पूरी देश की समस्या है, राजस्थान की भी समस्या है और हम यह कह रहे हैं सदन में, कि अगर हम पांच साल के आंकड़े निकालकर देखें, अध्यक्ष महोदय, ..(व्यवधान) मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सवाल करते हो तो जवाब भी सुनो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठें। माननीय सदस्य, अगला प्रश्न। श्री नरेन्द्र नागर। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशवरायपाटन): 000

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश एवं नारे)

प्रश्न संख्या 47

श्री अध्यक्ष: श्री नरेन्द्र नागर।

(माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री महेन्द्र विश्नोई।

लूणी की जोजरी नदी को प्रदूषण से मुक्त करने की कार्ययोजना

48. श्री महेन्द्र बिश्नोई (लूणी): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री महेन्द्र बिश्नोई)

(1) क्या सरकार लूणी तहसील के विभिन्न गांवों से गुजरने वाली जोजरी नदी को प्रदूषण से बचाने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसके लिए अब तक क्या-क्या उपाय किए गए व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदूषित जोजरी नदी से किसानों की हुई बंजर भूमि को पुन: उपजाऊ बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसके लिये क्या-क्या उपाय किए जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: पर्यावरण मंत्री जी।

राज्य मंत्री, वन (श्री सुखराम विश्नोई): (1) जी हां। जोजरी नदी को प्रदूषण से बचाने हेतु राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा की गयी कार्यवाही संलग्न है (परिशिष्ट अ)।

(2) प्रदूषित जोजरी नदी से किसानों की बंजर हुई भूमि के संबंध में रिकार्ड संधारित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में शोरगुल एवं नारे)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे शहर का सवाल है, जहां से मैं चुनकर आता हूं। आप मुझे एक मिनट तो दें। यह देखिए आप मैं शर्मिन्दा हूं। यह देखो, चिकित्सा मंत्री बनकर 'मैं शर्मिन्दा हूं'। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपने कहा था यह, शर्मिन्दा हूं। यह आपका है, यह देखिए आप। शर्मिन्दा हूं। (भारी व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप क्या कह रहे हैं? (व्यवधान)

श्री महेन्द्र बिश्नोई (लूणी): प्रदूषण मंडल द्वारा जो रासायनिक पानी है, जोजरी नदी में...(व्यवधान)

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एक एजेंडे के रूप में काम कर रहे हैं, मुझे मालूम है। कल से तय कर रखा है क्या यह?

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा, नीचे बैठें। मंत्रीजी आप बोलें।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): जोधपुर शहर के लगभग 150 से 160 एम. एल. डी. मल दल घरेलू उत्पन्न होता है। नांदड़ी में संचालित मल दल उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र की क्षमता 20 एम एल डी है तथा सालावास और चतरपुर मल दल उपचार संयंत्र की प्रत्येक की क्षमता 50 एम एल डी है। इसके अलावा अतिरिक्त 40 एम एल डी क्षमता का मल दल उपचार संयंत्र बांसी बेंदा में निर्माणाधीन है तथा 15 एम एल डी क्षमता और 6 एम एल डी का नया संयंत्र प्रस्तावित है। जो पूरे प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा 2004 में उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र की स्थापना की गयी थी। इसकी क्षमता 20 एम एल डी है, वह टैक्सटाइल इकाइयां एवं स्टील रिवाल्विंग इकाइयों तथा 13 अन्य उद्योग इसके सदस्य हैं तथा उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र से जुड़े हुए हैं।

श्री महेन्द्र बिश्नोई (लूणी): धाबा ग्राम पंचायत के अंदर और उसके आस-पास जोधपुर से लगते हुए बाड़मेर जिले की पंचायतों में जोजरी नदी का दूषित पानी खेतों के अंदर फैला हुआ है और आस-पास के खेतों के अंदर पूरा भरा रहता है। बारिश के अंदर लोग अपने घरों के अंदर भी नहीं जा सकते, इसके लिए आप क्या कोई विचार रखते हैं जो गांवों में पानी भरा हुआ है, उसको सही कर सकें, ऐसी कोई योजना है?

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री सुखराम बिश्नोई (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक उच्छिष्ठ को बिना उपचार के निस्रावित किये जाने को रोकने हेतु राज्य पशु नियंत्रण मण्डल द्वारा 264 टैक्सटाइल उद्योगों को बंद करने हेतु निर्देशन जल मण्डल ने 33(ए) के अन्तर्गत किया गया है।

इसके अतिरिक्त हाल ही में दिनांक 29.01.2020 को 24 अनधिकृत उद्योगों को, जो कृषि भूमि पर स्थित हैं, उनके विरुद्ध भी जल अधिनियम, धारा 33(ए) के अन्तर्गत बंद करने के आदेश जारी किये गये हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

प्रश्न संख्या 49

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाब चन्द कटारिया। श्री गुलाब चन्द कटारिया।

(माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए: कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न, श्री मदन प्रजापत।

संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन देने की कार्ययोजना

50. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में संस्कृत शिक्षा के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया व कितनी राशि व्यय की गयी? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में संस्कृत शिक्षा के कितने विद्यालय संचालित हैं और उनमें किस-किस श्रेणी के कितने शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं? श्रेणीवार, जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। मंत्री जी, जवाब दें। संस्कृत मंत्री, संस्कृत मंत्री। संस्कृत मंत्री। यह क्या कर रहे हैं आप?

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

राज्य मंत्री, संस्कृत शिक्षा (डा. सुभाष गर्ग): (1) संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) संस्कृत शिक्षा का विगत तीन वर्षों का बजट प्रावधान एवं व्यय का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय (राशि लाखों में)
2016-17	32464.79	31411.36
2017-18	37690.65	34798.85
2018-19	45838.87	45215.65

(3) संस्कृत शिक्षा के विभिन्न स्तर के 1766 राजकीय संस्कृत विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के स्वीकृत एवं पदों की स्थिति का श्रेणीवार, जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, संस्कृत शिक्षा)

(4) जी हां। प्राध्यापक विद्यालय के विभिन्न विषयों के 286 पदों के क्रम में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 264 पदों पर प्रतियोगी परीक्षा हेतु विज्ञापन जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा चुके हैं। शेष 22 पदों की भर्ती हेतु कार्यवाही आयोग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

वरिष्ठ अध्यापक के विभिन्न विषयों के 718 पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाकर दिनांक 03.2.2020 से 06.02.2020 तक काउंसलिंग का कार्य किया जा रहा है।

प्रधानाध्यापक प्रवेशिका के 100 पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग के स्तर पर विज्ञप्ति जारी किये जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

वरिष्ठ अध्यापक के 177 पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्तमान में 718 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् अर्थना भिजवाने के निर्देश दिये गये हैं।

शारीरिक शिक्षक ।।। ग्रेड के 60 पद, पुस्तकालयाध्यक्ष ।।। ग्रेड के 31 पदों पर प्रतियोगी परीक्षा हेतु अर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवाई जा चुकी है।

अध्यापक के 226 पदों पर विभागीय स्तर पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

कनिष्ठ सहायकों के 131 पदों की अर्थना प्रशासनिक सुधार विभाग को भिजवाई गई है।

प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्राध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उक्त पदों पर सीधी भर्ती/पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण होने पर अध्यापकों से रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि संस्कृत स्कूल होने के

(श्री मदन प्रजापत)

कारण दूसरे विद्यालय भी नहीं खुले और इसमें रिक्त पद होने की वजह से बच्चे शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। रिक्त पद कब भरे जाएंगे और अगर रिक्त पद नहीं भरे जाते हैं तो क्या जनरल स्कूल में विलय किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? या तो विलय किया जाए या रिक्त पद भरे जाएं ताकि स्कूल शिक्षा से बच्चे वंचित नहीं रहें।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि संस्कृत शिक्षा के रिक्त पदों का जहां तक सवाल है परसों ही 350 के लगभग लोगों को जहां रिक्त पद थे, वहां लगाया गया है और मैं बताना चाहूंगा कि संस्कृत शिक्षा को लेकर हमारी राज्य सरकार बहुत गम्भीर है और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, पिछले पांच वर्षों में भा.ज.पा. सरकार में एक भी स्कूल क्रमोन्नत नहीं किया गया था, हमारी सरकार ने इस वर्ष 69 स्कूलों को क्रमोन्नत किया है और नये स्कूल खोले हैं। 50 स्कूल और क्रमोन्नत किये जाने की प्रक्रिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि अपने आपको संस्कृत शिक्षा का पुरोधा कहने वाली यह पार्टी के लोग जो वैल में हल्ला मचा रहे हैं, मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाह रहा हूं कि संस्कृत शिक्षा को लेकर हमारी राज्य सरकार इतनी गम्भीर है और इतनी संवेदनशील है कि न केवल रिक्त पदों पर पोस्टिंग दी गयी है बल्कि नवाचार किये जा रहे हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, रिक्त पद के अलावा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जो भवन का अभाव है, उनके लिए कब-कब बजट का प्रावधान रखा जाएगा, कब बजट दिया जाएगा?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि समसा के तहत बाकायदा यह बजट आबंटन की प्रक्रिया जारी है, कई स्कूल्स को बजट दिया भी गया है और बालोतरा से आने वाले विधायक को विशेष यह

(डा. सुभाष गर्ग)

बताना चाहूंगा कि इनके क्षेत्र में परसों ही 18 संस्कृत शिक्षा के शिक्षकों को लगाया गया है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती शकुन्तला रावत।

आगजनी पीड़ित परिवारों को देय राहत के नियमों का सरलीकरण

51. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि आगजनी की गंभीर घटनाओं से पीड़ित परिवारों को राहत राशि दिये जाने के नियम और प्रक्रियाओं की जटिलता होने से पीड़ितों को वास्तविक राहत समय पर नहीं मिल पाती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नियमों व प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि आगजनी की घटनाओं में दी जाने वाली सहायता राशि काफी कम है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व कब तक एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (मास्टर भंवरलाल मेघवाल): (1) जी नहीं। एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स के अनुसार प्राकृतिक आपदा घटित होने पर प्रभावितों द्वारा आवेदन की प्रक्रिया अब जनवरी 2020 से आनलाइन कर दी गयी है। आवश्यक प्रक्रिया की पूर्ति करते ही जिला कलेक्टर द्वारा विभाग से आनलाइन बजट प्राप्त कर तत्काल सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

(2) प्राकृतिक आपदा घटित होने पर प्रभावितों को भारत सरकार के एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स 8 अप्रैल, 2015 के अनुसार सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिनमें संशोधन भारत सरकार द्वारा ही किया जा सकता है। एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, 2015 के अनुसार जो सहायता राशि दी जाती है वह बहुत कम है। राज्य सरकार ने भारत

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

सरकार को कब-कब चिट्ठी लिखी और उसका यहां पर क्या-क्या जवाब आया? जो राशि है वह बहुत कम है, तो क्या बढ़ाने की मंशा है?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आगजनी की घटना घटित होने पर पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा प्रार्थी से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर जांच कर सहायता हेतु जिला कलेक्टर कार्यालय में भिजवाया जाता है। आनलाइन ही जांच होगी, आनलाइन ही स्वीकृति जारी होगी, पीड़ित को पैसा भी आनलाइन ही दिया जाएगा। भारत सरकार के नोर्म्स अनुसार सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

राज्य में पिछले एक वर्ष में आगजनी की कुल 1803 घटनाएं घटित हुई हैं। जहां तक अलवर जिले का सवाल है, अलवर जिले में पिछले एक वर्ष में आगजनी के 77 प्रकरण घटित हुए हैं जिनमें से 45 प्रकरणों में एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स के अनुसार भुगतान किया गया है तथा 32 प्रकरण जांच के कारण लम्बित हैं।

जहां तक बानसूर विधान सभा क्षेत्र का सवाल है, अलवर जिले की बानसूर तहसील में एक वर्ष में आगजनी के 22 प्रकरण घटित हुए, जिनमें से 8 प्रकरणों के एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स के अनुसार सहायता राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। 14 प्रकरण आक्षेप के कारण लम्बित हैं। जिला कलेक्टरों द्वारा बकाया प्रकरणों की आक्षेप पूर्ति कर आनलाइन बजट मांग भिजवाने पर विभाग द्वारा शीघ्र ही बजट आबंटित कर दिया जाएगा।

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है।

अनुरोध एवं मांग

प्रश्न की व्यापकता व महत्ता को देखते हुए उस पर चर्चा की अनुमति

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, हमने आपकी हर व्यवस्था को मानकर कि सदन अच्छे ढंग से चले, यह आपकी और हमारी सबकी इच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो प्रश्न किसानों

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

से संबंधित था और उसके कारण से लाखों किसानों का बीमा नहीं हो पाया, जिसके कारण से उनको लाभ नहीं मिला, उस क्वेश्चन को भी हमने उसी रूप में निकालने का प्रयास किया। यह मैं सोचता हूं कि उस किसान के प्रति हम कोई हिमायत नहीं कर पा रहे हैं। इससे बड़ा इंपोर्टेंट विषय कोई नहीं हो सकता। सरकार यह बताए कि वास्तव में, उस दिन भी हमने कहा था जब पिछली बार डिस्कस हुआ था तब भी कि 31 जुलाई इसकी लास्ट तारीख है, अगर इसका पैसा जमा नहीं हुआ तो इसका इंश्योरेंस नहीं होगा। इंश्योरेंस नहीं होगा तो फिर इसको जो लाभ आपदा में मिलना चाहिए, वह लाभ नहीं मिला। इंश्योरेंस के इस लाभ से लाखों किसान वंचित रह गए। उनको समय पर कर्जा नहीं मिला। उसके अगेंस्ट में दूसरा कर्जा नहीं उठा। उसके कारण से उसकी किश्त जमा नहीं हुई। ऐसे इंपोर्टेंट विषय को भी अगर सामान्य बाकी क्वेश्चन की तरह से लेंगे तो हम अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकेंगे। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि क्वेश्चन की ग्रेविटी को समझकर, कौनसा क्वेश्चन किस प्रकार का है, पब्लिक से कितना उसका इनवाल्वमेंट है, उसको ध्यान में रखकर व्यवस्था देंगे तो हम हमेशा आपका सहयोग कर रहे हैं और आगे भी सहयोग करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रश्न की एक लिमिटेशन है। आपने जो प्रश्न उठाया, उसकी महत्ता को मैं स्वीकार करता हूं लेकिन उसको उठाने के और भी तरीके हैं। आपने जो प्रश्न उठाया है उसके लिए चैम्बर में आएं, बैठकर बात करें कि इसको और किस तरह से उठाकर इस पर चर्चा की जाए। इसके लिए मैं सदन के नेता से भी बात करूंगा और आपकी भावनाओं से उनको अवगत करूंगा।

मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं कि प्रश्न के नियम और कानून बने हुए हैं। प्रश्नों के नियम और कानून के अंतर्गत प्रश्न काल होगा। प्रश्न की जो महत्ता है उसके लिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि सवा 10, साढ़े 10 बजे तक आप मेरा ध्यान आकर्षित करें। यह मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आप और हम सब मिलकर जनता की समस्याओं का निदान करें। इसमें किसी को तकलीफ नहीं है लेकिन प्रश्न की लिमिटेशन के अंदर ही प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न को अगर हम जनरल डिबेट में करना चाहें तो फिर प्रश्न की महत्ता खतम हो जाती है। फिर हम स्थगन प्रस्ताव क्यों रखते हैं? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्यों रखते हैं?

(श्री अध्यक्ष)

फिर 131 में जो प्रोविजन है उसमें क्यों रखते हैं? बजट के अंदर जब हम डिमांड की डिबेट डिस्कस करेंगे तब भी हमें मौका मिलेगा। गवर्नर की स्पीच है तब भी हमें मौका मिलेगा। मैं समझता हूं कि हमने जो इसके अंदर अलग-अलग प्रोविजो कर रखे हैं, उसका लाभ उठाना चाहिए।

मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जिन गंभीर मुद्दों पर आप सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, उसके लिए बैठकर, चर्चा करके कैसे इसको उठाएंगे, इस पर हम चर्चा कर लेंगे लेकिन मैं निश्चित रूप से अपेक्षा करता हूं कि क्वेश्चन में हमने पहले लिखकर दिया, हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। उस क्वेश्चन को अगर हम जनरलाइज करके डिबेट करेंगे तो क्वेश्चन की महत्ता खतम हो जाएगी। क्वेश्चन स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक क्वेश्चन में जो मैंबर है उसका अधिकार बनता है। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आपका भी अधिकार बनता है लेकिन उस क्वेश्चन को अगर हम जनरल डिबेट के अंदर लाएं तो क्वेश्चन की महत्ता खतम हो जाएगी।

मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं यह मना नहीं करता कि आप को-आपरेट नहीं कर रहे हैं। आप और सबके सहयोग से सदन अच्छा चल रहा है। यह राजस्थान के सदन की परम्परा रही है। हमें इस परम्परा को आगे बढ़ाना चाहिए। आपकी भावना को समझकर चैम्बर में बैठकर चर्चा करेंगे कि कैसे इस मुद्दे पर जिस पर आप चिंतित हैं और राजस्थान की जनता को जानकारी देना चाहते हैं उस पर चर्चा कर लेंगे।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है।

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

सदस्य अपने आचरण से सदन की गरिमा बनाये रखें

माननीय सदस्य बैठे-बैठे बोलें, यहां पर कागज लाएं, ये सब परंपराएं ठीक नहीं हैं। यदि हम सदन को गरिमापूर्ण चलाना चाहते हैं तो मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि चाहे पक्ष हो और चाहे विपक्ष हो, नियम और कानून लिखे हुए हैं। यह नियम और कानून मैंने नहीं बनाए हैं। नियम और कानूनों का राजस्थान विधान सभा के पुराने सदस्यों ने निर्माण किया है। इनमें राजस्थान सरकार की गरिमा रही है। मैं आपसे फिर अपेक्षा करूंगा कि राजस्थान विधान सभा की गरिमा रही है और हमने परंपराओं और नियमों का पालन करके इस

(श्री अध्यक्ष)

सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता की सेवा की है। कृपया नियम और कानूनों का पालन कर इस सदन की गरिमा को बनाए रखें। वैल में आना, कागज बताना, यह परंपराएं, मैं समझता हूं कि हमारी पार्लियामेंट्री डैमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं हैं। डिबेट, डिस्कशन और डिसेंट पार्लियामेंट्री डैमोक्रेसी की ताकत हैं। सत्ता पक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है। प्रतिपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों मिलकर राजस्थान की जनता की सेवा करने का जो प्लेटफार्म है, उसका उपयोग करें लेकिन हम लिमिट को भी समझें। क्यों सदन को 11 से 5 तक चलाने का नियम बनाया है? 11 से 5 की जगह रात भर का भी कर सकते थे। कम समय में कैसे हम चीजों को डिस्पोज करें, यही इन नियमों और प्रक्रियाओं की सबसे बड़ी ब्यूटी है। प्रश्न काल की महत्ता भी है। अतारांकित प्रश्न की महत्ता भी है। तारांकित प्रश्न की महत्ता भी है। 131 की महत्ता भी है। स्थगन की महत्ता भी है। हमने सब चीजों को डाइल्यूट कर दिया है।

मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो सदन की परंपरा रही है, उनका निर्वहन करने के लिए माननीय सदस्य नियम और कानून के अंतर्गत विषयों को उठाएं, डिबेट करें और डिस्कशन करें, यही हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। मैं आशा करता हूं कि आप सबके सहयोग से हम सदन की गरिमा को बनाए रखेंगे। सदन में ज्यादा से ज्यादा अच्छी डिस्कशन करके जनता के हितों की बात करने का काम करेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बात से सौ प्रतिशत सहमत हूं। मैं चाहता हूं कि सदन में ज्यादा से ज्यादा विषय आएं और उन पर अच्छी तरह से कार्यवाही हो लेकिन यह कभी नहीं हो सकता कि कोई माननीय सदस्य वहां से उठे और कागज लेकर के यहां तक आ जाए, आपस में एक दूसरे के नजदीक आ जाएं। यह कोई परिपाटी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। आपके लीडर बोल रहे हैं, फिर भी आप यह कर रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उस माननीय सदस्य के लिए कम से कम इस बारे में आसन से कोई व्यवस्था होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई और इधर से उधर और उधर से इधर, वहां से चलकर आए और आपस में मान लो लड़ भिड़े, तो इस हाउस की क्या दशा होगी? वहां से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

चलकर आएं और उसके बारे में अगर आसन से टोका-टोकी नहीं होगी तो मैं समझता हूं कि यह व्यवस्था हमेशा के लिए बिगड़ेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आचरण से अपने पद की गरिमा को बनाए रखें। नीमकाथाना से आने वाले माननीय सदस्य आज जिस तरह से सदन में आए यह डिजायरेबल नहीं है। मैं अपेक्षा करूंगा कि इस तरह की घटना भविष्य में सदन में नहीं हो। हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम अपने व्यक्तिगत आचरण में नियमों का पालन करें। आज की जो घटना है वह दु:खद घटना है। कोई सदस्य वहां से क्रोस करके आए, मैं समझता हूं कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं हम सभी न करें जिससे हमारे सदन की गरिमा कम हो, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने जो फरमाया, वह बिलकुल ठीक है। यह व्यवस्था होनी भी चाहिए। लेकिन यह भी होनी चाहिए कि जो कागज वहां पर दिया गया, वह तो गलत था, लेकिन उस कागज को छीनकर यहां पर फेंक दिया गया, जो अभी भी पड़ा हुआ है। उनको भी मेहरबानी करके प्रताड़ित कीजिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं न तो आपको प्रताड़ित कर रहा हूं और न इनको प्रताड़ित कर रहा हूं। मैं खुद प्रताड़ित हो रहा हूं। मैं आप दोनों को प्रताड़ित नहीं कर रहा हूं। मैं सदन में इस कुर्सी पर बैठकर स्वयं अपने आपको प्रताड़ित महसूस कर रहा हूं। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप मेहरबानी करके चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, सदन की गरिमा बनाने का काम सबका है। यह मैं न केवल आपको सत्ता पक्ष को कह रहा हूं और न विपक्ष को कह रहा हूं, मैं सबको कह रहा हूं। हम सब मिल-जुलकर इस सदन की गरिमा को बनाए रखें।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अनफारच्युनेट है, सदन के स्पीकर को यह कहना पड़े कि मैं खुद प्रताड़ित महसूस कर रहा हूं, यह नौबत नहीं आनी चाहिए। लोकतंत्र में सरकारें बनती हैं, सत्ता पक्ष होता है, चाहे दिल्ली के अंदर सरकार हो, चाहे राज्यों के अंदर सरकारें हों, विपक्ष की जो असहमति है, उसका सम्मान करना भी सत्ता पक्ष

(श्री अशोक गहलोत)

की जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र की खूबी और ताकत यही है। हम चाहेंगे कि विपक्ष की भावनाओं को, उनकी असहमति का हम वैलकम करें लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि राजनीति करने के लिए हम लोग लक्ष्मण रेखा पार कर दें। उसका दोनों पक्ष ध्यान रखें। मैं समझता हूं कि सदन की गरिमा जो अध्यक्ष महोदय आपने बताई है, कायम रखने में हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैं:-

(1) श्री गोपीचन्द मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की अधिकांश सड़कों में बड़े-बड़े गड्ढ़े होने से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

(2) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ़ में गौरक्षनाथ बस्ती व वीर तेजाजी कालोनीवासियों को अतिक्रमण के नाम पर बेघर किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से मुकुन्दरा टाइगर रिजर्व क्षेत्र के गांवों का विस्थापन नहीं किए जाने से गांववासियों को जान का खतरा होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री खुशवीरसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के गांव इठन्द्रा मेड़तियान में 07 फरवरी, 2020 को प्रार्थना के समय राजकीय माध्यमिक विद्यालय की छत गिरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री अविनाश एवं सात अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण में आयोजित उपखण्ड स्तरीय गार्गी पुरस्कार वितरण समारोह में स्थानीय विधायक की उपेक्षा किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में थ्री फेज मीटर व केबल की कमी से किसानों को हो रही परेशानी के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(7) श्री बलवीर सिंह लूथरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के अंतर्गत आने वाली गंग नहर में पंजाब की तरफ से बह कर आने वाले मवेशियों के शवों से हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(8) श्री अशोक लाहोटी, सदस्य की ओर से कोरोना वायरस का संदिग्ध मरीज राजस्थान में पाए जाने से आमजन में भय व्याप्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री कालीचरण सराफ, सदस्य की ओर से प्रदेश में विधायकों की उपेक्षा कर सत्तारूढ़ दल के हारे प्रत्याशियों के द्वारा शिलान्यास एवं उद्घाटन किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से सिरोही जिले में गत आठ माह से महिला पोषाहार व भवन किराये का भुगतान न किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत अनुशंसित कार्यों की वित्तीय स्वीकृतियां जारी न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से प्रदेश में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भवन की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किए जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

दो विषय, खास तौर से एमएलए फण्ड और विधायकों की गरिमा के सम्बन्ध में, इन पर इस सप्ताह या अगले सप्ताह दो अलग-अलग वक्तव्य सरकार की तरफ से दिलाकर इस पर चर्चा कराएंगे।

(13) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल एवं आठ अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में तीन दिन पूर्व पशुपालकों के घर जंगली जानवर के हमले से मरी 40 भेड़ों का मुआवजा दिलवाए जाने के सम्बन्ध में।

जहां एक से अधिक सदस्य किसी बात पर साइन करेंगे, वहां एक से दो सदस्य को बुलवाने की परमिशन होगी।

(14) श्री बलजीत यादव, सदस्य की ओर से मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर

(श्री अध्यक्ष)

में छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन समारोह में हुए लाठी चार्ज से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(15) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को बंद किए जाने से गरीब तबके को इलाज में हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(16) श्री वासुदेव देवनानी तथा अशोक लाहोटी, सदस्य की ओर से चीन से लौट रहे लोगों की वजह से कोरोना वायरस फैलने की आशंका से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य, श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, श्री बलजीत यादव, श्री रामलाल शर्मा एवं श्री वासुदेव देवनानी को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो -दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री अशोक लाहोटी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में रोजाना जगह-जगह लगने वाले जाम की स्थिति से निजात दिलवाए जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर की उप तहसील भाद्राजून को तहसील बनवाए जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के यूआईटी पैरीफेरी एरिया के बीपीएल परिवारों को मुख्य मंत्री आवास तथा प्रधान मंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री गोपीचंद मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसपुर में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री गोपी चन्द मीणा, सदस्य की ओर से भीलवाड़ा जिले में विभिन्न आपराधिक मुकदमों में दर्ज व्यक्तियों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मंच साझा किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(6) श्री प्रताप लाल भील, सदस्य की ओर से कोटड़ा पंचायत समिति के विद्यालयों के छात्रों के नामांकन की जांच करवाए जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के 199 गांवों को बीसलपुर योजना से पेयजल उपलब्ध करवाए जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री भरत सिंह कुन्दनपुर, सदस्य की ओर से प्रदेश में आवारा पशुओं के कारण हो रही मौतों पर सरकार द्वारा आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री अमीन खां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र शिव में पेयजल हेतु पर्याप्त पानी की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

(10) श्री सुमित गोदारा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के नापासर कस्बे में बने गौरव पथ पर लगी एलईडी लाइटों के पिछले एक वर्ष से बंद होने से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(11) श्री गोविन्द प्रसाद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालय के भवन में कक्षाएं संचालित नहीं होने से छात्र-छात्राओं को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(12) श्री ओम प्रकाश हुड़ला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र महुवा की मण्डावर तहसील में उपखण्ड कार्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से सिरोही तहसील के गांव बोकी भागली में वन विभाग द्वारा भूमि का सही आंकलन नहीं किए जाने से स्थानीय नागरिकों को बिजली कनेक्शन लेने में हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(14) श्री अमर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बयाना को जिला बनाए जाने के सम्बन्ध में।

(15) श्री सुरेश टाक, सदस्य की ओर से किशनगढ़ कस्बे की मुख्य सड़क का पुनर्निर्माण करवाए जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

पर्ची

आज दिनांक 12 फरवरी, 2020 को शून्य काल में बोलने हेतु 27 पर्चियां प्राप्त हुईं जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	नाम माननीय सदस्य	विषय
(1)	श्री पब्बाराम	फलौदी विधान सभा क्षेत्र के गांवों में नहरी मीठा पानी वितरित किए जाने एवं पुरानी जलदाय योजनाओं के Augmentation बाबत।
(2)	श्री गिरधारीलाल	बिजली के बिल माफ किए जाने के सम्बन्ध में।
(3)	श्री राजेन्द्र राठौड़	आईबी की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान, महाराष्ट्र एवं पंजाब सहित देश के अन्य राज्यों में आतंकवादियों के निशाने पर आरएसएस के नेता व कार्यालय होने के बावजूद राजस्थान पुलिस द्वारा इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
(4)	श्री धर्मनारायण जोशी	मावली विधान सभा क्षेत्र में डबोक-मावली रोड पर अनधिकृत टोल नाकों से जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

केशोरायपाटन में जंगली जानवर के हमले से मरी भेड़ों का मुआवजा

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया, इस बात के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मेरे विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में पिछले चार दिन पूर्व हुई घटना के बारे में आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगी। चाहे हम दरा अभयारण्य से सटे हुए गांवों की बात करें चाहे हम रामगढ़ अभयारण्य से सटे गांवों की बात करें, लगातार जंगली जानवरों से

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

किसानों को, गांवों में रहने वाले प्राणियों को जिस तरह की दहशत, जिस तरह का डर मन में बना हुआ है, यह डर हकीकत में बदलता नजर आ रहा है। शनिवार की देर रात, जिस तरह से रामचरण गुर्जर हमारा एक पशुपालक था, उसके बाड़े में बघेरे का हमला होता है, कुछ भेड़ों और बकरियों की आवाज उसको आती है, जैसे ही वह जाकर देखता है कि कुछ ही मिनटों में कम से कम चालीस भेड़ों को मौत के घाट बघेरे ने उतार दिया। साथ-साथ अनेक बकरियों को भी घायल कर दिया। ये भेड़ें और बकरियां अभी भी घायल अवस्था में पड़ी हुई हैं। ऐसे हालात मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई गांवों के हो रहे हैं। लगातार किसान मांग करता आ रहा है। किसी न किसी तरह से सरकारी....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, माननीय मंत्रीगणों के इस हाउस में चैम्बर हैं, माननीय सदस्य अपने काम के लिए उनके चैम्बर में जाकर सम्पर्क कर सकते हैं। सदन में बैठकर कृपया सदन की गरिमा को बनाए रखें। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान लगातार मांग कर रहा है कि जंगली जानवर हैं, चाहे वे रोजड़े हैं, चाहे बाघ हैं, चाहे रीछ हैं, किसी न किसी तरह से अपने को बचाने के लिए, अपनी फसलों को बचाने के लिए, अपने जानवरों को बचाने के लिए हमें सरकार की तरफ से सहायता मिले। मैं आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री महोदय को लगातार साल भर का घटनाक्रम बताना चाहती हूं। कम से कम पन्द्रह-बीस गांवों में लगातार रीछ लोगों को नजर आ रहा है, गांवों के अंदर पेड़ों पर चढ़ता हुआ, कभी बघेरे, कभी सरसला में नजर आ रहा है, कल परसों जैसा कि बलवंत गांव से भी मेरे पास सूचना आई। हमारा जो कल्याणी खेड़ा गांव है, उसमें तो इस तरह का हमला कर ही दिया। मैं मंत्री महोदय से यही निवेदन करना चाहूंगी, शायद यहां उपस्थित हैं कि नहीं, चले गये लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि जब किसी व्यक्ति की गाड़ी से, हाथ से किसी न किसी तरह से दुर्घटना में अगर एक बंदर की भी मृत्यु हो जाती है, जैसा मैंने 2007 में देखा, जिला परिषद् के एक सदस्य की गाड़ी से रोड पर एक बंदर की मृत्यु हो गयी, वन विभाग के अधिकारियों ने तुरंत प्रभाव से बीस हजार रुपये का जुर्माना वसूला।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

इसी तरह से जो किसान हैं, पशुपालक हैं, उसकी इतनी भेड़ों की मृत्यु हुई, उसे भी तुरंत प्रभाव से अधिक से अधिक राशि मुआवजे के रूप में देने का मन सरकार रखती है? इस तरह का मेरा निवेदन है। मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहती हूं कि बहुत गरीब पशुपालक है ऐसे गरीब पशुपालकों की, किसानों की अगर हम लोग मदद करेंगे तो निश्चित तौर पर किसानों को, पशुपालकों को लगेगा कि सरकार का हमारी तरफ ध्यान है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं, तुरंत प्रभाव से मुआवजा दिया जाए।

व्यवस्था का प्रश्न

शून्यकाल में उठाये गये मुद्दों का उत्तर देने के लिए मंत्री उपस्थित रहने चाहिए

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूं। आपने बड़ी कृपापूर्वक नियमों और प्रक्रियाओं में, शून्यकाल में कुछ मुद्दों को उठाने की हमें अनुमति दे रखी है। जवाब मंत्री महोदय दें या नहीं दें, कोई बात नहीं, आपने जो व्यवस्था दी, वह शिरोधार्य है पर आप देखें, सम्बन्धित मंत्री को जब यह नोटिस रहता है, कोई भी मंत्री यहां रहता नहीं है। मंत्री के नहीं रहते माननीय सदस्य ने अपनी भावना व्यक्त की, उनके नोटिस में आ जाए, वे इस पर संज्ञान लें, कार्यवाही करें या नहीं करें, न तो आफिसर्स गैलरी में उनका कोई अधिकारी आता है, न मंत्री विराजे रहते हैं। हम इन दीवारों को सुनाने के लिए थोड़े ही यहां हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सदन की गरिमा की बात कही तो हमारे अधिकारों की रक्षा तो आप करें।

व्यवस्था

शून्यकाल में उठाये गये मुद्दों के समय सम्बन्धित मंत्री सदन में उपस्थित रहें

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बहुत पुराने सदस्य हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। आप जो बोल रहे हैं, सब रिकार्ड हो रहा है। सम्बन्धित मंत्री और अधिकारियों के पास जाता है, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि सदन की कार्यवाही में जिन-जिन मंत्रियों के सम्बन्ध में जो-जो प्रश्न उठ रहे हैं, चाहे स्थगन प्रस्ताव हों, चाहे 295 हों, उनमें माननीय मंत्रीगण सदन में उपस्थित रहें। मैं

(श्री अध्यक्ष)

पार्टी के व्हिप और संसदीय मंत्री से कहूंगा कि ऐसी व्यवस्था करें। चाहे स्थगन प्रस्ताव हों, चाहे पर्ची का मामला हो, चाहे 295 हों, कम से कम सम्बन्धित मंत्री सदन में रहें, तभी उनकी गरिमा रहेगी। श्री नरेन्द्र नागर जी।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जंगली जानवरों का जिस प्रकार से...

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय यहां मौजूद हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके सामने पूरा सदन अपनी बात रखता है और फिर ये सिर्फ बात कहने के लिए अपनी बात कहें, यह भी नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: श्री नरेन्द्र नागर।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

केशोरायपाटन में जंगली जानवर के हमले से मरी भेड़ों का मुआवजा

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जंगली जानवरों की वजह से जिस प्रकार का भय का वातावरण पूरे प्रदेश में दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जंगली जानवरों की हत्या हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहां उसके लिए कानून बना हुआ है, एक्ट बना हुआ है और मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि वन विभाग को भी निश्चित रूप से जो भी जानवर हैं, वे जंगल में ही रहें, वन विभाग के आस पास जितनी भी कृषि भूमि है, उस पर न आएं, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए।

किसान चौबीसों घंटे दिन और रात अपनी कृषि भूमि की चौकसी में लगा रहता है, वह अकेला कभी टापरी बनाकर या घर बनाकर वहां रहता है। बिलकुल भय का वातावरण है। निश्चित रूप से इस प्रकार का भी प्रावधान होना चाहिए कि जो जंगली जानवर हैं, उनके लिए किसी प्रकार की तारबंदी आदि की व्यवस्था हो ताकि जंगली जानवरों से किसानों की फसलों का नुकसान न हो और किसानों को किसी प्रकार की हानि न हो।

श्री अध्यक्ष: श्री बलजीत यादव।

अलवर के मत्स्य विश्वविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन समारोह में लाठीचार्ज

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, 7 फरवरी को अलवर के प्रताप आडिटोरियम में राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय एवं छात्र संघ अध्यक्ष की तरफ से वार्षिक समारोह आयोजित हुआ। शहर में उसके कई दिनों पहले होर्डिंग्स भी लगे। उस समारोह में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष श्री सतीश पूनियां जी भी शामिल हुए। अध्यक्ष महोदय, छात्रों को छात्र संघ अध्यक्ष की तरफ से पास बांटे गए। कल्चरल प्रोग्राम रखा गया।

मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं प्रशासन को यह सोचना चाहिए था कि आयोजकों की यह ड्यूटी होती है कि वह किसी भी समारोह की परमिशन लें। अगर वह परमिशन नहीं लेते हैं तो प्रशासन को चाहिए कि उन्हें नोटिस दे तथा समय रहते उस कार्यक्रम को रोके, लेकिन अलवर में समारोह को आयोजित होने दिया गया। जब तक चीफ गैस्ट वहां मौजूद रहे, तब तक पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। जब चीफ गैस्ट वहां से चले गये तो जो निर्दोष छात्र थे, जिन्हें उस कार्यक्रम में शामिल होने के पास दिए गये थे, उन्हें पुलिस ने बेरहमी से मारा-पीटा।

मैं सरकार से सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि कुछ अहंकारी पुलिस अधिकारी ऐसा करते हैं, जिससे सरकार की बदनामी होती है। यदि उन्हें लगता है कि इससे अव्यवस्था हो सकती है तो उन्हें आयोजकों को पहले ही रोकना चाहिए। यदि आयोजकों ने परमिशन नहीं ली है तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। यदि पुलिस को छात्र संघ अध्यक्ष और यूनिवर्सिटी की तरफ से पहले ही सूचना दे दी गयी कि यह कार्यक्रम होगा और वहां पर पुलिस मौजूद रहती है तो भीड़ को वहां जुटने नहीं दिया जाना चाहिए। समय रहते उन लोगों को वहां से दूर खदेड़ा जाना चाहिए। यह कहां का तरीका हुआ कि पहले भीड़ को एकत्रित होने दिया जाता है, सारा कार्यक्रम करने दिया जाता है, जब तक बड़े नेता लोग वहां रहते हैं, अधिकारी उनकी चमचागीरी में खड़े रहते हैं, जी-हुजूरी करते रहते हैं और जैसे ही वे चले जाते हैं उसके बाद मारपीट की जाती है। इससे सरकार की बदनामी होती है।

अध्यक्ष महोदय, अलवर में ऐसा पहले भी हो चुका है। चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति लगाने के लिए लोगों को बुला लिया गया और फिर आयोजकों पर तो कार्यवाही नहीं हुई, बल्कि निर्दोष लोगों पर लाठीचार्ज हुआ।

(श्री बलजीत यादव)

यह कई साल पहले हुआ था। सरकार यह सुनिश्चित करे कि आइंदा से प्रशासन ऐसी ढिलाई नहीं बरते, जिसका खामियाजा आम जनता या आम छात्रों को भुगतना पड़े। यही मेरा निवेदन है।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें। अंकित नहीं होगा। नीचे बैठें।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। सीखें पहले।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, I will name you. नीचे बैठें। माननीय सदस्य, इन्हें सिखाएं। यह गलत परम्परा है। माननीय सदस्य, यह कोई तरीका नहीं है। क्या आपने लिखकर भेजा? आपका इसमें है क्या? हाथ खड़े करने से नहीं होता। सीखें पहले। सीखकर आएं पहले। क्या आपको रोका था किसी ने लिखकर देने से? श्री रामलाल शर्मा।

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को बंद करने से हो रही परेशानी

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार 13 दिसंबर, 2015 को एक महत्वाकांक्षी योजना लेकर आयी। उस योजना का नाम था भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। अध्यक्ष महोदय, इस भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में तीस हजार रुपये से लेकर तीन लाख रुपये तक का नि:शुल्क इलाज कराने का प्रावधान तत्कालीन सरकार ने किया और इस योजना में यह भी शामिल किया गया कि भर्ती से 7 दिन पहले और भर्ती के 15 दिन बाद तक सिर्फ सरकारी चिकित्सालय ही नहीं, प्राइवेट और निजी चिकित्सालयों में भी व्यक्ति अपना नि:शुल्क इलाज करा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि आज भी राजस्थान में कई लोग ऐसे हैं, जो इलाज न होने के कारण काल के ग्रास में चले जाते हैं। ऐसी महत्वाकांक्षी योजना के तहत ही लगभग 1715 बीमारियां शामिल की गयीं, जिनका नि:शुल्क इलाज होना था। लगभग 900 निजी चिकित्सालय भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गये, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि 2018 तक यह योजना निरंतर रूप से चलती रही, पर 2019 आते-आते यह योजना अब दम तोड़ती हुई नज़र आ रही है।

(श्री रामलाल शर्मा)

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में खड़ा होकर के सच कह रहा हूं कि यह योजना आज भी रिकार्ड में तो चालू है, लेकिन धरातल पर वास्तविकता तो यह है कि निजी चिकित्सालय इस भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज करने से इन्कार कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि इंश्योरेंस कम्पनियों में करोड़ों रुपया हमारा बाकी है। सरकार इंश्योरेंस कम्पनियों के माध्यम से हमारा भुगतान नहीं करा रही है। हकीकत यह है कि आज भी गरीब आदमी इलाज नहीं होने की वजह से दम तोड़ता नजर आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि राजस्थान में वे 900 चिकित्सालय, जो इस भामाशाह योजना के तहत इलाज करते थे, सरकार उनके भुगतान जो बाकी हैं, उनका भुगतान करे या सरकार उन्हें निर्देशित करे कि कोई भी चिकित्सालय किसी गरीब आदमी का इस योजना के तहत इलाज करने से इन्कार नहीं करेगा। उन्हें पाबंद किया जाए ताकि भविष्य में गरीब आदमी निरंतर रूप से अपना इलाज करा सके। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया साहब बोलेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जब इतना इम्पोर्टेन्ट विषय उठाते हैं और अभी आपने व्यवस्था दी है। सब लोगों को पता है, ऐसा नहीं है कि वे कोई नये सदस्य हैं, मंत्री स्वयं पुराने सदस्य हैं। वे सब जानते हैं। आप इसके लिये पाबंद करें। कम से कम विषय जब आता है तो वे मौजूद तो रहें। वे न बोलें यह उनकी इच्छा है, लेकिन उन्हें ध्यान में तो रहे कि क्या चीज हो रही है और क्या नहीं। न ही कोई अधिकारी यहां मौजूद है। कम से कम आप इसकी तो सख्ती से पालना कराएं।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल। श्री वासुदेव देवनानी जी।

चीन से लौटे लोगों के कारण कोरोना वायरस फैलने की आशंका

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज कोरोना वायरस एक जानलेवा बीमारी है। वह चीन से प्रारम्भ होकर विश्व में एक भयंकर रूप लेती जा रही है। यह संक्रमण से होने वाली बीमारी है, जिसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार चीन में 1016 लोग मौत के मुंह में आ गये हैं।

(श्री वासुदेव देवनानी)

मरीजों की संख्या भी लगभग 42600 तक पहुंच गयी है। कल ही नये 4 हजार से अधिक मरीज आये हैं। यह बीमारी विश्व के 27 देशों में दस्तक दे चुकी है। यहां तक कि भारत भी उससे अछूता नहीं है। जो संवेदनशील देश कहे गये, उनमें भारत भी एक है। भारत उससे प्रभावित है। इस बीमारी से टूरिज्म सैक्टर, फार्मा, आईटी उद्योग भी प्रभावित हैं। केवल आईटी में ही चीन में 22 हजार से अधिक भारतीय काम कर रहे हैं। चीन में तो भारतीय कम्पनियों के, चाहे वह टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हो, चाहे विप्रो हो, चाहे इन्फोसिस हो, आईटी के लोग काम कर रहे हैं। यदि इस पर अंकुश नहीं लगा तो टूरिज्म सैक्टर में, फार्मा में और आईटी उद्योग में 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक की हानि होने वाली है। घरेलू उद्योग भी इससे प्रभावित होने वाले हैं।

राजस्थान की जब मैं बात करता हूं तो जालौर, किशनगढ़, चित्तौड़, मकराना, भीलवाड़ा, इत्यादि कई जिलों के लोग वहां काम कर रहे हैं। करीब 34 लोग तो लौटे हैं, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से उनकी जांच होनी चाहिए थी, वह पूरी तरह नहीं हुई। राजस्थान के अस्पतालों में जो किट होने चाहिए थे, वे किट उपलब्ध नहीं हैं। उसमें पीपीई नाम का एक किट होता है, जिसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण कहते हैं। उसमें मास्क, आंखों की आई-शील्ड, जूतों के कवर, गाउन, दस्ताने सब होते हैं। मैं चाहूंगा राजस्थान सरकार इसकी व्यवस्था करे कि इन अस्पतालों में ये सारे किट उपलब्ध हों। साथ में राजस्थान में महामारी न फैले, इसके लिए जांच की व्यवस्था हो।

बताया जाता है कि यह बीमारी मांसाहार से होती है। मांसाहार की जो दुकानें हैं, वहां जांच की जाए कि कोई वायरस तो नहीं है, इसकी चिंता की जानी चाहिए। वहां के लोग कह रहे हैं कि हमें शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराएं। राजस्थान सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर वहां पर जो राजस्थानी हैं, उनकी सुरक्षा करे। उनके बीच किसी प्रकार के रोग न फैलें, इसके लिए उन्हें शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराये। वहां पर उनको संक्रमण से बचाए और यदि संक्रमण हो जाए तो उनका इलाज करें। यानी राजस्थानियों की देखभाल करना, उनको सुरक्षित रखना सरकार का दायित्व बनता है। अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि यहां पर तो पीपी.ई. किट उपलब्ध कराएं और वहां पर भारत सरकार के माध्यम से उन लोगों की पूरी देखभाल हो तथा वहां

(श्री वासुदेव देवनानी)

पर उनको शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराएं। राजस्थान में भी शाकाहारी भोजन को प्रोत्साहन देने के लिए भी एक योजना लाएं ताकि यह बीमारी कभी भी यहां पर नहीं फैल सके।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना वायरस की गम्भीर बीमारी पर आपने मुझे सदन में अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। महोदय, इसका उद्भव तो 2003 में ही हो गया था। यह सार्स नाम से, 2012 में मार्स नाम से, जीका वायरस, कांगो फीवर, स्वाइन फ्लू, ये सब इसी बीमारी के अलग-अलग नाम हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बीमारी तीनों तरीके से होती है, एयरोसेल ट्रांसमिशन से भी है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन से भी है और कांटेक्ट ट्रांसमिशन से भी फैलती है। वर्तमान में 27 देशों में इसके मरीज पाये जाने के बाद पहली बार W.H.O. ने पूरे विश्व में मेडिकल इमरजेंसी घोषित की है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए ज्यादा चिंता कर रहा हूं कि चाइना में तो केवल 170 मरीज जब मरे, 1370 लोग जब इससे पीड़ित हुए और मात्र 8200 मामले सामने आये तभी W.H.O. ने कहा और उसके बाद मेडिकल इमरजेंसी लागू हुई। राजस्थान में तो 30 हजार बच्चों की मौत के बाद भी यदि यहां के चिकित्सा मंत्री को 4 घंटे का सफर तय करने में 34 दिन लग जाते हैं....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। इसलिए हमारी चिंता इसमें और ज्यादा बढ़ जाती है। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक मरीज मिला है, भारत सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है और सबसे बड़ी यह कि इसके लिए 50 बैडेड हास्पिटल पहले से प्रस्तावित था डेंगू, स्वाइन फ्लू और इसके इलाज के लिए, पर आज तक गवर्नमेंट ने नहीं बनाया। प्रिंसिपल, मेडिकल कालेज ने यह कहा है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से हमारे पास नहीं है। एक माननीय मंत्री जी ने तो यह भी कहा कि अलवर में हम इन लोगों को घुसने ही नहीं देंगे, वहां हास्पिटल नहीं बनाने देंगे, यह अमर्यादित भाषा भी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें। कृपया समाप्त करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, इस संवेदनशील विषय पर सरकार चिंता करे, यही मैं आपसे चाहता हूं और राजस्थान को इससे

(श्री अशोक लाहोटी)

बचाएं, इसकी एडवाइजरी जारी करें। अकेले जयपुर में ही टूरिज्म के कारण हजारों लोग बाहर से आते हैं, टूरिस्ट आते हैं इसलिए इसका संक्रमण यहां फैलने की सम्भावना ज्यादा है। इसमें चिंता करके सरकार अपनी संवेदनशीलता का परिचय दे तथा मंत्रीजी को आप पाबंद करें कि इसमें चिंता करके पहले की तरह मौत पर नहीं करें।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय लाहोटी जी, फिर 295 आपका ही है। 295, श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं। मैंने 295 में एक विषय रखा कि सांगानेर विधान सभा में....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पढ़कर बोलना पड़ता है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, पढ़ा हुआ ही है, चार लाइनें हैं और मुझे याद है।

श्री अध्यक्ष: प्लीज बैठें, पढ़ा हुआ मान लिया गया। माननीय सदस्य, बैठें आप। प्लीज हो गया आपका।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

सांगानेर में यातायात जाम की समस्या

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सांगानेर विधान सभा क्षेत्र में रामपुरा रोड फाटक के पास तथा सांगानेर पुलिया से चौरड़िया पैट्रोल पम्प होते हुए सवाई माधोपुर रेलवे पुलिया तक नियमित रूप से लाखों लोगों का आवागमन रहता है जिससे प्रतिदिन 2 से 4 घंटे तक जाम रहने लगा है। इस यातायात जाम से सांगानेर कस्बे के आस-पास के क्षेत्र का जन-जीवन तथा व्यापार प्रभावित हो रहा है। यातायात जाम से कई बार गंभीर रोगी की एंबुलेंस में मौत हो जाती है तथा महिला प्रसूता को भी इंतजार करना पड़ता है। इस मार्ग से विश्व भर से आने वाले पर्यटकों को भी जाम की वजह से भारी परेशानी हो रही है। यातायात जाम के तुरंत समाधान को लेकर उक्त दोनों क्षेत्रों में हर तिराहे व चौराहे पर यातायात पुलिस लगाकर तथा अस्थायी अतिक्रमणों को हटाकर लाखों लोगों को राहत प्रदान करें।

अत: मैं परिवहन मंत्री महोदय का ध्यान प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत आकर्षित करना चाहता हूं।

(उक्त प्रस्ताव पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अध्यक्ष: आप बैठें, अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, आप बैठें आराम से। श्री छगनसिंह राजपुरोहित।

भाद्राजून उप तहसील की तहसील में क्रमोन्नति

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से आहोर विधान सभा क्षेत्र की भाद्राजून उप तहसील को तहसील बनाने के सम्बन्ध में निवेदन है। भाद्राजून उप तहसील को बने करीब 40 वर्ष हो गये हैं, इस उप तहसील में करीब 23 पटवार सर्किल हैं, करीब 8 आर.आई. सर्किल हैं। राजस्व गांव और क्षेत्रफल को देखें तो यह उप तहसील भाद्राजून तहसील के सभी मापदण्डों को पूर्ण करता है। उसके अन्तर्गत आने वाले गांव तहसील से करीब 60-70 की दूरी पर भी है, फिर भी मेरे विधान सभा क्षेत्र आहोर की उप तहसील भाद्राजून को तहसील नहीं बनाया जा रहा है और ऐसी अनदेखी मेरे विधान सभा क्षेत्र के साथ क्यों की जा रही है जबकि इस उप तहसील से कम पटवार मण्डल एवं कम क्षेत्रफल के होते हुए भी ऐसी कई तहसीलें बन चुकी हैं।

अत: मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आहोर विधान सभा क्षेत्र राजस्थान का ही अंग है तो फिर इसके साथ ही ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। पूर्व में पंचायत समिति की घोषणा हो रही थी तब भाद्राजून नियमों के अनुसार समिति के सभी मापदण्ड पूरे कर रही थी जिसमें 30 ग्राम पंचायत की पंचायत समिति बनने वाली थी, पर उसकी भी घोषणा नहीं की गई। मैं अब माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस बजट घोषणा में भाद्राजून उप तहसील को तहसील बनाकर आहोर की जनता को लाभ पहुंचाएं। इसी आशा व विश्वास के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

श्री अध्यक्ष: श्री फूल सिंह मीणा।

उदयपुर यू.आई.टी. के पैरिफेरी क्षेत्र में स्थित कालोनियों में पट्टा वितरण

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत निवेदन है कि उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में यूआईटी पैरीफेरी एरिया में वर्षो से लोग निवास कर रहे हैं। मुख्य मंत्री आवास व प्रधान मंत्री आवास भी इतने वर्षो से बने हुए हैं और बीपीएल परिवार की इतनी आबादी रहने के बावजूद भी उनको यूआईटी द्वारा पट्टा नहीं दिया जा रहा है जिससे वे इस योजना का लाभ ले पा रहे हैं।

(श्री फूल सिंह मीणा)

वहां पर कालोनियां बनी हुई हैं जिनको हटा भी नहीं सकते हैं क्योंकि 80 प्रतिशत मकान बन चुके हैं। वहां पर लोगों की सरकारी नौकरियां होते हुए भी लोन नहीं ले पा रहे हैं तथा भवन बनाने के लिए भी यूआईटी परमिशन नहीं दे रही है। इसलिए अगर इनको आबादी का पट्टा देने का कार्य हो जाता है तो सरकार को भी रेवेन्यू मिलेगा और उस गरीब को भी मकान बनाने का मौका मिलेगा तथा विकास भी होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपीचंद मीणा।

आसपुर (डूंगरपुर) में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत आसपुर विधान सभा में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत है।

महोदय, निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र आसपुर जिला डूंगरपुर में दो उप खण्ड कार्यालय हैं तथा तीन पंचायत समितियां हैं। साबला पंचायत समिति में 31 ग्राम पंचायतें हैं, आसपुर पंचायत समिति में 31 ग्राम पंचायतें हैं व दोवड़ा पंचायत समिति में 34 ग्राम पंचायतें हैं तथा कुल मिलाकर 96 ग्राम पंचायतें हैं। यह जनजाति क्षेत्र है और डूंगरपुर महाविद्यालय करीब 70-80 किलोमीटर की दूरी पर है जिससे जनजाति क्षेत्र के बालक-बालिकाएं कालेज की पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं इसलिए कृपा कर इसी वर्ष 2020 के बजट सत्र में आसपुर में महाविद्यालय खोलने की घोषणा करने का श्रम कराएं।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपी चन्द मीणा।

भीलवाड़ा में आपराधिक प्रवृत्तियों के व्यक्तियों की सार्वजनिक कार्यक्रमों में मंच पर उपस्थिति

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित कराते हुए अवगत कराना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले के विभिन्न पुलिस थानों में इतिहास पंजिका/जरायम पंजिका में गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमों में आपराधिक प्रवृत्तियों के व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रमों में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मंच साझा किये जाने से आम जन-मानस के मध्य भय का माहौल व्याप्त है। पंचायती राज चुनाव

(श्री गोपी चन्द मीणा)

में सरपंच के चुनाव के दौरान जिन अपराधियों को जिला प्रशासन द्वारा चिह्नित करते हुए पासा एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए था, उनको ही फ्री हैंड देकर जिला प्रशासन ने सरकार की छवि को धूमिल किया है। पुलिस थाना कोटड़ी में दर्ज मुकदमा संख्या 104/2010 एवं 145/2015 में जुर्म प्रमाणित होने के उपरांत भी राजनीतिक प्रभाव से गत 10 वर्षों से जांच में पैंडिंग रखा गया है। आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को शिक्षा विभाग की राजकीय योजनाओं में मुख्य शिक्षा अधिकारी, जहाजपुर, मुख्य शिक्षा अधिकारी, कोटड़ी द्वारा आदेश जारी किया जाता है और सरकारी समारोह में भाग लेने तथा खेलकूद प्रतियोगिता व साइकिल वितरण समारोह में अतिथि के रूप में बुलाया जाता है जबकि प्रोटोकाल के अनुसार स्थानीय विधायक, प्रधान एवं जन-प्रतिनिधियों को नहीं बुलाकर जन-भावना का अपमान किया जाता है। हाल ही में दिनांक 11.02.2020 को शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राजकीय कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास पारोली तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, परियोजना अधिकारी समसा, अतिरिक्त परियोजना अधिकारी समसा के साथ किशोरी बाल मेले में अतिथि के रूप में आमंत्रित कर मंच साझा किया गया। शिक्षा अधिकारियों के इस कृत्य से क्षेत्र में रोष व्याप्त हो गया है एवं अभिभावकों द्वारा उक्त विद्यालयों व छात्रावास में अपनी छात्र-छात्राओं का नामांकन रद्द कराने के विचार से कस्बे के वरिष्ठजनों व बुद्धिजीवियों द्वारा मुझे अवगत कराया गया है।

अत: इस क्रम में मेरा आग्रह है कि इसमें दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की व सरकार द्वारा राजकीय आयोजनों के सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय करते हुए गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों का प्रवेश निषेध कर एक संवेदनशील सरकार का एहसास कराएं।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रताप लाल भील।

कोटड़ा पंचायत समिति के विद्यालयों में नामांकन में अनियमितताएं

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख- निवेदन है कि शिक्षा का अधिकार कानून सरकार द्वारा दिया गया था, इस कारण प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 12वीं कक्षा तक विद्यालय

(श्री प्रताप लाल भील)

खुले। स्थापना तो की गयी किन्तु दूरदराज के प्राथमिक विद्यालय हो या उच्च प्राथमिक विद्यालय हो, उनकी हालत खराब है। इन विद्यालयों का कोई सुपरविजन नहीं किया जाता है। इस कारण इनमें शिक्षण कार्य सुचारु ढंग से नहीं होता है। मेरे द्वारा कुछ विद्यालयों का निरीक्षण करने पर पाया कि प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 3 तक ही विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। पिछला रिकार्ड देखने पर पाया कि लम्बे समय से इनमें कक्षा 3 तक की ही पढ़ाई हो रही थी। इसमें कक्षा 4 से अध्ययनरत रहने वाले को आगे और पढ़ाई हेतु प्रोत्साहित नहीं किया गया, जिससे विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गये। जैसे पंचायत समिति, कोटड़ा के राउप्रावि चाम्बुआ, राजकीय शिक्षाकर्मी प्रा.वि. धन्नागिरी, राउप्रावि पीपरमाल, राउप्रावि झालरा, राप्रावि टेपुर, इन विद्यालयों के 5 साल के नामांकन रिकार्ड की जांच की जाए। दोषी शिक्षकों तथा अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। साथ ही इन विद्यालयों के भवनों की हालत भी जर्जर है व मौका निरीक्षण करने पर पाया कि विद्यालयों में जमीन आबंटन का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। जो विद्यालय पूर्व में निर्मित या संचालित हैं या जो वन भूमि पर बने हुए हैं ऐसे विद्यालयों को चिह्नित कर इनको जमीन आबंटन कराकर जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से भवन बनाये जाएं। शिक्षा मंत्री जी तथा जनजाति विकास मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि मेरी इस मांग पर उचित कार्यवाही कर विकास की मुख्य धारा में जोड़ने की कृपा कराएं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर सिंह रावत (अनुपस्थित)। श्री भरत सिंह कुन्दनपुर।

आवारा पशुओं से मौतों पर सरकार द्वारा मुआवजा

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव- प्रदेश में आवारा पशुओं के कारण हो रही मौतों पर सरकार द्वारा मृतक के परिवार को आर्थिक मदद करने बाबत।

महोदय, दिनांक 04.02.2020 को कोटा में एक युवक अमन अली को गाय ने सींग मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था व दिनांक 05.02.2020 को उपचार के दौरान अमन अली की मृत्यु हो गई। स्मार्ट सिटी कोटा में पशुओं द्वारा लोगों को मारना एक सामान्य घटना है। पहले भी इस

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

सदन में गायों द्वारा लोगों को मारने का प्रकरण उठाया जा चुका है। प्रदेश के अन्य शहरों में भी इसी प्रकार मवेशियों द्वारा लोगों को घायल करना एवं उनके मरने के समाचार प्रकाशित होते रहे हैं। सड़कों पर आवारा पशुओं के कारण हो रही दुर्घटनाओं से लगातार लोग मर रहे हैं। जयपुर घूमने आए एक विदेशी पर्यटक को भी आवारा पशु ने मार दिया था। प्रदेश में राज तो पलटा मगर आवारा पशुओं की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो रहा है। गोपालन मंत्रालय तो बना मगर इससे कोई सुधार नहीं हुआ। सरकार को कम से कम इतना तो करना चाहिए कि जो राजस्व गाय के नाम से, शराब की बिक्री, स्टाम्प ड्यूटी पर प्राप्त होता है, उस राशि से गाय के कारण हो रही मृत्यु पर मृतक के परिवार को सहायता शुल्क प्रदान करे। यह शुल्क उतना ही हो, जो कि वन विभाग जंगली जानवरों के कारण मृतक व घायल के परिवार को प्रदान करता है। यह एक विडम्बना है कि प्रदेश में वन्य जीवों के हमले से कहीं ज्यादा मौतें शहरी गाय के कारण होती हैं। सरकार गाय के नाम से शुल्क तो वसूलती है, मगर गाय के कारण मरने वालों को आर्थिक मदद प्रदान नहीं करती। प्रतिदिन गाय के नाम पर एक करोड़ राजस्व की सरकार वसूली करती है, मगर उसके बाद भी हमारी स्मार्ट सिटीज में राह चलता इंसान गायों से सुरक्षित नहीं है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अमीन खां।

शिव में पानी की सुचारु व्यवस्था

श्री अमीन खां (शिव): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख- निवेदन है कि शिव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र एक विशाल रेगिस्तान सीमावर्ती क्षेत्र है और इसके गांवों में पानी के संसाधन भी बहुत कम हैं। ऐसे हालातों में विभाग ने इंदिरा गांधी नहर की मोहनगढ़ लिफ्ट कैनाल से एवं नर्मदा नहर से पीने के पानी की योजना बनाना शुरू कर दिया है, जिसका काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। आगामी गर्मियों में पानी की दिक्कत ज्यादा होने वाली है। इस क्षेत्र में 300 किलोमीटर सड़क पाकिस्तान से लगती हुई है। यहां पर बीएसएफ की चौकियों को भी पानी सप्लाई किया जाता है और आर्मी को भी पानी इन नलकूपों से सप्लाई किया जाता है। इन हालातों में नर्मदा प्रोजेक्ट का काम शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करवाने की व्यवस्था की जाए और इस क्षेत्र में पानी की

(श्री अमीन खां)

ज्यादा जल्दी इसलिए भी है, क्योंकि यहां खेती करने वाले लोगों की संख्या कम है, मवेशी पालन का धंधा ज्यादा है जैसे- गाय, ऊंट, बकरी, भेड़, भैंस और गधे इत्यादि, जिन्हें पीने के पानी की जरूरत इंसान की जरूरत से 10 गुना ज्यादा होती है। यहां तकनीकी सरकारी कमर्चारियों जे.ईएन, ए.ईएन की हमेशा कमी रही है और आज भी कई पद रिक्त हैं।

मैं विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सीमावर्ती क्षेत्र में तकनीकी सरकारी कर्मचारियों के रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए एवं नर्मदा प्रोजेक्ट का काम शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करवाने की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री सुमित गोदारा।

नापासर कस्बे में विद्युत व्यवस्था

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव- लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र के नापासर कस्बे में गौरव पथ तीन वर्ष पूर्व बनकर, पूरे कस्बे के आस पास के अनेक गांवों को इस मार्ग से गुजरने पर गौरव पथ की अनुभूति लगातार होती रही है। 2.5 करोड़ की लागत से 3 किलोमीटर लम्बे गौरव पथ पर एलईडी लाइट लगी हुई हैं। दो वर्ष तक प्रकाश से जगमग रहा यह मार्ग कांग्रेस सरकार आने के बाद आज एक वर्ष से वहां प्रकाश गायब हो गया है।

रोड लाइट का यह विषय जिला कलेक्टर के समक्ष तीन बार मेरे द्वारा रखा गया, एक बार व्यक्तिगत और दो बार जिला परिषद् की बैठकों में। जिला परिषद् की बैठकों में जनप्रतिनिधियों द्वारा विकास अधिकारी, बीकानेर पंचायत समिति, जिनका यह कार्य क्षेत्र है, की कार्यशैली पर जमकर प्रश्नवाचक लगे। जिला कलेक्टर व विकास अधिकारी पंचायत समिति द्वारा आज तक इस समस्या का समाधान करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। अब आमजन कह रहा है जिस प्रकार पूरे प्रदेश में अंधेरा छाया हुआ है, उसी तरह नापासर का गौरव पथ भी अंधेरे से ग्रस्त है और लगता है कि जब प्रदेश में अंधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, तभी नापासर रोशन होगा। इसी आशा व विश्वास के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द प्रसाद।

मनोहरथाना के राजकीय महाविद्यालय का नये भवन में स्थानांतरण

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव- राजकीय महाविद्यालय, मनोहरथाना हेतु प्रथम फेज में 6 करोड़ की लागत से नवीन भवन निर्माण कार्य चालू करवाया गया था। भवन बनकर करीबन 8 माह पूर्ण हो चुके हैं, जिसके लिए सदन में पूर्व में भी नये भवन में कालेज संचालन करने की मांग रख चुका हूं, जिसमें मुझे जवाब मिला था कि 20 अगस्त, 2019 तक हर सूरत में नवीन भवन में कक्षाएं संचालित करवा दी जाएंगी। परन्तु आज तक भी नये भवन में कालेज संचालित नहीं हुआ है। इस संबंध में कालेज छात्र संघ अध्यक्ष के माध्यम से ज्ञापन भी दिया जा चुका है तथा जिला कलेक्टर महोदय को भी सूचित किया जा चुका है। कालेज बिल्डिंग के सैकण्ड फेज का कार्य भी प्रारम्भ नहीं हुआ है, जिसके कारण छात्र-छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

मैं आशा करता हूं कि इस ओर व्यक्तिगत ध्यान देकर नये भवन में शीघ्रातिशीघ्र संचालित करवाया जाए, जिससे छात्र-छात्राओं को आने वाली परेशानियों से निजात मिल सके। इसी आशा व विश्वास के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री ओम प्रकाश हुडला।

मण्डावर तहसील में उप खण्ड कार्यालय की स्थापना

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव- मण्डावर कस्बा जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा कस्बा है एवं इसके अधीन करीबन 21 से ज्यादा ग्राम पंचायतें आती हैं। मण्डावर कस्बे में पुराना रेलवे स्टेशन होने के साथ ही कालेज एवं तहसील कार्यालय भी वर्तमान में संचालित हैं। उक्त कस्बे में उपखण्ड कार्यालय नहीं होने के कारण क्षेत्र की जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर मण्डावर में उपखण्ड कार्यालय खोल दिया जाता है तो मेरे सम्पूर्ण क्षेत्र की जनता को इससे लाभ मिलेगा।

(श्री ओम प्रकाश हुडला)

इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं जनहित के मुद्दे पर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग कर निवेदन करना चाहता हूं कि जनहित में मेरे विधान सभा क्षेत्र की तहसील मण्डावर में उपखण्ड कार्यालय खोलने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा।

सिरोही के गांव बोकी भागली में भूमि का सही आंकलन नहीं करने से स्थानीय नागरिकों को बिजली कनेक्शन में असुविधा

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि सिरोही तहसील के गांव बोकी भागली के नागरिक बिजली के कनेक्शन लेना चाहते हैं लेकिन वन विभाग द्वारा भूमि का सही आंकलन नहीं किया जा रहा है। कलदरी एवं उत्तरा भागली तक बिजली आई हुई है। इसके आगे भी अनेक आदिवासी परिवारों को वन अधिकार पत्र दिए हुए हैं। मात्र 5 खंभों की भूमि की आवश्यकता होने के बावजूद वन विभाग द्वारा जानबूझकर ज्यादा भूमि बताकर अड़ंगा डाला जा रहा है। इस संबंध में सिरोही जिला कलेक्टर द्वारा वन विभाग, बिजली विभाग व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम भी गठित की गई लेकिन किसी तरह का काम किए बिना ये वापस आ गए। वन विभाग द्वारा परेशानी पैदा की जा रही है।

अतः आपसे निवेदन है कि राज्य सरकार का वन विभाग वास्तविक आवश्यक भूमि नापकर बताए जिससे सिरोही तहसील के गांव बोकी भागली के नागरिकों को बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके।

श्री अध्यक्ष: श्री अमर सिंह।

बयाना को जिले का दर्जा

श्री अमर सिंह (बयाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। बयाना क्षेत्र एक ऐतिहासिक नगरी है, जिसे पूर्व में

(श्री अमर सिंह)

वाणासुर नगरी के नाम से भी जाना जाता था। बयाना भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान व अपनी पहचान रखता है। बयाना के पास कुछ दूरी पर खानवा का युद्ध स्थल है जहां पर राणा सांगा और बाबर का युद्ध हुआ था। मुगल साम्राज्य की स्थापना यहां से हुई थी। बयाना पूर्व में तथा आज भी एक बड़ा व्यवसाय स्थल है। बयाना क्षेत्र के आसपास पूर्व में नील की खेती होती थी तथा बयाना नील की मंडी के लिए विश्वविख्यात रहा है। आज भी बयाना में सैंड स्टोन की सैकड़ों इकाइयां हैं जहां से रोजाना सैकड़ों ट्रकों द्वारा पत्थर पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाता है। बयाना तहसील की आबादी लगभग तीन लाख है। बयाना कस्बे की आबादी 70,000 है। भरतपुर से बयाना की दूरी 45 किलोमीटर है। बयाना उप जिला क्षेत्र में लगभग 30% हिस्सा डांग क्षेत्र में है। रियासत काल के बाद भी बयाना लोक सभा क्षेत्र रहा है। भरतपुर जिले में सबसे ज्यादा सरकार को राजस्व भी बयाना से ही मिलता है। बयाना के आस पास पर्यटन की दृष्टि से बांध बारैठा, विजय दुर्ग तथा प्राचीन उषा मंदिर सहित दर्जनों की संख्या में पर्यटक स्थल मौजूद हैं। बयाना की जनता द्वारा बयाना को जिला बनाए जाने हेतु अनेकों आंदोलन पिछले कुछ सालों से किए जा रहे हैं। अतः इस सदन के माध्यम से मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि इसी बजट सत्र में बयाना को जिला बनाने की घोषणा करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेश टाक।

किशनगढ़ की मुख्य सड़क का पुनर्निर्माण

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के किशनगढ़ कस्बे की मुख्य सड़क का पुनर्निर्माण कराने के संबंध में नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि किशनगढ़ शहर के मुख्य बाजार की एकमात्र सड़क परासिया फाटक से नया बस स्टैंड (चिड़िया बावड़ी) तक लगभग 10 किलोमीटर अत्यन्त दयनीय एवं जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है। किशनगढ़ शहर की यह एकमात्र सड़क है जिस पर पूरा शहर गुजरता है और यह सड़क शहर की लाइफ लाइन है। इसके पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने से आमजन को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है।

(श्री सुरेश टाक)

इसके साथ ही सड़क क्षतिग्रस्त होने से दिन भर धूल के गुबार उड़ते रहते हैं जिससे दुकानदारों को, मोटरसाइकिल पर चलने वालों तथा पैदल चलने वाले राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है और दुकानदार भी अपना व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं। दुकानों में रखी सामग्री धूल मिट्टी के कारण खराब हो रही है जिससे उनको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। धूल मिट्टी से बचने के लिए दुकानों के आगे प्लास्टिक कवर भी लगाने पड़ रहे हैं जिससे व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पूरे दिन धूल के गुबार उड़ने से लोगों में फेफड़ों संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं। इस रोड का निर्माण नहीं होने से लोगों में सरकार के प्रति भी नाराजगी पनप रही है। उक्त सड़क की दुर्दशा के संबंध में रोज अखबारों में खबरें छपती हैं तथा टूटी-फूटी सड़क से एक्सीडेंट भी होते हैं।

इसी क्रम में मेरा आपसे निवेदन है कि उक्त सड़क को परासिया फाटक से अग्रसेन सर्किल तक डामरीकरण, डिवाइडर एवं स्ट्रीट लाइट तथा अग्रसेन सर्किल से नये बस स्टैंड तक की सड़क को सीसी सड़क स्वीकृत कराएं क्योंकि डामर की सड़क बार-बार टूट जाती है जिससे सरकारी कोष का नुकसान हो रहा है।

अतः उक्त विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मेरा माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन है कि किशनगढ़ शहर की उक्त मुख्य सड़क का पुनर्निर्माण करवाकर जनता को राहत प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: पर्ची पर चर्चा। श्री पब्बाराम विश्नोई।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

फलौदी के गांवों में नहरी मीठे पानी का वितरण

श्री पब्बाराम (फलौदी): धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा फलौदी क्षेत्र गर्मियों के अंदर सर्वाधिक तापमान के लिए जाना जाता है और इसलिए वहां पर भड़ला का सोलर ऊर्जा प्रोजेक्ट एशिया का सबसे बड़ा है और गर्मी के कारण ऐसी स्थिति है। वहां पर 52 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है और वहां पर गर्मियों में पानी की बहुत किल्लत रहती है। ऐसा कहा जाता है कि जल महंगा और खून सस्ता हो जाता है, ऐसी परिस्थिति बनती है। परिस्थितियां तो यहां तक बनती हैं कि जहां पर तालाब के अंदर सूखा पड़ा है और थोड़ा-सा पानी होता है। उस समय में एक हिरण और हिरणी मर जाते हैं तो उस समय में एक सखी अपनी सखी से कहती है कि ''आयो न देख्यो

(श्री पब्बाराम)
पारथी, लगो न देख्यो बाण, मैं तन पूछूं ए सखी किस विध तजो प्राण। इस पर दूसरी सखी कहती है, जल थोड़ो, नेह घणो, ये नेह अपार, तू पी, तू पी, मर गयो। इस विध तजा प्राण।'' हमारा और आपका नेह है इसलिए हम आपको कह नहीं पा रहे हैं परंतु आप जानते हैं आपके हम पड़ौसी हैं वहां पर क्या परिस्थिति है। 27 गांवों की एक योजना बना करके जिनमें मीठे पानी की व्यवस्था नहीं थी बारू, धोलिया, टेपू, टेकरा, मोडकिया, राणेरी, सोनलपुरा और सिणडा की भेजी गई थी मुख्य अभियंता के पास में। एक 81 गांवों की जिसमें 36 गांव फलौदी के और 45 गांव लोहावट के थे उन सभी की भेजी गई थी परंतु यह कहते हुए उन योजनाओं को वापस लौटा दिया गया कि अभी तीसरे फेज का जब तक पानी नहीं आता तब तक पानी की उपलब्धता नहीं है और पानी उपलब्ध न होने के कारण इन योजनाओं के ऊपर काम नहीं किया जा सकता। माननीय मुख्य मंत्री के द्वारा तीसरे फेज की भी अनुमति प्रदान कर दी गई है। जोधपुर के लिए यह बड़ी खुशी की बात है। आपको धन्यवाद भी देता हूं परंतु इन योजनाओं को आप कार्य रूप में परिणत करने का प्रयास करेंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूं।

दूसरा, जो पुरानी हमारी जल योजनाएं हैं जैसे चोतीना से ट्यूबवैल से मानेवड़ा और चापासर जाता है। इसका जिक्र मैंने आपसे पहले किया था। वह चापासर ब्रह्मनगरी भी है। वहां पर कभी भी लास्ट तक चापासर तक पानी नहीं पहुंचा क्योंकि पुरानी ऐसी सारी पांचों योजनाएं जिनका मैं अभी जिक्र करूंगा, ये पांचों ही 20-25 साल पुरानी योजनाएं हैं और इनके सीमेंटेड जो पाइप हैं वह जगह-जगह से टूटे हुए हैं। इनके आग्मेंटेशन की आवश्यकता है। इनकी पाइप लाइन लोहे की करने की आवश्यकता है। इसके बारे में आप विचार करेंगे।

दूसरा केलनसर से रोहिणा यह भी ट्यूबवैल के द्वारा संचालित होती है। रोहिणा और मूंगड़ी में कभी भी टेल में पानी नहीं पहुंचा है। आज भी वही स्थिति है, माननीय महोदय और इसी प्रकार से आहू से नोखला जैसला नहरी पानी का पेयजल है। जैसला में भी कभी भी पानी नहीं पहुंचता है और लगातार सालों तक यह स्थिति है।

माननीय महोदय, चौथी है जांबा से, यह भी नहरी जल की है। मोटेई, चाखू, नारायणपुरा और लूणा जाती है। लूणा तक कभी भी पानी नहीं पहुंचता और इसी प्रकार से घटोर से, यह भी नहरी पानी की है जो खिदरत होते हुए उदट और उदट में आज कम से कम एक महीने से वहां पर टेल में पानी नहीं

(श्री पब्बाराम)

पहुंचा है। उदट क्षेत्र आपके बिलकुल लगता हुआ है। आधा उदट पड़ता है बीकानेर में और आधा पड़ता है हमारे यहां पर तो वहां पर नहीं पहुंचता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

(13.00 बजे)

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय, एक बात कहकर अपनी बात पूरी करूंगा। आपके जेजेवाई के जितने भी ट्यूबवैल हैं, कम से कम मेरे यहां पर 35 ट्यूबवैल बेकार पड़े हैं और आज तक जेजेवाई के लिये आपने फंड जारी नहीं किया है। जब से सरकार आई है, तीन महीने पहले हमने बंद कर दिया, इसके बाद डेढ़ साल हो गया, जेजेवाई का एक भी ट्यूबवैल नहीं सुधारा गया है और अभी तक फंड जारी नहीं किया है। माननीय मंत्री महोदय इसके बारे में विचार करें। आगे गर्मी आने वाली है और 52 डिग्री तक हमारे वहां पर तापमान रहता है। कृपया इसके ऊपर विचार करें।

श्री अध्यक्ष: श्री गिरधारीलाल।

बीकानेर में किसानों के बिजली बिल की माफी

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले में 40-45 हजार ट्यूबवैल क्षेत्र हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि पिछले दिनों बेमौसम की वजह से बीकानेर में जितना ट्यूबवैल क्षेत्र आता था, पूरी की पूरी फसलें खराब हुईं। एक-एक ट्यूबवैल क्षेत्र के किसान को प्रति ट्यूबवैल एक लाख के लगभग चारा और उसी प्रकार से मूंगफली पैदा होती है, मूंग पैदा होता है। डेढ़ लाख का नुकसान प्रत्येक किसान को हुआ है। पूरे क्षेत्र में अभी निगम के द्वारा बकाया के नाम बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, जबकि फसल पकाव पर है। हमारा, सरकार का धर्म बनता है कि हम किसान को बचाएं, खेती को बचाएं। एक तरफ फसल पकाव पर है, दूसरी तरफ निगम लगातार कनेक्शन काट रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार से यह मांग है कि एक तो जब तक फसल कटे, तब तक किसानों के कनेक्शन न काटे जाएं और जिन किसानों की राशि ज्यादा बकाया है उनके ब्याज और पैनल्टी माफ की जाए। इससे पूरा बीकानेर जिला त्रस्त है।

दूसरा, जो ढाणियों में पंडित दीनदयाल योजना में कनेक्शन दिये जा रहे थे, 31 मार्च तक कनेक्शन दे दिये गये और बाकी कनेक्शन आज तक किसी योजना में नहीं दिये जा रहे हैं, वह योजना भी बंद हो गई है। अध्यक्ष

(श्री गिरधारीलाल)

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जवाब चाहूंगा कि इस पर जवाब दे निश्चित रूप से सरकार इस पर सोचे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

खुफिया सूचना होते हुए भी सुरक्षा व्यवस्था की अनदेखी

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, जब से इस देश में एक मजबूत सरकार ने सामरिक महत्व के मजबूत निर्णय लिये हैं, चाहे वह निर्णय धारा 370 और 35 (ए) के संबंध में हो, चाहे नागरिक संशोधन विधेयक के संबंध में हो, इन निर्णयों के पश्चात् इस मुल्क में और मुल्क के बाहर जो दहशतगर्दी फैलाने वाले हमारे पड़ौसी मुल्क थे, जो कभी कश्मीर में पत्थर फैंकने पर 500 रुपये देने की बात किया करते थे, उन लोगों ने जिस प्रकार का वातावरण बनाया है, अध्यक्ष महोदय, इन दिनों देश में अलकायदा, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, इंडियन मुजाहिदीन और तहरीक-ए-तालिबान, इस प्रकार के संगठनों के सक्रिय होने की सूचनाएं इंटेलिजेंस ब्यूरो को मिली हैं। अध्यक्ष महोदय, इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो ताजा इनपुट है, उसमें उन्होंने कहा कि राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र, इन तीन प्रदेशों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता और उनके दफ्तर इनके निशाने पर हैं और इसके लिए आईबी ने जो रिपोर्ट राजस्थान सरकार को भेजी है, उसमें उन्होंने कहा है, अध्यक्ष महोदय, आईईडी एक इस प्रकार का विस्फोटक है जिसको किसी भी वाहन में लादकर और किसी भी चीज से टकरा दिया जाए तो आस-पास के एक किलोमीटर के अंदर जितने भी भवन और लोग हैं, सब काल कवलित हो जाते हैं। मैं समझता हूं आईबी के इस अलर्ट के पश्चात् राजस्थान में भी, संसदीय कार्य मंत्री जी, आपकी कुछ भी धारणा रह सकती है, पर जब आप और मैं दोनों इस दुनिया में नहीं थे, उससे पहले 1925 में यह संगठन बना और वर्धा में महात्मा गांधी जी जब इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सभा में गये तो उन्होंने जो शब्द इसके लिए कहे, वह भी जरा आप पढ़ लें। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि यह भारती भवन मुख्यालय जो आज जयपुर के हार्ट में एमआई रोड पर स्थित है, भारती भवन के साथ सेवा भारती बाईस गोदाम में स्थित है। बीकानेर के रानी बाजार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दफ्तर है, जोधपुर में भगत सागर में है, अजमेर में मातृ मंदिर है। मंत्री महोदय, यह संगठन रहेंगे, जब तक यह मुल्क रहेगा। मैं समझता हूं कि आईबी के रेड अलर्ट के पश्चात्, मैं यह बात यूं ही नहीं बोल रहा, पूरी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जानकारी के साथ बोल रहा हूं। महाराष्ट्र और पंजाब में संघ, संघ के नेताओं और संघ के कार्यालयों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई, विशेष दस्ता तैनात किया गया। अध्यक्ष महोदय, आज जिस जगह पर भारती भवन है, वहां एक घंटे में पीएसयू, प्रति घंटे में जाने वाले वाहनों की संख्या 1820 है, 1820 वाहन वहां निकलते हैं और आपने कोई जाप्ता नहीं लगाया। मैं यह बात कोई सनसनी पैदा करने के लिए नहीं कह रहा, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि अगर आईबी की अलर्ट आपके पास आई है तो महाराष्ट्र ने जो इंतजाम किया, पंजाब ने इंतजाम किया, आप ही की सरकारें हैं, एक सरकार आपकी सहमति से चल रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय, आप विराजें हैं, बहुत गंभीर मामला है। ईश्वर न करे कोई अलकायदा के लोग, जैश-ए-मोहम्मद के लोग, मैं समझता हूं कि इन लोगों को प्रश्रय देने की तो आपकी मंशा नहीं रही होगी, इस पर आप गंभीरता से देखें। इस मजबूत सरकार के मजबूत निर्णयों के बाद दहशतगर्दी मुल्क में बंद हुई है, जम्मू कश्मीर में बंद हो गई, नया जीवन उनको मिल गया, पर आज यहां दहशतगर्दी का वातावरण नहीं बन जाए, इसकी आवश्यक व्यवस्था करो, इसलिए मैंने पर्ची के माध्यम से यह मामला उठाया है। मुझे मालूम है कि आप इस पर कोई संज्ञान नहीं लेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री धर्मनारायण जी। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मुझे मालूम है कि आप कोई बंदोबस्त नहीं करेंगे, पर यह रिकार्ड में बात जाएगी और अगर कोई बात हो गयी तो आप उसके व्यक्तिगत जिम्मेदार होंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री धर्मनारायण जोशी।

डबोक-मावली रोड पर अनधिकृत टोल नाकों से जनता को परेशानी

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे मावली क्षेत्र में टोल के लिये निवेदन करना चाहूंगा। डबोक एयरपोर्ट से मावली 20 किलोमीटर है। तीन-चार वर्ष से वहां एक टोल नाका लगा हुआ है। अभी दो महीने पहले दूसरा टोल नाका बोयणा के पास लगा दिया, जिसकी आपस में दूरी लगभग 7 किलोमीटर है। चलो यहां तक ठीक है, मैंने अधिकारियों से निवेदन किया कि दूसरा किस कोटे में लगाया? उन्होंने आदेश बता दिया कि वहां वसूली कम हो रही थी। फिर अभी 15 दिन पहले एक तीसरा टोल नाका

(श्री धर्मनारायण जोशी)

डेढ़ किलोमीटर पर लगा दिया। यानी 12 किलोमीटर की रेंज में तीन टोल नाके लगे हुए हैं। इसके बाद भी जब मैंने अधिकारियों से बात की, कलेक्टर से बात की, कलेक्टर ने कहा कि एसडीओ से बात करो, एसडीओ से बात की। मेरे पास ठेकेदार का फोन आया, अधिकारी कह रहे हैं कि आपके साथ मीटिंग कर लें। मैंने कहा कि मेरे साथ मीटिंग तब होगी जब यह दोनों टोल नाके हटेंगे। मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनम्र प्रार्थना है कि 12 किलोमीटर पर यह जो तीन टोल नाके लगे हुए हैं, उन्हें हटाया जाए।

दूसरी मेरी विनम्र प्रार्थना है फतेहनगर से दरीबा तक एक टोल नाका लगा हुआ है। फतेहनगर शहर से रोड ऐसी खराब है, अधिकारी कहते हैं कि यह हाईवे का काम है, हमारा काम नहीं है। वहां चार एक्सीडेंट हो चुके हैं। फतेहनगर से दरीबा के बीच में एक आदमी मर गया, उसके बाद भी सरकार एक रुपया भी लगाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ही उदयपुर से सलूम्बर रोड पर 50 किलोमीटर पर तीन टोल नाके हैं और सारे ठेकेदार सरकार से परमिशन बताते हैं कि हम परमिशन लेकर आये हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है मावली से डबोक के बीच में जो तीन टोल नाके लगे हुए हैं, उनको तुरंत हटाया जाए। जितनी जल्दी कार्यवाही करेंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

लाडपुरा पंचायत समिति व कोटा नगर निगम में खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित परिवार

श्री अध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, श्रीमती कल्पना देवी।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं 131 के तहत सरकार का ध्यान आकर्षण करती हूं।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिलने के संदर्भ में लाडपुरा एवं रामगंज मंडी के माननीय सदस्य ने यह ध्यान आकर्षित किया है। भारत सरकार के द्वारा राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों के समावेशन के लिए वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुपात में चयन की सीमा ग्रामीण क्षेत्र में 69.09 परसेंट, शहरी क्षेत्र में 53 परसेंट निर्धारित की

(श्री रमेश चन्द मीना)

गई है। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र व्यक्तियों की चयन की प्रक्रिया में समावेशन की सूची में 32 श्रेणियों को सम्मिलित किया गया है और पात्र व्यक्ति साधारण कागज पर प्रार्थना पत्र के साथ समावेशन की पात्रता के दस्तावेज संलग्न कर सक्षम अधिकारी डीएसओ और एसडीओ के यहां अपील प्रस्तुत करेगा। यह एक सतत प्रक्रिया है। इसमें किसी को कोई प्रोब्लम नहीं है। अपने आप जुड़ते हैं। इन्होंने जिन क्षेत्रों की चर्चा की है, उसके बारे में मैं माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि इन्होंने पंचायत समिति लाडपुरा के बोराबास में 2011 की जनसंख्या के मुताबिक 4621 में से लाभार्थी परिवारों की कुल यूनिट संख्या 3952 यानी 85.52 परसेंट है। डोयला की 3417 में से 2993, यानी 86.25 परसेंट है। भमरिया गांव की 4912 में से 4100, यानी 83.47 परसेंट है। लाडपुरा पंचायत समिति में 117838 में से 94072 यानी 79.83 परसेंट है।

नगर निगम कोटा, जिसमें रामगंज मंडी क्षेत्र आता है, वार्ड नंबर 4 के 16362 में से 14451 यानी 88.32 परसेंट है। वार्ड नंबर 5 में 33521 में से 11950 यानी 35.65 प्रतिशत है। वार्ड नंबर 24 में 10782 में से 4582 यानी 41.94 प्रतिशत है। वार्ड नंबर 25 में 16118 में से 9066 यानी 56.25 प्रतिशत है। नगरपालिका रामगंज मंडी में 41328 में से 17279 यानी 41.86 परसेंट है। हमने यह नाम जोड़ने का प्रयास किया है। कोटा जिले में ग्रामीण क्षेत्र का एवरेज प्रतिशत 68.81 प्रतिशत है और अरबन एरिये में 45.61 प्रतिशत है। हमने ग्रामीण क्षेत्र में जो नये नाम जोड़े हैं, 1 जनवरी से दिसम्बर, 2019 तक 30571 एवं शहरी क्षेत्र में 32295 नाम जोड़े हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं कि जो लोग पात्र होने के बाद भी खाद्य सुरक्षा से छूट गये हैं, क्या उनको इस योजना में शामिल किया जाएगा या नहीं तथा किसकी लापरवाही से पात्र व्यक्ति खाद्य सुरक्षा से वंचित रहे? क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी तय करके दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है? मंत्री महोदय, कृपया बताएं। क्या यह सही है कि विगत चार वर्ष पूर्व खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत डीलरों की रिकवरी निकाली गयी? यदि हां, तो

(श्रीमती कल्पना देवी)

कोटा जिले में लाडपुरा की कौन-कौनसी दुकानें थीं? यह बताने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है कि नाम जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। पात्र व्यक्ति हैं, 32 श्रेणियां हैं। यदि पात्र है तो एक साधारण कागज पर समावेशन के आधार, दस्तावेज उप खण्ड अधिकारी या रसद अधिकारी के यहां पर प्रस्तुत कर दें। यह तो सतत प्रक्रिया है। हमने जोड़ा है। आपको बताया है कि शहरी क्षेत्र में हमने 32295 लोगों को जोड़ा है और कोटा के ग्रामीण क्षेत्रों में 30571 लोगों को जोड़ा है। हम निश्चित रूप से जोड़ेंगे, माननीय सदस्या को स्पेशली लगे कि कहीं लोगों को नहीं जोड़ा जा रहा है तो हम वहां पर स्पेशल शिविर भी लगा देंगे, ऐसी कोई प्रोब्लम नहीं है।

तीसरी बात, आपने डीलरों के संबंध में रिकवरी की बात की है। हम नियमानुसार कार्यवाही करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हम चाहते हैं कि इस प्रदेश में जो पात्र व्यक्ति हैं उन्हें निश्चित रूप से खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जोड़ेंगे क्योंकि अभी हमने जो जोड़े 69.09 के अगेंस्ट हमारे स्टेट का परसेंट 82.66 परसेंट हो गया है। अरबन में हमारा 41.63 परसेंट है। हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। जो पात्रता रखता है, उसे हम निश्चित रूप से जोड़ेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। 131.

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री अध्यक्ष: नहीं प्लीज। I'll not allow it. Don't record it. आपने 131 में लिखा है? क्या इसमें आपका है? प्लीज बैठें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री अध्यक्ष: 131, श्री ज्ञानचंद पारख।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री अध्यक्ष: I'll not allow it. I'll not allow it. I'll not allow it. Don't dictate it. I'll not allow it. I don't require any advocate. Please sit down. श्री ज्ञानचंद पारख, यह कोई तरीका नहीं। मैं अलाउ नहीं करूंगा। आप सिस्टम को फोलो नहीं करना चाहते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री अध्यक्ष: I'll take care of it. I'll take cognizance on this. क्या मैं मना कर रहा हूं? 131.

सन्निर्माण श्रमिक कल्याण योजनान्तर्गत लाभार्थियों को भुगतान

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): मैं माननीय श्रम कल्याण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा पाली जिले के रोहट उप खण्ड में अगस्त-सितम्बर 2018 में भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण योजना में विकास अधिकारी, पंचायत समिति रोहट द्वारा शुभ शक्ति, शिक्षा कौशल एवं प्रसूति सहायता के करीब 100 स्वीकृत प्रकरणों में पंचायत समिति में राशि उपलब्ध होने पर भी संबंधित बैंक की लापरवाही से राशि लाभार्थी के बैंक खाते में नहीं स्थानांतरित किए जाने के प्रति आकर्षित किया है।

माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए उक्त प्रकरण के संबंध में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दिनांक 31.12.2018 से पूर्व पंजीयन तथा योजना आवेदन के निस्तारण का कार्य विकास अधिकारियों को उनके कार्य क्षेत्र के लिए दिया गया था, लेकिन कार्य में युक्तियुक्त रूचि नहीं लेने व आवेदनों का निस्तारण नहीं होने के कारण तकरीबन 7 लाख 42 हजार आवेदन पैंडिंग होने के कारण दिनांक 31.12.2018 को जैसे ही सरकार बनी तो हमने इसको विकास अधिकारियों के अधिकार से वापस ले लिया और ये अधिकार हमारे डिपार्टमेंट को दे दिया। अधिकार प्रत्याहारित करने के पश्चात् विकास अधिकारी रोहट को उप श्रम आयुक्त, पाली द्वारा दिनांक 30.04.2019 व 10.10.2019 को पत्र लिखा गया कि ऐसे आवेदन जिनमें भुगतान शेष हों, उनकी सूची उपलब्ध करवायी जाए ताकि उन्हें भुगतान किया जाना संभव हो। विकास अधिकारी, रोहट ने इसका न कोई जवाब दिया और न ही सूची उपलब्ध करायी।

दिनांक 30.9.2018 को उप श्रम आयुक्त, पाली के पास 55 लाख 92 हजार रुपये का बजट उपलब्ध था। प्रकरण संज्ञान में आते ही विकास अधिकारी, रोहट से बैंक स्टेटमेंट और उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया, जिसके अनुसार शिक्षा सहायता के 120 प्रकरणों में हिताधिकारियों के भुगतान

(श्री टीकाराम जूली)

होना शेष पाया गया है। स्वीकृति पश्चात् हिताधिकारी को राशि समय पर हस्तांतरित नहीं किये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा फरवरी, 2020 में निर्णय लिया जाकर केंद्रीयकृत बैंकिंग इंट्रीगेशन व्यवस्था लागू की गयी है, जिसके अंतर्गत स्वीकृति पश्चात् हिताधिकारी के खाते में राशि हस्तांतरित की जा रही है। माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विकास अधिकारी, रोहट के शिक्षा सहायता योजना के उक्त 120 प्रकरणों में जो पात्र हिताधिकारी हैं, उनका इसी माह हम भुगतान करा देंगे और जिस प्रकार की दिक्कत हुई है, ऐसी दिक्कत भविष्य में नहीं हो, इसलिए हमने यह प्रणाली इसी माह शुरू की है। जैसे ही स्वीकृत होंगे तो आटोमेटिक उसके पैसे उसके खाते में आ जाएंगे, जिससे भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी और लाभार्थी को पैसा भी तुरंत मिलेगा।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय मंत्री महोदय, आपकी जानकारी में आ ही गया है कि एक साल और छह महीने बीत गये हैं, जो स्वीकृत प्रकरण हैं, उनकी राशि उनके खाते में ट्रांसफर नहीं हुई है। आपने एक महीने का आश्वासन भी दे दिया कि एक महीने में 120 प्रकरण, जो शिक्षा कौशल के हैं। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि शुभ शक्ति के भी काफी प्रकरण हैं, प्रसूति सहायता के भी काफी प्रकरण हैं और जो हिताधिकारी मृत्यु के प्रकरण हैं, वे भी दो-तीन की संख्या में हैं। शिक्षा कौशल के लिए तो आपने आज इस सदन में आश्वासन दे दिया। मेरा एक ही निवेदन है कि जो अगस्त-सितम्बर, 2018 में स्वीकृत प्रकरण, जिसमें स्वीकृत करके लाभार्थी या हिताधिकारी को पत्र दे दिया कि आपका यह प्रकरण स्वीकृत कर दिया गया है और राशि आपके खाते में जमा करा दी जाएगी, वे समस्त प्रकरण, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, उनके लिए भी करें। शुभ शक्ति है, प्रसूति सहायता है, मृतक आश्रित हैं, उन्हें भी दिलवा दें।

माननीय मंत्री महोदय, आपने जो मुझे जवाब दिया है, वह आठ पेज का दिया है। मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। मेरे ही ध्यानाकर्षण पर आपने पिछली बार जो सुलभ्य आवास योजना है, उसमें जांच करवाई, 25 प्रकरण में आपके विभाग के अधिकारियों ने जांच के बाद माना कि वह श्रमिक थे ही नहीं तो भी उनको आपने डेढ़ लाख रुपया दे दिया। आप कार्यवाही भी कर रहे हैं वसूली की, अच्छी बात है, परंतु 11 प्रकरण जिनमें आप उनको श्रमिक तो मानते हैं, क्या उनके पास पहले मकान नहीं था? यह जांच भी होनी चाहिए

(श्री ज्ञानचंद पारख)

उसमें। अगर उसने लाभ लिया है तो क्या उसके पास पट्टाशुदा भूखण्ड है जिसके ऊपर वह मकान बनाएगा? उसने भवन निर्माण की स्थानीय निकाय से इजाजत ली है या नहीं, वह आपने देखी या नहीं देखी? 1 साल 4 महीने हो गये आपको राशि दिए हुए तो उस राशि का उपयोग उसने मकान निर्माण में कर लिया? ऐसा नहीं है कि वह डेढ़ लाख रुपया जो आपने मकान के लिए दिया वह किसी और काम में खर्च कर दे। इन चार बिंदुओं पर भी आप मेहरबानी करके जांच करवा देंगे तो यह जो 11 प्रकरण हैं, इसमें भी सारी की सारी पोल खुल जाएगी।

यह क्रम जो आपके अधिकारी बार-बार किसी न किसी माध्यम से तोड़ देते हैं, यह क्रम तोड़ने की परम्परा के लिए आप कहीं न कहीं कोई नियम बना दें, पहले आओ-पहले पाओ आपका नियम है परंतु एक छोटी कमी निकालकर जिसको नहीं देना है उसको टाल देते हैं। इसकी जानकारी मैंने आपको पिछली बार भी दी थी। यह आपने खुद ने माना है, आपका जो आठ पृष्ठ का जवाब है कि बड़ी संख्या में बदमाशी हुई आपने माना है कि बड़ी संख्या में पात्र व्यक्ति नहीं हैं, आपके अधिकारियों की मिलीभगत से उन्होंने लाभ ले लिया और जो वास्तव में पात्र वंचित हैं क्योंकि वे मैनेज नहीं कर पाते, आप अगर थोड़ा और टाइट कर देंगे तो हो सकता है जिस वर्ग के लिए यह योजना बनी है, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, उस वर्ग तक यह लाभ पहुंच जाएगा। इस बात का आप जवाब दे दें।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा, जो 4 पाइंट आपने बताए हैं, उन पर निश्चित तौर पर जांच का मैं आश्वासन देता हूं। जो आपने प्रकरण बताए हैं, जो बैंक के प्रकरण बताए थे जिनकी हमने जांच करवाई, वह शिक्षा सहायता के थे। आप अगर और भी प्रकरण बता रहे हैं तो उसमें उन सबका भी भुगतान हो जाएगा। शुभ शक्ति का जो भुगतान है, वह हमने अभी मार्च 2017 तक का किया है। उससे पहले की स्वीकृति है तो वह भी इसी समय जारी हो जाएगी। अभी जैसे ही बजट की उपलब्धता होगी तो पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर हम कर रहे हैं, उसमें शुभ शक्ति का भी किया जायेगा। शुभ शक्ति के अलावा जितने भी आपके भुगतान हैं, एक महीने का समय नहीं लिया है, मैंने दो सप्ताह का ही समय लिया है, 28 फरवरी तक आपके सारे भुगतान इसके अंदर हो जाएंगे।

दूसरा, जो आपने क्रम तोड़ने की बात बताई, हमने इस चीज के लिए

(श्री टीकाराम जूली)

पाबंद किया है कि पिछले समय में जो भ्रष्टाचार हुआ, वह भ्रष्टाचार नहीं हो। श्रमिकों का पैसा श्रमिकों को मिले, इसके ऊपर हमने सख्त नजर रखी हुई है निगरानी रखी हुई है। इसको हमने कम्प्यूटराइज्ड सिस्टम से भी जोड़ा है ऑनलाइन भी किया है। यह जो पेमेंट डायरेक्ट डालने का था, इससे भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था। जो पहले ई-मित्र को सूचना आती थी और वह सैटिंग कर लेता था कि 10-15 दिन में इसके पैसे आने वाले हैं, उस पर भी अब रोक लगी है। सीधा पैसा लाभार्थी के खाते में जाएगा। इसके लिए आप बताएंगे कि कहीं जान-बूझकर क्रम तोड़ा जा रहा है, वैसे तो ऑनलाइन है, क्रम तोड़ नहीं सकते फिर भी कहीं तोड़ा है, जान-बूझकर कोई आब्जेक्शन लगाकर फार्म रिजेक्ट किया है, आप हमारे संज्ञान में लाएंगे तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे।

दूसरा, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अगर कोई जायज प्रकरण है और उसको रिजेक्ट किया जाता है तो उसको अपील का भी अधिकार है। वह अपील कर सकता है।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। माननीय सदस्या ने जो उठाया है, पहले स्पीकर हैं, गवर्नर स्पीच में अपनी बात कह दें।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं :-

राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड का छठा प्रतिवेदन (वर्ष 2018-19)

(1) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड का छठा वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19,

राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का सातवां प्रतिवेदन (वर्ष 2018-19)

(2) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड का सातवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19,

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का प्रतिवेदन

(वर्ष 2019)

(3) मानव अधिकार अधिनियम, 1993 की धारा-28 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019;

श्री अध्यक्ष: श्री बुलाकी दास कल्ला।

राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का 35वां प्रतिवेदन

(वर्ष 2018-19)

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मेमोरेन्डम आफ आर्टिकल के नियम-114 के अन्तर्गत राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का 35वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री लालचन्द कटारिया

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर

का प्रतिवेदन (वर्ष 2019)

(1) महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 2000 की धारा-42 के अन्तर्गत महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019;

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

का प्रगति प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20)

(2) स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 1987 की धारा-32(4) के अन्तर्गत स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2019-20;

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर का

प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20)

(3) श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर अधिनियम, 2013 की धारा-46 के अन्तर्गत श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20;

(श्री लालचन्द कटारिया)

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20

(4) कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2013 की धारा-46 के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20;

कृषि विश्वविद्यालय, कोटा का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20)

(5) कृषि विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम, 2013 की धारा-46 के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालय, कोटा का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 एवं

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड का 41वां

वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2018-19)

(6) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-394 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड का 41वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19;

श्री अध्यक्ष: श्री परसादी लाल।

दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड का 58वां

वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2018-19)

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 58वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रताप सिंह खाचरियावास।

राजस्थान एक्स सर्विसमैन कारपॉरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

(वर्ष 2018-19)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान एक्स सर्विसमैन कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री शान्ती धारीवाल।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:

बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

(वर्ष 2019-20)

(1) बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2017 की धारा-44 के अन्तर्गत बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 एवं

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा का वार्षिक प्रतिवेदन

(वर्ष 2019)

(2) राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2006 की धारा-44 के अन्तर्गत राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019.

श्री अध्यक्ष: श्री सुखराम विश्नोई।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन

(वर्ष 2018-19)

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-39(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री टीकाराम जूली।

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2016-17)

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-27(5) के अन्तर्गत भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदन। श्रीमती मंजू देवी।

समिति प्रतिवेदन

महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

(क्र. सं.1 व 2)

श्रीमती मंजु देवी (जायल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2019-20 के प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

(13.29 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

सूचना

राजसमन्द ए.डी.एम. द्वारा जन-प्रतिनिधियों से दुर्व्यवहार

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति जी, सबसे पहले तो राज्यपाल जी के अभिभाषण पर कुछ बोलूं, उससे पहले मैंने पाइंट आफ इंफार्मेशन के लिए एक स्लिप माननीय अध्यक्ष जी को दी थी। उन्होंने यह कहा कि जब आप अपनी बात कहें, उसी के साथ बोलें।

पहले तो मैं उस पाइंट आफ इंफोर्मेशन के संदर्भ में कहना चाहती हूं कि आज पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की ओर से बिजली की बढ़ी हुई दरों को लेकर सभी एसडीओ मुख्यालय पर धरने-प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में राजसमंद में जो धरना चल रहा था, उस धरने के पश्चात् ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर के पास कुछ लोग गए थे लेकिन कलेक्टर ने मना कर दिया कि मैं ज्ञापन नहीं लूंगा और आप एडीएम को ज्ञापन दे दें। वे सारे लोग एडीएम के पास ज्ञापन देने के लिए गए। जब एडीएम को वे ज्ञापन देने नारे लगाते हुए जा रहे थे तब एडीएम ने अपने रूम से बाहर आकर, जिस प्रकार से उन लोगों के साथ, जिसमें जन प्रतिनिधि भी थे, उसमें पार्टी के प्रमुख लोग भी थे, उन सबके साथ गाली गलौज की। उनको कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर राजकीय कार्य की बाधा में केस कर दूंगा, गोली से उड़ा दूंगा, और ऐसी गाली गलोज की जो मैं यहां सदन में नहीं कह सकती हूं। अगर इस प्रकार का बर्ताव किसी अधिकारी का होगा लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अपने को, किसी को भी पोलिटिकल पार्टी को विरोध करने का अधिकार है। अगर हम किसी बात से

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

सहमत नहीं हैं तो हम अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन अधिकारियों का इस प्रकार से व्यवहार, इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि अगर अधिकारी इस प्रकार से व्यवहार करेंगे जन प्रतिनिधियों के साथ में, तो आज हमारे साथ कर रहे हैं, कल किसी और के साथ में, आप लोगों के साथ में भी हो सकता है, इसलिए ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, यह मेरी पाइंट आफ इंफोर्मेशन की बात थी, सरकार के सारे मंत्रियों के सामने माननीय सभापति जी, इस बात को निश्चित रूप से पहुंचाएं।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

माननीय राज्यपाल महोदय ने 24 जनवरी, 2020 को इस गरिमामय सदन के अंदर अभिभाषण रखा था, वह अभिभाषण एक तरह से राज्य सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों पर प्रकाश डालने का माध्यम होता है। पूर्व में भी ऐसे कार्य जो सरकार ने किए या आगामी आने वाले समय में सरकार क्या कार्य करने वाली है, अभिभाषण के अंदर सारी बातों को कहा जाता है।

मुझे बहुत दुख है कि जब हम इस अभिभाषण को पढ़ते हैं तो इसमें थोथी घोषणाएं हैं। पहले भी जब यह सरकार बनी, उस समय राज्यपाल कल्याण सिंह जी थे, 17 जनवरी, 2019 को एक अभिभाषण रखा गया था। उसके बाद यह दूसरा अभिभाषण इस सरकार के अंदर 24 जनवरी को माननीय राज्यपाल कलराज जी मिश्र के द्वारा रखा गया, लेकिन सरकार की जो वाणी थी, वह यहां पर उन्हें बोलनी थी। अगर हम इस अभिभाषण को देखें तो यह मिथ्याचार, भ्रम और दुष्प्रचार की ही एक पोथी है। कांग्रेस ने एक जन घोषणा पत्र जारी किया था। जब हमने पूछा कि यह जन घोषणा पत्र, तो कांग्रेस ने एक बात कही थी कि यह हमारा जन घोषणा पत्र है, वह हमारा राजकीय नीति पत्र हो चुका है। जो-जो हमने इस जन घोषणा पत्र में कहा है, उन सारी चीजों की हम पालना करेंगे, उसको हमने राजकीय नीति पत्र बना दिया है। इसमें जो भी बातें कही गई हैं उसकी हम पालना करेंगे।

राज्यपाल महोदय कलराज मिश्र जी के द्वारा अभिभाषण में आपकी सरकार की जो बातें रखी गई हैं और घोषणा पत्र के अंदर जो घोषणाएं की गई हैं, उन सारी चीजों के अंदर सत्य कहां है, उसको ढूंढ रही हूं। जो कुछ इस

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

घोषणा पत्र में कहा गया है, जो कुछ इस अभिभाषण में कहा गया है, वह यथार्थ में कुछ भी नहीं है, जनता के साथ एक प्रकार का धोखा किया जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है। केवल आंकड़ों के जाल में सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें कही जा रही हैं और कार्य नहीं हो रहा है, यह यथार्थ है।

सबसे पहले इस अभिभाषण का पेज नंबर 7, पैरा नंबर 25, जिसके तहत उन्होंने कहा कि किसानों के ऋण माफी के अपने वादे को निभाते हुए पहली कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश के किसानों का ऋण माफ करने का निर्णय लिया है। यह बात इसमें लिखी गई है, लेकिन यथार्थ क्या है। यहां ऋण माफी की बात करते हैं तो जन घोषणा पत्र में भी कहा कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। 10 दिन के अंदर दो लाख तक का, जितना भी किसान ने कर्जा लिया है, वह सारा कर्जा माफ होगा। न केवल सहकारी बैंकों का, नेशनल बैंक के भी कर्ज माफ हो जाएंगे। मैं आपके माध्यम से सदन के अंदर फैक्ट्स रखना चाहती हूं। यहां मैंने एक सवाल लगाया था जिस सवाल के जवाब में मेरे पास यह बात आई है, यह सरकार की ही बात है। मैं कुछ कहूंगी तो आप कहेंगे कि यह गलत कह रही हैं लेकिन यह गवर्नमेंट का ही रिप्लाई है। मेरा आज ही का तारांकित प्रश्न है। मैंने सरकार से पूछा है कि कृषि ऋण मुक्ति के लिए सहकारी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र में पात्र किसानों की संख्या क्या है? इन्होंने जवाब दिया है, देखिए, घोषणा पत्र में कहा था कि हम 40 लाख किसानों को 58 हजार करोड़ तक का कर्ज माफ करेंगे। यह एक साल पहले का अभिभाषण। इन्होंने आज के अभिभाषण में कहा कि हमने कर दिया। फैक्ट क्या है? फैक्ट यह है सरकार का रिप्लाई मेरे पास आया है उसमें कहा गया है कि 40 लाख नहीं हमने मात्र 20 लाख कृषकों का कर्जा माफ किया है। कौनसे, सहकारिता के क्षेत्र वाले। सहकारिता के क्षेत्र में भी जो पास हुआ है अमाउंट इनको 58 हजार करोड़ करना था और मात्र 7520 करोड़ इन्होंने माफ किया, वह है राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019 की, यह मध्यकालीन और दीर्घकालीन कृषि ऋण के अंदर मात्र 7520 है।

दूसरा, 265 यह कौनसे कृषक, साधारण कृषक, जो पोर्टल के ऊपर साधारण आंकड़ों के अनुसार है, वह मात्र 265 हैं। कहां तो 58 हजार करोड़ की बात कर रहे थे, और कहां यह आठ हजार करोड़ के अंदर-अंदर आकर अटक गए। इससे ज्यादा इन्होंने कर्जा माफ नहीं किया। सहकारिता क्षेत्र की बात कर रही हूं, 40 लाख की बात कही थी, 20 लाख तक ही पहुंचे। उसमें भी कर्जा माफ हुआ है वह मात्र आठ हजार करोड़ तक का हुआ है।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

दूसरा इन्होंने कहा था कि हम वाणिज्यिक बैंक, जिसमें नेशनल बैंक, शिड्यूल्ड बैंक और आर आर बी से जितने भी जुड़े कृषक हैं उनको आर्थिक रूप से जो संकटग्रस्त हैं, उनका भी 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे। इसके अंदर जब हमने आंकड़े मांगे, तो जो आंकड़े सरकार ने दिए हैं, वहीं आंकड़े मैं आपके सामने रख रही हूं। 01 लाख 81 हजार 399 ऐसे कृषक हैं जिन्होंने Below two lakh का लोन लिया है, जिन लोगों का कर्जा आपको माफ करना था। बड़े-बड़े भाषण राजस्थान के अंदर इन्हीं की पार्टी के बड़े लीडर्स ने यहां आकर दिए थे और गिनती गिनाई थी 1 से 10 तक की कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम 10 दिन में सारा कर्जा माफ कर देंगे, 2 लाख तक का कर्जा माफ हो जाएगा। नेशनल बैंक का भी कर्जा माफ हो जाएगा, सहकारिता बैंक का भी कर्जा माफ हो जाएगा। आपके सामने मैंने आंकड़े रखे हैं कि नेशनल बैंक के अंदर जिन्होंने कर्जा ले रखा है ऐसे कृषक 01 लाख 81 हजार 399 हैं, उनका कर्जा है 2485.56 करोड़। इतना कर्जा है, आज कृषक अपने आपको ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। एक तरफ तो सरकार ने बड़ी-बड़ी बातें कही थीं, घोषणा पत्र के अंदर कहा था, उसे एक तरह से पूरा राजनीति का खेल कर दिया, वह घोषणा पत्र केवल लोगों को गुमराह करने और वोट लेने तक ही सीमित था। जब सरकार में आ गए एक साल से ज्यादा हो गया, इसकी तरफ कोई नहीं देख रहा। सवाल के जवाब के अंदर यह बात उन्होंने दी है कि हम इसकी कोशिश करेंगे, हमने एक समन्वय समिति बनाई है, उस समन्वय समिति का गठन किया है, इसकी तीन बैठकें हो चुकी हैं और आने वाले समय में इस पर विचार करेंगे।

माननीय सभापति जी, एक साल से तीन लोगों की यह समिति विचार ही कर रही है। यह विचार जनता के स्पष्ट ध्यान में आ रहा है कि कोई कर्जा माफ नहीं होने वाला है बल्कि मैं एक आरोप लगाना चाहती हूं इस सरकार के ऊपर, कर्जा माफ करने का सपना दिखाकर वह लोग जो अपना कर्जा पे करने वाले थे, उनको रोक दिया कि बैंक में पे मत करो, हम आपका कर्जा माफ करेंगे। आज उनके ऊपर और ज्यादा इंटरेस्ट जुड़ता जा रहा है। वह किस लेवल पर पहुंचेंगे, फिर गवर्नमेंट अपना हाथ खड़ा कर देगी और कह देगी हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम माफ नहीं कर सकते। किसान तो दोनों तरफ से मारे गए। वोट लेकर उनको गुमराह किया गया, दूसरी तरफ उन पर इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट चढ़ता जा रहा है। सरकार किसी भी तरीके से अपनी बात को

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

स्पष्ट कहने में सक्षम नहीं है। हम लोग यहां जन प्रतिनिधि बनकर आते हैं, वोट लेते हैं, अगर हमारी वाणी में सच्चाई नहीं हो तो फिर उस जन प्रतिनिधि को जनता कैसे स्वीकार करेगी। आज राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार चला रही है, लेकिन ऐसी थोथी घोषणाएं, जिन घोषणाओं के माध्यम से आप जनता से वोट तो लेते हो लेकिन वोट लेने के बाद उन सारी घोषणाओं को भूल जाते हो, उसका एक उदाहरण कृषि का मैंने दिया है, इन्होंने ऋण माफ करने की बात कही थी वह।

मैं दूसरा उदाहरण देना चाहती हूं, जनता के साथ इन्होंने दूसरा धोखा किया है, वह बिजली के ऊपर किया। सभापति महोदय, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम पांच साल में बिजली की दर का एक भी पैसा नहीं बढ़ाएंगे।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, बिजली की दरें नहीं बढ़ाने की बात कही थी, उसमें नहीं बढ़ी है। जो भी बढ़ी वह सरकार वहन करेगी, सरकार उसमें अनुदान देगी, करैक्ट कर लें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): देखिए, यह तो जब आपके मिनिस्टर जवाब दें, अभी बैंचेज मत बजाओ, आपको भी जनता के बीच में जाना है और जनता को जवाब देना है। मैं तथ्य के साथ कहना चाहती हूं, उनके मंत्री खड़े हो गए और कह दिया हम वहन करेंगे। क्या वहन करेंगे, मैं बता रही हूं क्या होगा।

देखिये, जो बिजली की दर इन्होंने बढ़ाई है, वह 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक बिजली की दरें बढ़ाई हैं, उसमें उन्होंने दोहरे तरीके से जनता के ऊपर भार डाला है। दर बढ़ाई 95 पैसे की, प्रति यूनिट 95 पैसे और उसके साथ-साथ जो फिक्स्ड चार्ज थे, उस फिक्स्ड चार्ज के ऊपर भी इन्होंने बढ़ाया, 115 रुपये तक फिक्स्ड चार्ज इन्होंने एक-एक बिल के ऊपर बढ़ाये। अब ये जो कहते हैं न कि हम लोग करेंगे। आज इन्होंने जिस प्रकार से रेट्स बढ़ाये हैं, उसमें बी.पी.एल. को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। बी.पी.एल. के अन्दर भी फिक्स्ड जो चार्जेज हैं 100 से 125 रुपये किये। 100 से 125 रुपये, माननीय सभापतिजी, 25 प्रतिशत बी.पी.एल. के ऊपर, फिक्स्ड चार्जेज के अन्दर इन्होंने बढ़ाये।

किसानों की बात करते हैं और किसानों की क्या स्थिति इन्होंने की

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

कि किसानों के ऊपर जो फिक्स्ड रेट्स इन्होंने बढ़ाये, मीटर से एग्रीकल्चर की बिजली सप्लाई दर में 4.75 रुपये प्रति यूनिट से बढ़ाकर 5 रुपये 55 पैसे प्रति यूनिट, फ्लेट बिना मीटर वाले एग्रीकल्चर कनेक्शन की दर 635 रुपये हार्स पावर प्रति माह से बढ़ाकर 745 रुपये प्रति माह इन्होंने किये। अब ये कहते हैं हम इसका भार ले लेंगे। ये क्या भार ले लेंगे। भार ले लेंगे, जो बढ़ाया उसका भार ले लेंगे, जो आलरेडी है। आपने कहा था वह भार किस खाते में लोगे, उसका कहीं विवरण नहीं है आपके इस अभिभाषण के अन्दर। यह कहीं नहीं लिखा कि इस भार को कौनसे एकाउण्ट्स से हम कवर करेंगे। जो बिजली की दर बढ़ा रहे हैं, यह जनता के साथ धोखा है और उसी लिए आज पूरे राजस्थान के अन्दर एस.डी.ओ. हैड-क्वार्टर्स पर पूरी जनता जनार्दन इनका विरोध कर रही है। मैं आपसे कहना चाहती हूं, माननीय सभापतिजी, आप इस सरकार ...(व्यवधान) नहीं, देखिये। मुख्य मंत्रीजी जवाब देंगे।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): ये स्वयं मंत्री थे उस समय 16 प्रतिशत और 9 प्रतिशत, 25 प्रतिशत से ज्यादा बिजली की दरें बढ़ाईं। तब इनको कुछ नहीं दिखाई दिया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): बीच-बीच में मंत्रीजी को रिप्लाई करने के लिये बिठाया है क्या यहां पर? (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अभी जवाब देना है क्या आपको? अभी जवाब देना है क्या, बाद में दे देना, जवाब देना है तो।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): फैक्ट्स तो देने पड़ेंगे। (व्यवधान) एक तरफ तो आप कहते हैं कि मंत्रीगण काग्नीजेंस नहीं लेते लेकिन विपक्ष के नेता महोदय, हम कह रहे हैं कृषि बिजली के ऊपर हमने दर नहीं बढ़ाई है, और जो बढ़ी हुई दर है अनुदान के रूप में हम उसकी भरपाई करेंगे। (व्यवधान) उनका 90 पैसे प्रति यूनिट रहेगा। सदन को गुमराह क्यों कर रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मेरे हिसाब से...(व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्री महोदय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हर समय पर यह वाद-

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

विवाद इस तरह से चलेगा क्या? अगर आपको बोलना है तो खतम हो जाने के बाद आप खड़े होकर बोल देना। वाद-विवाद नहीं करें।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। प्लीज सहयोग करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापतिजी, कहते हैं न जब कुछ उन लोगों को हो रहा है तो उफन रहे हैं जबकि ये फैक्ट है। इनके रेट्स जो इन्होंने बढ़ाये हैं, इनको भी पता नहीं, अभी शायद मंत्री हैं इनको तो बिजली के बिल चुकाने नहीं पड़ते, इसलिये पता नहीं चल रहा है। पर जायें गांव के अन्दर तो पता चलेगा कि किस प्रकार से घरेलू बिजली में माता-बहनों का पूरा बजट ...(व्यवधान)

श्री सभापति: इधर-इधर।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैं आप ही की तरफ देखकर बोल रही हूं।

श्री सभापति: आप इन्वाइट मत करिये इनको।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): पूरा बिजली का, माता-बहनों का पूरा बजट इन्होंने खराब कर दिया। सारी बिजली की दरों को बढ़ा देना, जो बिजली देने का वादा किया था इन्होंने कि हम 12 घंटे बिजली देंगे। 12 घंटे छोड़ें, 5 घंटे बिजली नहीं आ रही है। इनके सारे ट्रांसफार्मर्स जो जल जाते हैं, वे ट्रांसफार्मर्स, जो कागजों में लिखा है 48 घण्टे में ट्रांसफार्मर बदल देंगे, एक-एक महीना निकल जाता है, ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाते। तार जहां पर झूल रहे हैं, उन तारों को टाइट करेंगे। करंट नहीं आये, इसके लिये ध्यान रखेंगे लेकिन किसी तरीके से कोई रिनोवेशन का प्रोग्राम इनका नहीं चल रहा है, केवल और केवल बातें करना है। केवल यह कहना है घोषणा-पत्र में कि हम बिजली की दर नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन यथार्थ यह है बिजली की दर इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि आज इतना भार बढ़ा हुआ है।

माननीय सभापतिजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं। अभी दिल्ली में चुनाव थे। दिल्ली के अन्दर चुनाव में कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया। उस घोषणा पत्र में कहा कि तीन सौ यूनिट तक हम बिजली मुफ्त कर देंगे अगर हमारी सरकार आ जाएगी। वह दिल्ली में जाकर कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो हम तीन सौ यूनिट फ्री कर देंगे। राजस्थान में तो आपकी सरकार है। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है। यहां यूनिट

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

माफ करना तो छोड़, बिजली माफ करना तो छोड़, बिजली के ऊपर दर बढ़ा रहे हैं। ये कब तक जनता के साथ धोखा करते रहेंगे। कब तक ये जनता को इस प्रकार से गुमराह करते रहेंगे। जनता के साथ में ऐसा धोखा, जनता सहन नहीं करेगी। यह जो धोखे पर धोखा चल रहा है, उसमें अब तीसरा धोखा बता रही हूं।

तीसरा है, स्वास्थ्य के ऊपर इन्होंने क्या बड़ी-बड़ी बातें कीं। हम स्वास्थ्य के अन्दर बहुत ही अच्छा मौहल्ला क्लिनिक, क्या कहते हैं उसको, जनता क्लिनिक खोलेंगे। अस्पताल के अन्दर दवाइयां हमने फ्री देनी शुरू कीं, तो दवाइयां आपने फ्री देनी शुरू कीं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और न केवल दवाइयां, दवाइयों के बाद हमने इलाज फ्री कर दिया। हमने भामाशाह योजना शुरू की, जिस भामाशाह योजना में गरीब मां का इलाज अगर उसका बेटा किसी प्राइवेट अस्पताल में भी कराता था तो उसका तीन लाख रुपये तक का इलाज फ्री में होता था। एक पैसा उस बेटे को नहीं देना पड़ता था। इतनी अच्छी योजना थी भामाशाह योजना। उस योजना के ऊपर इन्होंने रोक लगाई। उस योजना के अन्दर इन्होंने बहुत सारी कमियां निकालीं, ये भामाशाह कार्ड तो नहीं चलेगा, इसके ऊपर तो दूसरा कार्ड बनाना पड़ेगा। इस प्रकार की बात की।

आयुष्मान भारत योजना, देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदीजी ने उस योजना को शुरू किया, जहां पांच लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त में होता है। उस गरीब परिवार को कितनी बड़ी सहायता मिलती है, जब उसके परिवार का कोई बीमार हो जाता है तो इससे बड़ा अभिशाप उसके लिए कुछ नहीं है लेकिन उस सारी योजना को इन्होंने यहां पर लागू नहीं किया। उस योजना के अन्दर जो फार्म्स भराने चाहिए, जिस प्रकार से उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए, सरकार उदासीन है। इसके अन्दर फार्म्स नहीं भर रहे हैं, उनके कार्ड्स नहीं हो रहे हैं। इतनी सारी प्राब्लम्स उनके अन्दर आ रही हैं, उस योजना को हम प्रोपर लागू नहीं कर पा रहे हैं।

ये कह रहे हैं कि हम तो स्वास्थ्य के अन्दर बहुत अच्छे-अच्छे काम कर रहे हैं। क्या अच्छा काम किया, कोटा के अन्दर देखा आपने? जे.के. लॉन हास्पिटल, कोटा के अन्दर, जहां 112 बच्चे एक महीने के अन्दर मरते हैं और ऐसी संवेदनहीन सरकार और संवेदनहीन यहां के चिकित्सा मंत्री, जो बात यह

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

कहते हैं कि बच्चे तो मरते ही रहते हैं। आपके राज में भी मरे थे और हमारे राज में भी मरे तो क्या हो गया। यानी यह कितनी शर्म की बात है, माननीय सभापतिजी, कि कोई मिनिस्टर, किसी स्टेट का हैल्थ मिनिस्टर इस प्रकार का वक्तव्य दे। एक सैकण्ड नहीं लगना चाहिए था उनका इस्तीफा मांग लेना चाहिए था लेकिन यह सरकार बिलकुल कान में रूई डालकर बैठी है। कुछ सुनाई नहीं देता उनको। उन बच्चों की मांओं की चीखें नहीं सुनाई देतीं, जिन माताओं ने अपने बच्चों को खोया। यहां पर कोई असर ही नहीं हो रहा और यहां पर वे कह रहे हैं कि तुम्हारा राज-हमारा राज, ये कम्पेरिजन का विषय नहीं है। माननीय सभापतिजी, अगर किसी भी राज के अन्दर बच्चे इस प्रकार अस्पताल के अन्दर डाक्टर्स की लापरवाही से मरते हैं तो उन पर तुरंत काग्नीजेंस लेना चाहिए लेकिन यहां राजस्थान के हमारे चिकित्सा मंत्री एक महीने बाद जाते हैं वहां हास्पिटल का दौरा करने के लिए और दौरा करने के बाद में कहते हैं कि यह तो ऐसे ही चलेगा। मंत्रीजी के लिए रेड कार्पेट बिछवाते हैं। इस प्रकार के वहां पर दौरे होते हैं। शर्म की बात है, माननीय सभापतिजी, इस प्रकार की संवेदनहीन सरकार आज तक कभी नहीं हुई, जो बच्चों की डैथ के ऊपर इस प्रकार की राजनीति करती हो। आपका काम था वहां पर सुविधाएं दें। आपका काम था उसे प्रोपर ठीक करें और मिनिस्टर को वापस वहां पर पहुंचना चाहिए था, संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ। इसलिये दिखता है कि यहां पर इनके जो मंत्री हैं, वे सत्ता के सुख को भोगने में लगे हुए हैं, वे जनता के लिए नहीं लगे, जनता के काम नहीं करना चाहते, जनता के दु:ख-दर्द में खड़े नहीं रहना चाहते, वे जनता के लिए नहीं हैं। वे तो केवल सरकार के अन्दर अपनी बड़ी कुर्सी पर बैठकर अपना आनन्द लेने के लिए बने हैं।

मैं आज आपसे कहना चाहूंगी कि हास्पिटल की क्या हालत है। ये बात करते हैं जनता क्लिनिक की। पी.एच.सी. ले लो, सी.एच.सी. ले लो, जनरल हास्पिटल, राजसमन्द, जिस जिले से मैं आती हूं, वहां के जिला मुख्यालय पर स्थित अस्पताल ले लो। माननीय सभापतिजी, यह स्थिति है कि वहां पर डाक्टर्स नहीं हैं। वहां पर एक-तिहाई डाक्टर्स हैं। अगर 35 की संख्या में वहां पर पोस्ट्स हैं तो मात्र 10-12 डाक्टर्स काम कर रहे हैं। उन 10-12 में से भी 2 को तो डैपुटेशन पर लगा देंगे। क्या हालत बना दी है आपने चिकित्सा की। आप बात करते हैं कि हम लोग तो यहां पर बहुत अच्छी

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

चिकित्सा व्यवस्था देंगे। ऐसी चिकित्सा व्यवस्था, जहां डाक्टर्स उपलब्ध नहीं हों, जहां पी.एच.सी. के अन्दर सिस्टर उपलब्ध नहीं हों, नर्स उपलब्ध नहीं हों। सी.एच.सी. में कम्पाउण्डर्स नहीं हों तो कैसी व्यवस्था होगी। वह गरीब आदमी बीमार होने के बाद कहां जाएगा। भामाशाह योजना नहीं है। आपने ये सारी चीजें बंद कर दीं। वहां पर पोस्ट्स खाली पड़ी हुई हैं। कोई लेना-देना नहीं है। नई-नई घोषणाओं पर घोषणाएं किये जा रहे हो। नई घोषणा करेंगे, जनता क्लिनिक शुरू करेंगे। लोगों को केवल एक सपना दिखाना ही आपका रह गया क्या? सिर्फ यही है कि सपना ही दिखाते रहोगे या उस सपने को यथार्थ भी करोगे। केवल जनता क्लिनिक का सपना दिखाना और यह कह देना कि हम लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।

यह पेज नम्बर-2 में पैरा नम्बर-5, मैं पढ़कर सुनाना चाहती हूं। माननीय सभापति महोदय, जहां पर इन्होंने जो बात कही, इन्होंने क्या कहा? हम लोग सरकार के अंदर एक ऐसा प्रस्ताव ला रहे हैं हैल्थ के लिए, राइट टू हैल्थ केयर यह लेकर आना चाहते हैं। अभी तो हैल्थ केयर ही प्रोपर नहीं हो रही है, अब यह राइट दे देंगे, राइट टू हैल्थ केयर। हम लोग कहां पर जाएंगे, कहां भटकेंगे? खाली अच्छे-अच्छे शब्दों का प्रयोग करके लोगों को गुमराह करने का काम मत करो और जो व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को ठीक करें।

उसके बाद कहा कि हम लोग मेडिकल कालेज लेकर आएंगे। यह कहां से लाएंगे मेडिकल कालेज? यह तो देश के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी को जितना धन्यवाद दो उतना ही कम है कि जिन्होंने एक योजना शुरू की और कहा कि देश के हर जिला मुख्यालय के ऊपर एक मेडिकल कालेज होना चाहिए। वह मेडिकल कालेज के नाते ही 15 मेडिकल कॉलेज राजस्थान के अंदर अगर मिले हैं तो वह देन देश के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी की है जिन्होंने इस योजना को शुरू किया कि मेडिकल कालेज हम हर जिले में देंगे। यह अभिभाषण में क्या कहलवा रहे हैं? अपने अभिभाषण में यह कहलवा रहे हैं कि हम लेकर आये। आप कहां से लेकर आये? आपने एक मेडिकल कालेज स्टेट फंड से अगर शुरू किया हो तो बताइये कि हम यह मेडिकल कालेज स्टेट फंड से बनाएंगे। स्टेट फंड का तो जीरो, केन्द्र सरकार का जो पैसा आता है, उस केन्द्र सरकार के पैसे से भी वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लेकर आये हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें। माननीय सदस्य, समाप्त करें। समाप्त करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अभी तो शुरू हुआ है माननीय सभापति महोदय, मैं फर्स्ट स्पीकर हूं।

श्री सभापति: आप समाप्त करें। समय अलाटेड है आपके नेता की तरफ से।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्योंकि, देखिए, बात शुरू की है इसलिए समाप्त करें, वह नहीं होगा। फर्स्ट स्पीकर हैं, हम बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपके नेता की तरफ से समय अलाटेड है, समय की सीमा है, आप समाप्त करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): बिलकुल समय की सीमा में बोलेंगे।

श्री सभापति: आप दो मिनट में अपनी बात को समाप्त करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आपको यह बात समझनी होगी कि यहां पर जिस तरीके से हैल्थ की व्यवस्थाओं को गड़बड़ाया गया है, वह एक तरह से पूरे राजस्थान के लिए, यह जो सरकार बैठी है, यह जो गलत काम कर रहे हैं, उसी का नतीजा है।

आज मैं एक और बात कहना चाहूंगी। हमेशा यह कहा जाता है कि लोकतंत्र के हम रक्षक हैं, संविधान दिवस हमें मनाना चाहिए, हम लोकतंत्र की बहुत पूजा करते हैं, हम उसमें विश्वास रखते हैं। वैसे तो हम सब जानते हैं 1975 का वह काला दिन, सभी को ध्यान है कि लोकतंत्र की कितनी सेवक है कांग्रेस पार्टी?

दूसरा, एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। लोकतंत्र की बात करने वाले यह कांग्रेस के लोग, आज कितनी पंचायतें हैं? अगर आप देखें तो 3 हजार से अधिक ग्राम पंचायत, 286 पंचायत समितियां और 33 जिला परिषदों के अंदर प्रशासक लगा दिये। चुनाव नहीं करवाया। कितनी शर्म की बात है कि यह चुनाव नहीं करवा रहे हैं और चुनाव करवाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट इनको कह रही है कि अप्रैल से पहले-पहले आपके यह चुनाव हो जाने चाहिए। यानी, यह चुनाव नहीं करवाना, प्रशासक बैठा देना, चाहे जैसे मनमर्जी से हम लोग काम करेंगे, उस प्रकार से डैमोक्रेसी को खतम करने का कांग्रेस का जो षड्यंत्र है, यही इसका सार है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। समाप्त करें। श्री अमीन खां।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, यह तो हमारे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, यह पहले वक्ता हैं।

श्री सभापति: विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री अमीन खां (शिव): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने 24 जनवरी, 2020 के दिन ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, 25 मिनट का समय दिया है।

श्री सभापति: अमीन खां जी, एक मिनट विराजें। आपकी तरफ से समय अलाटेड है। माननीय सदस्या को 20 मिनट बोलने का समय दिया गया था।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री सभापति: मैंने नहीं किया इसको। यह 20 मिनट का समय दिया है आपको। 20 मिनट से ज्यादा, 23 मिनट आप बोल चुकी हैं। अब आप विराजें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री सभापति: प्लीज, आप सहयोग करें। हां, आप समाप्त करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैं समाप्त कर रही हूं, सिर्फ तीन बातें करना है ज्यादा नहीं। मैं बिलकुल इर्रलेवेंट नहीं बोल रही हूं।

श्री सभापति: आप एक मिनट में अपनी बात को समाप्त करें। एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अच्छी बात है। मैं जो कुछ भी बोल रही हूं इस अभिभाषण के अंदर से बोल रही हूं। पेज नम्बर11, पैरा नम्बर-38, आपने कहा कि विशेष योग्यजन के लिए हम योजना का काम करेंगे। क्या काम कर रहे हैं? विशेष योग्यजन को जिले के अंदर साइकिल नहीं मिल रही है। ट्राई-साइकिल्स सारी खतम, कान में सुनने की मशीन नहीं,

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

बैसाखी नहीं, ट्राई-साइकिल्स नहीं, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं और कहते हैं यह बात। पालनहार योजना एक साल से जिले में बंद पड़ी हुई है। विधवा मां है, उसके बच्चों को जो पालनहार योजना में पैसा मिलता था, एक साल से उसका पैसा नहीं मिल रहा है, यह कितनी शर्म की बात है।

गौशाला की बात कर लें। माननीय सभापति महोदय, अब मैं बहुत फास्ट कर रही हूं। गौशाला में आपने बड़ा अच्छा काम किया। आपने यह कहा कि हम इसको 32 रुपये से 40 रुपये कर रहे हैं। हम इसको 16 रुपये से 20 रुपये कर रहे हैं, गौवंश के लिए, जो-जो गौशालाएं होंगी, उसके गौवंश के लिए आपने कहा।

एक सवाल का जवाब जो मुझे मिला है, उसी को यहां पर कोट करना चाहती हूं कि कितना आपने बढ़ाया और वहां पर आपकी क्या स्थिति है। जिले के अंदर अभी का, वर्ष 2019-2020 के प्रथम चार माह, अप्रैल, मई, जून, 2019 की देय सहायता राशि हेतु, आबंटित व्यय राशि सिर्फ उदयपुर संभाग की बात करूंगी, जहां पर उदयपुर में 62 लाख रुपये जो आबंटित राशि थी उसमें से 52 लाख, बांसवाड़ा में 23 लाख थी, उसमें से जीरो पेमेंट हुआ। चित्तौड़गढ़ में नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सहयोग करें। प्लीज। आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, विराजिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): डूंगरपुर में 6 लाख, जीरो पेमेंट हुआ। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, ऐसे नहीं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, देखिए आंकड़ों के साथ रेलेवेंट बात बोल रही हूं, आपको भी समझना चाहिए कि यह अपने को सुधारना है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। माननीय नेता महोदय, आपकी तरफ से यह लिस्ट आई हुई है। माननीय नेता, प्रतिपक्ष, आपकी तरफ से यह लिस्ट आई हुई है। आप अपने सदस्य से कहें कि वह सहयोग करें। मैं बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। आप विराजिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री सभापति: आप विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री अमीन खां (शिव): माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट, अमीन खां जी, विराजिये। आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको सहयोग करना चाहिए। समय आपकी तरफ से, आपके माननीय नेता जो हैं, उन्होंने मुझे समय निर्धारित करके दिया है आपके लिए, अब आप सब लोग यदि इसी तरह से करेंगे कि नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा तो फिर यह सदन कैसे चलेगा? आप यह गलत परंपरा मत डालिए। आप बहुत वरिष्ठ माननीय सदस्या हैं। श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव): माननीय सभापति महोदय, 24 जनवरी, 2020 के दिन महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस सदन में पधारकर जो अभिभाषण दिया, उनके हम आभारी हैं और उनको धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में धन्यवाद देते हैं।

राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने गवर्नर के भाषण के 1 से 34 पेजों में जितना भी ध्यान दिया है, वह पिछड़े, ग्रामीण और गरीब इलाके को ज्यादा दिया है। आज से पूर्व जहां जिस इलाके में प्रशासन की कोई निगाह नहीं थी, श्री अशोक गहलोत की सरकार ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से करीब-करीब कोशिश की है, प्रत्येक तहसील हैडक्वार्टर तक उपखण्ड बनाया है।

इंसान के इलाज की सबसे पहली प्रायोरिटी है। प्रत्येक पंचायत में सब-सेंटर की व्यवस्था की गई है। अकाल की वजह से और कई प्राकृतिक आपदाओं की वजह से गरीब किसान कर्ज में दबे हुए थे। 2 लाख रुपये तक के कर्जे समय के अनुसार बाकायदा सिस्टेमेटिक ढंग से ग्राम सभा में प्रमाण-पत्र किसानों को देकर उनका कर्जा माफ किया गया। राजस्थान का बच्चा-बच्चा इसका साक्षी है, इसके लिए हम श्री अशोक गहलोत को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं।

आगे, इस साल और पिछला अभी अब एक साल हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में 24 नए कालेज खोलना, यह इतिहास के लिए बहुत बड़ी बात है। आज से पूर्व इतना किसी सरकार ने काम नहीं किया, हमारी जानकारी में यह बात है, यह धन्यवाद के पात्र हैं।

मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, कम ही बोलकर अपनी बात खतम करूंगा। इस सरकार को भी यह कहता हूं और आप लोगों को भी कहता हूं कि जन

(श्री अमीन खां)

कल्याणकारी सरकार कोई भी होती है, उसका उद्देश्य यह है कि कमजोर इंसान, गरीब इंसान, आश्रित इंसान को थोड़ा सहारा देकर राज की तरफ से ऊपर उठाना। मौजूदा व्यवस्था में गरीब आदमी ऊपर नहीं उठ पा रहा है। सरकारी अधिकारियों के बच्चे, ठेकेदारों के बच्चे और पूंजीपतियों के बच्चे अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, ऐसी अपने देश और प्रदेश में व्यवस्था है। चाहे शिड्यूल्ड कास्ट हो, चाहे शिड्यूल्ड ट्राइब हो, उनका रिजर्वेशन है, यह बात ठीक है लेकिन उनमें भी जो सबल लोग हो गये हैं, उनको रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिल रहा है और जहां पर गरीब बेगार निकालता है और हर चीज, मामूली चीज के लिए भी मोहताज है उसका स्तर ग्रामीण एरिये में आज भी कमजोर कायम है इसलिए सरकार को ऐसे पिछड़े हुए इलाकों में अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना चाहिए।

(14.00 बजे)

कमी कहां है? कमी यह है, आज जितने भी पिछड़े एरिये आप देख लो, उनमें मॉडल स्कूलें भी सरकार ने खोली हैं। हर पंचायत तक हायर सैकण्डरी स्कूल भी गई है, लेकिन वहां पर अव्वल तो अच्छे मास्टर नहीं हैं और दूसरे 50 प्रतिशत से ज्यादा अध्यापकों के पद खाली हैं। अगर अध्यापकों के पद 50 प्रतिशत से ज्यादा पद खाली हैं तो वहां के गरीब कैसे ऊपर आ जाएंगे, नहीं आ सकते। आपकी आजादी और रिजर्वेशन, दोनों खड़े हैं। इसलिए बहुत अदब के साथ मैं सरकार से, विपक्ष के हमारे भाइयों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर सभी ध्यान दो। सरकारी स्कूलों में कोई भी मास्टर की जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। आज पब्लिक स्कूलों में अच्छी शिक्षा हो रही है। पब्लिक स्कूल में गरीब बच्चा नहीं जा सकता। उसमें हजारों-लाखों रुपये जो खर्च करते हैं, उनके बच्चे आगे बढ़ते हैं। गरीबों के बच्चे उस स्कूल के दरवाजे तक नहीं जा सकते। देश की आजादी की जन कल्याणकारी सरकार कोई भी हो, उसकी जिम्मेदारी है कि उन पूंजीपतियों की शिक्षा की व्यवस्था के बराबर उससे एक कदम सरकार का ऊपर होना चाहिए।

इसी प्रकार, इलाज की व्यवस्था देख लो। आज बाड़मेर-जैसलमेर का नाम लो, कोई डाक्टर जाने के लिये तैयार नहीं है। कोई लैक्चरर जाने के लिये तैयार नहीं है। जिस मंत्री के पास जाते हैं, अधिकारी के पास जाते हैं, भाई वहां

(श्री अमीन खां)

के लिए तो कोई नहीं जाता। सरकार का नौकर है, सरकार से एक तारीख को तनख्वाह उठाता है और सरकार के हुक्म से उसको जाना चाहिए, उसको अधिकार नहीं होना चाहिए कि मैं वहां नहीं जा सकता। इसलिए बहुत अदब के साथ सभी से अर्ज है और हमारे मुख्य मंत्रीजी से भी यही अर्ज है कि गांवों में पुराने जमाने में कोई स्कूल नहीं थी। हम लोग जिस जमाने में पढ़ते थे, हमें स्कूल नसीब नहीं हुई। हम महाजनों की पाठशाला में पढ़े हुए हैं। आज हर जगह प्राइमरी स्कूल है, कोई कमी नहीं है। करीब-करीब जरूरत के मुताबिक मिडल स्कूल है और कोई कमी नहीं है। हर पंचायत हैड क्वार्टर तक भी सैकण्डरी स्कूल है। नई स्कूल खोलने की तरफ ध्यान न दिया जाए तो भी पब्लिक का कोई नुकसान नहीं है। जहां-जहां अध्यापकों की कमी है, उसकी पूर्ति करनी चाहिए। अगर अध्यापकों की, लैक्चरर्स की पूर्ति नहीं की गयी तो गरीब आदमी को अशिक्षित रखना है, यह इल्जाम सरकार पर आएगा।

इसी प्रकार, इलाज के लिए डाक्टर नहीं जाए तो बड़े आदमियों के यहां रहने दो, नर्स है, कम्पाउंडर है, सैकण्ड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड कम्पाउंडर है, यह सब-सेंटर में मिलना चाहिए। इसके कारण से आम गरीब को सुविधा मिलेगी।

अभी आपके दिल्ली में चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी में, जिसमें हुनरवान, विद्वान, पढ़ने वालों की क्या कमी थी, लोगों ने मना कर दिया। हमारी कांग्रेस पार्टी को भी लोगों ने मना कर दिया। यह इसलिए किया क्योंकि केजरीवाल ने गरीब आदमी की तालीम पर सबसे अच्छा इन्तजाम किया है। उस तालीम का असर है कि केजरीवाल की पार्टी जीत गयी। अपन ने पूंजीपतियों का सहारा लिया। पूंजीपतियों को खुश करने की कोशिश की, जिससे गरीब अपने से राज़ी नहीं है। यही बात कहता हुआ, महामहिम राज्यपाल महोदय के 24 जनवरी, 2020 के धन्यवाद प्रस्ताव का हम समर्थन करते हैं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री बाबूलाल नागर।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे आपने अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। इस अभिभाषण को देखने के बाद ऐसा लगता है कि महात्मा गांधीजी और अम्बेडकर जी की जो परिकल्पना थी आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, इस अभिभाषण में वह साकार होती नजर आ रही

(श्री बाबूलाल नागर)

है। प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री तीसरी बार मुख्य मंत्री हैं। अपने प्रथम मुख्य मंत्री काल में ही वे जो योजनाएं इस राजस्थान में लेकर आए हैं, एक-एक योजना का आप अवलोकन कर लें, उन्होंने अपने हर मुख्य मंत्री काल में उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने विस्तार करने का काम किया और आम आदमी, जो गांवों में, ढाणी में मजदूरी करता है, उन्होंने उसको केन्द्र बिन्दु बनाकर विस्तार करने का, आगे बढ़ाने का काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, आप तो खुद भी वरिष्ठ सदस्य हैं। 1998 में क्या भयंकर अकाल था। राजस्थान में छप्पनिया का अकाल भी कुछ लोग याद करने लग गये थे, लेकिन बहुत ही बहादुरी से उस अकाल का मुकाबला किया और राजस्थान में यह उदाहरण होगा कि राजस्थान का मुख्य मंत्री पूरे राजस्थान के सभी जिलों में, जो अकाल से पीड़ित थे, तड़प रहे थे, एक मुट्ठी भी दाना और चारा पैदा नहीं हुआ, वह हर जिले में व्यक्तिगत जाकर उन गरीब लोगों से मिले। यहां तक राजस्थान के मुख्य सचिव, राजस्थान मंत्रिमण्डल के सारे सदस्य, सारे विधायक और सारे जिला कलेक्टर्स ने आम गरीब के बीच जाकर लोगों की सुध ली और उस जमाने में भी उन्होंने सपना बनाया। अकाल में हमेशा मजदूरी का काम होता है, लेकिन निजी आवास और निजी कुओं की ऐसी योजनाएं लेकर आए कि अकाल के माध्यम से इन गरीबों को मकान मिल जाए। उस समय बरसात नहीं हुई थी, लेकिन आगे भविष्य में कुओं में पानी आ जाए, मैं आपसे निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, कि इस राजस्थान में इससे पहले विभिन्न पार्टियों के भी मुख्य मंत्री बने हैं। शायद वह दसवीं विधान सभा थी जब पहली बार अशोक जी गहलोत मुख्य मंत्री बने थे, लेकिन राजस्थान सरकार में पहली बार जो समाज का सबसे गरीब आदमी है, बी पी एल परिवार का, और उस बी पी एल परिवार के लिए अपने प्रथम मुख्य मंत्री काल में ही उन्होंने नि:शुल्क इलाज योजना राजस्थान में शुरू की। उन्होंने उस जमाने में जो बी पी एल परिवार थे, इससे पहले बी पी एल परिवारों को इलाज की किसी प्रकार की नि:शुल्क व्यवस्था नहीं थी। प्रथम बार अशोक गहलोतजी ने शुरू की। उनके मन में दर्द था उनके लिए। यहां तक कि जो बी पी एल नहीं थे, उनके लिए भी मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, इस सदन में भी कहते थे और प्रतिपक्ष के सदस्य भी, जो उनको पत्र लिखता था कि यह गरीब आदमी है, इसके हार्ट अटैक हो गया, कैंसर हो गया, किडनी की बीमारी है। इस तरह से मुख्य मंत्री सहायता कोष से उनका

(श्री बाबूलाल नागर)

सारा पैसा सरकार देती थी और इस योजना को फिर जैसे ही वह दूसरी बार मुख्य मंत्री बने, राजस्थान में आम आदमी के लिए नि:शुल्क दवा योजना लेकर आये। साढ़े चार सौ तरह की दवाइयां लेकर आये, फिर बाद में पिछली सरकार ने इसको बंद करने का काम किया, लेकिन जैसे ही तीसरी बार मुख्य मंत्री बने, उस योजना में उन्होंने दवाइयों की मात्रा बढ़ाई और आज साढ़े छह सौ से भी ज्यादा तरह की दवाइयां हमारे अस्पतालों में मिल रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह मैं आपसे कहना चाहूंगा नि:शुल्क जांच योजना लेकर आये बी पी एल के लिए। आज राजस्थान में जो भी बी पी एल हैं, उनके लिए नि:शुल्क जांच योजना लागू है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, कि अब एक से बढ़कर एक योजना सरकार लेकर आयी है। अभी नीरोगी राजस्थान योजना लेकर आए हैं। मेरी प्रार्थना है, माननीय सभापति महोदय, सरकार ने जिला स्तर पर जो मेडिकल कालेज हैं, जिला अस्पताल हैं, वहां पर हार्ट अटैक, किडनी, ऐसी सबकी जांच फ्री भी कर रखी है, आज दवाई भी फ्री मिल रही है। रोज गांवों में जाना पड़ता है। जवान-जवान लोगों की हार्ट अटैक में मृत्यु हो जाती है। जवान लोग, किसी को कैंसर हो जाता है, मैं सरकार से चाहूंगा कि जब पूरे राजस्थान के लिए आप नि:शुल्क दवाई योजना लेकर आये हैं, आप पूरे राजस्थान के लिए नि:शुल्क जांच योजना लेकर आये तो आप तहसील स्तर पर पूरे राजस्थान में एक साल में एक बार आम आदमी जो राजस्थान का रहने वाला है, वह अपने शरीर की पूरी जांच करा सकता है। अगर ऐसी कोई योजना लेकर आते हैं, सभापति महोदय, आप देखते हैं कभी जांच कराने जाते हैं, किडनी खराब हो गई, कैंसर है, हार्ट अटैक है, जब तक इलाज शुरू होता है तब तक तो वह आदमी मर जाता है। जब उसको प्रारम्भिक स्तर पर यह पता पड़ जाए कि मेरे यह बीमारी है तो कम से कम मैं चाहूंगा और मैं समझता हूं कि राजस्थान में अशोक गहलोत जी यह कर सकते हैं, उन्होंने राजस्थान के आम लोगों के लिए इस तरह के लोक कल्याणकारी काम किये हैं, इसलिए नि:शुल्क जांच योजना प्रदेश में एक बार एक व्यक्ति को, ऐसी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए।

भा.ज.पा. सरकार भी थी, मैं मानता हूं कि भामाशाह योजना में एक अच्छा प्रयास था, उस जमाने में भी भामाशाह योजना के सम्बन्ध में फीडबैक अच्छा मिलता था लेकिन, सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा भामाशाह

(श्री बाबूलाल नागर)

योजना को आपने खाद्य सुरक्षा से जोड़ दिया। अब गांवों में कहीं बिजली नहीं आ रही है, कहीं आपकी पोस मशीन नहीं चल रही है, उसको गेहूं नहीं मिल रहा है, गरीब आदमी है और उसका गेहूं बंद हो गया है, बी.पी.एल. आदमी है, आपने भामाशाह जोड़ने के बाद बी.पी.एल. कार्ड भी बंद कर दिया था तो ऐसे आदमियों को इलाज नहीं मिला। इससे गरीब को काफी परेशानी हुई। बी.पी.एल. जैसा कार्ड आपने बंद कर दिया। सभापति महोदय, इसी तरह मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भामाशाह योजना वापस आपने दूसरे रूप में शुरू की है लेकिन आज भी जो खाद्य सुरक्षा से जोड़ा हुआ मामला है इसको हटाना चाहिए। खाद्य सुरक्षा से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। आप तो जानते हो कई बार डीलर ही गेहूं नहीं देता है, कई बार पोस मशीन ही खराब हो जाती है, तो इसको इससे दूर रखना चाहिए। पिछली सरकार में भामाशाह में जो निजी हास्पिटल्स थे उनमें बहुत अनियमितताएं हुई यह किसी से छिपा हुआ नहीं है लेकिन अब आगे आपकी योजनाओं में इसका ध्यान रहना चाहिए।

सभापति महोदय, राजस्थान में मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जब दूसरी बार मुख्य मंत्री बने थे, पौने पांच रुपये किलो बी.पी.एल. को गेहूं मिलता था। अशोक जी गहलोत ने राजस्थान में जितने भी बी.पी.एल. परिवार थे उनको पौने पांच के स्थान पर सरकारी कोष से दो रुपये किलो गेहूं शुरू करवाया और जो लोग बी.पी.एल. से हट गये थे, उनको भी प्रदेश में पहली बार स्टेट बी.पी.एल. का दर्जा दिया। सभापति महोदय, इस योजना को फिर आगे बढ़ाया, यू.पी.ए. सरकार ने, हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने इस देश में खाद्य सुरक्षा योजना लागू की, पूरे हिन्दुस्तान में खाद्य सुरक्षा में दो रुपये किलो गेहूं दिया जा रहा है। मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत तीसरी बार मुख्य मंत्री बनते ही एक रुपये किलो खाद्य सुरक्षा का गेहूं दे रहे हैं, सभापति महोदय, इससे मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह मुख्य मंत्री जी का गरीब के प्रति कमिटमेंट है।

सभापति महोदय, आप जानते हो राजस्थान में फसल बरसात पर निर्भर करती है। एक फसल होती है, हमारे गांवों में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पशुपालन से, दूध से आज गरीब आदमी, किसान अपने बच्चों का पालन-पोषण करता है। पहली बार मुख्य मंत्री जी ने उस पशुपालक को सुदृढ़ बनाने के लिए इतिहास में, सभापति महोदय, पूरे देश में राजस्थान दूसरा राज्य था,

(श्री बाबूलाल नागर)

जो भी डेयरी में राजस्थान का किसान दूध देता था उसको सरकार की तरफ से दो रुपये किलो का अनुदान दिया। जैसे ही सरकार बदल गई, वैसे आप जब प्रतिपक्ष में थे तो किसानों की बात करते थे और जैसे ही सरकार बदली, भा.ज.पा. सरकार ने राजस्थान में पहला आदेश किया कि जो दो रुपये राजस्थान के किसानों को दे रहे हैं उसको बंद किया जाता है और जैसे ही मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उन्होंने पहला आदेश किया कि हम दो रुपये वापस शुरू करते हैं। सभापति महोदय, उस समय सरकार ने पशुपालन को भी बढ़ाया और अनुदान भी देना शुरू किया।

सभापति महोदय, मैं मंत्री भी रहा हूं, मुझे एक बार मंत्री रहने का मौका मिला। मैं सिरोही में प्रभारी मंत्री था, वहां पेन्शन योजना के शिविर लगा रहे थे। बालिग जिसके सन्तान हो जाए, चाहे 80 साल उम्र हो, 90 साल हो अगर उसके बालिग सन्तान है, उसके पास जमीन भी नहीं है तो उसको पेन्शन नहीं मिल सकती। विधवा औरत है, उसका बच्चा 25 साल से बड़ा हो गया, वह बिलकुल गरीब है लेकिन उसको पेन्शन नहीं मिल सकती। पहली बार राजस्थान में अशोक जी गहलोत ने जो विधवा पेन्शन थी, वृद्धावस्था पेन्शन थी, इसमें जो राइडर था उसको खतम किया। सभापति महोदय, मैं उस शिविर में निरीक्षण करने गया, आज भी एक बुजुर्ग महिला ऐसे मेरे आंखों के सामने आती है, पेन्शन का शिविर चल रहा था। उसने उस शिविर में कहा कि मंत्री जी, मेरे यहां दो बेटे हैं तो मैं यह कह सकती हूं अब मेरे तीन बेटे हो गये हैं। दो बेटे तो मेरे बेटे हैं और एक अशोक गहलोत, वह भी मेरा बेटा हो गया जो मेरे बुढ़ापे का सहारा बना और इस बुढ़ापे में मेरी पेन्शन शुरू करायी।

सभापति महोदय, पूरे प्रदेश में राजीव गांधी भवन बनाये, पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायतों में। ग्राम पंचायतों की क्या हालत थी? महात्मा गांधी जी का ग्राम स्वराज, हम कल्पना करते थे, हमारे यहां पंचायतों में बैठने की जगह नहीं थी, पूरे राजस्थान में उन्होंने राजीव गांधी भवन बनाये, पंचायत समिति स्तर पर बनाये, जिला परिषद् स्तर पर बनाये। आज आराम से पंचायत जाकर वहां काम कर सकती है।

किसानों के कर्जे माफ के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा यह सरकार का कमिटमेंट था, अच्छा काम किया। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि किसान का जो कर्जा है, हमारे प्रदेश में कभी

(श्री बाबूलाल नागर)

अनावृष्टि है, अतिवृष्टि है, अकाल पड़ जाता है, और किसान का कर्जा किस बात का है? किसान का कर्जा है, कहीं बीज लाते हैं, बुआई करते हैं, कभी बरसात नहीं हुई फसल खराब हो जाती है, कर्जा लिया जाता है, तो मैं सरकार से कहूंगा आपने इस प्रदेश में निशुल्क दवाई योजना, गेहूं में आपने अनुदान, दूध में अनुदान, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आपसे प्रार्थना करूंगा कि अगर किसान को मजबूत करना है तो हर साल जब बुआई होती है, उसकी गिरदावरी होती है और गिरदावरी के अनुसार किसान को सरकार पर बीघा अनुदान दे। अगर अकाल भी पड़ जाता है तो उसको कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, सरकार को कर्जा माफ नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि अगर वास्तव में किसान को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, किसान को खड़ा करना चाहते हैं, किसान को कर्ज मुक्त बनाना चाहते हैं तो सरकार को बुआई के आधार पर अनुदान देना चाहिए।

यह जो ई.डब्ल्यू.एस. का हमारी केन्द्र सरकार ने लागू किया, मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने तत्काल इसके राइडर खतम किये। सभापति महोदय, आज भी आपके प्रमाण पत्र बन रहे हैं लेकिन आपने आठ लाख की जो सीमा तय की है, आज भी पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, हम आठ लाख कैसे तय करें कि आठ लाख से ज्यादा आपकी आय नहीं है इसलिए, सभापति महोदय, मैं सरकार से चाहूंगा कि प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में पूरे राजस्थान में शिविर लगाएं। जिस तरह से आपने प्रशासन गांवों की ओर अभियान शिविर लगाया था, प्रशासन शहरों की ओर अभियान शिविर लगाया था, एक ही जगह तहसील स्तर पर लगा लें, ग्राम पंचायत में लगा लें। सभापति महोदय, मैंने यह प्रयोग किया, यह राइडर तो हमारी सरकार ने बाद में खतम किया था, जैसे ही केन्द्र सरकार ने यह लागू किया, मेरे यहां तीन तहसील हैं, मैंने तीनों जगह ई.डब्ल्यू.एस. के शिविर लगाये और एक जिले में, पूरे जिले में जितने सर्टिफिकेट नहीं बने उससे ज्यादा मैंने अकेले मेरे विधान सभा क्षेत्र में बनाये। मंत्री जी बैठे हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि ईडब्ल्यू.एस. के शिविर पूरे राजस्थान में लगने चाहिए।

सभापति महोदय, आप एक अभियान चला रहे हैं जो स्वच्छ भारत मिशन केन्द्र सरकार की भी योजना है। शौचालय शेष नहीं अभियान शुरू किया है राजस्थान सरकार ने। मैं आपसे निवेदन करूंगा, चुनाव जीतते ही मैं मेरी एक-एक ग्राम पंचायतों में गया और उस समय सर्वे हुआ, सर्वे होने के बाद

(श्री बाबूलाल नागर)

शौचालय मंजूर हो गये। इसके बाद एक ऐसी होड़ लगी कि पंचायतों को ओ.डी.एफ. बनाये जाओ। जिनका सर्वे हुआ, जिनकी स्वीकृति हो गई और उसके बाद में ओ.डी.एफ. के चक्कर में पंचायतों के सेक्रेटरी और सरपंचों ने सर्टिफिकेट दे दिये। सर्टिफिकेट देते ही कम्प्यूटर से वे नाम हट गये कि हमारे तो यहां सारे शौचालय बन गये। सभापति महोदय, सरकार ने यह शेष नहीं अभियान शुरू कर रखा है, मैं चाहूंगा कि जिन पंचायतों का ओ.डी.एफ. हो गया, जिनको प्रमाण पत्र लेने के लिए, जिनको प्रशंसा पत्र लेने के लिए बिना शौचालय बने ही ओ.डी.एफ. करा दिया तो सरकार को चाहिए कि जो पंचायतें ओ.डी.एफ. हो गईं, उनका भी वापस सर्वे कराया जाए। आज गांवों में बहुत भारी परेशानी हो रही है। जब आपने सैंक्शन निकाल दी, ओ.डी.एफ. के बाद में कम्प्यूटर से नाम हट गये और उन्होंने कर्जा लेकर बना भी लिया, हम नरेगा में नहीं लगाएंगे, हम गेहूं नहीं देंगे और इसके बाद नाम हटते ही वे लोग आज दर-दर भटक रहे हैं, उनका पेमेंट नहीं हुआ क्योंकि रिकार्ड में उनका नाम ही हट गया। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को चाहिए कि उनका वापस सर्वे कराए।

इसी तरह खनन प्रक्रिया के दौरान श्रमिकों के कल्याण के लिए सिलिकोसिस नीति ला रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो श्रम मंत्रालय है उसकी बहुत ही ऐतिहासिक योजना है। अगर गरीब आदमी का मजदूर कार्ड बन जाए और उसकी बच्ची का ब्याह है, कोई विधवा है, उसके कोई अनहोनी हो गई है तो उन योजनाओं का लाभ मिल सकता है।

सभापति महोदय, परिस्थिति यह है कि मजदूर कार्ड बनता नहीं है। लाख कोशिश करने के बाद भी, शिविर लगाने के बाद भी मजदूर कार्ड बनाने का अभाव रहता है। साल में 90 दिन कोई भी काम कर ले, नरेगा चलती है, मैं चाहूंगा, मंत्री जी यहां बैठे हैं, पूरे राजस्थान में आपको यह मजदूर कार्ड बनाने का शिविर लगाना चाहिए। चाहे तहसील लेवल पर लगा लें, चाहे ग्राम पंचायत लेवल पर लगा लें। नरेगा में तो गरीब आदमी जाता ही है। नरेगा के रिकार्ड के आधार पर आराम से उसकी एंट्री हो जाए तो उस गरीब को, मजदूर को फायदा मिल सकता है।

सभापति महोदय, मैं शिक्षा विभाग के संबंध में निवेदन करूंगा कि अशोक जी गहलोत जब मुख्य मंत्री बने तो वही महात्मा गांधी जी वाली सोच, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। एक साथ दलितों के लिए कच्ची बस्तियों में,

(श्री बाबूलाल नागर)

ढाणियों में 26 हजार स्कूल, राजीव गांधी पाठशालाएं खोलीं। वह स्कूलें चलती रहीं। कई क्रमोन्नत हुईं। पिछली सरकार आई तो वह सरकार में रहकर आम आदमी की बात कर रहे थे, उन्होंने एक साथ ही कई हजारों स्कूलों को बंद कर दिया। मैं राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, वह फोन कर करके पूछ रहे हैं कि जो स्कूलें बंद हो गई थीं, उनमें से कौनसी हमें चालू करनी हैं। उन्होंने आश्वासन भी दे दिया है। लिस्टें भी बना ली हैं। यह सारी की सारी जो स्कूलें बंद हुई थीं, इनको चालू किया जाए।

सभापति महोदय, उच्च शिक्षा के संबंध में मेरा इतना ही निवेदन है कि उस जमाने में निजी विश्वविद्यालय हमारी सरकार लेकर आई थी। पूरे राजस्थान में कई महत्वपूर्ण निजी विश्वविद्यालय खोले थे। पिछली सरकार को पता नहीं क्या गड़बड़ लगा कि उन्होंने निजी विश्वविद्यालय बंद कर दिए। जैसे ही सरकार में आए, इस सरकार ने वापस चालू कर दिए। राजस्थान का इतिहास बन गया कि एक वर्ष में एक साथ 50 से ज्यादा सरकारी महाविद्यालय खुल गए। यह राजस्थान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसने निश्चित रूप से हमारी उच्च शिक्षा का भी विस्तार किया है।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अपने समय का ध्यान रखते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति: श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन जैसी मेहरबानी इन पर रही है, वैसी मेरे पर भी रहनी चाहिए।

सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के श्रीमुख से बड़े ही सुंदर शब्दों में पैरा संख्या-1 में बहुत अच्छी बात कही है। राज्यपाल महोदय के श्रीमुख से सरकार ने कहलवाया है कि सभी सदस्यगण को वर्तमान सरकार के सुशासन के एक वर्ष पूर्ण होने पर शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इस एक वर्ष में किस बात की शुभकामना?

श्री सभापति: आप भी शामिल हो शुभकामना में।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): मैं शामिल नहीं हूं इसीलिए तो विरोध कर रहा हूं।

श्री सभापति: शुभकामना में, शुभकामना में।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): शुभकामना तो ठीक है, ले लेता हूं। लेकिन करने को कुछ नहीं है, जीरो है। इस अभिभाषण के अंदर कुछ नहीं है। पैरा संख्या-2 में कहा गया है कि सरकार ने प्रदेश में लोक कल्याण और जन सेवा की भावना से उत्तरदायी, पारदर्शी और संवेदनशील कार्यप्रणाली विकसित करने की दिशा में नए आयाम स्थापित किए हैं। सभापति महोदय, किस चीज के आयाम? इस एक वर्ष के अंदर सरकार ने पूरे के पूरे विकास कार्य ठप करने का रिकार्ड कायम किया है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह जो शब्दों का जाल है, मैं तो कम पढ़ा हुआ हूं, मुझे इसके अर्थ का ज्ञान नहीं है, नहीं तो मैं खोलकर सारी बात बताता।

सभापति महोदय, पैरा संख्या-3 में आमजन एवं गरीब को समय पर नि:शुल्क दवा, नि:शुल्क और सुलभ चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। राइट टू हैल्थ, अब यह क्या शब्द है, मेरे तो समझ में नहीं आता है। राइट टू हैल्थ केयर कानून लाने की बात हो रही है। सभापति महोदय, यह इंग्लैंड है? यह राजस्थान है। आप धरातल पर उतरो। अभी माननीय सदस्य दिल्ली के बारे में बोल रहे थे कि जो योजना आपने लागू कर रखी है उसको धरातल पर उतारो। सारे लोग इस नि:शुल्क इलाज से हाथ खड़े करके रो रहे हैं कि इन दवाओं से सिर दर्द और जुकाम भी ठीक नहीं होती है। यह हकीकत है। आप कहां कैंसर की बात कर रहे हो। कहां आप हृदय रोग की बात कर रहे हो। कहां आप गुर्दे की बात कर रहे हो।

सभापति महोदय, आज भी लोग एमएलए और एमपी की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं। रोजाना ही आते हैं कि हमारे इलाज की व्यवस्था करो। जब आपने फ्री इलाज दे रखा है तो वह रोते हुए क्यों घूम रहे हैं? इस बात पर कभी विचार किया क्या? ध्यान नहीं दिया। यह 2011 में नि:शुल्क दवा योजना लाए थे। 2011 में यह योजना लाकर के इन्होंने अखबारों में, दीवारों पर पोस्टर लगा-लगाकर प्रचार तो खूब किया। लेकिन इन नि:शुल्क दवाओं के बारे में आप अभी तक विश्वास भी कायम नहीं कर पाए। इनके बारे में मुझे पता नहीं है। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं लेकिन जो डाक्टर हैं, मरीज हैं, वह सब यह कह रहे हैं।

मैं खुद बताता हूं कि मैं शुगर का मरीज हूं। आपकी नि:शुल्क दवा मैंने यहीं अपने विधान सभा के हास्पिटल से ली थी। उसने कोई काम नहीं किया। मैं सच कह रहा हूं। डाक्टर के सामने कहलवा दूं। अगर मेरा कथन

(श्री रामप्रताप कासनियां)

असत्य हो तो मैं इस सदन को छोड़कर चला जाऊंगा। आप मुझे डाक्टर के सामने कर दो। मुझे दवाएं बाहर से लेनी पड़ी हैं। आप क्या बात कर रहे हो? मैं हकीकत बोल रहा हूं। अब आपको कड़वी लग रही है तो मैं क्या करूं?

श्री सभापति: कासनियां जी, एक कंडीशन थी उस दवा के साथ में कि दवा लेने के साथ आपको बीड़ी छोड़नी पड़ेगी।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): हां।

श्री सभापति: इसलिए असर नहीं किया।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): मैंने आपको आज से गुरू धारण कर लिया। नहीं, नहीं, सही कह रहे हैं। मेरी आवाज से पता लग रहा है। बिलकुल आज से आपको गुरू धारण करुंगा।

श्री सभापति: दवा तभी काम करेगी जब आप बीड़ी छोड़ेंगे।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सही है। सभापति महोदय, इस अभिभाषण के पैरा 16 में एक हजार करोड़ का किसान कोष बनाया है। उस किसान कोष के ताला इतना बड़ा लगाया है कि उसको कोई व्यक्ति खोल ही नहीं सकता। इस सरकार के मुख्य मंत्री के अलावा उस ताले को कोई नहीं खोल सकता। वह तो खाली किसानों का नाम है। उसके अंदर से किसानों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं उपलब्ध करवाई।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एटा सिंगरासर से आप सभी परिचित हो। वहां पिछले साल एक भूचाल इतना जबरदस्त आया कि उससे चना, गेहूं, सरसों, जौ सारी फसलें टूट गईं। जब गिरदावरी करवाई तो पटवारियों ने 30 परसेंट से नीचे नुकसान लिख दिया। इस कारण से इस ताले को बंद ही रखना है। खोलना नहीं है। पटवारी जो गिरदावरी करेंगे तो वह सरकार के इशारे पर ही चलेंगे। इस किसान कोष के ताले को खोलने का भी प्रयास करो।

सभापति महोदय, जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्य हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से बाहर जाऊंगा, तब तो यह मेरे वाले कहेंगे कि आपको बोलने का ही पता नहीं है। मैं इस अभिभाषण के बिन्दुओं पर ही रहूंगा। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि या तो इस किसान का आप नाम लेना छोड़ दो और अगर नाम लेते हो तो कुछ न कुछ करके दिखाओ।

माननीय सभापति महोदय, अभिभाषण के पैरा संख्या 19 में कहा है

(श्री रामप्रताप कासनियां)

कि किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए किसान सेवा पोर्टल शुरू किया गया है। यह सेवा पोर्टल, कै जाति होवे है, मनै तो पतो ही कोनी? सेवा पोर्टल का उपयोग करने के लिए किसान अभी तक उतना शिक्षित नहीं है, सेवा पोर्टल की ट्रेनिंग देने का काम करो किसानों को, तब जाकर सेवा पोर्टल का उपयोग होगा।

माननीय सभापति महोदय, लघु एवं सीमांत वृद्धजन सम्मान किसान पेंशन योजना को प्रदेश भर में लागू कर 75 वर्ष से कम और 75 वर्ष से ऊपर 750 रुपए, 75 वर्ष से कम आयु, 75 वर्ष से ऊपर को 1000 रुपए प्रति माह, लघु और सीमांत की तो बात ही छोड़ो। मैं आपको कहना चाहता हूं कि पिछली बार जब चुनाव हुआ था और गहलोत साहब की सरकार गई थी, आनन-फानन में जो बड़े लोग हैं, बड़े-बड़े, उनकी पेंशन बन रही है। आप अपने-अपने क्षेत्र में पता कर लो, लघु, सीमांत और गरीब रो रहे हैं। यह हकीकत है कि आज भी 25-30 परसेंट बड़े लोग हैं। चाहे कोई बीपीएल है, चाहे कोई एपीएल है, चाहे कोई लघु सीमांत है या सीमांत है। अगर आपकी कार्य शैली गरीबों को राहत पहुंचाने की है तो जो पात्र लोग वंचित हैं, उनको सम्मिलित करो, तब जाकर यह ऊपर वाली छत बचेगी, नहीं तो बचेगी नहीं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह आग्रह करना चाहता हूं। पैरा संख्या 22 में वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मण्डी क्षेत्र में लगभग 249 किलोमीटर रोड बनाई है। क्या कमाल किया है एक वर्ष में? 249 किलोमीटर रोड बना दी? बड़ा अजीब काम किया है। माननीय सभापति महोदय, कृषि विपणन बोर्ड का मण्डियों का जो पैसा है यह सरकार नाग की तरह कुण्डली मारे बैठी है उस पर और बोर्ड में मंगवा लिया सारा पैसा। एक-एक मण्डी क्षेत्र के अंदर, सारे माननीय सदस्य बैठे हैं, पच्चीस-पच्चीस, तीस-तीस किलोमीटर रोड हर वर्ष बनती थी। पुलियाओं का निर्माण अलग से होता था। इस सरकार ने मुझे पता नहीं कि वह पैसा कहां गायब कर दिया। न तो मण्डी क्षेत्र में लगा, न वहां के ग्रामीण क्षेत्र में लगा। माननीय सभापति महोदय, सरकार से मैं मांग करना चाहता हूं कि जो मण्डियों का पैसा आपने यहां बोर्ड के अंदर मंगवाकर कहीं अन्यत्र खर्च किया है, वह हिसाब वापस उन मण्डियों को दें, वहां के किसानों और मण्डी क्षेत्र के लोगों का उस पैसे पर अधिकार है जिसमें से आपने पंचायतों के पैसे भी एक रुपया आया तो

(श्री रामप्रताप कासनियां)

पच्चीस पैसा पंचायत को दिया और पिचहत्तर पैसा रिजर्व रख लिया। यही हालत विधायक कोष की है। आधे रुपये दिए हैं और आधे नहीं दिए हैं। बजट दूसरा पेश कर रहे हो, कहां गया यह सारा पैसा?

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, पैरा संख्या 25 में फिर वह ऋण माफी वाली बीमारी आ गई। पैरा संख्या 25 में किए गए वादे के अनुसार सरकार कहती है कि ऋण माफ कर दिया। अपनी पीठ थपथपाने का काम राज्यपाल महोदय से करवा लिया। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग सत्ता में दो ही बात को लेकर आए हो, सम्पूर्ण ऋण माफ करने का नारा दिया। आपने तो दिया ही दिया, घोषणा पत्र में भी दिया, आपके नेता महोदय, राहुलजी ने कहा, दस दिन में किसानों का कर्जा माफ करेंगे। दस दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री को हवा में उड़ा देंगे, बदल देंगे। गहलोत साहब अभी बैठे हैं, अभी तक तो कोई बदला नहीं।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि कथनी और करनी में अंतर क्यों है? अगर आपको कर्जा माफ नहीं करना था, यह राइडर लगाने थे तरह-तरह के तो उस घोषणा पत्र में लगाते। फिर आप आ गए कभी को-आपरेटिव का नाम लेने लग गए, कभी कोई बहाना लेने लग गए, ऋण की जगह काश्तकारों को कुछ नहीं मिल रहा है। जवाब है, चाहे हम कितनी ही माथा फोड़ी कर लें, पूर्व में जिस तरह से विधायक की बात का महत्व था, माननीय सभापति महोदय, वह जमाना ही चला गया। कितना ही बोलो, बहुमत के हिसाब से यहां पर निर्णय होता है।

माननीय सभापति महोदय, टिड्डियों को काबू करने के लिए पैरा संख्या 32 में कहा गया है, बड़ा अच्छा प्रबन्ध किया आपने, और वाहवाही और लूटी। केन्द्र ने आपकी तारीफ की। मैं तो समझ नहीं पाया क्यों तो आपकी केन्द्र ने तारीफ की, क्यों आप इस तरह से खुश हो रहे हो? मैं आपसे समय रहते हुए, मैंने इस सदन में पहले भी कहा है कि इस टिड्डी को कोई छोटी बीमारी मत समझो, भविष्य में भी इस पर ध्यान दो और एक यह जो दवा छिड़काव किया है, इसका भी नमूना जांच करवाओ कि इंसान पर इसका क्या असर पड़ेगा और फसल पर इसका क्या असर पड़ेगा, अन्य प्राणियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, पशुओं और पक्षियों पर क्या असर पड़ेगा। कल, परसों मुझे कोई कह रहा था कि अख़बार में ऐसा कुछ आया है। मैंने यह बात बार-बार

(श्री रामप्रताप कासनियां)

कही है कि इस दवा का दुष्परिणाम भी होगा। यह जांच करवाने का विषय है, आप इसको गम्भीरता से लें। यह कोई हवा में उड़ाने वाली बात नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, पैरा संख्या 66 में किसानों को 1 लाख 27 हजार 910 कृषि कनेक्शन देने की बात तो कह दी, पर यह कनेक्शन तो आपने वाहवाही लूटने के लिए करवा दिए। मैं मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूं, पूरे राजस्थान में हो सकता है कि इससे लाभ हुआ हो। मेरे क्षेत्र में जितने कनेक्शन हुए हैं सबकी मोटरें जल रही हैं। बार-बार लाइट जाती है, कटती है, छह घण्टे में सात बार। लोड होना चाहिए मोटर के लिए कम से 340, वहां रहता है 250, इससे अच्छा तो टू फेज कर दो ताकि लोग कैपेसिटर लगाकर अपना खेत पकाएं। आपको बिल तो मिलेगा, पर आप न तो पूरी 350 वोल्टेज लाइट देते हैं और न दो फेज लाइट देते हो, आप तो बीच में ढाई रखते हो ताकि कोई कैपेसिटर लगाकर भी अपना खेत न पका ले।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, अभी तो कुछ नहीं हुआ है।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, पैरा संख्या 70 में लाइट उत्पादन की बात कही है। हुई है, पहले भी हुई है और आप भी कर रहे हो। सूरतगढ़ में मेरे क्षेत्र में सात इकाई पहले से चल रही है। आठवीं का आप कहते हो मार्च में चलेगी, उस क्षेत्र में कनेक्शन दिए हैं एटा सिंगरासर माइनर के नाम से। वहां की हालत इतनी दयनीय है कि गांव में घरेलू बिजली नहीं मिल रही है। खाणो पीणो करे खसम को, गाव बीरा रा गीत, प्रदूषण हम लोग झेल रहे हैं, पर्यावरण वहां का दूषित हो रहा है और वहां पर जिन लोगों की भूमि आई है, उन लोगों को न तो वहां रोजगार मिलता है, न वहां पर हैल्पर की नौकरी तक दी जाती है लेकिन पूरे राजस्थान के लिए खुला है। माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से चाहूंगा कि जिन लोगों की भूमि आई है, जो उसकी परिधि में है, बीस-बीस किलोमीटर के गांव उनका प्रथम अधिकार होना चाहिए। वहां चाहे रोजगार हो, चाहे मजदूरी करने की बात हो, चाहे नौकरी देने की बात हो, जो व्यक्ति वहां पात्र है, उसे नौकरी दें। यह निवेदन करना चाहता हूं। आप पूरे प्रदेश को बिजली उत्पादन करके दे

(श्री रामप्रताप कासनियां)

रहे हैं और वह क्षेत्र आज बिजली के लिए तरस रहा है, बार-बार आपको किसान कोस रहा है तो आप इस पर ध्यान अवश्य दें।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य, काफी बोल लिये आप।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, मैं एक-दो पैरा और लूंगा। ढेर सारा है पशुओं के लिए। सरकार ने हर पंचायत समिति पर नंदीशाला खोलने की बात कही है। मैं राजस्थान में तो घूम नहीं सकता, मैं तो मेरे क्षेत्र की बात करता हूं। वहां तो आपने कोई नंदीशाला नहीं बनायी। गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में नहीं बनायी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, लिखें आप मेरी बात। समय रहते इन बेसहारा पशुओं का अगर इंतजाम नहीं किया गया, इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं समय की नजाकत को लेकर आपसे निवेदन कर रहा हूं। किसान बहुत ज्यादा दुखी है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अगर आप एक वर्ष में इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, जिसके बारे में आपने कभी कल्पना नहीं की होगी।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए, माननीय सदस्य। कृपया सहयोग करें। श्रीमती कृष्णा पूनियॉ।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): पहले ही म्हांको नम्बर कोनी आवै।

श्री सभापति: मैंने पूरा समय दिया है आपको। आप 22 मिनट बोल लिये।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, अब मैं थोड़ा-सा दो मिनट अपने क्षेत्र की बात करना चाहता हूं।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): पहले +++ बोलना जरूरी था क्या? पहले आपको अपने क्षेत्र की समस्या बोलनी चाहिए थी न। इतनी देर से आप +++ बोले जा रहे हैं।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): क्या +++ बोल रहा हूं? अगर मैंने एक भी बात +++ बोली है तो सदन साक्षी है। जो मर्जी आये, मुझे सज़ा दे दें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। माननीय कासनियां जी, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): मैं न तो लीपापोती करता हूं, न मैं किसी की मालिश करता हूं। अगर आपमें हिम्मत है तो बेसहारा पशुओं वाला काम करें।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में डाक्टरों के पद रिक्त हैं, नर्स के पद रिक्त हैं। इतना बड़ा शहर है। मिलिट्री एरिया, केंद्रीय फार्म, डेयरी फार्म, यह आपका थर्मल, कितनी योजनाएं हैं वहां, फिर भी इतने बड़े हास्पिटल में अगर मेरी माताएं-बहनें प्रसव के लिये आती हैं तो 90 परसेंट रैफर करके गंगानगर भेज दी जाती हैं।

श्री सभापति: चलिये, आप मंत्री जी से मिल लीजिएगा।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): यह हालत है। यही पशु अस्पतालों की हालत है। डाक्टरों के नौ पद हैं। एक डाक्टर है। कोई कम्पाउण्डर नहीं है। कुछ भी नहीं है। आप दवा मुफ्त में देंगे किसे? न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। कौन देगा दवा? डाक्टर नहीं है, कम्पाउण्डर नहीं है, नर्स नहीं है।

श्री सभापति: विराजिए। प्लीज सहयोग करें। श्रीमती कृष्णा पूनियॉ।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): धन्यवाद, सभापति महोदय। आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मुझे अपार हर्ष है कि सरकार के पास सीमित साधनों के होते हुए भी एवं गत सरकार द्वारा छोड़े गये वित्तीय भार के बावजूद गत एक वर्ष में उल्लेखनीय कार्य किये गये हैं।

सभापति महोदय, मुझे इस सदन में पहली बार आने का मौका मिला काफी बड़े-बड़े सपने लेकर हम इस सदन में पहुंचे और बहुत सारी उम्मीदें भी थीं। मैं हमारे ऊर्जावान मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद देना चाहती हूं। जिन वादों को हमने जनता के बीच किया था, उन्हें उन्होंने एक वर्ष में पूरा करने का काम किया। खासकर मैं अगर मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं, जहां पर इतने वर्षों से कोई कन्या महाविद्यालय नहीं था, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने एक साल के अंदर-अंदर उस वादे को पूरा किया। आज वह कालेज वहां सुचारु रूप से चालू है।

(श्रीमती कृष्णा पूनियॉ)

अन्तरराष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम की घोषणा की गयी। एकमात्र स्टेडियम राजस्थान में कहीं घोषित हुआ तो वह राजगढ़, चूरू में हुआ। मुझे बड़ा हर्ष है कि उसके लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी। साथ में दो एनएच लगते हैं। आये दिन वहां एक्सीडेंट की मात्रा ज्यादा है। वहां पर काफी गम्भीर एक्सीडेंट रहते हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए ट्रोमा सैंटर वहां पर दिया गया, जिसकी भी वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गयी। सिद्धमुख तहसील, जिसे चालीस वर्षों से उप-तहसील का दर्जा प्राप्त था, उसे तहसील बनाने का भी मुख्य रूप से कार्य किया। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को भी धन्यवाद देती हूं।

माननीय, मैं यहां सदन में तीन-चार दिन से सुन रही थी। मैं कहना चाहती हूं कि जब चिकित्सा की बात आयी तो कोटा का जिक्र विपक्ष के माननीय सदस्यों ने किया। मैं एक महिला हूं और एक मां हूं तथा उस दर्द को समझ सकती हूं। यह एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा था, जिसके ऊपर हमें राजनीति न करके आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए था और इसी मुद्दे पर मैं कहना चाहूंगी, जब ये बार-बार इस मुद्दे पर अपनी बात उठाते हैं तो इन्हें शर्म भी नहीं आती। इन्हीं के कार्यकाल में इसी हास्पिटल का और उस समय के चिकित्सा मंत्री का यह कहना था कि मुझे चिकित्सा मंत्री होते हुए खुद पर शर्म आ रही है। डाक्टर कहने के बाद भी नहीं मानते हैं। अगर उन्होंने उस समय संज्ञान लिया होता और उस स्थिति को सुधारा होता तो शायद यह स्थिति नहीं बनती। मैं समझ सकती हूं, जब बच्चा पैदल चलना सीखता है और वह गिर जाता है तो मां को कितनी तकलीफ होती है। जब उसके बच्चे की मृत्यु होती है तो वह उसके लिए बहुत दु:खदायी होता है। मैं यहां पर कहना चाहूंगी कि यह इनके पीछे के किये हुए कुकर्म हैं जिन्हें अगर ये सही समय पर सुधारते तो शायद इस संवेदना से हमें न गुजरना पड़ता, इस तकलीफ से हमें न गुजरना पड़ता।

आज हम महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मना रहे हैं। पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 75वीं जयंती मना रहे हैं, लेकिन आज देश जिस मोड़ पर खड़ा है, एक युवा होने के नाते मैं उस बात को जरूर रखना चाहूंगी। चाहे 2014 का इलेक्शन हो या 2019 का, युवाओं को सुनहरे सपने दिखाये गये। दो करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात की गयी और 2019 में राष्ट्रवाद की बात लेकर आ गये। कहीं भी यह नहीं दोहराया गया कि उन्होंने प्रतिवर्ष कितने युवाओं को रोजगार दिया।

(श्रीमती कृष्णा पूनियॉ)

बड़े खेद और दु:ख के साथ मैं बताना चाहूंगी कि पिछले दिनों एक घटना घटी, जिसे यहां जितने भी सदस्य बैठे हैं, सबने देखा होगा। न्यूज़पेपर में एक खबर छपती है। एक युवा पुलिस के सामने एक विशेष वर्ग पर पिस्तौल उठाये खड़ा है, फायरिंग कर रहा है और पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है। इसी प्रकार की घटनाएं अमेरिका में भी घटीं। जहां अमेरिका इसके लिए कड़े कानून लेकर आ रहा है ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके, वहीं दूसरी तरफ केंद्र में बैठी वह पार्टी और उस पार्टी के नेता युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं ताकि वे हाथ में पिस्तौल लेकर खड़े हो जाएं, न कि उन्हें रोजगार देने की बात कर रहे हैं। यह सोचने का एक गम्भीर विषय है।

जो पार्टी सत्ता में आने पर अर्थव्यवस्था की बड़ी-बड़ी बातें करती थी, बेरोजगारी की बातें करती थी और डालर के ऊपर रुपये की बात करती थी, वह आज क्यों नहीं बोलती कि 72 रुपये का 1 डालर हो गया है। माननीय प्रधान मंत्री जी की उम्र से भी ज्यादा। वे आज नहीं बोलते हैं उस विषय के ऊपर। हर बार एक सवाल पूछा जाता है कि 70 वर्ष में कांग्रेस ने क्या किया। मैं बताना चाहती हूं, आईआईटी जैसे संस्थान दिये। एम्स जैसे हास्पिटल दिये। आईआईएम जैसे संस्थान दिये। न्यूक्लियर शक्ति हम बने। रेलवे जैसा मंत्रालय जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक संचालित है, एयर इण्डिया, एलआईसी, ये सब कांग्रेस ने ही दिये हैं।

मैं कहना चाहती हूं, अर्थव्यवस्था आज जिस तरह से गिरी है, आज इस देश की वित्त मंत्री एलआईसी, एयर इण्डिया, रेलवे जैसे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स को, इन उद्यमों को बेचकर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना चाहती हैं। यह है आपकी आर्थिक नीति? मुझे गर्व है कि कांग्रेस ने हमें वह सब चीजें दीं। आप जो बातें कर रहे हैं न कि हमने क्या दिया और वही संस्थान आज आपकी लाज बचाये हुए हैं। आपने कितने संस्थान इन 6-7 वर्षों में खड़े किये? कितने युवाओं को रोजगार आपने दिये, यह आपको बताना चाहिए। साथ-साथ सीमित संसाधनों की वजह या वित्तीय भार पिछली सरकार के दौरान आप जो सरकार पर छोड़कर गये थे उसके बावजूद हमारे ऊर्जावान माननीय मुख्य मंत्री जी का सपना है कि इस राजस्थान को निरोगी राजस्थान बनाया जाए। जो नि:शुल्क दवा योजना थी जिसके अन्तर्गत 607 दवाइयां दी जाती थीं जिनको इन्होंने रेवड़ियां बताया था, अगर ये रेवड़ियां थीं तो आपने अपने कार्यकाल में इन्हें

(श्रीमती कृष्णा पूनियॉ)

बन्द क्यों नहीं किया? अगर बन्द कर देते तो मुझे पता था कि आपकी हर्ट-बीट बढ़ सकती थी, हृदय रोग हो सकता था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने इस कार्यकाल में हृदय रोग, कैंसर और खासकर गुर्दा रोग जैसी बड़ी बीमारियों को सम्मिलित करते हुए 709 दवाइयां आज फ्री में सरकार द्वारा दी जाती हैं। इसकी अहमियत उस गरीब, मजदूर किसान से पूछिए कि ये रेवड़ियां हैं या उनके लिए एक संजीवनी है।

नि:शुल्क जांच योजना, हम जैसे लोग अपनी जांच करवा सकते हैं लेकिन एक मजदूर से पूछिए जब वह कैंसर पीड़ित हो जाता है तो उसके लिए जांचें कितनी महंगी पड़ती हैं। इसकी अहमियत, इसकी जरूरत वह गरीब व्यक्ति आपको बतायेगा। आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी स्वास्थ्य योजना भी अभी सम्माननीय मुख्य मंत्री जी ने शामिल की है। जनता क्लिनिक भी अभी शामिल किये हैं और मैं कह सकती हूं कि सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय का जो सपना है राजस्थान को निरोगी राजस्थान बनाना और अगर हम सब सहयोग करते हैं और पूरी कैबिनेट, मंत्रीगण यहां बैठे हैं, करते हैं, तो नि:सन्देह हम निरोगी राजस्थान होंगे और इसमें कोई कोताही नहीं है कि दूसरे प्रदेश भी इस योजना को लागू करने के लिए जिस तरह से नि:शुल्क दवा योजना के लिए भ्रमण किया था, यहां पर फिर करेंगे।

मैं किसान परिवार से आती हूं और समझ सकती हूं कि कृषक कल्याण कोष बनाया गया, किसानों की ऋण माफी की गई। क्योंकि इनका मानना है कि बार-बार एक झूठ को बोला जाए तो वह सत्य हो सकता है और जितने भी सदस्यों को सुन रही थी तो इसके ऊपर बोल रहे थे कि कृषि लोन की, ऋण की माफी आपने कब की। ये आंकड़े बताते हैं कि हमने कृषि ऋण माफ किया।

बुढ़ापा पेंशन की अगर बात करते हैं तो पेंशन में वृद्धि तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने की ही है लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि आपके कार्यकाल के दौरान उन लोगों के बारे में भी बताओ जिनको जीवित होते हुए भी पेपर में आपने मृत घोषित कर दिया था। वे लोग कहते थे कि हमें पेंशन की जरूरत नहीं है, हमें कम से कम जिन्दा तो साबित कर दो। आज हम जीवित होते हुए पेपर लेकर घूम रहे हैं लेकिन हमें कोई जीवित नहीं मान रहा है और यह सिर्फ और सिर्फ आपकी देन थी।

सभापति महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती पर

(श्रीमती कृष्णा पूनियॉ)

सभी जिला मुख्यालयों पर अंग्रेजी माध्यम से संचालित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों की स्थापना पर भी मैं बोलना चाहूंगी। मैंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक कन्या महाविद्यालय का जिक्र किया जिसमें आज 120 बच्चियां एडमिशन लेकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। जिस वक्त सदन चल रहा था, पीछे से वे गरीब व्यक्ति, मजदूर व्यक्ति वहां पर पहुंचे जिन्होंने माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद दिया और कहा कि हम महंगी फीस नहीं दे सकते थे जिसके कारण हमें अपनी बच्ची की शादी जल्दी करनी पड़ती थी और आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने वह कालेज नहीं खोला होता तो शायद हमारी बच्चियां शिक्षित नहीं हो पातीं। ठीक उसी तरीके से मैं कहना चाहती हूं कि जो अंग्रेजी विषय के स्कूल खोलने की बात की है, वह समाज में भाषा की बढ़ती हुई खाई को पाटने का काम करेगा और उस व्यक्ति के, जो अंग्रेजी माध्यम की स्कूल में पढ़ाने के सपने नहीं ले सकता था, उसके सपने को साकार करेगा। इसके लिए, शिक्षा मंत्री जी भी बैठे हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं।

साथ-साथ राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त आवासहीन कलाकारों, साहित्यकारों, लेखकों एवं खिलाड़ियों को जो रियायती दर पर भूखण्ड दिये जाने का प्रावधान इस सरकार के द्वारा किया गया है, उसके लिए भी मैं एक खिलाड़ी होने के नाते आभार व्यक्त करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, खेल जगत से आती हूं और अगर खेल की बात नहीं उठाऊंगी तो मेरे खयाल से यह खेल के प्रति ठीक नहीं रहेगा। पिछले दिनों आपने देखा कि 2 जनवरी से 6 जनवरी तक राज्य खेल का आयोजन किया गया जिसमें इस प्रदेश के लगभग 8 हजार बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। 8 हजार खिलाड़ियों ने जब एक साथ खेलों में भाग लिया और इन्हीं खेलों का नतीजा था कि 'खेलो इण्डिया' के अन्दर राजस्थान की टीम आज तक के सबसे ज्यादा 51 मैडल जीतने में कामयाब रही है।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, साथ ही साथ इन खेलों में पुरस्कार राशि भी रखी गई, जो मैं बताना चाहूंगी कि पहला पदक जीतने पर टीम को 51 हजार रुपये और व्यक्तिगत पहला पदक जीतने पर 21 हजार रुपये, टीम को दूसरा पदक जीतने पर 41 हजार रुपये और व्यक्तिगत जीतने पर 11 हजार रुपये, ठीक उसी तरीके से टीम के कांस्य पदक जीतने पर 31 हजार और व्यक्तिगत तौर पर मैडल जीतने पर 5100 रुपये दिये गये।

(श्रीमती कृष्णा पूनियॉ)

सम्माननीय हमारे मुख्य मंत्री जी को मैं एक और धन्यवाद देना चाहती हूं। आज हम खेलों में अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते थे क्योंकि हम समझते थे कि भविष्य सुरक्षित नहीं है, सुनिश्चित नहीं है तो उनके भविष्य को भी सुनिश्चित करने का काम सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने किया है। खिलाड़ियों के लिए उन्होंने राज्य सेवा में आरक्षण का विशेष प्रावधान किया है ताकि वे सरकारी नौकरी में आरक्षण के जरिये सेवा कर सकें। यह बहुत बड़ी सौगात खिलाड़ियों को दी गई है क्योंकि खेल एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें खिलाड़ी को कभी भी इंजरी आ सकती है और वह पैरालाइज तक हो सकता है तथा पूरे जीवन भर अपाहिज की तरह जिंदगी जी सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में यह जो योजना सम्माननीय मुख्य मंत्री जी ने आरक्षण की लागू की है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं।

साथ-साथ मैं कहना चाहूंगी कि इस वर्ष 2020 में ओलम्पिक गेम्स होने जा रहे हैं। निर्मला सीतारमण जी का भाषण सुन रही थी जब वह बजट पेश कर रही थीं। हमारे देश के खिलाड़ी इसमें प्रतिनिधित्व करेंगे और 2010 में कॉमनवैल्थ गेम्स हुए थे, उन्होंने एक नींव रखी थी जिससे हमारे देश का खेल ऊपर उठा था। 2012 के ओलम्पिक में हमने सबसे ज्यादा पदक, 6 पदक जीते थे। सत्ता पलटी, उसके साथ-साथ जो नियम, जो प्रावधान, जो सुविधाएं हमें दी जा रही थीं वे भी कम हुईं और 2016 के अन्दर मात्र दो मैडल, वे भी उन बच्चियों ने जीते और इस देश की लाज रखी। आज इस बजट के अन्दर भी मुझे बड़ा खेद है कि खिलाड़ियों के लिए जो बजट दिया जाना चाहिए था, क्योंकि इस वर्ष ओलम्पिक गेम्स भी होने जा रहे हैं, उसमें भी बेरूखी दिखाई गई।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्या।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): सम्माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि बार-बार झूठ को बोलने से वह सच नहीं होता है। मन की बात करने से पेट नहीं भरता है। आज रोजगार के ऊपर उन्हें बात करनी चाहिए। जो युवा बन्दूक उठाकर खड़ा हो गया था उसके ऊपर उन्हें बात करनी चाहिए। मन की बात करने वाले आज मौन धारण किए बैठे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त करती हूं कि आपने मुझे मौका दिया। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री आलोक बेनीवाल।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब के नेतृत्व में सरकार ने आज से लगभग 13 महीने अपना जिम्मा संभाला। उनके नेतृत्व में संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेही सरकार का यह जो अभिभाषण है....

(15.00 बजे)

जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उसका वित्तीय कुप्रबंधन होने के बावजूद भी, जो शानदार बजट प्रावधान इन्होंने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। देश और प्रदेश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती व संविधान निर्माण की 70वीं जयंती मना रहा है। संविधान की महत्ता, संवैधानिक तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था एवं भारत रत्न डा. भीमराव अम्बेडकर के योगदान को स्मरण करने के लिए, विधान सभा का दो दिवसीय सत्र बुलाकर चर्चा की गई थी। डा. भीमराव अम्बेडकर हमारे राष्ट्र के नायक हैं और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा हैं। उन्होंने अपने जीवन को बचपन में अस्पृश्यता का शिकार होने से लेकर, अपने समय के सर्वोच्च शिक्षित भारतीय नागरिक और भारतीय संविधान के वास्तुकार बनने तक बदल दिया। उन्होंने अपना जीवन पिछड़े वर्गों के न्याय, समानता, अधिकार के लिए लड़ने में बिताया। वर्तमान सरकार हमेशा से संवेदनशील, विकासोन्मुखी एवं लोक कल्याणकारी रही है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, जब पहली बार मुख्य मंत्री बने, उनका लगातार यही विजन रहा गरीब को गणेश मानकर के काम करने का। मुझे अच्छी तरह ध्यान है उस समय ग्राम पंचायतें हुआ करती थीं, उनमें इंदिरा आवास आया करता था। साल भर में एक या दो व्यक्तियों को उसका लाभ मिला करता था। वही अशोक गहलोत साहब हैं, जिन्होंने इस इंदिरा आवास को मुख्य मंत्री आवास में बदलकर नाबार्ड से लोन लेकर साल भर में जितना भी बैकलाग उन पंचायतों में, इंदिरा आवास में होता था, उसको खतम किया तथा आम गरीब आदमी को लाभ पहुंचाने का काम किया और वह प्रक्रिया लगातार आज तीसरी बार मुख्य मंत्री बनने के समय भी जारी है। मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं।

(श्री आलोक बेनीवाल)

आपको पता होना चाहिए जब मुख्य मंत्री जी ने नि:शुल्क दवा योजना शुरू की, विपक्ष के लोग-बागों ने इस पर भी सवाल खड़े किये और पूरे पांच साल नि:शुल्क दवा योजना हो, चाहे नि:शुल्क जांच योजना हो, साथ ही पशुओं को भी नि:शुल्क दवा योजना, उन्होंने उस समय लागू की थी। ये सारी योजनाएं आम गरीब आदमी को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने शुरू कीं और उसका बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश में गया। हिन्दुस्तान के अंदर इस योजना का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला और लोगों ने इसे जानने की कोशिश की कि इस तरह की यह योजना आज इस राज्य ने लागू की है। ये वही अशोक गहलोत साहब हैं, जिनके विजन के कारण आज इतनी बड़ी योजना का लाभ हमारे गरीब तबके और सभी लोगों को मिल रहा है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं।

माननीय, नि:शुल्क दवा योजना में पहले लगभग 607 दवाइयां मिला करती थीं। मुख्य मंत्री जी अब जब तीसरी बार मुख्य मंत्री बने तो उन्होंने 709 कर दी, जांचों का दायरा भी बढ़ा दिया। ये जो सारी चीजें हैं, ये सरकार के विजन को दर्शाती हैं कि आने वाले समय में वे किस दृष्टि से आगे बढ़कर प्रदेश का चहुंमुखी विकास करने में सक्षम हैं।

मैं आपको बताना चाहता हूं कृषि क्षेत्र में भी इन्होंने कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। चाहे किसानों का ऋण माफी मामला हो, चाहे एग्रीकल्चर शेड में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए लगभग 10 हैक्टेयर जमीन का, बगैर भू-उपयोग परिवर्तन के इंडस्ट्री लगाने का मामला हो, किसानों को सहकारी संस्थाओं के द्वारा ऋण देने का मामला हो, ऐसी बहुत सारी योजनाएं, समय पर आपको बीज उपलब्ध कराने का मामला हो, चाहे खाद उपलब्ध कराने का मामला हो, इसमें भी सरकार ने बहुत ही उत्तम काम किया है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्रियों का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस पर आरोप लगाती थी। अभी पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि आपने पशुपालकों को दो रुपये की जो सब्सिडी मिलती थी, उसको बंद कर दिया। आपने इस तरह के कई काम पूर्व में अशोक गहलोत साहब जारी करके गये थे, उसको बंद करने का ही काम किया, उसको जारी रखने का काम नहीं किया। शिक्षा के क्षेत्र में आपने स्कूल बंद करने का काम किया। हमारे यशस्वी शिक्षा मंत्री जी ने अभी उन स्कूलों को, जो ये बंद करके गये, हजारों की तादाद में, उसको

(श्री आलोक बेनीवाल)

पुन: शुरू करने का काम किया है। नये स्कूल खोलने का काम किया है। नये स्कूल क्रमोन्नत करने का काम किया है। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में और खास तौर से रोजगार के क्षेत्र में जब से आदरणीय अशोक गहलोत साहब तीसरी बार मुख्य मंत्री बने तो युवाओं के संबंध में भी उनका दृष्टिकोण बहुत साफ है। मैं थोड़े दिनों पहले देख रहा था उन्होंने संबंधित विभाग और मुख्य सचिव महोदय को निर्देशित किया कि जो विज्ञप्ति सरकार की निकलती है, चाहे किसी भी विभाग की हो, वह समय पर निकले और उसमें कहीं भी त्रुटि नहीं हो, जिससे कि वह जाकर कहीं न्यायिक प्रक्रिया में अटक जाए और उससे जो हमारे युवा साथी हैं, जिनको लम्बा इंतजार नौकरी के लिए करना पड़ता है, वह नहीं करना पड़े, इसको भी सुनिश्चित करने का काम करें।

पूर्ववर्ती सरकार के समय आप भलीभांति जानते हैं, नौकरियों की विज्ञप्ति निकाली गई, परीक्षाएं हो गईं, परीक्षा होने के बाद में वह न्यायिक प्रक्रिया में अटक गई और उसका नतीजा है कि सालों तक वह युवा और छात्र सड़कों पर आंदोलन करते रहे।

मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी को और सभी मंत्रीगण को कि उन्होंने इस संबंध में बहुत गहनता से विचार किया। मैं चाहूंगा कि इसका परिणाम सामने आए और आने वाले समय में जो नौकरियां हैं, वे समयबद्ध तरीके से उन युवाओं को मिल सकें, इसके लिए प्रावधान करें।

आप जानते होंगे पूर्ववर्ती सरकार के समय ग्रामीण परिवेश में गांव एक इकाई होती है। पूरे पांच साल न तो वहां सचिव पूरे थे, न वहां पटवारी पूरे थे। चार-चार ग्राम पंचायत में, एक-एक सेक्रेटरी अपना काम करता था। चार-चार पंचायतों में एक पटवारी काम करता था। आज मैं कह सकता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में इक्का-दुक्का जगह छोड़कर सारी जगह सेक्रेटरीज और पटवारियों की पोस्टिंग आज हो चुकी है।

मेरे यहां दो उप-तहसील खुली थीं। पूरे पांच साल नायब तहसीलदार उसके अंदर नहीं बैठ पाया। मैं धन्यवाद देता हूं सरकार को, सरकार बनने के थोड़े दिनों बाद ही उन सभी तीनों उप तहसील के अंदर आज की तारीख में नायब तहसीलदार बैठकर अपना काम कर रहे हैं, जिससे किसानों को लाभ मिल रहा है, आम जनता को लाभ मिल रहा है। चाहे आप मेडिकल सैक्टर में चले जाएं या शिक्षा के क्षेत्र में चले जाएं, चाहे परिवहन के क्षेत्र में चले जाएं,

(श्री आलोक बेनीवाल)

मैं आपको कहना चाहता हूं और हमारे माननीय साथी बैठे हैं इधर, उनसे एक निवेदन और करना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र एक बहुत बड़ी परेशानी से पिछले 15 साल से परेशान है। वह है फ्लाई ओवर का मामला।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, इधर।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): मैं आपको कहना चाहता, ये बोल रहे हैं न, 10 साल हो गये, 5 साल तक आपकी सरकार थी। दिल्ली में भी थी और यहां भी थी पर उस फ्लाईओवर का निर्माण आज तक नहीं हुआ है। माननीय सभापति महोदय, मैं इनको कहना चाहता हूं, उस फ्लाईओवर के कारण कितनी ही घटनाएं नौजवानों और आम आदमी के साथ हुई हैं और उनका निधन हुआ है। उसके बावजूद भी कोई चेत नहीं रहा है। मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं, वैसे तो यह केंद्र सरकार का मामला है लेकिन मैं 15 साल से लिखा-पढ़ी भी कर रहा हूं। इस सदन के माध्यम से भी मैंने इस मुद्दे को रखा है और आपसे भी कहना चाहता हूं इस मुद्दे को...(व्यवधान) जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं मैं उनको कहना चाहता हूं कि जनहित का जो काम है उसको देखें। यह जनहित का काम है। यह कोई मेरा काम नहीं है, जनहित का काम है और मैं आपको कहना चाहता हूं इस बारे में भी कि मैं जब पिछली बार चुनाव लड़ा, तब हारा था। आज तो मैं जीत कर आया हूं, लेकिन तब भी मैं जनता के बीच में रहा हूं और जब आदरणीय अशोक गहलोत साहब की सरकार थी। आपने जितने 5 साल में काम नहीं किए उससे चार गुना काम अशोक गहलोत जी की सरकार ने किये मेरे यहां पर। भंवर लाल जी मेघवाल साहब बैठे हैं उस समय मंत्री थे। परसादी लाल जी साहब बैठे हैं यहां पर, ये अच्छी तरह जानते हैं। मैं उस बारे में ...(व्यवधान) पहले मैं जो बात कह रहा हूं, वह सुन लीजिए आप।

श्री सभापति: चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य, यह परंपरा ठीक नहीं है।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री सड़क योजना ....(व्यवधान)

श्री सभापति: इधर मेरी तरफ देखकर बात कीजिए आप।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): मेरे विधान सभा क्षेत्र में माननीय मुख्य

(श्री आलोक बेनीवाल)

मंत्री जी ने इस एक साल में ट्रांसपोर्ट नगर और मेरे यहां इस एक साल में ही पीएचसी, और पूरे 5 साल में मात्र एक सीएचसी। पूरे 5 साल में मात्र एक सीएचसी खोली हमारे यहां। माननीय सभापति महोदय, पिछले कांग्रेस के राज में 3 पीएचसी माननीय मुख्य मंत्री जी ने और मंत्री जी ने मेरे यहां खोली थीं जिसमें से 2 का तो निर्माण हो चुका है मेरे यहां और तीसरी का पैसा आ गया लेकिन ये 5 साल तक उस पंचायत में जमीन उपलब्ध नहीं करा पाए जिसके कारण आज वह पीएचसी खतम होकर उसका पैसा वापस चला गया। यह जनता की सेवा करने वाले लोगों की पहचान करा रहा हूं मैं आपको। यह तो हमारे पिछले राज के अंदर खोली थी 3 पीएचसी, उसकी बात कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य, मुझे आपका नाम लेना पड़ेगा। ठीक नहीं है यह परंपरा। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): वह हमारे टाइम में खुला था। आपके टाइम में उप तहसील खुली है और आपके टाइम में सीएचसी खुली है एक, लेकिन मैं तो कह रहा हूं एक साल में दो काम हो गए, अभी तो 4 साल पड़े हैं, पता नहीं कितने और होंगे। आप एक चीज और मानें, मैं बताना चाहता हूं पिछले टाइम में मेरे यहां वेटरिनरी के इतने हास्पिटल खोले, वेटरिनरी के सब सेंटर खोले, मेडिकल के सब सेंटर खोले, उतने तो आपने पूरे 5 साल में भी नहीं खोले थे, जितने ढाई साल में खोल दिए थे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी की एक संवेदनशील सरकार है। सरकार के अंदर बैठे हुए हमारे सभी मंत्रीगण जिस निष्ठा से, जिस ईमानदारी से और जनता की जो भावना है उसको ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं, इस बजट में उन सब चीजों का समावेश है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो अभिभाषण माननीय राज्यपाल महोदय ने पेश किया है इसका मैं समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी इससे कुछ सीखें, आने वाले समय में आपके काम आएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री चन्द्रभान सिंह आक्या। चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य, आप काफी वरिष्ठ हो गए, थोड़ी-बहुत तो परंपराएं निभाओ। आप क्यों इस तरह से सदन का माहौल बनाते हैं। नए आदमी आए हैं, आप उनको बोलने दें। (व्यवधान) नहीं, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। बैठिए आप। क्या

(श्री सभापति)

तरीका लगा रखा है। सब देख रहे हैं आपको। पूरा राजस्थान देख रहा है आपको। श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, सत्ता परिवर्तन के पश्चात् प्रदेश की क्या दुर्दशा हुई वह राज्यपाल के अभिभाषण में पढ़ने पर भी लगा कि हमने यह कर दिया, वह कर दिया, इस प्रकार कर दिया। मार्च के महीने में, हर मार्च-अप्रैल में एमएलए फंड का पैसा आता है, अबकी बार साल भी पूरा हो गया और बजट भी दूसरा आ गया, पर अभी एमएलए फंड के एक करोड़ और 12 लाख रुपये दिए हैं। वह पैसा भी यह सरकार नहीं दे पाई। इस सरकार की दशा क्या है माननीय सभापति महोदय, उसको आप देखें और हमारा एमएलए फंड भी दिलवाएं क्योंकि एमएलए को जो हर साल सवा दो करोड़ रुपये मिलते हैं वह पैसा भी नहीं मिल पाया है। लोगों को आशा थी, जनता को आशा थी कि एमएलए फंड मिलेगा। हम हैंडपंप लगाएंगे, और कुछ लगाएंगे, पर वास्तव में नाली वगैरह कुछ भी काम नहीं करवा पाए। इस सरकार की दशा बहुत खराब है और अभी तक सभी प्रतिनिधि बोल रहे थे सत्ता पक्ष के कि हमने यह कर लिया, वह कर लिया, सभापति महोदय, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इस एक साल के कार्यकाल में मेरे वहां एक हैंडपंप भी नहीं लगा पाई, इससे ज्यादा दशा क्या खराब हो सकती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं बिजली की बात करूं। बिजली की स्थिति जो खराब हुई है मेरे वहां की बात करूं, जो बिल बढ़े हैं उससे आज पूरे राजस्थान में एसडीएम हैडक्वार्टर्स पर धरना और ज्ञापन दिए जा रहे हैं। घरेलू बिजली के 11 परसेंट बिल बढ़ गए क्योंकि किसान के भले ही खेती का बढ़ाओ या घर का बढ़ाओ, एक ही बात है। किसानों पर जो भार बढ़ाया है, मैं सोच सकता हूं यह 50,000 तक एक साल का पैसे का भार बढ़ा है। इससे किसान काफी दु:खी हैं। किसानों की वीसीआर भरी जा रही है, 4-5 लाख की घर की वीसीआर भरी जा रही है और उनके लोड भी बढ़ाए जा रहे हैं, जो 5 के कनेक्शन थे उनको साढ़े सात के और जो साढ़े सात के कनेक्शन थे उनको 10 के कनेक्शन किए जा रहे हैं। बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे अधिकारी घर में बैठकर इस तरह के कनेक्शन बढ़ा रहे हैं।

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

माननीय सभापति महोदय, पंचायतों में गांव में पीने के पानी के जो कनेक्शन हैं, पिछले 5 साल में कभी एक भी कनेक्शन गांव का नहीं कटा है। अभी हर जगह गांव में बिजली के बिल बकाया होने के कारण ग्राम पंचायत उनको चुका नहीं पाई और वह पैसा आज बकाया होने की वजह से लोगों के पीने के पानी की समस्या है, उसके लिए लोग रोड पर धरने दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। इस तरह की दशा हो रही है इसलिए माननीय बिजली मंत्री जी और सरकार को मैं कहना चाहता हूं जो गांव के बिजली के कनेक्शन हैं उनमें रियायत करें, कैसे भी करके उन कनेक्शनों को वापस जुड़वाएं। सरकार अपने लेवल पर उन बिलों को चुकाने की कोशिश करे। उनकी दशा बहुत खराब है। इस बारे में भी आप सोचें।

माननीय सभापति महोदय, मैं पीडब्ल्यूडी की बात करूं। पीडब्ल्यूडी की हालत इस साल में कितनी खराब हुई है, आपस के झगड़े की वजह से या उप मुख्य मंत्री और मुख्य मंत्री जी के चक्कर में यह पीडब्ल्यूडी बिलकुल पीसा गया है। इसकी स्थिति खराब हो गई है। पहले मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी ने सब जगह गौरव पथ भी दिए और काफी निर्माण हुआ है। इन्होंने विकास पथ दिया है, उनका भी साल डेढ़ साल में काम चालू नहीं हुआ है। जो रोड हमारी पास हो रखी थी, मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं शंभूपुरा, नाहरगढ़, सावा, उसका फोर लेन का करीब 15 से 20 करोड़ का काम था, वह काम भी बंद पड़ा है। उन पर गिट्टी डाल दी गई है, गिट्टी की डस्ट उड़ रही है जिससे फसलों का खराबा हो रहा है और ठेकेदार धरने पर बैठे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के रोडों के जितने भी काम हैं, उनकी एक-एक, दो-दो किश्तें आईं और आज वह सभी काम बंद हैं। आज की तारीख में हमारे रोडों की स्थिति बहुत खराब है। नया रोड तो एक भी नहीं बना है। आप पुराने पैसे दिलवा दें, उससे भी वह काम हो सकते हैं। डीएमएफटी फंड का जो पैसा बाकी था और जो रोड के काम चल रहे थे, उन कामों को कैंसिल करवा दिया। मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में उन कामों को आप चालू करवाएंगे।

शिक्षा विभाग के मंत्री जी बैठे हैं। शिक्षा विभाग में हमारी सरकार में मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी ने जितने भी पंचायत हैड क्वार्टर थे, वहां स्कूलों को सीनियर भी किया, बिल्डिंग भी बनी हैं, टीचर भी लगाये हैं परन्तु इस सरकार ने ट्रांसफर के अलावा कुछ काम नहीं किया है। मैं सोच सकता हूं नई भर्ती के

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

द्वारा सरकारी स्कूल में जो टीचर्स के पद खाली हैं, उन टीचर्स के पदों को भी आप भरें, कालेज के टीचर भी भरें क्योंकि नये कालेज कागजों में तो खोल दिये गये परन्तु वहां टीचर नहीं हैं, प्रिंसिपल नहीं हैं। मेरे दोनों कालेजों में आज की तारीख में प्रिंसिपल नहीं हैं, स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं हैं, उनको भी आप लगाने की कोशिश करेंगे, मैं ऐसा सोच सकता हूं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार ने जो टोल टैक्स माफ किये थे, आज वह टोल टैक्स वापस चालू कर दिये गये हैं। लोगों के 2-5 किलोमीटर तक आने की जो जगह थी, कुए की जगह थी या दूसरी कोई जगह थी, उनको टोल टैक्स में माफी थी, उनको इस सरकार ने वापस चालू कर दिया। मैं चाहता हूं कि यह सरकार वापस टोल टैक्स माफी के बारे में भी सोचे।

सिंचाई विभाग में जो नहरों की मेंटीनेंस के काम थे, वह काम आज की तारीख में बंद पड़े हैं। मेरे यहां एक साकेड़ा बांध का काम था, पैसा भी आया हुआ है परन्तु उनको मुआवजा नहीं दिया। साकेड़ा बांध का 8-10 करोड़ का काम है, वह भी बंद पड़ा है। मैं चाहता हूं कि उस काम को भी चालू कराएं। माननीय किरण माहेश्वरी जी जब मंत्री थीं तब उन्होंने नहर के लिए काफी पैसा दिया था, वह काम आज बंद पड़ा है। मैं सोचता हूं कि सरकार उसको वापस चालू कराने की बात करेगी।

माननीय सभापति महोदय, सरकार ने किसानों की कर्ज माफी की बात की, उन्होंने कहा कि हम सम्पूर्ण कर्ज माफ करेंगे। लोग भावुक हो गये और कांग्रेस को वोट भी दे दिये, पर आज गांवों में लोग इस सरकार को गालियां निकाल रहे हैं। सम्पूर्ण कर्जा माफ करने की जो बात कही गई, वह कर्जा माफ नहीं किया है। न ही तो कामर्शियल बैंकों का माफ किया, न ही भूमि विकास बैंकों का लोन माफ हुआ है। इन्होंने जो कोआपरेटिव संस्थाओं के लोन माफ करने की बात कही थी, वह भी आज पूरे लोन माफ नहीं हो पाये। मैं सोच सकता हूं कि यह भी सरकार की बड़ी दुर्दशा है, इसको भी आप पूरा करने की कोशिश करें।

माननीय सभापति महोदय, इस सरकार ने कहा था कि हम प्रत्येक बेरोजगार बच्चे को 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ते के रूप में देंगे। अभी तक इन्होंने एक भी पैसा बेरोजगारी भत्ते के रूप में नहीं दिया। यह भी बेरोजगार

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

युवाओं के लिए बहुत बड़ा धक्का है। ऐसे असत्य वादे करने से अच्छा है कि आप इस प्रकार के वादे मत करो। आप इन कामों को कर नहीं सकते हो। जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, विकास के काम करती है। आने वाले दिनों में यह बेरोजगारी भत्ता भी वही सरकार करेगी और ऋण माफी की बात भी आने वाली सरकार ही करेगी। जो ऋण माफ किया था, वह भी वसुन्धरा जी ने ही 50-50 हजार माफ किया, उसके अलावा कोई माफ नहीं हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, अभी टिड्डियों के बारे में भी काफी बातें हुईं। वास्तव में राजस्थान में इससे काफी नुकसान हुआ है इसकी भरपाई यह सरकार करे। हम भी केन्द्र में सिफारिश करते हैं कि लोगों को जो नुकसान हुआ है, उसकी पूर्ति करने की हम लोग कोशिश भी करेंगे और आप भी उसको करवाने की कोशिश करें।

माननीय सभापति महोदय, कानून व्यवस्था की मैं बात करूं। कानून व्यवस्था की हालत खराब है। चित्तौड़गढ़ जिले की कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है, आये दिन चोरियां हो रही हैं, आये दिन वहां ताले टूट रहे हैं, लूट खसोट हो रही है। एनडीपीएस के मामले में चित्तौड़गढ़ जिले में पहले भी एक बहुत बड़ा किस्सा हुआ था, बड़े-बड़े अखबारों में आया, चैनल में भी आया कि वहां के एक सीआई द्वारा 11 लाख रुपये एक एमएलए को रिश्वत देने की जो बात आई थी, उसका अभी तक कोई धणी धोरी नहीं है। उस केस की फाइल को यों की यों दबा दिया गया है। वह बहुत बड़ा मामला है, इसको भी आप देखें। एनडीपीएस के मामले में एक दिन किसी सीआई को हटाया जाता है, दूसरे दिन डिप्टी को हटाया जाता है, तीसरे दिन एडिशनल एसपी को हटाया जाता है और उन्हीं को दो-तीन दिन बाद वापस लगा देते हैं। इस सरकार में आज की तारीख में पुलिस के द्वारा जो तस्करी हो रही है, मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में उसको आप रोकने की कोशिश करें।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, पेयजल की, सिंचाई की, बिजली और बजरी माफिया की बात करूं। आज बजरी की काफी दिक्कत हो रही है। लोगों के काम रुके हुए हैं। मैं चाहता हूं कि बजरी को भी वापस चालू कराने की यह सरकार कोशिश करेगी।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, 5 मिनट हुए हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, कोटा में जो बच्चों की मौत हुईं या दूसरे हास्पिटलों में मौत हो रही हैं, हास्पिटल की मैं बात करूं, मेरे वहां जिला हैड क्वार्टर का हास्पिटल है। पिछली सरकार में काफी पद भरे हुए थे, आज की तारीख में एक भी पद नया नहीं आया और वहां कम से कम 20 डाक्टर हटा दिये गये। एएनएम नहीं हैं, जीएनएम नहीं हैं और साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। महोदय, आने वाले दिनों में डाक्टरों की व्यवस्था भी करें, एएनएम की व्यवस्था भी करें, जीएनएम की व्यवस्था भी करें और मैं सोच सकता हूं कि आने वाले दिनों में हास्पिटलों को अच्छी तरह से चलाने के बारे में आप सोचेंगे।

श्री सभापति: समाप्त करें, समाप्त करें, माननीय सदस्य। समाप्त करें, प्लीज सहयोग करें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): दो मिनट में कर रहा हूं।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। श्री जे.पी. चन्देलिया। विराजिए, विराजिए, माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा। विराजिए, विराजिए, प्लीज सहयोग करें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए आप। प्लीज सहयोग करें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें। आप विराजिए, विराजिए, ... (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा किसी का भी।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य, विराजिए। माननीय चन्देलिया जी। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, सभी माननीय सदस्यों के लिए 10 मिनट की समय सीमा तय की गई है। दो मिनट पहले मैं आपको कहूंगा कि समाप्त करें, 10 मिनट के अंदर-अंदर आप स्वयं देख लें, समाप्त करें और सहयोग करें। माननीय श्री चन्देलिया जी।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): सम्माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण प्रस्तुत किया गया, पढ़ा गया

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

वह लोक कल्याणकारी सरकार, संवेदनशील सरकार, उत्तरदायी और पारदर्शी राजस्थान की वर्तमान सरकार का तथ्यात्मक आधार पर किये गये कार्यों का एक विवरण है, एक दस्तावेज है। विपक्ष कुछ भी कहे, उनकी भूमिका है, निभानी पड़ेगी। इस अभिभाषण की आप बात कर रहे हो, आपने शायद राष्ट्रपति का अभिभाषण जो लोक सभा में पढ़ा गया, उसको देखा होगा, पढ़ा होगा। उसके प्रथम पृष्ठ पर पैरा संख्या तीन में पंडित नेहरू के लिये लिखा है "Pandit Nehru was creater modern India" और उस पर लोक सभा में इस तथ्य के विपरीत कोई टिप्पणी नहीं आई। इसका मतलब यह आपकी तरफ से स्वीकारोक्ति है कि आज का जो इंडिया है, आज का जो भारत है, वह पंडित नेहरू की दूरदर्शिता और उन्होंने जो भारत के बारे में सोचा, जो सपना देखा, जो क्रिएटिविटी उनके आइडियाज में थी, उसका ही नक्शा है। कांग्रेस की लोक कल्याणकारी सरकार और जो प्लान 'Socialistic Pattern of Society' कांग्रेस ने इस देश को दिया वही 'Socialistic Pattern of Society' आज इस राज्य में है। उसी पैटर्न पर, गांधीयन फिलोसफी पर राजस्थान की सरकार चल रही है। गांधी जी के प्रिंसिपल्स पर इस सरकार ने कार्यक्रम बनाये और उनकी क्रियान्वित कर रही है। राजस्थान सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जो कुछ अभिभाषण में राज्यपाल महोदय ने कहा है, वह सत्यता के आधार पर है। खाली बात नहीं है, जैसे कि पूर्ववर्ती सरकार ने कहा कुछ और किया कुछ, ऐसी फिलोसफी वर्तमान सरकार की नहीं है।

जो समस्याएं हमारे विपक्ष के साथियों ने यहां बतायीं, वे समस्याएं इस अभिभाषण के विरुद्ध नहीं थीं। वे समस्याएं थीं, जिनका पूर्ववर्ती सरकार के समय समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, वे समस्या एकत्रित हुईं। प्रोब्लम पाइल अप हुई, क्युम्युलेटिव रूप से बढ़ी हैं और उन समस्याओं को उन्होंने रेखांकित किया है और वे वर्तमान सरकार के माथे मांडना चाहते हैं। वर्तमान सरकार को भी 13 माह हुए हैं। जो कुछ दस्तावेज में लिखा गया है उसमें जो किया गया है, वही लिखा गया है। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो दस्तावेज है माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है, वह बिलकुल सही है। राजकुमार जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और अभिभाषण के समर्थन में हूं।

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि इस छोटी-सी अवधि में ही मेरे पिलानी विधान सभा क्षेत्र में उन्होंने पीएचसी से सीएचसी बनायी। एक नयी पिलानी पंचायत समिति बनायी और अन्य बातें जिनके बारे में हमने लिखा, निवेदन किया, सरकार के विभिन्न मंत्रियों से निवेदन किया, वे सारी की सारी बातें पिलानी विधान सभा क्षेत्र में स्वीकार की गयीं और क्रियान्वित हो रही हैं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। कांस्टीट्यूशनल वैल्यूज की मेरे विपक्षी साथी बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। हमें स्पीकर महोदय के कार्यालय से कांस्टीट्यूशन की एक छोटी-सी किताब मिली है। सबको मिली होगी, मुझे भी मिली है। पाकेट एडिशन है। लोकतंत्र की बात करने वाली सरकार और दिल्ली में इनके जो निर्णय हो रहे हैं, सभापति महोदय, निवेदन करता हूं कि वहां कांस्टीट्यूशन की किताब बहुत मोटी होती है। प्रधान मंत्री महोदय हर वक्त उसको साथ में नहीं रख सकते। यह जो पाकेट एडिशन है उसकी एक कापी सम्मान के साथ उनको भी भिजवायी जाए, ताकि हर वक्त ध्यान रहे। लोकतंत्र की बात करने वाले हमारे प्रधान मंत्री जी कांस्टीट्यूशन के प्रावधानों के विपरीत जा रहे हैं। हमारे कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 15 को मैं यहां पर रैफर करना चाहूंगा। उसमें लिखा है 'the State shall not discriminate against any citizen on grounds of religion, race, caste and place of birth' सीएए क्या है? यह तो रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन है। क्या यह संविधान के प्रावधानों के विपरीत नहीं है? कृपया, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 आफ कांस्टीट्यूशन पढ़ें और उसका पालन करें ताकि आप लोग डैमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करने के हकदार हो सकें।

इनसे अगर बात करते हैं कि रोजगार दीजिए, इनसे बात करते हैं कि नोट बंदी से इकोनोमिक क्राइसिस पैदा हो गया है, इनसे बात करते हैं कि अपने रुपये की अन्तरराष्ट्रीय वैल्यू घट गई है और रुपये की जो क्रेडिट है वह कम हो गई है। इनसे बात करते हैं कि सरकारी क्षेत्र में जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको री-हैबिटेट किया जा सकता है। लेकिन यह बातें करने के बजाय, ये बातें करेंगे कब्रिस्तान और श्मशान की, ये बातें करेंगे हिंदू और मुस्लिम की, ये बातें करेंगे मंदिर और मस्जिद की। हमारे बेरोजगार युवा जो यहां घूम रहे हैं, उनको रोजगार देने की बात करिए। केवल नारों से पेट नहीं भरता। आप यह जो बात यहां कर रहे हैं, उसमें देश आगे नहीं बढ़ेगा। युवाओं की जो फौज

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

माननीय प्रधान मंत्री जी की तरफ देख रही है, वह दो करोड़ और उसके आगे फिर पाइलअप दो करोड़ लोगों को रोजगार देने की जो बात कर रहे हैं, उनकी तरफ युवाओं की फौज देख रही है, उनको रोजगार दीजिए तब पेट भरेगा। खाली बातों से पेट नहीं भरने वाला है। बातों का क्या है, बात जो मर्जी है वह करें। आप तो कल तक माननीय केजरीवाल जी को आतंकवादी कहते थे। जनता ने सिर माथे पर बैठाया और कल रिजल्ट दे दिया। (व्यवधान) हमने कुछ भी दिया हो।

श्री सभापति: आपस में डिबेट नहीं। शांत रहें।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): हमने उनका सम्मान किया। हमने उनको अपशब्द नहीं बोले और जनता ने उनको सिर-माथे बैठाया। (व्यवधान) मेरी बात सुनिये, हमें कुछ भी मिला होगा, जो जनता ने दिया वह स्वीकार है। जनता का निर्णय स्वीकार है, लेकिन हमने केजरीवाल जी को कभी भी अपशब्द नहीं बोले। जनता ने जिसको सिर माथे पर बैठाया, उसको आप आतंकवादी कहते थे। आपके पक्ष में बोलें तो राष्ट्रवादी, आपकी नीतियों के विरुद्ध कई बात हो रही हैं, आप जो देश हित की बात नहीं कर रहे हैं, उसको उजागर करें तो देशद्रोही। ऐसा नहीं चलेगा।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। अपनी बात समाप्त करें।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): मैं निवेदन करना चाहता हूं, सबसे पहले मैं अपनी कांस्टीट्यूएंसी की बात कर दूं।

श्री सभापति: आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें। मैं जो कह रहा हूं, उसको आप मानें एवं सहयोग करें।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): ...(व्यवधान) दिल्ली तक जाना जरूरी है। दिल्ली से ही तो यहां काम चलेगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी व राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि मण्ड्रेला में सब-तहसील है, उसको तहसील में अपग्रेड किया जाए और पिलानी में सब-तहसील की जाए। इसी प्रकार से किसानों के लिए जो एक हजार करोड़ रुपये का किसान कोष बना हुआ है, उसके लाभ किसानों को मिले। मेरा क्षेत्र, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, वहां के किसान आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं।

एजुकेशन का बढ़िया मैनेजमेंट चल रहा है, अच्छा मैनेजमेंट चल रहा

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

है, स्कूल अपग्रेड हो रही हैं। इनकी तरह तो स्कूलों को बंद कर हमारी सरकार खंडित नहीं कर रही है, उसके लिए हमारे शिक्षा मंत्री जी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

पेयजल के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का पानी दिया जाए या सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन बनाया गया है, उसके द्वारा पानी दिया जाए। पेयजल की समस्या पिलानी विधान सभा क्षेत्र में गंभीर होने वाली है।

अंत में, मैं एक बात जरूर कहूंगा। आप शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के वैलफेयर की बात करते हैं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, उस पर आपका जो फर्स्ट रिएक्शन था, उसको पत्रिका ने बहुत शानदार तरीके से छापा है। आप कहते हैं हम तो उसके पार्ट ही नहीं थे। आप तो कहते हो कि हमको नोटिस ही नहीं था। आप इस बहाने रिजर्वेशन को बंद करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग कभी भी शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के रिजर्वेशन को बंद नहीं होने देंगे। (व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री राजकुमार रोत। विराजिए। माननीय सदस्य विराजिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री सभापति: किसी का अंकित नहीं होगा। विराजिए। आप गंभीर नहीं है। क्या फिर कल की कार्यवाही करें? एक मिनट, माननीय सदस्य, 10 मिनट में अपनी बात समाप्त करनी है। वे अपनी बात कहें। आपका जब अवसर आएगा तो आप अपनी बात कहें। चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य, आप तो वरिष्ठ हैं। नये आने वाले माननीय सदस्यों को सिखाइये कि क्या करना है। आप स्वयं उनके आगे हो रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आप सभी के लिए 10 मिनट का समय निर्धारित है। मैं दो मिनट पहले आपको कहूंगा कि समाप्त करें, उसके दो मिनट के अंदर-अंदर आप आवश्यक रूप से समाप्त करेंगे। आप मेरा सहयोग करें। राजकुमार रोत।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सभापति महोदय, आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी राज्य सरकार का एक साल पूरा हुआ है। सभी विभागों में सरकार की जो योजनाएं थीं, वह एक साल में लागू हुई हैं। सरकार ने भी पूरी कोशिश की है और

(श्री राजकुमार रोत)

एक साल शांतिपूर्वक तरीके से निकला, इसके लिए राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी संविधान की बात हो रही थी कि राजस्थान में जो शिड्यूल्ड एरिया है, उस एरिये में कई तरीके से प्रावधान हैं। इसमें राज्यपाल की एक अधिसूचना 2013 में लागू हुई थी। इसमें व्यवस्था बनाई गई है कि 5 परसेंट एससी को, 45 परसेंट एसटी को और 50 परसेंट अनारक्षित लेकिन 2013 से आज तक यह स्थिति बनी हुई है कि वहां जो भर्तियां होती हैं उन भर्तियों में हमेशा अनियमितता होती है। एक उदाहरण बताता हूं हाल ही में रीट की शिक्षक भर्ती हुई उसमें 1167 पद खाली रह गए। वहां पर पर्याप्त पात्र अभ्यर्थी हैं लेकिन विभाग की गलती की वजह से या फिर सरकार की मंशा नहीं है कि उन पात्र अभ्यर्थियों से नहीं भरी जा रही है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य कृपया शांति रखें। जोर से आवाज न करें।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): इसी तरह पुलिस भर्ती, 2017 हुई थी। उस भर्ती में डूंगरपुर जिले की स्थिति थी कि जो अधिसूचना है, उस अधिसूचना की पालना नहीं की गई। आज हम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं लेकिन राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना की पालना उस भर्ती में नहीं हुई। 2017 की भर्ती जो थी, उसकी आज वर्तमान सरकार ने वापस विज्ञप्ति जारी की है। इस विज्ञप्ति में जो शिथिलता दी गई है, उसके लिए वर्तमान सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि पिछली बार जो पुलिस भर्ती हुई, उसमें एसटी का एक भी अभ्यर्थी जो 50 परसेंट अनारक्षित वर्ग है, अनारक्षित जो सीटें हैं, उन सीटों पर एक भी अभ्यर्थी नहीं लिया गया। वहां पर पांच प्रकार के बेरिकेड लगा दिए गए थे। इस तरह से यह दृष्टिगत होता है कि कहीं न कहीं एससी के अभ्यर्थी, एसटी के अभ्यर्थी को रोका जा रहा था। आज पूरे राजस्थान में यह महसूस करना जरूरी है कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर एरिया कहीं न कहीं पिछड़ा हुआ है। आज देश में आरक्षण खतम करने की बात होती है। हमें यह जानना पड़ेगा कि आज एसटी और एससी वर्ग किस स्थिति तक वर्तमान धारा में आया है। कल के मध्य प्रदेश के न्यूज पेपर में फर्स्ट पेज पर छपा हुआ है कि राजस्थान में बच्चे गिरवी रखे जाते हैं। यह पिछले सदन में भी चला था, अभी भी चला। मध्य प्रदेश के न्यूज पेपर में आ रहा है। यह विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के लिए चिंता का विषय है। उनको यह सोचना चाहिए कि उस एरिये में ऐसी क्या वजह है? क्या वजह है कि

(श्री राजकुमार रोत)

सरकार की योजना वहां पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाती है? या फिर सरकार की तरफ से इस इलाक़े में कहीं न कहीं कमी रही है।

आज बात होती है शिड्यूल्ड एरिया, आर्टिकल 244(1) पैरा 5 के तहत, उसमें स्पष्ट लिखा है कि शिड्यूल्ड एरिया जो है, उसमें जल, जंगल, जमीन पर मालिकाना हक आदिवासियों का होता है, लेकिन क्या स्थिति है वहां। अगर जंगल की बात करें, मैंने पिछले सदन में क्वेश्चन लगाया था, उसमें वन विभाग के बारे में जाना तो लगभग सभी जगह वन विभाग का कब्जा कर रखा है। वन विभाग का जो एरिया है, उस 30 परसेंट एरिये पर आदिवासी लोग काबिज हैं और उन लोगों को यह भी नहीं पता है कि हम वन विभाग में काबिज हैं। जब जल की बात आती है तो उस एरिये में दो बांध बने हुए हैं, माही बांध ओर कडाणा बांध और दोनों पर गुजरात राज्य का कब्जा है। राजस्थान के लोग उस डैम से पानी पीने के लिए भी उपयोग में नहीं ले सकते, यह स्थिति बनी हुई है। जब जमीन की बात होती है, उस इलाके में मैंने अभी विधायक बनने के बाद जाना क्योंकि पहले मुझे इस चीज में न तो कोई इंटरेस्ट रहा और न मेरी इतनी ऐज हुई थी, परंतु विधायक बनने के बाद मैंने जाना कि शिड्यूल्ड एरिये में आदिवासी लोगों के जो घर बने हुए हैं, उनके मकान का पट्टा आज तक किसी का नहीं मिला हुआ है। सरकार की जो योजना है, जैसे कि होम लोन या और कोई भी योजना है, उससे वे लोग वंचित रहते हैं। वहां ऐसी स्थिति बनेगी कि आज नगर परिषद् हो, नगरपालिका हो या बाकी जगह जो अतिक्रमण के तहत लोगों को हटाया जाता है, वहां पर भी भविष्य में कभी न कभी लोगों के साथ प्रताड़ना होगी।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार और विपक्ष दोनों का ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं कि उस एरिये में विशेषकर एक बात सोचने की है कि शिड्यूल्ड एरिये में 17 सीटें रिजर्व हैं विधायकों की। हमेशा राजस्थान में आज तक का इतिहास देखा जाए तो राजस्थान की दोनों पार्टियों में यही रहता है कि शिड्यूल्ड एरिये की 17 सीटें किधर जाएंगी, वह सरकार बनेगी। यह नजर रहती है। यह विपक्ष को भी सोचना है और पक्ष को भी सोचना है कि उस एरिये से दो नये विधायक की नई पार्टी आकर उभरी है। यह किस कारण उभरी है? आज पक्ष और विपक्ष यह चिंता नहीं करें कि इन दोनों विधायकों को या फिर उस पार्टी को कैसे खतम करें? यह चिंता करें कि उस एरिये में ऐसी क्या समस्या थी, जिस समस्या की वजह से ये दो पार्टी उभरकर आई हैं।

(श्री राजकुमार रोत)

यह सबसे बड़ा सोचने का विषय है। हम अपील करते हैं, हम चाहते हैं कि उस एरिये में शांति बनी रहे और उस एरिये में सरकार की जो योजना है, वह धरातल पर लागू रहे।

आज एक चिंता का विषय है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। अभी वहां पर एक मुद्दा चल रहा है। आरएसएस के द्वारा विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं कि 2021 की जनगणना में आदिवासियों को हिन्दू धर्म लिखाया जाए। वहां के जो मुख्य मंत्री हैं उन्होंने बयान दिया है और फैसला किया है कि आदिवासियों को जो अधिकारी हिन्दू धर्म जबरदस्ती लिखाएगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए। हम आज चिंतित हैं। सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि जिन आदिवासी लोगों ने अपनी परम्परा, संस्कृति, रीति-रिवाज और अपना धर्म परिवर्तन किया है, उसको आरक्षण से वंचित किया जाए। यह सुप्रीम कोर्ट कहता है। हम आपके माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि राजस्थान सरकार इसके बारे में क्या सोचती है? आज गुजरात में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, कई ऐसे एसटी के लोग हैं जिनको ओबीसी में या जनरल में डाला गया। उनको आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आदिवासी लोगों को कांग्रेस के प्रति बहुत सहानुभूति है। वह हमेशा कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और उस एरिये में जो आज तक प्रावधान हुए हैं, कहीं न कहीं कांग्रेस सरकार की ही देन है। वह पूरा एरिया कांग्रेस पर विश्वास रखता है और आज हम दो विधायक भी कांग्रेस पर विश्वास रखते हैं कि इस मुद्दे पर विशेषकर सोचें क्योंकि हम ऐसे कुए में कूद जाएंगे तो भविष्य में नुकसान होगा। पूरे इलाके में यह स्थिति बनी हुई है कि धर्मांतरण किया जा रहा है। कई लोगों को ईसाई बना दिया गया है, कई लोगों को कई अलग-अलग धर्मों में जो हम जानते ही नहीं, डिवाइड किया जा रहा है। इस विषय पर राजस्थान सरकार चिंतित रहे।

आज चिकित्सा विभाग की बात आती है। दिल्ली की बात आई है। मैंने एनेलाइज किया है कि दिल्ली के जो मुख्य मंत्री बने हैं, वे दो ही मुद्दों पर बने हैं। उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष काम किया। हम यह चाहते हैं कि डूंगरपुर जिले में स्थिति यह बनी हुई है कि वर्तमान सरकार ने जो इस साल में काम किया कि फ्री दवाइयां चल रही थी, उनमें बढ़ोतरी की, फ्री जांच चल रही थी, उनमें बढ़ोतरी की, बहुत अच्छी बात है। इसका हम स्वागत करते हैं लेकिन डूंगरपुर में अभी न्यूज पेपर में छपा था, डूंगरपुर के जो कांग्रेस के विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, वहां के जो कलेक्टर हैं, उनके माध्यम से...

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): बिल्कुल सर। एक एनेलाइजर मशीन थी, 70 लाख की मशीन थी, वह खराब लाकर लगा दी और सभी लोगों से उद्घाटन करवा दिया। उस एरिये में जो गुजरात से सटा हुआ है, गांधीनगर का कलेक्टर लिखता है, गुजरात के दो-तीन जिले हैं, वे सभी कलेक्टर डूंगरपुर कलेक्टर को पत्र लिखते हैं कि आपके एरिये से जो मरीज आ रहे हैं, उनका हीमोग्लोबीन बिलकुल कम है। डूंगरपुर एरिये में यह स्थिति है, न्यूज पेपर में भी छपा था कि लगभग एक दिन में 3 से 4 शिशु की मृत्यु होती है। ये जो अधिकारी लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, कहीं न कहीं सरकार को बदनाम कर रहे हैं। उस एरिये में जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको पाबंद किया जाए, सस्पेंड किया जाए तो उस एरिये में जो लोग हैं, उनको फायदा पहुंचेगा।

आज राज्यपाल के अभिभाषण पर बात हो रही है। मुझे समय कम मिला है, आपने बता दिया कि 2 मिनट में ही बात खतम करनी है। शिक्षा की बात आती है, उस एरिये में जो भवन बने हैं वहां फर्जी ईंटों से बने हुए हैं फर्जी ईंटों को मैंने रोकने का प्रयास किया तो वहां के अधिकारी बताते हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि थर्मल पावर प्लांट से बनी ईंटों से हम बना सकते हैं, तो सरकार को यह जानना है कि डूंगरपुर, उदयपुर संभाग में कौनसा थर्मल पावर प्लांट लगा हुआ है। सभी फर्जी ईंटें बनाई जाती हैं और इसी वजह से पिछली बारिश में खेरवाड़ा में स्कूल गिरा और बच्चे मर गए। बारिश के समय में डूंगरपुर इलाक़े में, उदयपुर संभाग में, मैं मानता हूं कि 70 परसेंट स्कूलों में बैठने लायक जगह नहीं रहती है, यह स्थिति बनी रहती है। इसके लिए सरकार विशेष पहल करे। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी ड्राप आउट। स्कूल से जो बच्चे चले जाते हैं...

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): बिल्कुल सर, एक मिनट रहा है। ड्राप आउट की स्थिति है, बच्चे स्कूल से क्यों भाग रहे हैं इस पर सरकार को विशेषकर एनेलाइज करना चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार ने वर्तमान में एक पालिसी बनाई है कि पांचवीं तक की शिक्षा स्थानीय मातृभाषा में पढ़ाई जाए तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर संभाग में भी क्यों नहीं स्थानीय भीली भाषा के माध्यम से प्राथमिक स्कूल तक की शिक्षा दी जाए। बच्चा पैदा होने के बाद 4 साल तक अपने परिवार के साथ रहता है, परिवार के साथ ऐसे शब्द सीखता

(श्री राजकुमार रोत)

है, स्कूल में जाने के बाद बिलकुल उसे नहीं मिलता है, बच्चा कहीं न कहीं डरा हुआ सा महसूस करता है।

श्री सभापति: श्री धर्मनारायण जोशी। समाप्त करें, प्लीज सहयोग करें।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय भारत।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): सभापति महोदय, मैं राज्यपाल के अभिभाषण के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। राज्यपाल एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए उनका सम्मान करते हुए, राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया, सुरक्षा में आए, गाड़ी में बैठकर आए, सिक्योरिटी में आए और भाषण देकर चले गए। मुझे लगता है कि यह धन्यवाद भाषण नहीं होकर यह सरकार में विश्वास प्रकट करने का भाषण है। जैसा मैंने निवेदन किया राज्यपाल एक संवैधानिक संस्था है। लोकतंत्र में सरकारें आएंगी और जाएंगी। पिछली बार हम 173 थे और आप 22 थे। इस बार हम 73 हैं, आप 100 हो गए, परंतु लोकतंत्र में जिस प्रकार सदन के नेता ने इस बार बहुमत सिद्ध किया, वह लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

सभापति महोदय, 1977 के पहले केवल एक पार्टी का राज था, पूरे देश में, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। उसके बाद केंद्र में दूसरी सरकार, दूसरी पार्टी, स्टेट में दूसरी पार्टी। उसके बाद सिलसिला चालू हुआ पुरानी सरकार की आलोचना करना। आज उप मुख्य मंत्री नहीं हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, कोटा की जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया 14 महीने बाद हम पुरानी सरकार पर दोष नहीं दे सकते कि पुरानी सरकार के कारण यह दुर्घटना घटी है।

महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण का कोई विरोध नहीं है। मैं अभिभाषण सुन रहा था, हमारी पार्टी का सिद्धांत है मिशन फर्स्ट, पार्टी सैकंड, और सैल्फ लास्ट है, यह हमारी पार्टी ने तय कर रखा है क्योंकि हम इस बात को अच्छी प्रकार से जानते हैं, बांग्लादेश का युद्ध हुआ, चीन का युद्ध हुआ, उस समय नरसिम्हा राव जी की सरकार में अटल जी को विदेश भेजा, कश्मीर का मसला हल करने के लिए अन्तरराष्ट्रीय संस्थान में। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य बीच में नहीं। (व्यवधान) टोका-टोकी नहीं, बिलकुल नहीं।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): मैंने बताया बांग्लादेश का युद्ध हुआ ...(व्यवधान) बांग्लादेश उस समय था नहीं, पाकिस्तान से युद्ध हुआ, मान लो उसको, ऐसे स्वीकार कर लो बांग्लादेश उसके बाद बना।

श्री सभापति: बिलकुल टोका-टाकी नहीं। माननीय सदस्य, टोका-टाकी नहीं।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): अटल बिहारी वाजपेयी जी को विदेश भेजा, उन्होंने भारत का पक्ष रखा, यह हमारा लोकतंत्र है। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस सदन का पहली बार सदस्य बना। इस सदन में माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत भी विपक्ष के नेता थे, उन्होंने माननीय सुखाड़िया जी को कहा कि राजस्थान में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए और सर्वसम्मति से विधेयक पास हुआ। हमारे देश में यह लोकतंत्र की मिसाल है, राजस्थान का लोकतंत्र है।

माननीय सभापति महोदय, एक और उदाहरण देता हूं, मेरी पार्टी वह पार्टी है, अभी भारतीय जनता पार्टी है, पहले जनता पार्टी थी, उसके पहले जनसंघ था। पहले आम चुनाव में जनसंघ के 11 सदस्य जीते थे इस सदन में। जागीरदारी उन्मूलन कानून आया। केंद्र में माननीय डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अध्यक्ष थे। जब जागीरदारी उन्मूलन कानून आया, हमारी पार्टी ने, केंद्र में मुखर्जी जी ने कहा कि इसका समर्थन कीजिए, जागीरदारी प्रथा समाप्त होनी चाहिए। माननीय सभापति जी, मैं सदन को निवेदन करना चाहता हूं, उस समय हमारी पार्टी ने केंद्र के आदेश से समर्थन किया। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, डा. मुखर्जी आए और चौपड़ पर सभा की, राजस्थान के जागीरदारी प्रथा के 11 में से 9 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया, केवल दो विधायक बचे भैरोंसिंह शेखावत और जगत सिंह जाला, यह हमारी पार्टी का उद्देश्य है, यह लोकतंत्र है। इतना ही नहीं हुआ, आपको आश्चर्य होगा, उसके बाद भैरोंसिंह जी शेखावत के घर पर जागीरदारों ने 6 महीने तक उनके पुतले जलाए, आंदोलन किया। उसके बाद भी हमारी पार्टी ने उसका समर्थन किया।

आदरणीय महोदय, 1966 में इस सदन में राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था, उनको एक सदस्य ने टोका, क्योंकि अभिभाषण पर यहां दो कुर्सी लगती हैं, अध्यक्ष की और राज्यपाल महोदय की। राज्यपाल महोदय ने टोकने वाले सदस्य को सदन से बाहर कर दिया। दूसरे सदस्य ने फिर टोका, उसको भी सदन से बाहर कर दिया। एक-एक कर 12 सदस्यों को 1966 में राज्यपाल महोदय ने सदन से बाहर किया। आपको आश्चर्य होगा, वह विधायक सुप्रीम

(श्री धर्मनारायण जोशी)

कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि राज्यपाल ने किया, वह ठीक किया क्योंकि चेयर पर राज्यपाल थे।

दूसरा, मैं यूपी का निवेदन करता हूं। राज्यपाल जी ने अभिभाषण को रखा। यूपी में भी एक राज्यपाल थे। वी वी गिरि जी उस समय राज्यपाल थे। वी वी गिरि को कहा कि अंग्रेजी में नहीं पढ़ सकते, नहीं सुनेंगे। उन्होंने कहा मैं अंग्रेजी में नहीं पढूंगा, तो कहा तेलगु में पढ़िए। उन्होंने कहा समझोगे नहीं, कहा आप हिंदी में पढ़िए। उन्होंने कहा मैं हिंदी नहीं जानता हूं। बहिष्कार करने की कोशिश। वी वी गिरि जी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी रहे हैं। वी वी गिरि जी ने उस समय एक शब्द बोला जो आज भी विधान सभा की कार्यवाही में अंकित है। उन्होंने कहा कि तुम गुंडे होंगे, मैं भी गुंडा हूं, तुमको बाहर निकाल दूंगा, यह शब्द वहां आज भी अंकित है।

माननीय सभापति महोदय, 1947 में आजादी मिली। आजादी के समय हमारे ऊपर एक रुपये का कर्जा नहीं था। डालर और रुपये की कीमत बराबर थी...(व्यवधान) बीच में टोकिए मत। आज आपके कर्मों से है।

श्री सभापति: अपने स्थान पर जाइये आप।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): यह कर्जा हमारे कारण नहीं है, आपके कर्मों से है। 1947 में आजादी मिली और दूसरी आजादी मिली 1977 में। जिन लोगों ने 19 महीने संघर्ष किया, इस देश को जेलखाना बना दिया। जिन लोगों ने संघर्ष किया मीसा में बंद थे...(व्यवधान) जिनके परिवार बर्बाद हो गए, उनको कोई संभालने वाला नहीं था। ऐसी स्थिति में सरकार ने उनके लिए पेंशन योजना बनाई। 1947 में आजादी के बाद इस देश में 20 लाख लोग पेंशन लेते थे। आप बार-बार पंडित नेहरू जी की बात कर रहे थे, मैं उनका सम्मान करता हूं, भारत के प्रधान मंत्री थे, परंतु माननीय सभापति महोदय, कुछ लोग फांसी पर चढ़ रहे थे, सावरकर जैसे लोग जिस प्रकार की सजा भोगी, कुछ लोग भारत एक खोज पुस्तक लिख रहे थे, क्या यह समान प्रकार की सजा नहीं थी?

(16.00 बजे)

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे अब आप।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): आदरणीय सभापति महोदय, मेरा समय नहीं हुआ। मेरी विनम्र प्रार्थना है आप मुझे मौका दें।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें अब अपनी बात।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): देश में इन्दिरा गांधीजी ने जो सदन के सदस्य नहीं थे, गुरु गोलवलकर की जब मौत हुई, आदरणीय सिरोही वाले एम.एल.ए. साहब, निवेदन करूं आपको, उनकी मृत्यु के बाद इन्दिराजी ने उनको सदन में, सदन के सदस्य नहीं होते हुए भी श्रद्धांजलि दी, क्योंकि वे देश के बड़े नेता थे। यह इस देश में पहली ही घटना घटी है। जे.पी. को श्रद्धांजलि दी।

यहां शिक्षा मंत्रीजी बैठे नहीं हैं, अभी कहीं चले गये, मैं निवेदन करना चाहता हूं। हमारी शिक्षा पद्धति, बी.एससी. करने वाला आदमी, बी.ए. करने वाला आदमी आई.ए.एस. की परीक्षा देता है। वह आई.ए.एस. बन जाता है। एक अध्यापक, मास्टर बनने वाला आदमी एस.टी.सी. के लिए प्री-एग्जाम देता है, फिर बी.एड. के लिए एग्जाम देता है। बी.एड. करने के बाद फिर एग्जाम देता है। एम.एड. देता है, स्लेट देता है, व्याख्याता की परीक्षा देता है। मेरी प्रार्थना है कि इस शिक्षा पद्धति को ठीक करिये। हम भी इस मुद्दे पर आपके साथ हैं। पार्टियां आएंगी, जाएंगी। पार्टियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं। शासन बदलते रहते हैं, देश की सुरक्षा के लिए यहां मोदीजी को ढेर सारी गालियां दीं।

(16.02 बजे)

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, सभापति, पदासीन)

मैं निवेदन करना चाहता हूं छह महीने में तीन तलाक समाप्त, धारा 370 समाप्त। जो लोग कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मन्दिर वहीं बनाएंगे, कांग्रेस वाले कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, वह तारीख बता दी है। उसकी तारीख आ गई है।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सभी स्वागत करते हैं।

श्री सभापति: विराजिये, अंकित नहीं होगा। विराजिये, विराजिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): 000

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): असम में एन.आर.सी. 33 वर्ष बीत गये, लागू नहीं हुई। हमारी सरकार ने आते ही छह महीने में उसको लागू कर दिया। 1950 के दशक में नेहरू-लियाकत समझौता हुआ था, हमारी सरकार ने उसको लागू किया।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। श्री पदमाराम। विराजिये, अंकित नहीं होगा।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): 000

श्री सभापति: विराजिये, अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा, प्लीज, प्लीज। सहयोग कीजिये। विराजिये, विराजिये। (व्यवधान) प्लीज, प्लीज। बिलकुल एक मिनट भी नहीं, एक सैकण्ड भी नहीं। विराजिये। नहीं, प्लीज सहयोग करें। विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): 000

श्री सभापति: विराजिये, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): 000

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, मुझको महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, माननीय कल्ला साहब, विराजिये। आप विराजिये।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): एक मिनट। मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने अभिभाषण के अतिरिक्त बहुत सी राजनीतिक बातें कीं। मैं आपके माध्यम से उनसे जानना चाहता हूं कि गौ-हत्याबंदी के लिए केन्द्रीय कानून बनाने की बात आपकी पार्टी ने, जनसंघ थी तब से शुरू की। उसके लिए आपने क्या किया।

श्री सभापति: विराजिये। माननीय सदस्य पदमारामजी। (व्यवधान) आप विराजें। कृपया व्यवधान नहीं डालें। आप व्यवधान डालेंगे तो समय कटेगा। मैं बराबर ध्यान रखूंगा कि कौन बोल रहा है।

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा कांग्रेस सरकार के एक साल के अन्दर राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किया, आम आदमी की समस्याओं के समाधान के लिए जो कार्य किया, शिक्षा में, ऊर्जा में, स्वास्थ्य में, सड़क में जो सराहनीय कार्य किया, उसका एक साल का विवरण महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा सदन के अन्दर 24 जनवरी को प्रस्तुत किया गया, उसके पक्ष में माननीय राजकुमार साहब ने जो धन्यवाद प्रस्ताव दिया, उसके पक्ष में मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण के अन्दर सबसे पहले तीन महापुरुषों के नाम लिये। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, स्वर्गीय

(श्री पदमाराम)

राजीव गांधी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। इन तीन महापुरुषों ने भारत को मजबूती देने के लिए भारत में रहने वाले महानुभावों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए भारत के अन्दर जो कुरीतियां थीं, उनको समाप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। इस कारण से इन महापुरुषों का नाम लिया गया। चर्चा हो रही है, हर बात के पीछे राजनीति, हर विषय के ऊपर राजनीति। शुरुआत में कल यहां चर्चा हो रही थी, और पहला ही शब्द बोले कि बाबा साहब का नाम तीसरे नम्बर पर लिया।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बाबा साहब वह हस्ती थे, जिन्होंने अपने जीवन के अन्दर संघर्ष के सिवाय कुछ नहीं किया। शुरुआत के अन्दर समय ऐसा था, हमारे साथ छुआछूत की जाती थी। हमको निम्न स्थिति में देखा जाता था। स्कूलों के अन्दर एडमिशन नहीं हो रहा था, उन परिस्थितियों के अन्दर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने संघर्ष किया, वे विदेश गये, वहां से शिक्षा ग्रहण करके भारत के अन्दर आये और भारत के संविधान के निर्माण करने का दायित्व उनको मिला। आज उस भारत के संविधान के ऊपर डाका डाला जा रहा है। संविधान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। संविधान के अन्दर भारत के नागरिकों को जो अधिकार मिले हैं, उनको कमजोर करने का काम किया जा रहा है। इसलिये उनका नाम लिया जा रहा है। महात्मा गांधीजी ने अपने जीवन के अन्दर सत्य, अहिंसा, सदाचार और ग्राम स्वराज की जो स्थिति देखी थी, उसके अन्दर आज कमी क्यों आ रही है? आज पूरे देश के अन्दर अशांति का वातावरण क्यों है? आज देश के अन्दर हर आदमी असुरक्षित क्यों है? आज देश के अन्दर तरह-तरह की भ्रांतियां क्यों पैदा की जा रही हैं? इसलिये उन महापुरुषों का नाम इस अभिभाषण के अन्दर लिया गया है।

भारत के पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधीजी संचार क्रांति लाये। आज हर आदमी के जेब में मोबाइल है। उस समय यह बात उठी थी कि कम्प्यूटर आ जाएगा और पूरे भारत के लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आज सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं। कम्प्यूटर के माध्यम से आज हर काम ऑनलाइन हो रहा है। यह उस महान विभूति की देन है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो काम करता है उसकी पूछ होती है। कल दिल्ली के अन्दर चुनाव का निर्णय आया। सब लोग टी.वी. पर बैठे थे। हमारे महानुभाव, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे, कांग्रेस

(श्री पदमाराम)

को कितना मिला, कांग्रेस को नहीं मिला, कांग्रेस को कुछ नहीं मिला। परन्तु आपका तो देश के अन्दर राज है, आपके मजबूत प्रधान मंत्री हैं, आपके मजबूत गृह मंत्री हैं। गृह मंत्रीजी कह रहे थे कि बटन यहां दबाओ और करंट शाहीन बाग़ में लगे। हर मामले के अन्दर, 'पाकिस्तान', क्या पाकिस्तान प्रवक्ता हैं क्या, जो काम होता है उससे पहले पाकिस्तान, क्या है पाकिस्तान। पाकिस्तान को तो दो बार भारत ने हरा दिया। भारत ने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिये। क्या है पाकिस्तान। पाकिस्तान के समान भारत को मत बनाओ। भारत की तुलना पाकिस्तान से मत करो। भारत धर्म-निरपेक्ष देश है। इस देश के अन्दर सभी धर्मों के लोग रहते हैं। यहां विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं, विभिन्न वेशभूषाओं के लोग रहते हैं। उन सबका सम्मान करना चाहिए। आज वहां केजरीवाल ने काम किया, उन्होंने शिक्षा के ऊपर काम किया, चिकित्सा के ऊपर काम किया। गरीब की बात सुनी, गरीब की जो आवाज थी, आगे बढ़ कर काम किया, उनकी जीत हो गई। आपने पूरी कोशिश कर दी, आपने पूरी मेहनत कर दी। उसके बाद में भी आठ पर आ गये, लटक गये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री पदमाराम (चौहटन): मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि.. (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री पदमाराम (चौहटन): साहब, अभी तो शुरू हुआ है।

श्री सभापति: वह तो बिलकुल, यहां तो दस मिनट का मतलब दस मिनट है।

श्री पदमाराम (चौहटन): दस मिनट नहीं हुए हैं, बीच में तीन मिनट तो उन्होंने ले लिए।

श्री सभापति: हमारे हो गये, भले ही आपके नहीं हुए हो। आप इधर देखो।

श्री पदमाराम (चौहटन): मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सामने विराजमान कई माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ हैं। कई बार मंत्री रह गये हैं और पिछले पांच साल में वह मंत्री पद पर रहते हुए भी यह कह रहे हैं कि हमारे यहां पर मास्टर नहीं है, हमारे यहां पर डाक्टर नहीं है, हमारे यहां पर बिल्डिंग्स टूट गईं, हमारी सड़कें टूट गईं तो पांच साल आपने क्या किया? पांच

(श्री पदमाराम)

साल आप क्या कर रहे थे? हमारे मंत्रियों को तो आप यह कह रहे हैं कि मौज कर रहे हैं तो आपने भी मौज किया और क्या किया?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो नए माननीय सदस्य आये हैं उनको आप क्या सीख देना चाहते हो, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो कि हमने पांच साल तक कुछ नहीं किया। सरकार ने आपके कुशासन के अंदर, आपके कुप्रबंधन के अंदर कांग्रेस की सरकार के ऊपर जो बोझ डाला है, बारह-बारह हजार करोड़ रुपये तो सड़क के अंदर आपने बिना सैंक्शन ही खर्च कर दिये। बिजली के पैसे पांच बार आपने बढ़ा दिये, विद्युत बिल बढ़ा दिये, उस समय आप कहां गये थे?

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री पदमाराम (चौहटन): अभी एक बार ही बिल बढ़ाया तो उसके अंदर सरकार का वादा है कि हम ...(व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें। विराजिये। श्री राजकुमारजी गौड़।

श्री पदमाराम (चौहटन): तो इसलिए मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पक्ष में समर्थन करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, मैं इस प्रस्ताव के पक्ष में बोल रहा हूं।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा कि एक वर्ष में राजस्थान की विषम आर्थिक परिस्थितियों में भी जिस तरह से उन्होंने यह काम किया, हर वर्ग का ध्यान रखा, चाहे किसान की बात करें, व्यापारी की बात करें, मजदूर की बात करें, बेरोजगार नौजवान की बात करें, मुख्य मंत्रीजी ने सब लोगों को ध्यान में रखते हुए एक साल में वह काम किये जो उन्होंने घोषणा की थी, जो घोषणा पत्र में वादे किये थे, उन तमाम वादों को इस छोटे से कार्यकाल में पूरा करने की कोशिश की। जबकि, आज की जो आर्थिक स्थिति है, जब देश की आर्थिक स्थिति पर बात करते हैं तो मेरे भाजपा के साथी कल कह रहे थे कांग्रेस के लोग यह कहते हैं कि जी.डी.पी. परसेंटेज कम हो गई, आर्थिक स्थिति कमजोर है, नई बात क्या है? दुनिया में मंदी है, तो हिन्दुस्तान में भी मंदी है, तो यही तो हम कहना चाहते हैं। मित्रों, आप यह मानिये तो सही, जब हम कहते हैं तब आप मानते नहीं हैं।

(श्री राजकुमार गौड़)

आप तो यह कह रहे हैं कि देश को वह विकास हमने दे दिया जो कभी हुआ नहीं है। आज बेरोजगारी की बात आप नहीं करते। आज पूरे देश में किस तरह से बेरोजगारी है? आप महंगाई की बात नहीं करते। किस तरह से फैक्ट्रियां बंद हो गईं, उसकी आप बात नहीं करते। जब हम विकास की बात करना चाहते हैं और जब देश की जनता आपसे पूछना चाहती है तो हमारी केन्द्र सरकार नए-नए प्रयोग करना चाहती है। पांच साल पहले प्रयोग किये, अब एक साल बाद और आगे फिर नए प्रयोग शुरू होंगे। लोग कहते हैं कि रोजगार दो और वह कहते हैं कि सी.ए.ए. की बात करो। लोग कहते हैं कि उद्योग बंद हो गये तो वह कहते हैं एन.आर.सी. की बात करो। लोग कहते हैं कि हमें काम चाहिए तो वह कह रहे हैं कि अब चुनाव हार गये तो 144 रुपया आपके जो गैस सिलेंडर घर में आता है, उसकी कीमत बढ़ा दी हमने, यह इनाम दिया। कल दिल्ली में चुनाव हुए दिल्ली के रिजल्ट पक्ष में नहीं आये तो आज सुबह-सुबह ही पट्टी चली कि घर में जो घरेलू गैस जलती है, उस पर 144 रुपये बढ़कर 701 रुपये की बजाय 845 रुपये आपको देने पड़ेंगे। जब आप महाराष्ट्र में चुनाव हारो तब आप पैट्रोल और डीजल के रेट बढ़ा दो। जब आप छत्तीसगढ़ में चुनाव हारो तो वहां पर और किसी चीज के आप रेट बढ़ा दो, तो आप इन बातों पर बात नहीं करेंगे।

आज जिस दस्तावेज की बात कर रहे हैं और तमाम भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी यह कह रहे हैं कि यह तो झूठा है, इसमें तो कुछ है नहीं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यह आजादी के बाद में नया अभिभाषण आया है क्या? यह कोई नई परम्परा शुरू हुई है क्या? यह दस्तावेज पहली बार आया है क्या? आपकी सरकारें रहीं, उस समय तब इसी तरह से प्रचलन नहीं था क्या? इन बातों को कहकर मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने हमें चुनकर भेजा है, उनके साथ हम न्याय नहीं कर रहे हैं।

अब सरकार ने हमें जो कहा है, आप उसे चैलेंज कीजिए कि कौनसे मद में आपने कितना रुपया नहीं लगाया, जो घोषणाएं आपने कीं, वह आप पूरी नहीं कर रहे। आप चाहे किसान के ऋण माफी की बात करें। जिस क्षेत्र से आप एम.एल.ए. हो, उस क्षेत्र में कितना रुपया माफ हुआ है। मैं जिस जिले से आता हूं, वहां पर तो करीब 500 करोड़ रुपया किसानों का ऋण माफ हुआ है।

आज हम टिड्डी दल की बात करते हैं। नुकसान हुआ है, डेफिनेटली नुकसान हुआ है। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार मिलकर काम करें। आपके

(श्री राजकुमार गौड़)

मेरे साथी योगेशजी गर्ग को मैंने सुना है टी.वी. पर, उन्होंने कहा मेरे जीवन में मैंने यह नहीं देखा, सरकार ने और अधिकारियों ने जितना काम किया, चार बजे उठकर जब मैं गया तो सरकार के जितने भी अधिकारी थे, वह खेत में खड़े होकर काम कर रहे थे। टिड्डियों को मारने का काम कर रहे थे। हम मिलजुल कर इन कामों को करें, तब यह काम आगे बढ़ेंगे। केवल विपक्ष में रहकर हम यह कहते रहे कि कुछ भी नहीं किया तो शायद देश को यह संदेश जाएगा कि राजस्थान में कुछ नहीं हो रहा। अगर राजस्थान में कुछ नहीं हो रहा है तो मुख्य मंत्रीजी ने जो निःशुल्क दवा योजना दी थी पिछली सरकार में, उसको दूसरे प्रदेश के लोग क्यों देखने के लिए आये? श्री रामप्रतापजी चले गये, मेरे बुजुर्ग हैं। वह कह रहे थे कि शुगर ठीक नहीं हो रहा है। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि शुगर ठीक नहीं होने के कई और कारण होंगे। दवाई में कहीं गड़बड़ी नहीं है, आप ऐसा मन में न रखें। दवाइयां सारी ही बेहतर हैं। अगर यह दवाइयां ठीक नहीं होती तो आज हजारों की संख्या में जो रोजाना लोग अस्पताल में आकर इलाज करवाते हैं, वह इलाज हो नहीं पाते। वह ठीक है। आ गये रामप्रतापजी, यह मेरे बुजुर्ग हैं। बिलकुल शुगर ठीक करवाऊंगा, मैं बताऊंगा आपका फार्मूला। शुगर दवाई के कारण मत मानो आप, उसके कई और कारण हैं। निःशुल्क दवा योजना बहुत बढ़िया योजना है। दूसरे प्रदेश भी मानने को तैयार हैं।

आपने मेडिकल कालेज की बात की। स्वास्थ्य मंत्रीजी बैठे हैं। मैं मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहूंगा कि राजस्थान में 15 नए मेडिकल कालेज निर्माण करने की बात की। मैं इस बात से भी मना नहीं कर रहा कि... (व्यवधान)

श्री सभापति: आप व्यवधान नहीं डालें। प्लीज, आप विराजें। आप विराज जाइए। कोई अंकित नहीं होगा, आप विराजें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): बी.जे.पी. के साथी कह रहे थे कि केन्द्र सरकार ने 15 मेडिकल कालेज दिये हैं। यदि केन्द्र सरकार ने भी अपना हिस्सा दिया तो कौनसा एहसान हमारे पर कर रहे हो? 60 परसेंट दे रहे हैं और 40 परसेंट प्रदेश दे रहा है। प्रदेश की भूमि है, रेकरिंग एक्सपेंसेज राजस्थान की सरकार वहन करेगी, हम सब लोगों को इसमें मदद करनी चाहिए, हम इसमें मदद करें।

(श्री राजकुमार गौड़)

माननीय मुख्य मंत्रीजी को और स्वास्थ्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा कि गत बजट सेशन में गंगानगर में मेडिकल कालेज के निर्माण की इन्होंने घोषणा की थी। मोदीजी को भी धन्यवाद दे दूं परंतु आठ साल पहले इसी कांग्रेस की सरकार ने गंगानगर में मेडिकल कालेज दिया था। मेरे साथियों, आपकी सरकार ने बनने नहीं दिया, आठ साल हम लेट हो गये। अब वह मेडिकल कालेज बनने की बात है।

मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब मुख्य मंत्रीजी कल यहां पर विधान सभा में मिले तो पूछा कि आपके गंगानगर में मेडिकल कालेज का क्या हो रहा है? मैंने कहा कि रघुजी ने स्वीकृति दे दी है। राजस्थान रोड कंस्ट्रक्शन डवलपमेंट कारपोरेशन हमारे मेडिकल कालेज का निर्माण शुरू करेगा और मैं बी.जे.पी. के साथियों को बताऊंगा कि एक नहीं, तीन कालेज, मेडिकल कालेज बनाने की, निर्माण की स्वीकृति माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी ने दे दी है। अप्रैल, मई में यह तीनों मेडिकल कालेज बनने शुरू हो जाएंगे इसलिए केवल आप यह बात मत कहिये कि यह नहीं हो रहा है। आप बताइये कि आपके समय में क्या हुआ और अब क्या नहीं हुआ?

मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा कि तीन जगह पर आपने कृषि महाविद्यालय दिये। हमारा राजस्थान प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और ज्यादा से ज्यादा कृषि महाविद्यालय अगर हम खोलेंगे तो निश्चित रूप से उससे रोजगार मिलेगा। नौजवानों को बी.एससी. एग्रीकल्चर करने के बाद में बैंक्स ऋण देते हैं। ट्रैक्टर के लिए ऋण देते हैं, जमीन के लिए ऋण देते हैं तो उनको रोजगार मिलेगा।

इसके साथ, सरकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गंगानगर जिला कृषि प्रधान जिला है। मैंने मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन किया है कि गंगानगर में जहां कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए था हिसाब से तो क्योंकि सबसे ज्यादा अन्न हम आपको वहां से दे रहे हैं परंतु कृषि विश्वविद्यालय वहां पर नहीं खुला, बीकानेर में खुल गया। इस बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्रीजी गंगानगर को कृषि महाविद्यालय दें तो मैं उनका बहुत-बहुत आभारी रहूंगा, उनका धन्यवाद करूंगा।

श्री सभापति: आप बोलिये, उधर मत देखो आप।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): किसानों के लिए बहुत चिन्तित हैं। रामप्रताप जी और सारे ही चिन्तित हैं किसानों के लिए। पर, रामप्रताप जी वह

(श्री राजकुमार गौड़)

बात नहीं करते कि जब पदमपुर के बास में डंडे किन-किनके पड़े और कपड़े किन-किनके उतारे, वह बात आप भूल गये। आप उसका जिक्र नहीं करते। वह बात अगर याद रखते तो फिर आप इन पर इतनी बात नहीं करते और मैं सोच रहा था कि आप डिग्गियों पर भी बोलोगे। हमारे साथ तो अन्याय किया कि डिग्गियां 2018 में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो। माननीय सदस्य, आप इतने वरिष्ठ हैं।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी राजस्थान में, उस वक्त जब सरकार जाने का समय आया तो आपकी बीजेपी की सरकार ने 5,309 डिग्गियों की स्वीकृति दे दी। अभी कई साथी कह रहे थे कि पैसा नहीं आ रहा, खड्डे पड़ रहे हैं। मैंने कल लाहोटी जी को सुना। वह भी कह रहे थे मेरे यहां खड्डे पड़ रहे हैं। मुझे हैरानगी हुई है कि आप महापौर रहे हुए हो, आपका पांच साल तक राज रहा और कह रहे हो खड्ड़े पड़े हुए हैं। यही तो हम कहना चाहते हैं कि हम उन खड्डों को भर रहे हैं जो आपके खड्डे थे। एक साल में उन खड्डों को भरने की कोशिश कर रहे हैं। खड्डे उसी टाइम के दिये हुए हैं आपके। मैं जिन डिग्गियों की बात कर रहा था 5,309 डिग्गियों की स्वीकृति निकाल दी, पर वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की। लोगों ने 4,220 डिग्गियां बना लीं, आज वह किसान रोता-रोता घूम रहा है। उन्होंने तो केवल चुनाव जीतने के लिए डिग्गियां बनाने की स्वीकृति जारी कर दी। वह अधिकारी आज भी सस्पैंड है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा और मंत्री महोदय, आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसके लिए पूरी तत्परता से काम कीजिए। पिछले बजट भाषण के समय भी मैंने इस मुद्दे को उठाया था और आप लोगों ने कुछ सहयोग किया है। 500 डिग्गियों का भुगतान हम लोगों को मिला है, परंतु करीब 72 करोड़ 28 लाख रुपये का अभी भी अनुदान किसानों को मिलना बाकी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार इसका तुरंत इंतजाम करे। चाहे 2018 में बीजेपी की सरकार ने गलती की, परंतु हमारे किसान की उसमें कोई गलती नहीं थी। यह सरकारों की गलती को किसान क्यों भुगते? उन डिग्गियों को भुगतान सरकार जल्दी से जल्दी करे जिससे उन किसानों के लिए आगे और डिग्गियां बनाएं वरना वह पैसा नहीं

(श्री राजकुमार गौड़)

मिल रहा है इसलिए हम आगे और डिग्गियां नहीं बना पा रहे हैं। यह भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को आप कहें।

माननीय सभापति महोदय, ऋण माफी की बात मैंने पहले ही आपसे निवेदन कर दी। यह बहुत अच्छी नीति है। अच्छी तरह से लोगों को पैसा मिला है।

माननीय सभापति महोदय, टिड्डियों से किसानों को 47 करोड़ 80 लाख रुपये आबंटित हो चुके हैं और भी बाकी जो एरिये रहे हैं, मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि टिड्डियों के अलावा कई जगह थोड़ी-थोड़ी ओलावृष्टि भी हुई है, जिसमें हमारे अनूपगढ़ और रायसिंहनगर शामिल हैं तो कलेक्टर साहब को कहकर आप गिरदावरी जल्दी करवाइए। उसमें भी किसानों को अनुदान दिया जा सके और उनके नुकसान की भरपाई हो सके तो मैं आपका बहुत-बहुत आभारी रहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, नरेगा के कार्यों के बारे में कहना चाहूंगा कि इस सरकार के बनने के बाद नरेगा में निश्चित रूप से बहुत रोजगार बढ़ा है। लोगों को ज्यादा रोजगार मिला है। जहां पर 100 रुपये मिला करता था, वहां उस गरीब को 140 रुपये मिलना शुरू हुआ है। आज मैं आपको इसके लिए कहना चाहूंगा कि यह वित्त वर्ष मार्च तक खतम हो रहा है, इसलिए सरकार आदेश दे, निर्देश दे कि जिन लोगों को पूरे दिन काम नहीं मिला, उन लोगों को पूरे दिन काम मिले और पैसा भी 140 रुपये के हिसाब से मिल जाए, जो उनको मिलना चाहिए। यह मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, सौर ऊर्जा की बात आयी, बिजली दरों को बढ़ाने की बात आयी। निश्चित रूप से मंत्री महोदय ने कहा कि किसानों की रेट हम नहीं बढ़ा रहे, बी.पी.एल. के लिए नहीं बढ़ा रहे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज हम किसान को जो अनुदान दे रहे हैं, सौर ऊर्जा पर 2008 से 2013 तक, जब कांग्रेस की सरकार थी, माननीय मुख्य मंत्रीजी की तरफ से 86 प्रतिशत अनुदान मिलता था। उस 86 प्रतिशत को पिछली सरकार ने 60 प्रतिशत कर दिया। अब भी वह 60 प्रतिशत ही है। अगर आप चाहते हैं कि बिजली की रेट नहीं बढ़े, सौर ऊर्जा को आप महत्व दें। जैसे आपने कहा है करीब 4500 मेगावाट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो आप इसमें किसान का अनुदान बढ़ाइए और जो डोमेस्टिक उपभोक्ता हैं, उनको भी आप प्रेरित कीजिए। जब किसान का अनुदान बढ़ाएंगे और आम आदमी को भी आप प्रेरित

(श्री राजकुमार गौड़)

करेंगे तो सौर ऊर्जा की तरफ लोगों का ध्यान है और लोग सौर ऊर्जा को लगाना चाहते हैं। उसमें अगर सरकार अनुदान देगी तो निश्चित रूप से हम लोगों को भी काफी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, नन्दीशाला की बात की गयी। गायों के लिये जो पैसा दिया जा रहा है, पैसा बढ़ाया, उसकी बात की गयी। आज भी आवश्यकता है। मेरे से पूर्व हमारे रामप्रताप जी ने जिस बात का जिक्र किया, आवारा पशुओं की जो समस्या है, वह केवल गंगानगर या राजस्थान की समस्या नहीं है, वह देशव्यापी समस्या है इस समय। उससे केवल किसानों को ही नुकसान नहीं हो रहा है, आम आदमियों की जान जा रही है। कितने बड़े-बड़े एक्सीडेंट उससे रोजाना हो रहे हैं, कितने लोग उससे मर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा राज्य सरकार ने बजट में घोषणा की थी कि हर पंचायत समिति हैड क्वार्टर पर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): हर पंचायत समिति पर हम एक-एक नन्दीशाला खोलेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस काम को और बढ़ाते हुए एक-एक पंचायत समिति में दो या तीन नन्दीशाला हम बनाएं तो यह अच्छा होगा और इससे लोगों के जान-माल की हानि नहीं होगी।

माननीय सभापति महोदय, एक बात कहकर अपनी बात खतम करूंगा। बी.पी.एल. और ए.पी.एल. के लिए गवर्नमेंट एक रुपये किलो के हिसाब से अनाज दे रही है। आज भी जब मैं गरीबों के बीच जाता हूं, क्योंकि मैं तो आम परिवार से हूं। मैं तो एक सामान्य परिवार का आदमी हूं, लोगों के बीच में जाता हूं तो लोगों की बात सुनने को मिलती है। हम तो हर बीपी.एल. को एक यूनिट पांच किलो के हिसाब से दे रहे हैं। एक परिवार में अगर पांच लोग हैं तो पच्चीस किलो हम दे रहे हैं। गरीब आदमी किस तरह से जीता है, आप सोच नहीं सकते।

आज अभी हम बात कर रहे थे कि वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं। 75 वर्ष के उम्र के लोगों को 750 रुपये दे रहे हैं। मैं एक विज्ञापन देखता हूं जिसमें एक बुजुर्ग कहते हैं कि 750 रुपये मुझे मिल जाते हैं, 750 रुपये मेरी पत्नी को मिल जाते हैं, आटा ले आते हैं, सब्जी ले आते हैं, दूध ले आते हैं।

श्री सभापति: अब समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): मैं कहना चाहूंगा इस राशि को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। इतने रुपये उस परिवार को महीने में दे रहे हैं, उससे ज्यादा रुपया हम लोग एक दिन का भत्ता ले रहे हैं। इसलिए उस गरीब के बारे में भी हम सोचें। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल जी।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। कांग्रेस सरकार के एक साल पूरा होने पर राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जो सरकार द्वारा तैयार किया है, एक मात्र शब्दों का जाल है। मैं उसका विरोध करता हूं। आपने पहले ही पैरा में लिखा 'पारदर्शी और संवेदनशील कार्यप्रणाली।' पारदर्शिता इतनी, ट्रांसपरेंसी-इंटरनेशनल जो सर्वे आया है, उसमें राजस्थान भ्रष्टाचार के पहले पायदान पर है। इतनी बड़ी पारदर्शिता इस सरकार में है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, डा. बी.आर. अम्बेडकर का नाम लेकर अभिभाषण की शुरुआत की गयी और जिस दिन राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण पढ़ा, उससे अगले ही दिन डॉ. बी.आर. अम्बेडकर साहब, जिन्होंने सबसे पहले इस देश में कहा था कि धार्मिक आधार पर उत्पीड़ित पाकिस्तान से जो हमारे लोग, हमारे भाई हैं, उनको हिन्दुस्तान में शरण दी जानी चाहिए। यह सबसे पहले बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था और अभिभाषण की शुरुआत में डॉ. अम्बेडकर और महात्मा गांधी को याद किया गया। अगले ही दिन सरकार सी.ए.ए. पर विरोध में प्रस्ताव लाती है। डा. अम्बेडकर की भावना, महात्मा गांधी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ यह सरकार कर रही है। मुख्य मंत्रीजी, जो इस सरकार के मुखिया हैं, जिन्होंने स्वयं प्रधान मंत्रीजी को पत्र लिखा तब के गृह मंत्री को, कि हमारे जोधपुर जिले में भी, जोधपुर संभाग में भी पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न आधार पर बहुत से शरणार्थी बंधु आये हैं, जिनको नागरिकता दी जानी चाहिए। आज वही मुख्य मंत्री इस संवैधानिक पद पर बैठकर इस बात का विरोध कर रहे हैं।

उसी दिन एक और विधेयक लाया गया, जो केन्द्र का 126वां संविधान संशोधन विधेयक था, जिसमें एस.सी., एस.टी. रिजर्वेशन को आगे बढ़ाना था और जो समय सीमा थी, उस समय सीमा के अंतिम दिन इसको लेकर आये। यह भी दलित वर्ग के प्रति, वंचित वर्ग के प्रति कितनी गंभीरता इस सरकार की है, वह दर्शाता है। आप खूब पानी पी-पीकर गालियां निकालते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खतम कर देगी और आर.एस.एस. आरक्षण के खिलाफ है। आप उस संगठन को, जो अम्बेडकर की भावनाओं के साथ आज

(श्री बिहारीलाल)

भी चलता है और जो अम्बेडकर जी का सपना था जाति विहीन समाज की स्थापना करने का, उस सपने को आज भी अगर कोई जीता है और उस सपने के लिए पूरी ताकत से लगा हुआ है तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का परिवार लगा हुआ है, जो इस भारत को जाति विहीन देश बनाना चाहता है। एकमात्र संगठन है वह, जिसमें कभी भी किसी का परिचय जाति से नहीं होता, उस संगठन को पानी पी-पीकर गालियां दी जाती हैं कि ये आरक्षण समाप्त करने वाले हैं।

अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि अभी एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, एक निर्णय आया है और यह आरक्षण खतम करेंगे प्रमोशन में रिजर्वेशन का। आपको पता होना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारत के प्रधान मंत्री थे, जिन्होंने प्रमोशन में रिजर्वेशन देने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने और अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था।

आप ग्राम स्वराज का सपना लेकर आये जो महात्मा गांधी का सपना था और ग्राम स्वराज की आज स्थिति क्या है कि 14वें वित्त आयोग ने जो पैसा सैकड़ों करोड़ रुपये पंचायतों के लिए भेजा, उस पैसे को आपने पंचायतों तक नहीं पहुंचने दिया, यह ग्राम स्वराज का सपना है।

आपने पंचायतों का परिसीमन किया। मैं मेरे क्षेत्र की बताऊं, जो नियम, कानून, कायदे आपने स्वयं ने, आपकी सरकार ने बनाये, उन नियम, कानून, कायदों से जो पंचायतें बननी चाहिए थीं, जो प्रस्ताव आये उनको द्वेषतापूर्ण तरीके से यहां रोका गया। नई पचायत समिति जसरासर गठित हो गई थी, उस पंचायत समिति को नियमों में होते हुए नहीं बनने दिया गया और नोखा और पांचू का पुनर्गठन होना चाहिए था, उस पुनर्गठन को नहीं होने दिया। यह जनता के साथ विश्वासघात और कुठाराघात करने का काम किया। पंचायती राज की क्या स्थिति कर दी है, गांधी के सपने ग्राम स्वराज की क्या स्थिति कर दी है?

उन दो दिन के विशेष सत्र 24 और 25 के बाद जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा था और लिटरेचर फेस्टिवल में पंचायती राज मंत्री माननीय उप मुख्य मंत्री खुद स्वयं एक सेशन में आये थे। सेशन में उनका भाषण पूरा हुआ, उसके बाद जब पांच मिनट का समय क्वेश्चन और क्वेरीज का होता है तो उसमें एक छात्र ने खड़े होकर पूछा कि मैंने 2018 में आर.पी.एस.सी. में परीक्षा दी थी, 2018 निकल गया, 2019 निकल गया और 2020 चल रहा है,

(श्री बिहारीलाल)

माननीय महोदय, मेरा रिजल्ट कब आएगा, कब मुझे रोजगार मिलेगा? माननीय उप मुख्य मंत्री जी को उसका जवाब देते नहीं बना तो पीछे से एक आवाज आई कि आप तो आर.पी.एस.सी. से रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं, यहां तो सरकार ने पंचायती राज का चुनाव भी इलेक्शन कमीशन और स्वयं से लेकर, लगता है आर.पी.एस.सी. को दे दिया है। आर.पी.एस.सी. के ढर्रे पर पंचायती राज का सपना साकार हो रहा है। इस तरह लेट-लतीफी पंचायती राज में हो रही है, इस तरह का धोखा पंचायती राज व लोगों के साथ किया जा रहा है।

निरोगी राजस्थान की कल्पना हम करते हैं। आपने इसमें लिखा है कि पूरे राजस्थान को निरोगी बनाएंगे। माननीय, एन.आर.एच.एम. के कुछ हजार संविदाकर्मी, बी.डी. कल्ला साहब विराजे हुए हैं जो उस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वे संविदाकर्मी घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। एक साल हो गया लेकिन अभी तक तो डाटा कलेक्शन नहीं हुआ है। उन संविदाकर्मियों को ही नियमित करने का काम करें तो, माननीय चिकित्सा मंत्री जी, वे स्वस्थ राजस्थान बनाने में आपकी मदद करेंगे।

कोटा का मसला आया, 112 बच्चों की, नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई। बीकानेर में भी पी.बी.एम. अस्पताल में दिसम्बर के एक महीने में 112 नहीं, 162 बच्चे काल कवलित हो गये फिर भी जिम्मेदारियां एक-दूसरे पर टालने का काम, किसकी जिम्मेदारियां हुईं? सरकार बार-बार कहती है जिम्मेदारियां तय होंगी लेकिन किसी की जिम्मेदारी तय होती हुई न हमने देखी है, न आपने देखी है और न इस प्रदेश ने देखी है।

यहां कोरोना वायरस जैसी गम्भीर समस्या से सदस्यों ने अवगत कराया, उस पर अभी तक कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई। आयुष्मान भारत का सपना देश के प्रधान मंत्री, केन्द्र की सरकार ने पूरे देश को, 50 करोड़ लोगों को उसमें जोड़ने का काम किया, राजस्थान में उसकी स्थिति क्या है? पिछली सरकार के समय भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना थी जो शानदार तरीके से काम कर रही थी, लोगों का पूरा इलाज हो रहा था, लोग उससे संतुष्ट थे, उसको आज आपने किस स्थिति में ला दिया है और आज आयुष्मान भारत का क्या हश्र है राजस्थान में, वह सबसे छिपा हुआ नहीं है।

जनता क्लिनिक खोलेंगे। माननीय मंत्री जी और सरकार से आग्रह है

(श्री बिहारीलाल)

कि जो पहले से चल रहे हैं हम उन्हीं को संभाल लें, उन्हीं को संवार लें तो बहु त बड़ी मेहरबानी होगी।

मेरा नोखा एन.एच. 89 पर हाईवे पर पड़ता है। नोखा के अस्पताल में लम्बे समय से सर्जन नहीं है, नोखा के अस्पताल में सोनोलोजिस्ट की कमी है, नोखा के अस्पताल में स्थायी गाइनोकोलोजिस्ट नहीं है। सारी सुविधाएं होते हु ए भी विशेषज्ञ के अभाव में ब्लड बैंक शुरू नहीं कर पा रहे। इन सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में माननीय मंत्री जी गौर फर्माएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।

राज्य के सभी पंचायत मुख्यालयों पर आयुर्वेद चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवायी जाएगी, 58 पंचायत समिति मुख्यालयों पर ऐसा किया जाएगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक उदाहरण सरकार के सामने रखना चाहता हूं, अगर 58 में सबसे पहला 'ए' ग्रेड का आयुर्वेद चिकित्सालय कहीं खुलना चाहिए तो मेरे नोखा विधान सभा क्षेत्र में खुलना चाहिए। क्यों खुलना चाहिए, क्योंकि वह पूरी पात्रता रखता है। एक दानदाता है ओम प्रकाश गट्टाणी, जो पूर्वोत्तर में व्यापार करते हैं, उनके स्वर्गीय पिता खूमचंद गट्टाणी के नाम पर जो ट्रस्ट है, उन्होंने उस ट्रस्ट से अपनी बेशकीमती जमीन जो बाजार में 12 करोड़ लागत की है, दान दी और उस पर पांच करोड़ का भवन बनाकर सरकार को दिया है। यह वह व्यक्ति है जिसको लन्दन की पार्लियामेंट "हाउस आफ कामंस" में भारत गौरव रत्न से सम्मानित किया गया है। वे आपसे, सरकार के नुमाइंदों से, सरकार के मंत्री महोदय से उम्मीद करते हैं कि अगर 58 में पहला आयुर्वेद चिकित्सालय खुलता है तो उसकी पात्रता नोखा में है। हमने सवाल पूछा तो उसको इसलिए रिजैक्ट कर दिया गया कि वहां आउटडोर 150 से कम है। माननीय, एक चिकित्सक के भरोसे वहां 100 से ज्यादा का आउटडोर है। आप 'ए' ग्रेड का पूरा चिकित्सालय दीजिए, कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। इस तरह की स्थिति आयुर्वेद चिकित्सालयों की है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय, किसान कल्याण कोष की बात है। टिड्डी हमले की बात है, सरकार ने जवाब दिया, सरकार कितनी गम्भीर है, सुपरवाइजरों की क्या स्थिति थी वह आपने देखी। जहां-जहां कृषि के सुपरवाइजर नहीं थे वहां दूसरे जिलों से बुलाकर नियंत्रण करने की कोशिश की गई। राज्य सरकार में 1836 कृषि पर्यवेक्षकों की, 248 सहायक कृषि

(श्री बिहारीलाल)

अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, डाकूमेंट वैरिफिकेशन हो चुका है, उनको पोस्टिंग दी जाए तो इस महामारी में, इस बड़ी समस्या में वे किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे और टिड्डी को नियंत्रण करने का काम करेंगे।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय, मैं एक मिनट का, दो मिनट का समय और चाहूंगा।

श्री सभापति: जल्दी समाप्त करें।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय, कृषि विपणन बोर्ड की रोड की बात की गई, एक इंच भी रोड नोखा में कृषि विपणन बोर्ड की नहीं बनी है, जो स्वीकृत थी वह भी कैंसिल कर दी गई।

कर्ज माफी की बातें बहुत हुई लेकिन कर्ज माफी होती हुई कहीं नहीं दिखी और जिन अभावग्रस्त गांवों को आदान अनुदान में जोड़ा जाना चाहिए था, पटवारी और गिरदावर और जो सरकारी खरीद माफिया हैं उनकी मिलीभगत में हमारे जिले के सैकड़ों गांव इससे वंचित रह गये।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति जी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। खनन की बात की गई, हमारे नोखा में मांडलिया गांव में अवैध ब्लास्टिंग से, अवैध खनन से पूरा गांव पीड़ित है लेकिन बार-बार कहने के बाद भी न तो खनन विभाग, न वन विभाग की तरफ से कोई कार्यवाही हो रही है। कोलायत में जो खनन माफिया सक्रिय है वह रायल्टी के नाम पर ट्रांसपोर्टर्स को परेशान करते हैं। समझौता वार्ता होने के बावजूद उस पर अमल नहीं करते, ट्रांसपोर्टर्स को पीड़ित और भयभीत किया जाता है, उसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार तथा खनन मंत्री जी, इसमें पूरा प्रावधान करते हुए मदद करें।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें अब। श्री किसनाराम जी विश्नोई।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय मंत्री जी, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। प्रधान मंत्री आवास की बात की गई।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें, समय हो गया आपका। बिलकुल आपका समय समाप्त हो गया।

श्री बिहारीलाल (नोखा): कल माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि राजसमंद जिले में 47 हजार प्रधानमंत्री आवास के आवेदन पैंडिंग पड़े हैं, माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने कहा कि पहला प्रोजेक्ट राजसमंद में पूरा करेंगे।

श्री सभापति: समाप्त करें, साहब।

श्री बिहारीलाल (नोखा): उसके बाद आपसे निवेदन है कि माननीय उप मुख्य मंत्री जी को ...(व्यवधान) बीकानेर जिले में भी भेजियेगा।

श्री सभापति: प्लीज, समाप्त करें। श्री किसनाराम जी विश्नोई।

श्री बिहारीलाल (नोखा): बीकानेर जिले में 25 वर्षों से आपका पंचायती राज में कब्जा रहा है। वहां लाखों ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, उनको पूरा करने की बात है। माननीय महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): माननीय सभापति महोदय, 24 जनवरी, 2020 को माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदेश में साल-सवा साल पहले बनी सरकार के कामकाज के बारे में अभिभाषण दिया गया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती, स्वर्गीय राजीव गांधी की 75वीं जयंती, संविधान की 70वीं वर्षगांठ और बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो कल्पना की गई थी इस देश में आम-अवाम के भले के लिए, जो अभिभाषण पढ़ा गया, उसका मैं स्वागत करता हूं।

जिस तरीके से साल-सवा साल पहले पूरे प्रदेश में, पिछले पांच साल में पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ था, जनता कुशासन से त्रस्त हो गई थी, पूरे प्रदेश में आम-अवाम ने एक ही आवाज लगायी, वसुन्धरा तेरी खैर नहीं। कांग्रेस को जनता ने बहुमत देकर शासन पर कायम किया। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जन-जन के नेता अशोक गहलोत जी जो गरीबों के, किसानों के मसीहा कहे जाते हैं, पूरे देश में दूसरे गांधी कहे जाते हैं, उनके नेतृत्व में सत्ता संभाली और नये-नये आयाम स्थापित किये।

पहली कैबिनेट बैठक में, पूर्व सरकार में मात्र दस हजार रुपये का ऋण माफ करके उसका हमेशा गुणगान करते हैं, उसका बीस गुणा ऋण अधिकतम दो लाख ऋण माफ किया गया और दो लाख ऋण माफी के हाथों-हाथ प्रमाण पत्र जारी किये गये। साथ ही साथ दूसरे बैंकों में भी एक-मुश्त राशि देने पर ब्याज माफ करने की बात की। एक-सवा लाख किसानों को कृषि कनेक्शन दिये गये। अशोक गहलोत जी के पिछले कार्यकाल में लाखों-लाखों की संख्या में वृद्धों के लिए, विधवाओं के लिए, विकलांगों के लिए जो पेन्शन बढ़ाई गई थी, उस पेन्शन में बढ़ोतरी की गई। 500 रुपये के 750 किए गए

(श्री किसनाराम विश्नोई)

और 750 के एक हजार रुपये किए गए। लंबे समय से बेरोजगारों की मांग आ रही थी, उनके लिए बेरोजगारी भत्ता शुरू किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहयोगिनी और सहायिका का मानदेय बढ़ाया गया। साथ ही साथ धरातल पर छोटे-छोटे रोजमर्रा के काम जो लोगों के होते हैं उनको अशोक गहलोत जी ने पूरा करने की कोशिश की, जिससे आज प्रदेश का आम अवाम इस सरकार से संतुष्ट है। यह सबको महसूस होता है और सामने बैठे लोगों को भी महसूस हो रहा है।

सभापति महोदय, देश में रोजगार बहुत बड़ी समस्या है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने डेढ़ लाख नौकरियां देने की घोषणा की है। पिछली सरकार के समय से न्यायालयों में जो नौकरियां अटकी पड़ी थीं, उनका भी निस्तारण करवाया गया है। नियुक्तियां हो रही हैं। केन्द्र सरकार ने घोषणा की थी कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। आज 6 सालों में 50 लाख को भी नौकरियां नहीं दी गईं। हमारे मुख्य मंत्री जो कि हमारी पार्टी के नेता भी हैं, हमेशा केन्द्र सरकार पर प्रहार करते हैं कि देश में रोजगार पैदा नहीं हो रहा है। प्रदेश में कम रिसोर्सेज होने के बावजूद भी मुख्य मंत्री जी ने डेढ़ लाख नौकरियों की घोषणा की है। आने वाले समय में नौकरियां मिलेंगी।

सभापति महोदय, हमारे मुख्य मंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए देश में महारथी माने जाते हैं। हमेशा दवा के साथ दुआ लेने का काम करते हैं। पहला सुख निरोगी काया, इस उद्देश्य को लेकर माननीय मुख्य मंत्री जी एक योजना 'निरोगी राजस्थान' लाए हैं। उस योजना को लेकर भी काम किया जा रहा है। नि:शुल्क दवा योजना, इसकी पिछले कार्यकाल में पूरे देश में वाहवाही हुई थी। अशोक गहलोत जी की योजना की वाहवाही हुई थी। नरेन्द्र मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्य मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने भी इस योजना की वाहवाही की और गुजरात में भी इसको लागू करने का प्रयास किया था। उस योजना को पिछली भाजपा सरकार ने तहस-नहस कर दिया। उसमें दवाइयों की संख्या कम कर दी। उस योजना को वापस मुख्य मंत्री जी ने शुरू करके 709 दवाइयों को चालू किया। आज कोई गरीब, मजदूर आदमी जिसके पास एक पैसा भी नहीं हो, वह सीधे सरकारी अस्पताल में जा सकता है और अपना इलाज करवा सकता है। नि:शुल्क जांचों का मामला हो, 70 जांचें पहले हो रही थीं, उसमें 20 और बढ़ाकर 90 कर दी गई हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी इस प्रदेश के आम अवाम के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, अल्पसंख्यकों के

(श्री किसनाराम विश्नोई)

लिए, अनुसूचित जाति, जनजाति के भाइयों के लिए एक-एक करके काम कर रहे हैं।

आप सभी को मालूम होगा कि 18 दिसम्बर, 2019 को 'निरोगी राजस्थान' अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें 80 हजार स्वास्थ्य मित्र बनाए गए हैं। इस तरह से अनेकानेक फैसले किए गए हैं। पूरे प्रदेश के अंदर करीब 125 पीएचसी खोली गईं, करीब 40 सीएचसी खोली गईं। चिकित्सा के क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी ने सामाजिक सुरक्षा, गरीबों के भले के लिए, विकलांग के भले के लिए, विधवा के भले के लिए काम किया है।

किसानों की समस्या के लिए फव्वारा सिस्टम का मामला हो, उसमें अनुदान बढ़ाने का काम मुख्य मंत्री जी कर रहे हैं। इंदिरा गांधी नहर का सबसे बड़ा क्लोजर इस बार आ रहा है। नहर की रिपेयरिंग का काम शुरू हो रहा है। कृषक कल्याण कोष का एक हजार करोड़ की राशि का प्रावधान करके गठन किया जा रहा है।

इसके साथ ही अकाल राहत के कार्य में माननीय अशोक जी महारथी माने जाते हैं। पिछली बार जब वह मुख्य मंत्री हुआ करते थे तो पूरे प्रदेश में, मारवाड़ के अंदर भारी अकाल पड़ गया था, उसकी सुव्यवस्था करके जनता को कोई तकलीफ नहीं होने दी थी। पशुओं को कोई तकलीफ नहीं होने दी। स्वर्गीय मोहनलाल जी सुखाड़िया के बाद, संवत 2025 के अंदर मोहनलाल जी सुखाड़िया ने जो प्रबंध किया था, उसके बाद कोई मुख्य मंत्री हुआ है तो अशोक गहलोत हुए हैं, जिन्होंने काम के बदले अनाज योजना चलाई। पूरे प्रदेश में अनाजों के घर भर गए। इससे लोगों के मकान भी बने। वह इस तरह से कई योजनाएं लाए। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अतिवृष्टि का मुआवजा भी दिया। हमारी सरकार ने दिया है।

सभापति महोदय, अभी टिड्डी की बात हो रही थी। टिड्डी 4-5 जिलों जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर के कुछ हिस्सों में आई है। भाजपा के कई माननीय सदस्य बात कर रहे थे कि टिड्डी आपदा की व्यवस्था सही नहीं हुई। मेरे इलाके में भी 2 रात टिड्डी आई थी। उन 2 रातों में जिला कलेक्टर मौके पर रहे। मैं स्वयं 2 दिन उनके साथ रहा। जिला कलेक्टर रात को भी मौके पर रहे। टिड्डी नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था आज तक हमने कहीं नहीं देखी। 50 साल का तो मैं भी हो गया हूं, लेकिन ऐसी व्यवस्था कभी नहीं

(श्री किसनाराम विश्नोई)

देखी। मेरा क्षेत्र धोरा री धरती का क्षेत्र है। वहां फोर व्हीलर गाड़ी की व्यवस्था करके टिड्डी नियंत्रण के लिए छिड़काव किया गया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर जिले का दौरा भी किया।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): हाथों-हाथ गिरदावरी कराकर 30 हजार किसानों को लाभ देने का काम भी किया।

हमारी सरकार बहुत पारदर्शी और संवेदनशील सरकार है। राज्य में किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ है तो वह थाने के अंदर एफआईआर दर्ज करा सकता है। अगर थाने में किसी कारण से एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो एसपी कार्यालय में दर्ज करा सकता है। हमारी सरकार एक जवाबदेह सरकार है।

सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। पूरे प्रदेश के अंदर 50 नए कालेज खोले गए हैं। पांचवीं, आठवीं, सीनियर को लगाकर कुल 660 स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया है। प्रदेश में 1 करोड़ 74 लाख लोगों को एक रुपये किलो अनाज दिया जा रहा है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। समाप्त करें।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): सभापति महोदय, हमारी सरकार पूरे प्रदेश के अंदर सड़कों का जाल बिछा रही है। 342 गांवों के लिए 1140 किलोमीटर सड़कें बनाई जा रही हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): कांग्रेस पार्टी का जो 5 साल का मेनिफेस्टो है, उसका 30 प्रतिशत काम सवा साल में हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने कर दिया है।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री बलवीर सिंह लूथरा। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): 000

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): 000

श्री सभापति: आप विराजें। हो गया।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय सभापति महोदय, पन्द्रहवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र में महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के पैरा 2 पर कहा कि सरकार प्रदेश में लोक कल्याण और जन सेवा की भावना से उत्तरदायी, पारदर्शी और संवेदनशील कार्य प्रणाली विकसित करेगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार को कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने पिछली भाजपा सरकार के द्वारा चलाई गई समस्त जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दीं। जैसे शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। पालनहार योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। भामाशाह योजना पूर्णतया बंद कर दी गई। श्रम कल्याण योजना में श्रमिकों को लाभ नहीं दिया जा रहा है। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा रहा है। मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत का कार्य पूर्णतया ठप है। अधूरे कार्यों को भी पूरा नहीं किया जा रहा है। प्रधान मंत्री आवास योजना में भी मकान बनाने बंद कर दिए हैं। स्वच्छ भारत अभियान में शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्णतया बंद है तो सरकार पारदर्शी एवं संवेदनशील कैसे है?

सभापति महोदय, बिन्दु संख्या 5 पर राज्यपाल महोदय ने कहा कि सरकार नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवा रही है जबकि खाद्य सुरक्षा, बीपीएल परिवार जिनको भामाशाह कार्ड के माध्यम से नि:शुल्क चिकित्सा उपलब्ध करवाई थी, वर्तमान सरकार ने भामाशाह कार्ड बंद कर दिए। गरीबों, लाचारों को नि:शुल्क चिकित्सा उपलब्ध नहीं हो रही है। गरीब परिवारों के लोग नि:शुल्क इलाज के अभाव में मरने को मजबूर हो रहे हैं। समय पर नि:शुल्क दवाइयां नहीं मिल रही हैं। दवाइयां उपलब्ध नहीं होने पर मरीज बाजार से दवाइयां खरीद रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में डाक्टर एवं विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हैं। गंभीर मरीजों को रैफर कर दिया जाता है। कई मरीज इलाज के अभाव में रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं केन्द्र सरकार और प्रधान मंत्री जी का जिन्होंने 15 नए मेडिकल कालेज 60:40 के अनुपात में राज्य सरकार को दिए और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना लागू की।

सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के बिन्दु संख्या 12 में नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की बात कही जबकि मेडिकेटेड नशा सरेआम बिक रहा है। गांव में, ढाणियों में, किराने की दुकानों पर नशे की गोलियां सरेआम

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

बिक रही हैं। अफीम, गांजा, पोस्त सरेआम किराने की दुकानों में पैकिंग में बिक रहा है। प्रशासन और पुलिस इन कारोबारियों से बंधी लेकर मूक बधिर है। इनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही है।

सभापति महोदय, बिन्दु संख्या 15 पर कहा गया कि राज्य में किसानों की आमदनी बढ़े, उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार आए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसानों की हालत बड़ी दयनीय है। किसान कर्ज के तले दबे हुए हैं। पिछले वर्ष अप्रैल, 2019 में, हाल ही में जनवरी माह में मेरे क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि हुई। किसानों की सरसों, गेहूं, चना की फसलें 90 प्रतिशत खराब हुईं, मगर आज तक उन नुकसानों का कोई मुआवजा नहीं मिला।

मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर का अधिकांश हिस्सा पांकिस्तान की सीमा के साथ लगता है। इस वर्ष 2020 के माह जनवरी, फरवरी में हमारे क्षेत्र में पाकिस्तान, अफगानिस्तान की तरफ से भारी संख्या में टिड्डियों के दल ने प्रवेश करके किसानों की फसलों गेहूं, चना, सरसों, तारामीरा को भारी नुकसान पहुंचाया। फसलें चौपट कर दी गईं, मगर सरकार ने अभी तक टिड्डियों की रोकथाम के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाएं और न ही किसानों को समय पर कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध करवाई गईं। खराबे की भरपाई हेतु प्रोपर सर्वे नहीं कराकर अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा अपने-अपने चहेतों के घरों पर बैठकर मनमाने तरीके से सर्वे रिपोर्ट तैयार कर दी। किसी भी पटवारी, गिरदावर ने खेतों पर जाकर सर्वे रिपोर्ट तैयार नहीं की। अभी भी श्रीगंगानगर जिले में टिड्डियों का प्रकोप जारी है। सभापति महोदय, आपसे आग्रह है कि प्रोपर सर्वे कराकर किसानों की फसलों का उचित मुआवजा दिया जाए। किसी को भी मुआवजे से वंचित नहीं रखा जाए। अभी भी बहुत से किसान बाकी हैं जो कि टिड्डियों की मार झेल चुके हैं, मगर उनको सर्वे में शामिल नहीं किया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि उनको सर्वे में शामिल करके मुआवजा दिया जाए।

अभी भी राजस्थान के अधिकांश किसान जो पेंशन योजना के पात्र हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही है। कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में दस दिनों में सम्पूर्ण कर्जा माफी की बात कही थी, सरकार बनने के बाद कांग्रेस सरकार ने दो लाख रुपये तक सभी किसानों की ऋण माफी की घोषणा की, मगर अभी तक किसानों को ऋण माफी नहीं दी गई। सहकारी बैंकों, सहकारी

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

समितियों से किसानों को ऋण उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि बकाया जितनी भी ऋण सीमा है उसको ब्याज सहित जमा कराएं, उसके बाद उनको मात्र 50 हजार की सीमा तक ऋण दिया जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, इस बार किसानों की फसलों को समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा जा रहा है। इस बार मूंग, नरमा, कपास की समर्थन मूल्य पर खरीद के केन्द्र भी मण्डियों में नहीं बनाए गए हैं। आगामी रबी फसल, गेहूं, जौ, चना, सरसों की खरीद के लिए भी सरकार ने कोई नीति नहीं बनाई है। किसानों एवं राजस्थान की जनता के हित में आवारा पशुओं पर भी नियंत्रण किया जाए, ऐसा मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने बिन्दु संख्या 62 पर कहा है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति नि:संकोच पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवा सकता है। मगर अभी भी गांव में गरीब आदमी की थानों में सुनवाई नहीं होती है। समय पर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। नाबालिग लड़कियों और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले में पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। पीड़िता को डरा धमकाकर थाने से भगा दिया जाता है। मजबूरन उन्हें कोर्ट के माध्यम से एफआईआर दर्ज करवानी पड़ती है। इस सरकार के कार्यकाल में एससी, एसटी, गरीब लोगों और महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। पैसे लेकर उन पर दबाव बनाया जाता है। राज्य सरकार गरीबों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को न्याय दिलवाने में असफल रही है।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश की सरकार डाक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी के योगदान की बात तो करती है लेकिन आजादी के 72 साल बाद भी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अनटचेबिलिटी, छुआछूत, ऊंच-नीच, जातिगत भेदभाव का अभी भी बोलबाला है।

माननीय सभापति महोदय, पेयजल योजना में नए वाटर वर्क्स स्वीकृत किए गए थे, उन पर अभी कार्य शुरू नहीं किया गया है। पेयजल योजना में जेजेवाई योजना के तहत पंचायतों को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त बजट नहीं दिया जा रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के सैकड़ों गांवों के लोग पेयजल हेतु स्वयं के खर्चे से टैंकरों से पानी मंगवाने को मजबूर हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अधिकांश गांवों में स्वच्छ पेयजल की

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

सुविधा उपलब्ध नहीं है। वाटर वर्क्स जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। अधिकांश वाटर वर्क्स की मोटरें खराब पड़ी हैं। पानी सप्लाई करने वाली पाइपें टूटी फूटी अवस्था में हैं, फिल्टर कार्य करने की स्थिति में नहीं है। जेजेवाई योजना में वाटर वर्क्स संचालन हेतु कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। समय पर पानी की सप्लाई नहीं की जाती है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट और।

माननीय सभापति महोदय, सिंचाई के पानी के लिए नहरों की मरम्मत एवं नए माइनर की डीपीआर तैयार की गई थी मगर उस वक्त भी सरकार ने कोई कार्य नहीं किया, न ही कोई बजट दिया। गंग कैनाल का मेरे द्वारा पिछले वर्ष हुसैनीवाला हैड से शिवपुरी हैड तक का अवलोकन किया गया था, मगर गंग कैनाल की हालत जर्जर अवस्था में है। इस बार भी और पिछली बार भी मैंने सरकार को अवगत कराया था मगर सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आईजीएनपी की मुख्य नहरें सूरतगढ़ ब्रांच, अनूपगढ़ ब्रांच में सफाई नहीं हो रही है। नहरें घास-फूस, पेड़-पौधों से भरी पड़ी हैं। टेल के किसानों को उनका पूरा पानी नहीं मिल रहा है, किसान नित्य प्रतिदिन आंदोलन करते हैं, फिर भी सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है।

माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस ने बिजली की दरों को नहीं बढ़ाने का वादा किया था मगर ऊर्जा विभाग द्वारा बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है जो सरासर जनता के साथ अन्याय है, धोखा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्युत योजना बंद कर दी गई है। अभी भी अधिकांश ढाणियां विद्युत कनेक्शन से वंचित हैं। सौर ऊर्जा का अनुदान नहीं दिया जा रहा है। आजादी के 72 साल बाद भी लोग अंधेरे में जीवनयापन करने को मजबूर हैं। पर्याप्त मात्रा में ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं हैं। गांव में ट्रांसफार्मर जल जाने के बाद कई दिनों तक ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं होता। गांववासी अंधेरे में जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। समय पर कृषि कनेक्शन नहीं दिए जाते हैं। विभाग को कृषि कनेक्शन का भुगतान करने पर किसानों को कहा जाता है कि खुद के वाहन से सामान लेकर आओ, इस प्रकार किसानों का शोषण किया जा रहा है।

श्री सभापति: आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): किसानों की लाखों की राशि की वीसीआर भरी जाती है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि बिजली विभाग में निचले स्तर पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, चाहे तो मंत्रीजी इसकी जांच करवा लें। मैं इस अभिभाषण का पुरजोर विरोध करते हुए अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि साल एक, काम नहीं हुआ कोई एक। आपने मुझे बोलने का समय दिया, माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृदि्ध

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय छह बजे तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: सदन का समय छह बजे तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय छह बजे तक बढ़ाया जाता है।

श्री सुरेश मोदीजी।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करते हुए अपनी बात सदन में रख रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, विपरीत परिस्थितियों में सत्ता संभालने के बाद कांग्रेस सरकार ने पिछले एक साल में सभी क्षेत्रों में सराहनीय कार्य किया है। पिछली सरकार के कुप्रबंधन से विरासत में सरकार को बहुत सारा कर्जा मिला। कानून व्यवस्था खराब मिली और अब केन्द्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है फिर भी सरकार ने आत्महत्या कर रहे किसानों के घावों पर मरहम लगाने का काम किया है, उनका कर्ज माफ किया है। पांच साल तक उनकी बिजली की दरें नहीं बढ़ाने की घोषणा की है। खाद भण्डारण की व्यवस्था कर समय पर खाद बीज उपलब्ध कराया है। एग्रो इण्डस्ट्री लगाने पर भूमि परिवर्तन की छूट दी है। फव्वारा पद्धति में सोलर पावर लगाने में सरकार की

(श्री सुरेश मोदी)

ओर से अनुदान में बढ़ोतरी की गई है। बाड़ेबंदी के अनुदान में नियमों को व्यावहारिक किया है। किसान कोष की स्थापना की है एक हजार करोड़ रुपये से। किसानों की बड़ी समस्या आवारा पशुओं की है, उसके लिए भी नंदी शाला बनाने का प्रस्ताव सरकार ने किया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि नंदी शाला के कार्य को प्राथमिकता पर शुरू करे और पूरा करवाए।

माननीय सभापति महोदय, मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि राजस्थान में किसानों की स्थिति को देखते हुए सीमित हार्स पावर तक उनकी बिजली मुफ्त की जाए। मैं राज्य सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने पशुधन सहायकों की भर्ती करके सभी सैंटर्स पर उनकी नियुक्ति की है। उनकी नियुक्ति कर हमारे पशुपालकों को बड़ी राहत दी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी सेंटर पर एक भी पोस्ट खाली नहीं है। मेरा सरकार से आग्रह है कि नीमकाथाना में कृषि महाविद्यालय खोला जाए जिससे क्षेत्र के युवाओं का कृषि के प्रति रुझान बढ़े। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मुफ्त जांचों का दायरा बढ़ाया है। मुफ्त दवाइयों की संख्या में वृद्धि की है और गंभीर बीमारियां, कैंसर और हृदय रोग के इलाज के लिए भी दवाएं मुफ्त उपलब्ध कराई हैं। डाक्टरों व अन्य स्टाफ के पद भरे जा रहे हैं। पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति कर अधिकांश रिक्त पद भर दिए गए हैं। हर जिले में मेडिकल कालेज की स्थापना, पीजी की सीट कालेजों में बढ़ाने से डाक्टरों की कमी आने वाले समय में नहीं रहेगी। मौहल्ला क्लिनिकों की स्थापना कर जनता को इलाज की सुविधा घर के पास उपलब्ध करवाने का काम भी राज्य सरकार कर रही है। पिछली सरकार ने चालू अस्पतालों को पीपीपी मोड पर देने का काम किया था जो मैं गलत मानता हूं। सरकार को स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों को स्वयं चलाना चाहिए और जनता को सुविधा दी जानी चाहिए। मैं इसी क्रम में नीमकाथाना के कपिल अस्पताल में बैडों की संख्या बढ़ाकर जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने का निवेदन राज्य सरकार से करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार ने नई स्कूल खोलने के बजाय चालू स्कूलों को बंद करने का काम किया था परन्तु अब कांग्रेस ने सत्ता में आते ही उन स्कूलों की जांच कराकर उपयोगी स्कूलों को वापस चालू करने की घोषणा की है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 17 स्कूलें वापस चालू करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बालिकाओं की शिक्षा कालेज तक मुफ्त की गई हैं, नई स्कूलें खोली जा रही हैं, स्कूलों को क्रमोन्नत किया जा रहा है। अंग्रेजी

(श्री सुरेश मोदी)

माध्यम की नई स्कूलें खोली जा रही हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो स्कूलें अंग्रेजी माध्यम की खोली जा रही हैं, जिससे गरीबों के बच्चे अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने का अपना सपना पूरा कर सकेंगे।

(17.00 बजे)

अध्यापकों के तबादलों की भी नीति बनाई जा रही है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करके शिक्षकों के तबादलें किए जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में सिंचाई और पीने के पानी की बहुत कमी है। कई जिले डार्क जोन घोषित किए जा चुके हैं। इसी कड़ी में सीकर जिला भी डार्क जोन घोषित किया जा चुका है। पीने के पानी के लिए कांग्रेस के पिछले कार्यकाल में सरकार ने कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना स्वीकृत की थी, जिसके 35 सौ करोड़ रुपये में से 950 करोड रुपये झुंझुनूं जिले की कुछ तहसीलों में खर्च करके कई तहसीलों में पीने के पानी की सप्लाई चालू की गयी। इसके सैकण्ड फेज में नीमकाथाना को पानी पहुंचाने की योजना थी, परंतु दुर्भाग्य से बीजेपी ने अपने ही शासनकाल में इस योजना को पैसा नहीं दिया, जिससे कि नीमकाथाना में पीने के पानी की समस्या और बढ़ गयी। मेरा सरकार से निवेदन है कि शीघ्र से शीघ्र इस योजना का बकाया काम पूरा कराया जाए। इसी प्रकार यमुना का पानी नारनौल से नीमकाथाना होते हुए रींगस तक जाए। इस पर सर्वे का कार्य चल रहा है, इसे भी प्राथमिकता पर लिया जाए।

महोदय, राजस्थान में प्रकृति ने खनिज सम्पदा के रूप में बहुत कुछ दिया है। हम इसका समुचित दोहन कर राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी कर सकते हैं एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार दे सकते हैं। सरकार मनरेगा जैसी योजनाओं के माध्यम से बहुत खर्चा करके ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देने की व्यवस्था करती है। खनिज व्यवसाय को अगर सही ढंग से चलाया जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का यह बहुत बड़ा साधन हो सकता है। राजस्थान का खनिज पूरी दुनिया के देशों में निर्यात किया जाता है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना): दो मिनट सर।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना): इससे प्रदेश को रोजगार और विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। जरूरत है एक ऐसी खनिज नीति बनाने की जो व्यावहारिक हो, जिससे खनिजों का वैज्ञानिक रूप से निर्बाध दोहन हो सके और

(श्री सुरेश मोदी)

अनधिकृत खनन पर रोक लगे। अच्छी खनिज नीति तैयार करने के लिए मेरा सुझाव है कि खनन व्यवसाय में लगे लोगों से रायशुमारी की जाए एवं उनकी जायज मांगों को माना जाए। इसके साथ ही मेरा सुझाव है कि इस सदन में कई सदस्य ऐसे हैं, जिनका इस क्षेत्र में लम्बा अनुभव है। उनकी एक कमेटी बनाकर खनिज नीति की संरचना की जा सकती है। अनधिकृत खनन प्रदेश की बड़ी समस्या है। इसकी रोकथाम की आवश्यकता है। इसी के चलते जो खनिज व्यवसायी वैध खनन करते हैं, उन्हें अनावश्यक पाबंदियों से जूझना पड़ता है। हमारी भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी है। हम हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और गुजरात के पास पड़ते हैं। हम अगर वैध खनन को प्रोत्साहित करें, उनकी समस्याओं को दूर करें तो निश्चित तौर पर हमें बड़े राजस्व की प्राप्ति होगी।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना): एक मिनट सर। मेरा एक और सुझाव है। व्यापारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए हरियाणा और अन्य राज्यों की भांति राजस्थान में व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाए। महोदय, मेरा एक और सुझाव है। प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू की जाए।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री अविनाश गहलोत जी।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे राजस्थान सरकार के इस द्वितीय बजट सत्र के राज्यपाल अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। 34 पृष्ठीय 122 बिंदुओं के इस अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में मैं अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति महोदय, 24 जनवरी को राजस्थान प्रदेश के राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार का आईना कहे जाने वाले इस एक साल के परिपत्र को पढ़ा गया। 17 दिन बाद ठीक 10 फरवरी को वापस यह सत्र शुरू हुआ और इस धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद चल रहा है। मैं कहना चाहता हूं बजटीय इतिहास के अंदर यह पहला मौका होगा जब बजट सैशन मात्र चार दिन पहले आहूत किया गया। चार दिन के शॉर्ट नोटिस पर इसे बुलाया गया और इस पर बहस लगभग 17 दिन के बाद में शुरू हो रही है। इससे पहले भी बहुत मौके आये होंगे, पर मात्र चार दिन के शॉर्ट नोटिस पर बुलाकर जो

(श्री अविनाश)

बजट सत्र आहूत किया गया, कांग्रेस, जिसने लोकतंत्र को धता बताकर यह काम किया है, निश्चित रूप से हम सब इसकी भर्त्सना करते हैं।

जिस दिन 24 जनवरी को यह बजट सत्र आहूत किया गया, जिन दो मुद्दों को लेकर सरकार पूरे साल भर सोती रही, एससी-एसटी के 10 प्रतिशत रिजर्वेशन को एक्सटेंड करने की जब 25 जनवरी अंतिम तारीख थी, उसी दिन राजस्थान विधान सभा के अंदर 10 प्रतिशत आरक्षण बढ़ाने का बिल पास किया गया और उसी दिन सीएए के विरोध में एक संकल्प पत्र पारित किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि जो विषय केन्द्र सरकार का हो, जिसमें राज्य सरकार का कोई लेना-देना नहीं हो, उस विषय पर केन्द्र सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पारित आप संख्या बल के आधार पर कर तो सकते हैं, पर अगर आपके अंदर हिम्मत होती तो कानून बनाकर इस विधान सभा में लाते और फिर सीएए के खिलाफ कानून पास करते। तब हमें पता लगता कि आपके अंदर कितनी लोकतांत्रिक ताकत है।

पिछले एक साल में राजस्थान प्रदेश की सरकार ने जिन 122 महत्वपूर्ण बिंदुओं को इस बजटीय अभिभाषण में शामिल किया, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले एक वर्ष में आपने क्या किया। सिर्फ और सिर्फ हमारी पिछली वसुन्धरा जी की सरकार के किये गये कार्यकलापों को या तो बंद कर दिया या उनके नाम परिवर्तित कर दिये। चाहे कोटा में बच्चों की मौत का मामला हो, चाहे अवैध बजरी खनन का मामला हो, चाहे पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज नहीं होने का मामला हो, चाहे टोल टैक्स पुन: शुरू करने का मामला हो, पुरानी स्वीकृत सड़कें जो पिछले एक वर्ष से बंद पड़ी हैं, उनका मामला हो और इसके अलावा भी चाहे केन्द्र की प्रधान मंत्री आयुष्मान योजना को लागू नहीं करने का मामला हो, ऐसी और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिन्हें आपने पिछले एक साल में बंद करने का काम किया है।

मैं आज इस अवसर पर सर्वप्रथम श्रद्धांजलि देना चाहता हूं ऐसे महापुरुष को, जिनका आज जयंती दिवस है। आर्य समाज के संस्थापक, समाज सुधारक और वेदों की प्रतिष्ठा को पुन: कायम करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती की जन्म जयंती पर मैं उन्हें सादर नमन करता हूं। कल एक ऐसे महापुरुष की 52वीं पुण्यतिथि थी जो हिन्दुस्तान के सच्चे राष्ट्र चिंतक, एकात्म मानववाद और अंत्योदय के जनक, संघ के स्वयंसेवक से लेकर जनसंघ के अध्यक्ष तक अपने जीवन को मां भारती की सेवा में समर्पित करने

(श्री अविनाश)

वाले पं. दीनदयाल उपाध्याय जी। मैं उनको भी इस अवसर पर नमन करना चाहता हूं।

कल हमारे कुछ मित्रों ने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के ऊपर जिस तरह से हमला किया, मैं इस सदन में उन शब्दों की कड़ी निंदा करता हूं। आपके समक्ष एक बात रखना चाहता हूं कि जिस आरएसएस को आपने गाली देने का प्रयास किया है, मैं कहना चाहता हूं कि आरएसएस की शाखाओं का प्लेसमेंट देखकर, चाहे वह कैम्ब्रिज हो, चाहे हार्वर्ड हो, चाहे ऑक्सफोर्ड हो, चाहे आईआईएम हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे बीआईटी हो, चाहे एनआईटी हो, पूरी दुनिया इसकी प्लेसमेंट्स को देखकर हैरान है। चाहे इस देश का राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधान मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे उप-राष्ट्रपति हो, चाहे लोक सभा का अध्यक्ष हो, चाहे इस देश के 15 मुख्य मंत्री हों, 29 राज्यपाल हों, ये सारे के सारे शाखाओं से निकले हुए संघ के स्वयंसेवक हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जहां एक लाख शाखाएं 15 करोड़ स्वयंसेवक, दो लाख सरस्वती विद्या मंदिर, पांच लाख आचार्य, एक करोड़ विद्यार्थी, दो करोड़ भारतीय मजदूर संघ के सदस्य, एक करोड़ एबीवीपी के कार्यकर्ता, 17 करोड़ बीजेपी के कार्यकर्ता, 1200 प्रकाशन समूह, नौ हजार पूर्णकालिक एवं सात लाख पूर्व सैनिक परिषद्, एक करोड़ विश्व हिन्दू परिषद के सदस्य, तीस लाख बजरंग दल के हिन्दुत्व सेवक, डेढ़ लाख सेवा कार्य, 15 राज्यों में सरकारें, 303 लोक सभा के सांसद, लगभग 60 राज्य सभा के सांसद, 1460 के करीब विधायक, वनवासी कल्याण आश्रम हो, वन बंधु परिषद हो, संस्कार भारती हो, विज्ञान भारती हो, लघु उद्योग भारती हो, सेवा सहयोग हो, सेवा इंटरनेशनल हो, राष्ट्रीय सेविका समिति हो, आरोग्य भारती हो, दुर्गा वाहिनी हो, सामाजिक समरसता मंच हो, आर्गनाइजर, पंचजन्य, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास, दीनदयाल शोध संस्थान, भारतीय विचार साधना, संस्कृत भारती, भारत विकास परिषद्, जम्मू-कश्मीर स्टडी सर्किल, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें माननीय सदस्य।

श्री अविनाश (जैतारण): दृष्टि संस्थान, हिन्दू स्वयंसेवक संघ, हिन्दू मुन्नानी, अखिल भारतीय साहित्य परिषद्, भारतीय किसान संघ, विवेकानंद केन्द्र, तरुण भारत, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, हिन्दुस्तान समाचार, विश्व संवाद केन्द्र, जनकल्याण रक्तपेढ़ी, इतिहास संकलन समिति, स्त्री शक्ति

(श्री अविनाश)

जागरण, एकल विद्यालय, धर्म जागरण, भारत भारती, सावरकर अध्यासन, शिवाजी अध्यासन, पतित पावन संगठन, हिन्दू एकता, पाथेय कण और न जाने ऐसी कितनी संस्थाएं हैं, जिन्होंने इस देश के अंदर...

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): यह कोई भाषण दे रहे हैं या बीजेपी की हिस्ट्री सुना रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अविनाश (जैतारण): आप सुनने की हिम्मत रखिये। यह ऐसी संस्था है, आरएसएस सिर्फ इतना ही नहीं है, यह कोई कांग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है जो इतनी जल्दी जड़ें हिल जाएंगी। बड़े-बड़े सूरमा आरएसएस के.....

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): आरएसएस के बारे में हम सब जानते हैं, सभी को पता है कि आरएसएस क्या थी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री अविनाश (जैतारण): इस आरएसएस को खतम करने का सपना आपके जैसे हजारों लोग देखते-देखते चले गये लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 90 वर्ष का अपना सार्वजनिक जीवन पार करते-करते आने वाले हजारों सालों तक आरएसएस इस भारतवर्ष की सेवा करेगा और मां भारती की सेवा भी करेगा। आप लोग सुनने की ताकत रखिये, यह मैं कहना चाहता हूं।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): यह सदन स्वतंत्र है, यह संविधान के आधार पर चलेगा न कि आरएसएस के आधार पर चलेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री अविनाश (जैतारण): आपकी मजबूरी हो सकती है कि आप आरएसएस और मोदी को गाली दे सकते हैं लेकिन देश को तोड़ने वाली ताकतों.....

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। कृपया समाप्त करें। मैं घड़ी देख रहा हूं।

श्री अविनाश (जैतारण): दो मिनट।

श्री सभापति: दो मिनट नहीं। आप समाप्त करें, बिल्कुल समाप्त करें।

श्री अविनाश (जैतारण): मैं अंतिम लाइनों के साथ में कहना चाहता हूं। अगर आपमें सुनने की क्षमता हो तो आप सुनिये इस कविता को तो फिर

(श्री अविनाश)

आपको पता लगेगा। दिल्ली के चुनाव का जो कल रिजल्ट आया था, उसके बारे में भी मेरे से पूर्व कई मित्रों ने बातें कही थीं लेकिन इन चन्द पंक्तियों के साथ मेरी बात को खतम करूंगा। माननीय सभापति महोदय, मुझे सिर्फ दो मिनट का समय दें, मेरी बात को खतम करूंगा।

श्री सभापति: दो मिनट नहीं मिलेगा, आधा मिनट। आप बोलो, फटाफट बोलो, आप भूमिका मत बनाओ।

श्री अविनाश (जैतारण): भारत माता सिसक रही है, तुम सब की नादानी पर,

तुम जमीर को बेच दिए, केवल बिजली व पानी पर।।
तुम बोले मंदिर बनवाओ, 'उसने' कांटा साफ किया,
और तीन सौ सत्तर धारा वाला स्विच ही आफ किया,
इच्छा यही तुम्हारी थी, घुसपैठी भागे भारत से,
लाकर के कानून हौंसला घुसपैठी का हाफ किया।
राणा-वीर शिवा के वंशज, रीझे कुटिल कहानी पर।
तुम जमीर को बेच दिए, केवल बिजली व पानी पर ।।1।।
रेप किए, छाती काटा, मां-बहनों संग हैवानी की,
याद न आया चार लाख हिंदू के करुण कहानी की,
न्याय दिलाना चाहा 'वो' तो तुमने ये अंजाम दिया,
थूकेगा इतिहास, करेगा मंथन कारस्तानी की।
अपनों से ज्यादा विश्वास किए तुम पाकिस्तानी पर।
तुम जमीर को बेच दिए, केवल बिजली व पानी पर ।।2।।

श्री सभापति: हाकम अली जी।

श्री अविनाश (जैतारण): 'उनके' बच्चे-बच्चे समझें, किसको वोट नहीं देना,

टुकड़े-टुकड़े करें देश का, फिर भी खोट नहीं देना,
'तीन तलाक' महामारी, आजाद किया खातूनों को,
लेकिन धरने पर बैठी हैं, पति को चोट नहीं देना।
कैसे कोई करे भरोसा, अपने हिंदुस्तानी पर।

(श्री अविनाश)

तुम जमीर को बेंच दिए, केवल बिजली व पानी पर ।।3।।
क्या कसूर था 'सीएए' पर, 'वो' अड़ गया बताओ तो,
क्या कसूर था पाकिस्तानी पर चढ़ गया बताओ तो,
तुमने जो-जो मांग किया, सब पर कानून बनाया 'वो'
यदि 'एनआरसी' पर थोड़ा आगे बढ़ गया बताओ तो,
गांधी-नानक की धरती पर, वोट किए हैवानी पर,
तुम जमीर को बेच दिए, केवल बिजली व पानी पर ।।4।।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। श्री अमित चाचाण। कृपया समाप्त करें।

श्री अविनाश (जैतारण): एक अंतिम वाक्य है।

श्री सभापति: समाप्त करें, समाप्त करें। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अविनाश (जैतारण): 000

श्री अमित चाचाण (नोहर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री सभापति: आप विराजें। माननीय सदस्य, विराजें।

श्री अविनाश (जैतारण): 000

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, ये अहंकार की बात करते हैं, राजा रावण के भी कई संगठन थे और उनका ही पता नहीं लगा।

श्री सभापति: आप विराजें, माननीय सदस्य, विराजें। आप भी विराजें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप इधर देखें। माननीय सदस्य, आप हर बार डिस्टर्ब करते हैं। आपको अक्सर देखा गया है, यह अच्छी बात नहीं है। आप यहां पर अकेले ही नहीं हैं।

श्री अमित चाचाण (नोहर): माननीय सभापति महोदय, आज हम चाहें राजस्थान के विकास की बात करें, चाहे किसी परिवार के विकास की बात करें, विकास तभी सम्भव हो पाता है जब उसका मुखिया संवेदनशील हो, जब उसका मुखिया ईमानदार हो, जब उसका मुखिया सबको साथ लेकर चलने वाला हो, जब उसका मुखिया पंक्ति के अन्तिम छोर तक के व्यक्ति के बारे में सोचने

(श्री अमित चाचाण)

वाला हो। मैं भाग्यशाली हूं कि आज मैं उस सदन का सदस्य हूं जिस सदन का मुखिया एक ऐसे गांधीवादी नेता हैं, जिस सदन के मुखिया एक ऐसे संवेदनशील व्यक्ति हैं, जिस सदन के मुखिया 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले हैं, जिस सदन के मुखिया आमजन, किसान, मजदूर की बात को सुनने वाले और इस सदन के मुखिया गरीब को गणेश और किसान को भगवान मानकर काम करने वाले हैं, ऐसे सदन के मुखिया के नेतृत्व वाले सदन का मैं सदस्य हूं।

माननीय सभापति महोदय, चूंकि सरकार का पहला वर्ष विभिन्न आचार संहिताओं का रहता है, पहला बजट भी जून-जुलाई के माह में आता है लेकिन सरकार ने अल्प समय में भी उन सभी वर्गों को छूने का काम किया, आमजन, किसान, मजदूर को छूने का काम किया, व्यापारी वर्ग, युवा, बेरोजगारी दूर करने का काम किया। यहां तक कि पशुओं के लिए भी, युवाओं के लिए भी, मनुष्यों के लिए भी नि:शुल्क दवा योजना, नि:शुल्क जांच योजना, अन्य विभिन्न तरह के ऐसे-ऐसे कार्य किए कि आज पूरे राजस्थान की जनता माननीय अशोक जी गहलोत का, कांग्रेस पार्टी का तहेदिल से आभार प्रकट करती है। जनता ने पिछले जो निकाय चुनाव हुए उसमें भाजपा को आईना दिखा दिया था कि आप असत्य की बातें करते रहिये, आपसी जातिवाद की बातें करते रहिये, आप सिर्फ धर्म की बातें करते रहिये, हमारे देश की जनता को, राजस्थान की जनता को रोजगार चाहिए, आमजन, गरीब, मजदूरों को रोटी चाहिए न कि सिर्फ जातिवाद से देश का भला हो सकता है। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 25 सांसदों को राजस्थान की जनता ने निर्वाचित करके भेजा और उनका हक था कि वे लोक सभा में राजस्थान के विकास की बातें करें, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि जब राजस्थान के हिस्से का पैसा काटा जाता है तो वही 25 सांसद हंसकर मेज थपथपाते हैं और अपने आपको कहते हैं कि हम राजस्थान से चुनकर आए हैं। बड़े ही शर्म की बात है। उनका भी दायित्व बनता है कि वे राजस्थान के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्र सरकार से मांग करें। राजस्थान के हक का जो हिस्सा है, आम नागरिक के हक का जो हिस्सा है उसको लेकर आएं जिससे कि राजस्थान का विकास हो सके।

माननीय अशोक जी गहलोत वह शख्सियत हैं जो न तो मर्सीडीज गाड़ी में घूमते, न वे फाइव स्टार होटल में घूमते हैं, न वे लन्दन जैसे विदेशों

(श्री अमित चाचाण)

की यात्रा करते हैं। वे अपने जीवनकाल में सदैव यही चाहते हैं कि रोजाना 18 घंटे मेहनत करते हुए प्रतिदिन सोचते हैं कि किस तरह से वे राजस्थान की जनता का विकास करें, किस तरह से वे आमजन, किसान, मजदूर को आगे ले जाने का काम करें, किस तरह से वे राजस्थान की 7 करोड़ जनता को आगे ले जाने का काम करें। सदैव उनकी सोच यही रहती है। उनके साथ-साथ जो भी कैबिनेट सदस्य हैं, एकजुटता के साथ, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ अपने राजनीतिक धर्म का निर्वहन करते हुए सदैव यही कहते हैं कि किस तरह से हम राजस्थान का विकास करें।

आज तो हमारा विपक्ष इतना नाकारा हो चुका है कि विपक्ष की भूमिका भी वे सही रूप से नहीं निभा रहे हैं। जब यहां विकास की बात की जाती है तो वे वैल में आ जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं और यहां तक कि हम जो नये सदस्य यहां चुनकर आए हैं, हम भी अपने आपको शर्मसार मानते हैं जिस तरह के वाकये हमें इस सदन में देखने को मिलते हैं जबकि राजस्थान की जनता ने उन पर विश्वास जताकर, उनको निर्वाचित करके यह कहकर भेजा था कि बात पक्ष की हो या विपक्ष की, राजस्थान के विकास की बात आए, आमजन के विकास की बात आए, किसान के विकास की बात आए तो एकजुटता के साथ एक स्वर में ध्वनिमत से यह पारित होना चाहिए कि हमें राजस्थान के विकास की बात करनी है।

आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसान वह शख्स है जो पूरे देश का पेट भरता है। हमारा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है लेकिन बड़े शर्म की बात है कि जब-जब भी किसान ने पानी मांगा तो भाजपा राज में उन्हें पानी तो नहीं दिया, गोलियां दीं, लाठी दीं और ऐसे-ऐसे कारनामे इन्होंने किये हैं। मैं आपको मेरे क्षेत्र की बात बताना चाहता हूं। बड़े शर्म की बात है कि हमारे हनुमानगढ़ जिले के सिंचाई मंत्री होने के बावजूद जब किसान उनसे पानी मांगने गये तो उन्होंने कहा कि पानी नहरों के लिए तो नहीं है, आप बोतल में लेकर चले जाओ और मेरे विधान सभा क्षेत्र की रासलाना वितरिका के 27 गांव के किसानों के खेत में 15 वर्ष तक पानी नहीं पहुंचा, उनकी आंख में पानी आ रहा था। जब मुख्य मंत्री जी 2014 में नोहर में गये थे, वे धरने के बीच में गये और आश्वासन देकर आये कि जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपके इन 27 गांवों में टेल तक पानी पहुंचाएंगे। उनका वादा पूरा करने के लिए मैंने स्वयं सर्द रातों में 8 दिन तक पानी चोरी रोकने का काम

(श्री अमित चाचाण)

किया। पांच वर्ष में जो इन्होंने जर्जर ढांचा कर दिया था, राजनीतिक संरक्षण देते हुए प्रभावशाली लोगों से जो पानी चोरी करवा रहे थे, पानी माफिया को पनपाने का जो काम किया, मैंने उसको रोकने का काम किया। आज मेरे विधान सभा क्षेत्र के 27 गांवों के खेतों में पानी पहुंच रहा है और वहां के किसान माननीय अशोक जी गहलोत को और कांग्रेस पार्टी के नेता को धन्यवाद दे रहे हैं। जब तक हम किसान के हाथ मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हम किसान को आगे लेकर नहीं जाएंगे, जब तक प्रत्येक किसान के खेत तक पानी नहीं पहुंचाएंगे, तब तक न तो राजस्थान का विकास हो सकता है, न भारत का विकास हो सकता है क्योंकि किसान ही वह शख्स है जो पूरे देश का पेट भरता है और देश की अर्थव्यवस्था किसान के उस खेत से चलती है जहां वह अपनी फसल बोता है। ऐसा काम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है, माननीय अशोक जी गहलोत ने किया है।

मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं, एक-एक बिन्दु जब इस दस्तावेज से पढ़ा जाता है, तो प्रत्येक वर्ग को उन्होंने छूने का काम किया। हर वर्ग के लिए उन्होंने कुछ न कुछ देने का काम किया, चाहे वह कितनी ही आचार संहिताओं का समय क्यों न रहा हो लेकिन, माननीय अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने ऐसा काम किया जिससे कि आज आमजन, किसान तो दूर, 36 बिरादरी के लोग अपने आपको लाभान्वित महसूस कर रहे हैं और वे सोच रहे हैं कि हमने एक सच्ची और अच्छी सरकार बनाई है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मेरे सभी माननीय सदस्यों ने अलग-अलग विषयों पर बात कह दी, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं तहेदिल से आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद और इसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्री सभापति: श्री खुशवीरसिंह।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपको, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को आदरणीय गहलोत साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने संविधान की महत्ता, संवैधानिक तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था एवं भारत रत्न डा. भीमराव अम्बेडकर के योगदान का स्मरण करने के लिए विधान सभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाकर चर्चा की।

सभापति महोदय, डा. भीमराव अम्बेडकर वे महापुरुष थे, उनको याद

(श्री खुशवीरसिंह)

करने से पहले मैं उस जौहरी को भी याद करना चाहूंगा, जिसने डा. भीमराव अम्बेडकर की कद्र की, उस हीरे की कद्र की और वे थे बड़ौदा के तत्कालीन महाराजा, जिन्होंने डा. भीमराव अम्बेडकर साहब को लंदन पढ़ने के लिए भेजा। उस वक्त उन्होंने अपनी आर्मी के अंदर, उनको बड़े ओहदे पर नौकरी भी दी, कैप्टन पद पर उनको सम्मानित किया।

सभापति महोदय, उसके बाद अगर डा. भीमराव अम्बेडकर साहब की किसी ने कद्र की तो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने डा. भीमराव अम्बेडकर साहब को शक्ति प्रदान की और देश की लोकतांत्रिक तकदीर लिखने का काम डा. भीमराव अम्बेडकर साहब ने किया। सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा, जब प्रथम बार मुख्य मंत्री रहे और मेरे क्षेत्र में उनका दौरा रहा, मैं उस वक्त प्रधान था। उस वक्त उन्होंने जो अकाल प्रबंधन किया, बड़े-बड़े किसानों के घर में जितना अनाज उनकी खेती से नहीं आ रहा था, उससे ज्यादा अनाज गहलोत साहब ने उस वक्त 'काम के बदले अनाज योजना' के तहत लोगों को रोजगार दिया, अकाल प्रबंधन में इतना शानदार किया। उससे पहले अकाल प्रबंधन 70 वर्षों के इतिहास में कभी नहीं हुआ।

माननीय सभापति महोदय, मैं पिछली बार जिला प्रमुख था। उस वक्त मुख्य मंत्री महोदय ने निःशुल्क दवा योजना लागू की और आम अवाम की आवाज थी। मैं गांवों में जाता, घूमता, उस मां के दर्द को समझा पुत्र के लिए, अपने पैसे नहीं ला पा रहे थे, अपनी बीमारी को लेकर, वे बिना दवा लिए काम चला रहे थे, लेकिन ज्यों ही निःशुल्क दवा योजना लागू हुई, उस मां का आशीर्वाद माननीय मुख्य मंत्री गहलोत साहब को मिला है। उन्होंने उसकी भी पीड़ा को समझा।

सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र के एक गरीब व्यक्ति के बच्चे को पागल कुत्ते ने काट लिया। उसके पास में इलाज का पैसा नहीं था। लोगों ने ज्यों-त्यों करके उसको पाली तक तो भेज दिया, लेकिन उस वक्त मुझे याद है एक इंजेक्शन चार सौ रुपये का था, सात इंजेक्शन लगते थे, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री गहलोत साहब ने निःशुल्क दवा योजना लागू कर दी। उससे आज हजारों, लाखों लोगों को फायदा हुआ है।

सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्री महोदय को कि आपने ईडब्ल्यूएस के लिए सबका साथ, सबका विकास की बात कही है। उसमें

(श्री खुशवीरसिंह)

न जाने कितनी बाधाएं थीं, बंधन थे, उन सबसे मुक्त कर दिया। सभापति महोदय, इतना-सा सुझाव देना चाहूंगा ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट प्राप्त करने में कुछ दुविधाएं आ रही हैं तो कैम्पों के माध्यम से भी उसको अच्छा किया जा सकता है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, टिड्डी प्रबंधन की बात हुई। उसको केन्द्र सरकार ने भी सराहा है। टिड्डी के छिड़काव के बाद में उसका दुष्प्रभाव देखने में आ रहा है। कई एनवायर्नमेंटलिस्ट ने मुझे बताया, मैं भी गया वहां पर, उससे एक और बीमारी पैदा हो सकती है। जो पक्षी उन मरी हुई टिड्डी को खा रहे हैं, उन पक्षियों में कोई ऐसी बीमारी या महामारी नहीं फैल जाए, उनके माध्यम से अपने तक नहीं आ जाए। अभी कल हमारे कृषि मंत्री महोदय का स्टेटमेंट भी था कि लाल सागर और अफगानिस्तान की तरफ से टिड्डी और आने की काफी मात्रा में वहां ऐसी परिस्थिति हो गई है, वह टिड्डी और बढ़ रही हैं, हिन्दुस्तान की तरफ। उसकी रोकथाम के लिए अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसी व्यवस्था की जाए, नहीं तो हमारे पक्षियों में, पशुओं में, हमारे अंदर ऐसी बीमारी नहीं फैल जाए, इसके लिए मैं केन्द्र सरकार को कहना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि एक देश के अंदर दोहरा कानून नहीं चल सकता है। एक तो करोड़ों-करोड़ रुपये देश के, बैंकों के हड़प कर लोग चले जाते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जिन लोगों ने अपने कृषि कार्य के लिए पैसे लिये हैं, उनको समय पर नहीं चुकाने पर बैंक वाले आते हैं और ढोल बजा-बजाकर कुर्क करके, उनको बेइज्जत किया जाता है तो मैं चाहूंगा कि ऐसे किसान, जो समय पर अपना ऋण नहीं चुका पाते हैं, कई कारण हो सकते हैं। उनके विरुद्ध इस तरह की कोई कार्यवाही नहीं की जाए, कार्यवाही करनी है तो जो देश छोड़कर भाग गये करोड़ों रुपये लेकर, उनके विरुद्ध की जाए।

सभापति महोदय, अभी हिन्दुत्व की बात पर कई बातें हो रही थीं, लेकिन मैं उनको आईना दिखाना चाहूंगा कि चाहे हिन्दुत्व की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, मैं खुद दिल्ली में 10 दिन तक घूमा हूं। वहां देखकर आया कि कल का जो रिजल्ट रहा है, उस रिजल्ट के पीछे कारण क्या रहे हैं। उसके रिजल्ट के पीछे जो कारण रहे हैं, उसके बारे में हमको गहनता से सोचना

(श्री खुशवीरसिंह)

होगा। आज अभी न जाने कितने संगठनों के नाम गिना दिये हमारे साथी ने, सैकड़ों संगठनों के नाम गिना दिये, उनके जाने के बाद में भी मोटर साइकिल से बोलेरो तक ही, वे सीमित रह गये, तो इसके बारे में हमें सोचना होगा, हमारी सरकार को भी सोचना होगा। आज निर्दलीय विधायक हमने बिना शर्त कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया है, उसके पीछे कारण क्या रहा है।

सभापति महोदय, आज आप कर्नाटक में चले जाएं, कर्नाटक के अंदर जो होर्स ट्रेडिंग हुई है, वह किसी से छिपी हुई नहीं है लेकिन हमारे निर्दलीय साथियों ने, बसपा के साथियों ने कांग्रेस को समर्थन दिया, इस गांधीवादी नेता की बदौलत। आज हमने बिना शर्त समर्थन दिया है माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब को, इनकी नीतियों को, इनके गांधीवादी विचारों को हमने समर्थन दिया है।

सभापति महोदय, हिन्दुत्व की बात करने वाले, मैं उनको कहना चाहूंगा कि आपका प्रादुर्भाव तो 1924 और 1927 में हुआ है लेकिन आठ सौ वर्षों तक इस देश के अंदर विदेशियों का शासन रहा है। न जाने कितने औरंगजेब जैसे क्रूर शासक भी हुए, अंग्रेजों ने भी शासन किया है, बावजूद इसके हमारा हिन्दुत्व जिंदा रहा है, हमारे रीति रिवाज, हमारी भाषा, हमारी वेशभूषा, हमारे तीज त्योहार, आज जो जिंदा रहे हैं, वह आपकी बदौलत नहीं है। इस देश के उन शासकों की बदौलत रहा है, उन महापुरुषों की बदौलत रहा है, जिनकी एक-एक दिन में इस देश के लिए तीन-तीन पीढ़ी कुर्बान हो गयी हैं। सभापति महोदय, हिन्दुत्व की, देश की रक्षा करने के लिए, एक-एक दिन में तीन-तीन पीढ़ी कुर्बान हुई हैं।

आज हम सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, आप टिड्डी नहीं रोक पाए देश में, इंदिरा जी ने तो तोपों के मुंह मोड़ दिये और एक देश के दो-दो टुकड़े कर दिये, हम सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं। आज अगर सर्जिकल स्ट्राइक की बात करनी है तो आप लोग सीखिए गौरा और बादल से कि सर्जिकल स्ट्राइक करके पद्मावती को लेकर वे आये थे। आज बल्लू जी चम्पावत को देखिए जो अमरसिंह राठौड़ की देह को आगरा के किले से लेकर निकल गये थे। वह सर्जिकल स्ट्राइक थी। आप टिकट देने की बात कर रहे हैं, टिकट इसलिए नहीं दिया, हमारी पार्टी चाह रही थी कि ये अग्नि स्नान करके आएं, ये पवित्र हैं या नहीं हैं। हमारी पवित्रता को पहचाना पार्टी ने और फिर हम भी पार्टी के साथ हैं। हम अनकंडीशनल पार्टी के साथ हैं। आपके

(श्री खुशवीरसिंह)

जैसे कर्नाटक में हुआ उस तरह हमने समर्थन नहीं दिया है। आपको मालूम है कितने करोड़ों रुपये उनको दिए गए। आप सब जानते हो लेकिन यह राजस्थान है, इस गांधीवादी व्यक्ति के पीछे आज हम सबने समर्थन दिया है। यह विश्वास है, आम मां का विश्वास है, आम बेटे का विश्वास है। कभी उन्होंने धार्मिक भावनाओं को उद्वेलित करके वोट नहीं मांगा है फिर भी उन्होंने सभी धर्मों के लिए नि:शुल्क धार्मिक यात्रा की व्यवस्था जो की है, वह आप कर नहीं पाए। गाय की बात करने वाले, कभी आपने गाय के लिए नि:शुल्क दवा की व्यवस्था नहीं की। गहलोत साहब ने उन मूक प्राणियों के लिए भी नि:शुल्क दवा की व्यवस्था की है। इससे ज्यादा और क्या बात हो सकती है। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हरेंद्र निनामा।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पुरजोर विरोध में बोलने वाला हूं क्योंकि जिस तरह से सत्ता पक्ष के माननीय मुख्य मंत्री जी ने राज्यपाल महोदय से जो अभिभाषण पढ़ाया है, उसमें न तो विकास की योजनाएं हैं, न कोई बजट का प्रावधान है। मैं उस जिले से आता हूं जो राजस्थान का दक्षिण जिला बांसवाड़ा कहलाता है। एक समय था हरिदेव जोशी जी इस विधान सभा में मुख्य मंत्री हुआ करते थे। मैं सौभाग्यशाली हूं उस उदयपुर संभाग के आदिवासी परिवार से निकलकर आता हूं। आज उस आदिवासी परिवार से निकलकर राजस्थान के सर्वोच्च सदन के सभापति के रूप में महेन्द्रजीत मालविया जी आसीन हैं, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं गौरव अनुभव कर रहा हूं। मेरा विधान सभा क्षेत्र घाटोल है। यहां पर पिछले समय ...(व्यवधान) मंत्री बनेंगे जरूर बनेंगे। राजनीति से हटकर बोल रहा हूं, मंत्री बनने भी चाहिए। मैं माननीय पूर्व मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी शेखावत को याद करता हूं इस सदन में, क्योंकि उदयपुर संभाग के आदिवासियों का भला करने के लिए भैरोंसिंह जी शेखावत पहले व्यक्ति थे जिन्होंने टीएडी मंत्रालय का गठन पहली बार किया, जिसकी वजह से उदयपुर संभाग में सड़क, बिजली, पेयजल के लिए बहुत सारी योजनाएं बनीं और करोड़ों रुपये लगे, जिससे हमारे एरिया का भला हुआ। इस अभिभाषण में मैंने हरिदेव जी जोशी का नाम लिया था, जिनके अथक प्रयासों से माही डैम बनाया

(श्री हरेन्द्र निनामा)

गया जिसमें तीन प्रकार की नहरें निकली हैं एलएमसी, आरएमसी और भूंगड़ा कैनाल। इस अभिभाषण में उस बड़े संभाग के सबसे बड़े बांध का कहीं जिक्र नहीं किया, यह हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और तो और टीएडी का बजट जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है और राज्यपाल महोदय उसको पढ़ते हैं लेकिन एक साल बीतने के बाद जनजाति विकास विभाग की तरफ से न तो बांसवाड़ा को बजट मिला, न घाटोल को बजट मिला, न उदयपुर संभाग के किसी भी स्थान के लिए कोई बजट का प्रावधान है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है।

मैं तो कहना चाहता हूं हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है लेकिन आज जनजाति विभाग के द्वारा जो छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं उनमें रहने वाले बच्चों की हालत खराब है। उनको समय पर ड्रेस नहीं मिल रही है, समय पर रोटी नहीं मिल रही है, समय पर नाश्ता नहीं मिल रहा है। मैंने कई छात्रावासों का निरीक्षण किया है। मंत्री तो जनजाति विकास विभाग के मालविया साहब भी थे, मैं यहां सामने बैठे हुए मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कभी अगर आप बांसवाड़ा का दौरा करोगे तो कलेक्ट्रेट में एक बहुत बड़ा जनजाति का भवन बनाया है करोड़ों रुपए की लागत का जिसमें राजस्थान सरकार की और जिला कलेक्टर की बैठकें आयोजित की जाती हैं। मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धरा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो दो कमरे के अंदर विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर चल रहा था, उसको ट्रांसफर करके बांसवाड़ा में संचालित किया। आज वह विश्वविद्यालय उस जनजाति भवन के अंदर चल रहा है और जाते-जाते उन्होंने करोड़ों रुपये दे दिए, जमीन आबंटन कर दी। नए विश्वविद्यालय के लिए माही डैम के पास में बिल्डिंग बन रही है। यह हमारे आदिवासियों के लिए सौभाग्य नहीं तो और क्या है।

मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूं माननीय गुलाब चन्द जी कटारिया हमारे विपक्ष के नेता यहां बैठे हुए हैं। भैरोंसिंह जी शेखावत सरकार में आप शिक्षा मंत्री थे। वहां पर नि:शुल्क पाठ्यक्रम पहली बार अगर लागू करने का काम किया और आदिवासी परिवार की शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया तो वह माननीय गुलाब चन्द जी कटारिया ने किया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आठवीं तक की शिक्षा में नि:शुल्क पाठ्यक्रम लागू किया। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अभी काफी सदस्य

(श्री हरेन्द्र निनामा)

आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, यह शब्द आ रहा था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कभी मां त्रिपुरासुंदरी बांसवाड़ा दर्शन करने गए होंगे तो वसुन्धरा जी ने करोड़ों रुपये लगाकर मंदिर और उसका परिसर बहुत ही सुंदर विकसित करने का काम किया है।

हमारे आदिवासियों का कुंभ कहलाने वाला मेला अभी चल रहा है वेणेश्वर का नाम सुना होगा। उस वेणेश्वर धाम पर करोड़ों रुपये देकर भारतीय जनता पार्टी के राज में काम हुए और आज भी मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उस वेणेश्वर के टापू में विलायती बबूल उगे हुए हैं जिसका एक कांटा लगता है तो डाक्टर के पास में जाना पड़ेगा, ऐसा बबूल है तो क्यों नहीं उसको साफ करवा दिया जाए और गुलाब के फूलों का बगीचा उस सुंदर जगह पर लगाएं, ताकि जो पर्यटक और दर्शन करने वाले हैं वह उस जगह को देखें। और तो और, भारतीय जनता पार्टी के राज में घोटिया आम्बा हो या मानगढ़ धाम हो, जहां पर हमारे 1500 आदिवासियों ने गुरू गोविंद के नेतृत्व में भक्ति के मार्ग से जनजाति की पहली आजादी की लड़ाई शुरू की। अंग्रेजों ने उस समय तोप चलाई, जिसकी वजह से हमारे 1500 आदिवासी शहीद हो गए। मैं इस सदन के माध्यम से सत्ता पक्ष के भाइयों से आग्रह करना चाहता हूं आप भी एक प्रस्ताव लेकर आएं कि जलियांवाला बाग में तो 400 मरे थे खाली, लेकिन मानगढ़ धाम पर 1500 आदिवासी शहीद हुए। उसका प्रस्ताव भारत सरकार को भेजना चाहिए कि इतिहास के पन्ने पर उस मानगढ़ धाम का भी नाम आना चाहिए। यह सौभाग्य है कि मानगढ़ का एक विकास फाउंडेशन ट्रस्ट बना हुआ है, उस ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हमारे मालविया साहब ही हैं। इनकी निगरानी में, ये खुद गवाह हैं कि मानगढ़ धाम पर भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से बजट दे करके उसका विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। माही डैम बन गया, पानी की व्यवस्थाएं हैं लेकिन नहरों की हालत खराब है, इसके लिए आने वाले समय में माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं निश्चित तौर पर मांग करता हूं पूरे जोर-शोर से कि हमारे क्षेत्र में विकास के लिए इन नहरों के विकास के लिए आप पैसा देने का काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा।

साथ ही, मैं आज इस मौके पर अटल बिहारी वाजपेयी जी जो इस देश के प्रधान मंत्री थे उनको याद करना चाहता हूं। उनको इसलिए याद करना चाहता हूं कि उनके कार्यकाल में प्रधानमंत्री सड़क योजना लागू की गई जिसमें

(श्री हरेन्द्र निनामा)

आज राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के अंदर गांवों में सड़कों का जाल बिछाने का काम किया और हमारे लिए भी आदर्श के रूप में अटल जी रहे। अटल जी के राज में भूरिया कमेटी लागू की गई और उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जाति के आधार पर आरक्षण चुनाव में किया गया जिसके तहत उदयपुर संभाग में लोग प्रधान, जिला प्रमुख और सरपंच का पद जो अध्यक्ष का है, सभी आदिवासी उस पद पर आसीन होते हैं। उसका श्रेय जाता है तो उस भूरिया कमेटी को जाता है, अटल बिहारी जी वाजपेयी को जाता है।

आज मैं एक और धन्यवाद देश के प्रधान मंत्री माननीय मोदी साहब को देना चाहता हूं। सामने विराजे हुए माननीय सदस्य ने एक बात तो कबूल की, मैं सुन रहा था कि नरेंद्र भाई मोदी आपकी पार्टी का मजबूत प्रधान मंत्री है, मजबूत गृह मंत्री है। सामने से एक साथी ने अपने वक्तव्य में कहा। मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं कि वास्तव में मोदी जी ने ताकत के साथ में तीन-चार फैसले ऐसे दिए जिससे आज विश्व में हमारा देश बढ़ रहा है। पिछली 23 तारीख को 10 साल और आरक्षण बढ़ाने का काम किया भारत सरकार ने तो वह धन्यवाद के पात्र हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। धारा 370 हटाने का काम किया, 35(A) हटाने का काम किया, राम मंदिर का काम किया। राम मंदिर का कहते हैं तो यह कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने किया है लेकिन साथियों मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने 50 साल तक देश में राज किया, भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में खाली साढ़े ग्यारह साल मिले, 6 साल तो अटल जी के और साढ़े पांच साल मोदी जी के, आप तराजू में तोलिए कि साढ़े ग्यारह साल का विकास और 50 साल का विकास, तराजू किधर भारी पड़ता है, यह देखो। आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी कोई विकास का काम नहीं कर रही है। आज विश्व में सर्वे हुआ कि विश्व में ताकतवर प्रधान मंत्री कौन हो सकता है। उस सर्वे में आया, आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा, उसका नाम है नरेन्द्र भाई मोदी। विरोध करना भी जानते हैं, अभी पहले एक साथी बोल रहे थे, उन्होंने वसुन्धरा जी का नाम लिया, वसुन्धरा तेरी खैर नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश में नारा लगाया 'एक कचोरी एक समोसा, कांग्रेस का क्या भरोसा', जिसकी वजह से हम 303 लेकर आये और दूसरी बार लगातार देश में राज कर रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): सभापति महोदय, एक बात कहते हुए मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का टाइम दिया है। वेणेश्वर धाम हमारे आदिवासियों का एक स्थान है, उसको राष्ट्रीय मेले के रूप में घोषित करने का इस सदन में प्रस्ताव लिया जाए, ऐसी मेरी मांग है। माननीय मुख्य मंत्री जी से, सत्ता पक्ष के सभी माननीय भाइयों से मांग है कि इस तरह का प्रस्ताव लिया जाएगा तो जनता आपको भी याद करेगी। जिस तरह से इस अभिभाषण में हमारे उदयपुर संभाग को दरकिनार किया है, उदयपुर संभाग का आदिवासी भाई कभी आपको बख्शेगा नहीं, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अमीनुद्दीन कागजी (अनुपस्थित)। श्री पुखराज जी गर्ग।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर लाये गये धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे मेरे दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से बोलने हेतु समय देने के लिए आपका आभार।

सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल ने राजस्थान की विधान सभा को कोई बौद्धिक प्रबोधन दिया होता तो हम कृतज्ञतापूर्वक उन्हें अवश्य ही हार्दिक धन्यवाद देते परंतु हमारी व्यवस्था की मजबूरी है कि राज्यपाल तो केवल सत्ता पक्ष के बनाये अभिभाषण का पठन करते हैं। ऐसे में इस प्रस्ताव को मानने का मतलब है इस लचर, अकर्मण्य, अव्यवस्थित और भ्रष्ट सरकार की नीतियों पर मुहर लगाना। राज्य के प्रत्येक जवान, किसान के लिए सदैव प्रयत्नशील, संघर्षशील राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी शासन के सभी मोर्चों पर, हर पहलू से बुरी तरह से फेल रही इस जन विरोधी, जनतंत्र विरोधी सरकार को धन्यवाद तो हरगिज नहीं दे सकते। यह प्रस्ताव तत्काल खारिज करने योग्य है। इस सरकार का पहला साल घोर कुशासन के लिए याद किया जाएगा। राम जाने इसके आगामी चार वर्ष प्रदेश की जनता पर क्या कहर ढायेंगे। नवीन समृद्ध राजस्थान के लिए दृढ़ संकल्पित होने की बातें करना मात्र ढकोसला है। लोक कल्याण और जनसेवा से इनका कोई लेना-देना नहीं है। जब इनकी कोई सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली ही नहीं है तो फिर उसमें उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, संवेदनशीलता जैसे गुणों के होने का तो प्रश्न ही कहां है।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री दोनों ही पद बचाने और पद पाने की लालसा में कुशल नेतृत्व दे पाने में असमर्थ हो रहे हैं। जिम्मेदार लोगों, मंत्रियों, अधिकारियों में आपस में तालमेल न होना

(श्री पुखराज)

चिंताजनक है। प्रदेश में सभी स्तरों पर जनप्रतिनिधियों की अवहेलना करना सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों की कार्यशैली का हिस्सा बन चुका है। यहां तक कि माननीय विधायकों के लिए लागू प्रोटोकाल तक से आंखें मूंद कर उनके प्रति अपमानजनक व्यवहार करना, दुर्व्यवहार करना, उन्हें समुचित आदर न देना, उन्हें गंभीरता से न लेना यह रोजमर्रा का काम हो गया है। यदि यह सरकार संसदीय लोकतंत्र के प्रति थोड़ी-सी भी गंभीर है तो सभी अधिकारियों से प्रोटोकाल नियमों की पालना करवाना सुनिश्चित कराएं। महात्मा गांधी जी और भारत रत्न डाक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के नाम का दुरुपयोग करना इनकी मजबूरी है। किसानों को बिजली, पानी, ऋण माफी तथा बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और रोजगार देने के नाम पर ठगने वाली इस सरकार का यह अभिभाषण भी इसके चुनावी घोषणा पत्र की ही तरह असत्य का पुलिंदा है। सरकार चुनावी घोषणा पत्र से पूरी तरह मुकर गई है। इसने यू-टर्न ले लिया है।

मुख्य मंत्री जी गरीब किसान की जेब में हाथ डालकर उसका मखौल उड़ाते हैं। अब किस बात का धन्यवाद चाहते हैं। असत्य चुनावी वादे करके सत्ता में आई इस सरकार से राज्य का कोई भी वर्ग खुश नहीं है। कर्ज में डूबे किसान की फसल टिड्डी चट कर गई है। अस्पतालों में मरीज बिना इलाज के मर रहे हैं। चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से नाकाम है। बेरोजगार युवा अटकी-लटकी-भटकी भर्तियों से दुःखी हैं। लाचार किसान बिजली संकट से भी त्रस्त हैं। रोजाना अबोध बच्चियों तक के साथ दरिंदगी हो रही है। सड़कों पर दुर्घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं और सरकार केवल सड़क सुरक्षा सप्ताह के बैनर पोस्टर लिये अखबारों में खबरें छपवा रही है। जितनी भी योजनाएं केन्द्र सरकार से आती हैं उनको फेल करना ही इनका टार्गेट बन गया है। जनता का नुकसान होता है, लोकहित की हानि होती है। गरीब मजदूर, किसान, जवान, आमजन इनकी संकीर्ण मानसिकता के कारण अपने हक से वंचित रह जाता है। जन आधार योजना के नाम पर एक और ढकोसला किया जा रहा है। पहले की योजनाएं जब कागजी कार्यवाही और अफसरशाही में उलझी पड़ी हैं तो फिर तथाकथित कृषक कल्याण कोष का लाभ भी किसानों को कैसे मिलेगा। किसान सम्मान निधि योजना के लिए सम्पूर्ण डाटा केन्द्र सरकार को उपलब्ध नहीं करवाकर इस अड़ियल सरकार ने किसानों को इस योजना के समुचित लाभ से वंचित कर रखा है। सरकार छोटा-मोटा ऋण माफ करके श्रेय बटोरना चाहती

(श्री पुखराज)

है। किसानों की सम्पूर्ण कर्ज माफी के बिना उनका भला नहीं हो सकता। सरकार की तानाशाही से आज किसानों को अल्पकालीन ऋण भी मिलना बंद हो गया है। शिक्षण संस्थानों के पास में हुक्का बार बेधड़क चल रहे हैं। सरस बूथों की बात करें तो वहां दूध के अलावा सब कुछ बिकता है। नशीला पदार्थ आसानी से प्राप्त हो जाता है। शराबबंदी की मांग राज्य भर से उठती है। चुनावों में आज के सत्तासीन लोग भी जुमले फेंकते हैं कि हम शराब बंद कर देंगे, पर सत्ता मिलने पर कुटिल कारोबारी की तरह व्यवहार करते हुए शराब बेचने के बड़े टार्गेट सैट किये हैं। कमाल है समाज का बेड़ा गर्क कर मनुष्य को नशे की प्रवृत्ति में झोंककर सरकार राजस्व कमाना चाहती है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): एक मिनट साहब। गांव की सरकारों के चुनाव सही तरह से समय पर हो, स्वराज का लाभ समाज में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए अत्यंत जरूरी है पर, आपसी लड़ाई और अंतर्द्वद में फंसी यह सरकार पंचायती राज के महत्व को समझ पाने में निराशाजनक ढंग से असफल रही है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): गरीब किसान के बच्चे पढ़ाई जैसे तैसे अभाव से गुजरते हुए करते हैं। जब सरकार की उन्हें नौकरी देने की बारी आती है तो अधिकारियों और अन्य जिम्मेदार, मंत्रियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण भर्तियां अधर में लटक जाती हैं, कोर्ट के मामले बन जाते हैं और बेरोजगारों को मजबूर होकर मोटी फीस पर वकील करने पड़ते हैं। पेपर लीक, परीक्षाओं में नकल, पेपर्स की गलतियां, भर्ती नियमों का उलझा हुआ होना आदि अनेकानेक कारणों से नौकरी समय पर नहीं मिल पाती है। अब कौनसे ऐसे कामों के लिए धन्यवाद देना है, इनकी तो निंदा और भर्त्सना ही की जा सकती है।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री हाकम अली जी।

श्री हाकम अली खॉ (फतेहपुर): माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। राज्यपाल महोदय द्वारा पढ़े गये अभिभाषण का मैं समर्थन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार द्वारा आम

(श्री हाकम अली खॉ)

आदमी को सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बहुत ही अच्छा काम किया गया है। हमारी सरकार ने गत कार्यकाल में नि:शुल्क दवा योजना लागू की थी, उसके क्रियान्वयन में राज्य देश में प्रथम स्थान पर आया है। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत को धन्यवाद देना चाहिए कि वे ऐसी योजना लेकर आये। यह हमारे लिए गौरव की बात है तथा इस योजना में उपलब्ध करायी जा रही 607 दवाइयों में कैंसर, ह्रदय, श्वांस और गुर्दा रोग जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु नयी दवाओं को शामिल कर 709 प्रकार की दवाइयां नि:शुल्क उपलब्ध करवाना बहुत ही सराहनीय कदम है।

राजस्थान पहला राज्य बना है, जिसमें सरकार ने 'निरोगी राजस्थान' की कल्पना कर निरोगी प्रदेश बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। शहरों में अरबन पीएचसी खोलकर गरीब जनता को राहत दी है। मौहल्लों की गरीब जनता बड़े अस्पतालों में नहीं जा सकती, बड़ा अस्पताल दूर पड़ता है, इसलिए मौहल्लों में क्लीनिक खोलकर जो कार्य किया है, वह बहुत ही सराहनीय है। मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में दो अरबन पीएचसी खोली गयी हैं, उनमें रोज दो सौ से दो सौ पचास मरीज आते हैं और उसका लाभ ले रहे हैं।

इसके अलावा नि:शुल्क जांच योजना के अंतर्गत जांचों की संख्या भी 70 से बढ़ाकर 90 किया जाना आमजन के लिए बहुत ही लाभदायक है। राज्य में नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए हुक्का-बार संचालन पर तथा इलेक्ट्रोनिक सिगरेट की बिक्री, वितरण, भण्डारण एवं विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया जाना एक बहुत ही अच्छा काम है। इससे हमारे युवाओं में नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा तथा प्रदेश का भविष्य सुधरेगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार द्वारा महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य से एक हजार करोड़ रुपये की इंदिरा महिला शक्ति निधि का गठन किया गया है, जिससे महिलाएं लाभान्वित होंगी तथा महिलाओं का सशक्तीकरण होगा एवं महिलाएं आत्मनिर्भर और सुदृढ़ होंगी, जो कि एक सराहनीय कदम है। सभापति महोदय, हमारी सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया, जिसके तहत कुल 1 लाख 71 हजार 713 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनियों एवं ग्राम-साथिनी लाभान्वित होंगी। महोदय, मेरा सरकार को एक सुझाव है कि जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया है, वैसे ही मदरसा पैराटीचर,

(श्री हाकम अली खॉ)

संविदाकर्मियों का मानदेय भी बढ़ाया जाता है तो और भी अच्छा है। आने वाले बजट में मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उनका भी ध्यान रखते हुए उनका भी मानदेय बढाया जाए।

पिछली सरकार में आपाधापी और जल्दबाजी में ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर्स पर जो पंचायत सहायक लगाये गये थे, उनका मानदेय भी मात्र छह हजार रुपये है और पैराटीचर का मानदेय भी छह हजार रुपये है। छह हजार रुपये में आज के इस जमाने में एक परिवार नहीं चल सकता। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है, सुझाव है कि उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाए, उनका मानदेय बढ़ाया जाए और उनके बारे में सोचा जाए।

सभापति महोदय, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री अशोक जी गहलोत और लोकप्रिय शिक्षा मंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सराहनीय कार्य किया है। शिक्षा के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए 14 हजार 51 नवीन कक्षा-कक्षों का निर्माण कर 23 नवीन भवनों के निर्माण तथा 83 भवनों के वृहत् मरम्मत के कार्य हेतु लगभग 1 हजार 582 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं, जिससे देश-प्रदेश की स्कूलों का आधारभूत ढांचा सुदृढ़ होगा। पिछली सरकार के समय प्राइमरी स्कूल जो ढाणियों में थे, मौहल्लों में थे, गांव के गरीब बच्चे जो दूर नहीं जा सकते थे, उन स्कूलों को बंद किया गया था, उन स्कूलों को खोलने का जो निर्णय किया है, वह बहुत ही सराहनीय है, इससे ढाणियों के गरीब बच्चे-बच्चियां पढ़ेंगे। मैं हमारी सरकार और हमारे शिक्षा मंत्री जी को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है तथा जिला मुख्यालयों पर इसी वर्ष अंग्रेजी माध्यम में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की स्थापना करना सराहनीय कदम है।

जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य अभी बोल रहे थे कि बिजली और पानी में ज़मीर बेच दिया है, यह जनता का अपमान है। लोकतंत्र के अंदर जनता जो जनादेश देती है, उसको असेप्ट करना चाहिए। जनता ने जो जनादेश दिया वह हमें स्वीकार्य है, आपने ज़मीर बेचने की बात कहकर दिल्ली की जनता का अपमान किया। मैं हमारी सरकार से निवेदन करना चाहूंगा और सुझाव देना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार जैसी योजना ला रही है, वैसी योजना हमारी सरकार भी लाए, न कि दिल्ली की जनता का अपमान किया जाए। चौमूं से आने वाले हमारे साथी श्री रामलाल जी निकल गये, वे सीनियर सदस्य हैं। हम लोग तो यह सोचकर आये थे कि हमारे जो सीनियर सदस्य हैं, वे हमें कुछ

(श्री हाकम अली खॉ)

सिखाएंगे, लेकिन ये लोग बार-बार बीच में बोलकर, जैसे इनके नीचे स्प्रिंग लगी हुई है, ऐसे बार-बार बोलते हैं। हम इनसे क्या सीखेंगे, इसलिए हम भी बोलने लग गये। (व्यवधान) आपसे ट्रेनिंग लेना चाहते थे, लेकिन आप लोग ट्रेनिंग नहीं दे रहे हो। (व्यवधान) अच्छी ट्रेनिंग दें, अच्छी बात बताएं। यह सदन है, इसे राजस्थान ही नहीं, देश और पूरी दुनिया की जनता देख रही है कि राजस्थान का भविष्य इस सदन से बनता है और यहां से ही राजस्थान का सब कुछ काम चलता है। इसलिए मैं विपक्ष के साथियों से भी यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब नये आये हुए साथी कुछ बोलें तो उनको डिस्टर्ब नहीं करें उनका हौसला बढ़ाएं और जो बोलें, उसके अंदर उनका सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 10 मिनट बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: सदन का समय 10 मिनट बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय 10 मिनट बढ़ाया गया।

श्री मंजीत धर्मपाल।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): सभापति महोदय, धन्यवाद। आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया, मेरे विचार रखने का मौका दिया, उसके लिए मैं तहेदिल से आपका धन्यवाद करता हूं। इस अभिभाषण में कुल 122 पैरा हैं जिसमें पैरा 1 से लेकर पैरा 120 तक राजस्थान सरकार की क्या तस्वीर है, सरकार आने वाले साल में क्या काम करने जा रही है, उसका उल्लेख किया गया है। पैरा नंबर 121 और 122 में इस सदन के सभी सदस्यों से सरकार ने उनका योगदान और उनकी भागीदारी मांगी है।

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

मेरे से पहले सत्ता पक्ष के बहुत से माननीय सदस्यों ने बोला। जो निर्दलीय सदस्य चुनकर आये हैं, उन्होंने सरकार के समर्थन में और इस अभिभाषण के पक्ष में बहुत बड़ी भूमिका बांधी है और यह कहने का प्रयास किया है कि राजस्थान में सरकार बनने के बाद इस एक साल में न जाने कितने अनेकों काम इन्होंने किये हैं। यह भी जताना चाहा है कि सरकार बनने के बाद इस एक साल के अंदर जैसे राजस्थान के अंदर राम का राज्य बना है। आदरणीय सभापति महोदय, अभिभाषण के पैरा 2 में सरकार यह कहती है कि हमें हर्ष है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार को किस चीज का हर्ष है? किस चीज की खुशी है? किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ नहीं करने की खुशी है? क्या किसानों को पूर्व में भाजपा सरकार द्वारा बिजली के बिल में सब्सिडी दी गयी थी, उसको वापस बंद करने का काम इन्होंने किया है, उसकी खुशी है। ये जो चुनावी वादे करके आये थे कि बेरोजगार युवाओं को ये भत्ता देंगे, उनको न देने की खुशी है या स्थानीय उद्योगों के अंदर स्थानीय युवाओं को रोजगार न दिला पाने की इनको खुशी है? क्या आम आदमी पर पुन: टोल का भार डालकर, जो पिछली सरकार ने 55 स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स माफ किया था, उन्होंने यह कहकर कि इस टोल से जो पैसा आएगा, इस राशि से हम स्टेट हाईवे की सड़कों की मरम्मत और रख-रखाव का कार्य करेंगे। जो टोल का सारा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, वह कंसोलिडेटेड फंड में जा रहा है। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि पिछले तीन माह के अंदर इन 55 स्टेट हाईवेज से करीब 700 करोड़ रुपये इन्होंने इकट्ठे किये हैं, इन 700 करोड़ रुपये में से इन्होंने इन 55 स्टेट हाईवे पर कितना पैसा इनकी मरम्मत, इनके रख-रखाव पर खर्च किया है।

(18.00 बजे)

आदरणीय सभापति महोदय, आज प्रदेश का हर वर्ग, हर तबका दुःखी है और साथ ही चिंतित है कि अभी सरकार को बने मात्र एक साल हुआ है, एक साल में ही सरकार ने हमें इतने सारे झटके दिए तो आने वाले चार साल में ये क्या-क्या झटके देगी और आने वाले चार साल कैसे जाएंगे?

खण्ड 5 में यह सुनकर अच्छा लगा कि सरकार प्रदेश में रह रही आम जनता के लिए चिंतित है। उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता करती है। परंतु चिंता कैसी कि कोटा में सैकड़ों बच्चों की मृत्यु हो जाती है या अलवर की घटना हो जाए, सरकार ने सिर्फ पूर्व की सरकार की आलोचना करने का काम

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

किया और कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने पद से हटाकर एपीओ करने का काम किया। मैं तो कहना चाहूंगा कि आप राइट टू हैल्थ केयर एक्ट लेकर आए। इसमें कोई समस्या नहीं है। आप खण्ड 10 में कहते हैं कि जहां चिकित्सा संसाधन नहीं हैं, वहां नागरिकों के लिए जनता क्लीनिक खोले जाएंगे। मैं कहना चाहूंगा कि जनता क्लीनिक खोलने से पहले प्रदेश में जो पीएचसी/सीएचसी में पद खाली पड़े हैं, आप उन पदों को भरने का काम कीजिए। उसके बाद आगे सोचें कि राइट टू हैल्थ एक्ट आप किस तरह से लागू करेंगे? किस तरह से इसको प्रदेश में लागू करना चाहेंगे?

आदरणीय सभापति महोदय, सरकार ने जनता क्लीनिक खोलने की बात की और जनता क्लीनिक जयपुर शहर से खोलने की बात की। जयपुर जैसे बड़े शहर के अंदर हम सब जानते हैं, हर गली, हर मौहल्ले में एक अस्पताल खुला हुआ है। आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जनता क्लीनिक खोलें, मगर उस गांव, उस ढाणी में खोलें जहां पर चिकित्सा की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो, जहां कम्पाउण्डर तक नहीं बैठता हो, जिससे प्रदेश के हर नागरिक तक चिकित्सा सुविधा पहुंचाने का हम काम कर सकें।

अभिभाषण के खण्ड संख्या 12 में सरकार ने नशे की प्रवृत्ति रोकने के लिए हुक्का बार और ई-सिगरेट के क्रय-विक्रय पर रोक लगाने का काम किया है। इस सदन का एक-एक व्यक्ति जानता है, सारे माननीय सदस्य जानते हैं कि हुक्का बार और ई-सिगरेट किस धड़ल्ले से पूरे जयपुर शहर के अंदर बिकता है। मैं जयपुर शहर के अंदर रहता हूं। उस पर किसी तरीके की रोक, किसी तरीके का अंकुश यह सरकार नहीं लगा पाई है। एक तरफ तो यह नशा रोकने की बात करते हैं और दूसरी तरफ प्रदेश में जो शराब की दुकानें हैं, होटल बार हैं, बीयर-बार हैं, उनको कहते हैं कि साल-दर-साल आप अपनी सेल बढ़ाओ। पिछले साल अगर आपने 100 का माल बेचा तो इस साल 110 का माल बेचो। अगर आप उन पर प्रेशर करेंगे कि सेल बढ़ाओ तो वह सेल कहां बढ़ेगी। वह खपत इसी प्रदेश के अंदर होगी। इस तरह से आप प्रदेश के युवा को नशे की तरफ धकेलने का काम कर रहे हैं।

आदरणीय सभापति महोदय, सरकार ने अभिभाषण के माध्यम से यह माना कि किसान राजस्थान की अर्थव्यवस्था की धुरी है। मुझे लगता है कि सरकार सिर्फ किताबों या अभिभाषण में यह चीज मानती है क्योंकि जब से यह सरकार बनी है, एक साल कुछ महीने इस सरकार को हो गए, तब से लेकर अब तक इन्होंने कोई भी एक काम किसान के हित का नहीं किया।

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

सिर्फ अहित करने का काम किया है। इन्होंने वादा किया चुनाव के समय कि हम पूर्ण कर्ज माफ करेंगे। उस वादे से पलट गए। इन्होंने वादा किया कि हम चार साल तक बिजली का बिल नहीं बढ़ाएंगे। मैं मानता हूं कि इन्होंने कृषि कनेक्शन के बिलों में बढ़ोतरी नहीं की, परंतु कम लोड के बिल, मान लें कि 10 एचपी की मोटर लगी हुई है तो कम एचपी की मोटर लगने के बाद भी अधिक एचपी की मोटर का बिल देकर किसानों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या किसान को तब होती है जब उसकी पूर्ण फसल समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदी जाती। अगर यह सरकार सच्ची किसान हितैषी है तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले बजट के अंदर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री यह घोषणा करें कि किसान की सम्पूर्ण फसल समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी जिससे उसको उचित मूल्य मिले और उसका समाधान हो सके।

सभापति महोदय, सरकार कहती है कि कोई भी व्यक्ति निःसंकोच होकर थाने के अंदर जाए और कोई भी तकलीफ है तो वहां जाकर एफआईआर दर्ज कराए। मैं हाल ही तीन दिन पहले की घटना, मेरे विधान सभा क्षेत्र के शाहजहांपुर थाने की घटना का जिक्र करना चाहूंगा। उस थानाधिकारी के क्षेत्र के अन्दर एक व्यक्ति के एकाउंट से करीब दो लाख रुपये से भी अधिक की धोखाधड़ी हुई। जब वह व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर थाने के अंदर पहुंचा तो उसको कहा गया कि जहां से धोखाधड़ी हुई, जहां से पैसा निकला है, आप वहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। आप शाहजहांपुर थाने के अंदर शिकायत दर्ज नहीं करा सकते। उस व्यक्ति का मेरे पास फोन आया तो मैंने एडीशनल साहब से बात की कि जो व्यक्ति जहां पर रह रहा है अपनी शिकायत लेकर उसी थाने के अन्दर जाएगा, परंतु आपका थानाधिकारी कहता है कि आप अपनी शिकायत यहां पर दर्ज मत कराओ। आप जाकर टपूकड़ा थाने में दर्ज कराओ। हमने पता किया है कि आपका पैसा वहां से निकला है। यह कैसी सरकार है जो एक तरफ तो कहती है कि आपको कोई भी शिकायत हो, कोई भी तकलीफ हो आप रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं और दूसरी तरफ जब व्यक्ति रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचता है तो उसे मना कर दिया जाता है, उसे प्रताड़ित करने का काम किया जाता है।

सभापति महोदय, सरकार ने अपने पिछले बजट के अंदर भिवाड़ी में एक नया एसपी कार्यालय खोलने की बात की। मैं धन्यवाद करता हूं सरकार

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

का कि इन्होंने भिवाड़ी में एसपी कार्यालय खोला। मैं प्रदेश के मुख्य मंत्री जी से मिला कि साहब भिवाड़ी एक कोने में पड़ जाता है तो आपसे निवेदन है कि नीमराना में उसकी स्थापना की जाए। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि अगर कांग्रेस के लोग मुझसे कहेंगे, कांग्रेस के जिले के नेता कहेंगे तो ही मैं नीमराना में खोल सकता हूं, वरना भिवाड़ी ही खोलूंगा। दूसरा कारण उन्होंने मुझे बताया कि भिवाड़ी के अंदर अपराध ज्यादा हैं, इस वजह से भिवाड़ी में खोलने का काम कर रहे हैं परंतु जब से यह कार्यालय भिवाड़ी में खुला है, पूरे भिवाड़ी में एसपी के अधिकार क्षेत्र के अंदर अपराध इतनी तेज गति से बढ़े हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। प्रदेश के अंदर पहली बार किसी थाने के अंदर से किसी अपराधी को भगाने का काम हुआ है तो वह बहरोड़ थाने से हुआ है, जो भिवाड़ी एसपी के अंडर में आता है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): पूरे एक साल तक पपला गुर्जर को भिवाड़ी के अंदर 60 लाख रुपये लेकर संरक्षण दिया जाता है। उसको वहां पर रहने की अनुमति दी जाती है। सभापति महोदय, आप कहेंगे तो मैं समाप्त कर दूंगा और मेरा अभिभाषण टेबल भी कर दूंगा।

श्री सभापति: समय समाप्त हो रहा है।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): अंत में एक ही लाइन कहना चाहूंगा। सरकार पैरा 2 के अंदर कहती है- इन्हें हर्ष है कि इन्होंने एक साल के अंदर प्रदेश के अंदर अनेकों कार्य कराए। मैं कहता हूं प्रदेश की जनता इतनी दुःखी है, इनका हर्ष, किस हश्र में बदल जाएगा कि अगर आज आप वोट डलवा लें तो 2013 के अंदर यह एक मिनी बस के अंदर आए थे और अगर आज वोट डलवा लें तो एक कार जितने भी सदन के अंदर नहीं आएंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 13 फरवरी 2020 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 18.07 बजे गुरुवार, दिनांक 13 फरवरी 2020 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य के तारांकित प्रश्नोत्तर

झालावाड़ में किसान सम्मान निधि योजना से वंचित किसान

47. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले में किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सभी गांवों के किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो वंचित गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में जिला झालावाड़ के किन-किन किसानों को कितनी किश्तें मिल चुकी हैं व कितने किसान वंचित हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में सभी पात्र किसानों को सम्मान निधि समय पर मिले, इसके लिए सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सभी 1640 गांवों के किसानों को लाभ प्राप्त हो रहा है।

(2) वर्तमान में जिला झालावाड़ में 2,41,646 किसानों द्वारा आवेदन किया गया है जिसमें से 2,22,450 किसानों को पात्र पाया गया है। उक्त योजना के अन्तर्गत दिनांक 04.02.2020 तक 1,88,390 किसानों को प्रथम किश्त, 1,84,352 किसानों को द्वितीय किश्त, 1,57,216 किसानों को तृतीय किश्त एवं 69,959 किसानों को चतुर्थ किश्त से लाभान्वित किया गया है।

(3) पात्र किसानों के चयन हेतु किसान सेवा पोर्टल का सृजन किया गया है एवं त्रिस्तरीय सत्यापन की व्यवस्था की गयी है अर्थात् पटवारी, तहसीलदार एवं कलेक्टर द्वारा सत्यापन किया जाता है। पात्र किसानों को लाभांवित करने की दृष्टि से समय-समय पर शिविरों के आयोजन हेतु निर्देशित किया गया एवं शिविरों का जिला स्तर पर आयोजन किया जा रहा है।

प्रदेश कौशल विकास योजनान्तर्गत बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण

49. श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या कौशल विकास के द्वारा प्रदेश के बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण द्वारा व्यवसाय से जोड़ने की एक अनूठी योजना है? यदि हां, तो उक्त योजना के तहत प्रदेश में कितने केन्द्रों को कौशल विकास हेतु स्वीकृति प्राप्ति हुई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त महत्वपूर्ण योजना का समय पर एवं प्रभावी मूल्यांकन नहीं होने के कारण कई संस्थाओं ने फर्जी आंकड़े व फर्जी नौकरियां दिखाकर सरकार से करोड़ों रुपये प्राप्त करने का प्रयास किया है? यदि हां, तो इस प्रकार की अनियमितताएं करने वाली संस्थाओं एवं संस्थापकों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी व सभी के साथ समानता की कार्यवाही नहीं हुई तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। निगम द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण योजनाओं का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को सूचीबद्ध निजी प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं के माध्यम से लघु अवधि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षण प्रदान कर निजी क्षेत्र में रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। निगम द्वारा निम्नलिखित चार कौशल प्रशिक्षण योजनाओं का संचालन किया जा रहा है:-

क्र. सं.	योजना का नाम	वित्तीय सहयोग
1	रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ELSTP)	राज्य पोषित
2	नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (RSTP)	राज्य पोषित
3	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)	केन्द्र व राज्य पोषित
4	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY 2.0-Central sponsored State managed)	केन्द्र पोषित

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता)

उपरोक्त चार योजनाओं में से तीन योजनाओं क्रमशः रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में 357, नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में 277 एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 211, कुल 845 कौशल विकास केंद्र स्थापित करने हेतु वर्ष 2019-20 में निगम द्वारा स्वीकृति आदेश जारी किये गये हैं। योजना एवं जिलेवार स्वीकृत कौशल विकास केन्द्रों की सूची क्रमशः परिशिष्ट 1 अ, ब, एवं स पर संलग्न है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत जिलावार कौशल विकास केन्द्रों की स्वीकृति के स्थान पर सूचीबद्ध प्रशिक्षण प्रदाता संस्थानों को प्रशिक्षण लक्ष्य आबंटित किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत कुल 88 प्रशिक्षण प्रदाता संस्थानों को 58,235 युवाओं का प्रशिक्षण लक्ष्य स्वीकृत किया गया है। प्रशिक्षण प्रदातावार आबंटित जिले एवं लक्ष्य का विवरण परिशिष्ट-2 संलग्न है।

(2) चूंकि प्रशिक्षण व्यवस्था निजी सूचीबद्ध प्रशिक्षण प्रदाता सस्थानों के माध्यम से संचालित की जाती है, तो ऐसे में इनमें से किसी के द्वारा फर्जी आंकड़े/नौकरियां दिलवाने की लगातार निगरानी Sumo-moto निगम द्वारा भी की जाती है तथा कोई शिकायत करने पर निरीक्षण कराया जाता है। इस वर्ष 2019-20 में विभिन्न अवसरों पर समय-समय निरीक्षण कर इस प्रकार के प्रकरण/अनियमितता होने पर पैनल्टी/निरस्तीकरण तथा पुलिस में प्रथम सूचना दर्ज कराने की भी कार्यवाही की गयी है। अनियमितता पाये जाने वाले प्रकरणों में निगम ने तत्परता दिखाते हुए संस्थाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की है। इस प्रकार के प्रकरणों में योजनानुसार की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-4 अ, ब, स एवं द पर संलग्न है।

निगम द्वारा सभी योजनाओं की उचित निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलों में जिला स्तरीय टीम कार्यरत है। साथ ही राज्य स्तर पर निगम के अधिकारियों के द्वारा व निगम के अंतर्गत कार्यरत विजिलेन्स सेल द्वारा नियमित तौर पर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के निरीक्षण हेतु कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों का भ्रमण किया जाता है। साथ ही निगम के प्लेसमेंट सेल द्वारा कौशल प्रशिक्षण प्रदाता संस्थानों से प्लेसमेंट से सम्बन्धित प्राप्त दस्तावेजों की जांच पड़ताल नियमित रूप से की जाती है एवं दस्तावेज़ की जांच के पश्चात् ही भुगतान किया जाता है।

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता)

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सुनिश्चित करने हेतु निगम द्वारा कई अहम सुधार किये गये हैं, जिनमें आई टी इनिशिएटिव के अंतर्गत आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में वर्धन, आई पी कैमरा आधारित निगरानी प्रणाली तथा कमांड कंट्रोल सेंटर की स्थापना सम्मिलित है। कमांड कंट्रोल सेंटर के अंतर्गत लाइव स्ट्रीमिंग, फ़ेस रिकग्नीशन (चेहरा पहचान प्रणाली), स्क्रीन कैप्चरिंग एवं डैश बोर्ड की पूर्ण सुविधा उपलब्ध है।

निगम द्वारा प्लेसमेंट की प्रक्रिया में भी सुधार किये गये हैं ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की अनिवार्यता एवं कौशल विकास केन्द्रों की नियमानुसार स्थापना एवं संचालन हेतु दिशा निर्देश सुनिश्चित किये गए हैं। निगम द्वारा मोनिटरिंग एवं मूल्यांकन हेतु किये गये सुधारों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

यदि प्रशिक्षण प्रदाता संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन में अथवा सम्बन्धित जमा दस्तावेजों में कोई अनियमितता पायी जाती है तो ऐसे प्रकरणों पर उचित कार्यवाही की जाती है, जिसमें प्रशिक्षण बैच अथवा केन्द्र का निरस्तीकरण तथा आगामी वित्तीय वर्ष में स्वीकृति आदेश न दिया जाना सम्मिलित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

आहोर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पद

52. श्री छगनसिंह (आहोर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र आहोर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने विशेषज्ञ एवं चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं तथा कितने रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आहोर में संचालित दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञ एवं चिकित्सकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

पदनाम	**स्वीकृत पदों की संख्या**	**कार्यरत पदों की संख्या**	**रिक्त पदों की संख्या**
कनिष्ठ विशेषज्ञ	09	01	08
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	02	01	01
चिकित्सा अधिकारी	07	02	05
चिकित्सा अधिकारी (दंत)	01	01	00
कुल	**19**	**05**	**14**

(2) जी हां। पदोन्नति के रिक्त पदों को डीएसीपी के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से/पीजी पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर शीघ्र लगाने के प्रयास किये जाएंगे।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा प्रक्रियाधीन भर्ती से चयनित चिकित्सक उपलब्ध होने पर प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र लगाने के प्रयास किये जाएंगे।

प्रदेश के वाणिज्य बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों का कर्जा माफ

53. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने जन-घोषणा पत्र को राजकीय नीति पत्र घोषित किया है?

(2) जन घोषणा पत्र में कृषि ऋण से मुक्ति के लिए क्या-क्या घोषणाएं की गयी थीं?

(3) कृषि ऋण से मुक्ति के लिए सहकारी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र में पात्र किसानों की संख्या एवं ऋण मुक्ति की अनुमानित राशि क्या है?

(4) सरकार ने अब तक सहकारिता क्षेत्र में कितने किसानों का एवं कुल कितना ऋण माफ किया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) सरकार द्वारा अब तक वाणिज्य बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने वाले कितने किसानों को कितना ऋण माफ किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जन घोषणा पत्र में कृषि ऋण मुक्ति के लिए की गयी घोषणा की प्रति (परिशिष्ट-1) पर संलग्न है।

(3) कृषि ऋण से मुक्ति हेतु सहकारी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र में पात्र किसानों की आंकलित संख्या एवं आंकलित ऋण माफी राशि निम्न प्रकार है:-

सहकारिता क्षेत्र में	**विवरण**	**संख्या**	**राशि**
	1. अल्पकालीन फसली ऋण (सम्पूर्ण ऋण)	24.44 लाख	9513.22 करोड़
	2. मध्यकालीन/दीर्घकालीन कृषि ऋण (लघु/सीमांत कृषकों के दो लाख से कम अवधिपार के प्रकरण)	0.69 लाख	685.00 करोड़

अन्य क्षेत्र के बैंकों की सूचना परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) राज्य सरकार द्वारा सहकारी बैंकों के कृषकों हेतु जारी राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019 (अल्पकालीन फसली ऋण) के तहत पोर्टल पर संधारित आंकडों के अनुसार दिनांक 31.1.2020 तक 20.20 लाख कृषकों के 7520.57 करोड़ तथा राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019 (मध्यकालीन/दीर्घकालीन कृषि ऋण) के तहत पोर्टल पर संधारित आंकड़ों के

(सहकारिता मंत्री)

अनुसार दिनांक 31.1.2020 तक 23685 कृषकों के 265.53 करोड़ रुपए माफ किए गए हैं।

(5) नेशनल बैंक, शिड्यूल्ड बैंक एवं आरआरबी से जुड़े कृषक, जो आर्थिक रूप से संकटग्रस्त हैं और अपना अल्पकालीन फसली ऋण नहीं चुका पा रहे हैं, उनका दिनांक 30.11.2018 की स्थिति में 2.00 लाख रुपये की सीमा तक का अल्पकालीन फसली ऋण, जो एनपीए के रूप में वर्गीकृत है, को माफ करने के लिए बैंकों से परामर्श कर वन टाइम सैटलमेंट स्कीम (ओ.टी.एस.) लाये जाने हेतु समन्वय समिति का गठन किया गया है। समन्वय समिति की तीन बैठकें हो चुकी हैं। समन्वय समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएंगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बेरोजगार युवाओं को देय भत्ता

54. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को निर्धारित राशि अनुसार बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है? यदि हां, तो वर्ष 2014 से दिसम्बर 2019 तक कितने युवा बेरोजगारों को उक्त भत्ता दिया गया? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार युवा को ही उक्त भत्ता दिया जाता है? यदि हां, तो वर्ष 2014 से दिसम्बर 2019 तक किस-किस माह में कितने बेरोजगार युवाओं का रोजगार कार्यालयों में पंजीयन किया गया? माहवार, जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को योजनान्तर्गत निर्धारित राशि अनुसार बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। वर्तमान में मुख्य मंत्री युवा सम्बल योजना के तहत 1 फरवरी 2019 से महिला विशेष योग्यजन तथा ट्रांसजेण्डर स्नातक पंजीकृत बेरोजगार आशार्थियों को 3500/- रुपये प्रतिमाह एवं पुरुष आशार्थी को 3000/- रुपये प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता दिया

जा रहा है। वर्ष 2014 से दिसम्बर 2019 तक बेरोजगारी भत्ते से लाभांवित युवाओं की सूची परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाता है, केवल मुख्य मंत्री युवा सम्बल योजनान्तर्गत जिला रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत एवं पात्रता रखने वाले स्नातक बेरोजगार युवाओं को ही बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। वर्ष 2014 से दिसम्बर, 2019 तक रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगारों का जिलेवार माहवार विवरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ऑनलाइन छात्रवृत्ति का वितरण

39. श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में ऑनलाइन छात्रवृत्ति देने की प्रक्रिया कब से प्रारम्भ की गयी? अब तक उक्त प्रक्रिया के तहत कितनी छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष कितने विद्यार्थियों को दी जा रही है?

(2) क्या ऑनलाइन छात्रवृत्ति देने से पूर्व जितने छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा रही थी तथा वर्तमान में दी जा रही छात्रवृत्ति की राशि में अंतर है? यदि हां, तो कितना व राशि अंतर के क्या कारण हैं? क्या अंतर का कारण विद्यार्थियों की संख्या घटना-बढ़ना है अथवा अनियमित तरीके से छात्रवृत्ति उठाना है? सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है तथा भविष्य में क्या कार्यवाही करने का विचार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत आनलाइन आवेदन प्रक्रिया वर्ष 2012-13 से प्रारम्भ की गयी थी। वर्ष 2012-13 से वर्ष 2018-19 तक वितरित छात्रवृत्ति राशि एवं लाभान्वितों का विवरण योजनावार परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही छात्रवृत्ति राशि का निर्धारण किया जाता है।

ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारम्भ होने के उपरान्त विद्यार्थियों की संख्या में कमी नहीं आई है, लेकिन कुछ विद्यार्थियों के डुप्लीकेट आवेदन, राजकीय कर्मचारियों के विद्यार्थियों द्वारा अनियमित छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने की कोशिश को रोका गया है एवं कुछ विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति राशि प्राप्त कर ली, उनसे छात्रवृत्ति राशि की वसूली की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शेरगढ़ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में बढ़ोतरी

40. श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती मीना कंवर)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन स्वीकृत की गयी है? यदि हां, तो पेंशन के पात्र अभ्यर्थियों का ग्राम पंचायतवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन राशि में वृद्धि की गयी? यदि हां, तो कितनी राशि की वृद्धि की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र के पात्र अभ्यर्थियों को वर्तमान में वृद्धि की गई राशि के अनुसार पेंशन का भुगतान किया जा रहा है? यदि नहीं, तो सरकार बढ़ी हुई पेंशन राशि का भुगतान कब तक करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत पेंशन आवेदनों का ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-**1** पर संलग्न है।

(2) जी हां। सरकार द्वारा पेंशन राशि में की गयी वृद्धि का विवरण निम्न प्रकार है :-

दिनांक 01.01.2019 से वृद्धावस्था पेंशन की दरों में रुपये 250 प्रतिमाह की बढ़ोतरी कर 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर की रुपये 500 के स्थान पर 750 रुपये प्रतिमाह तथा 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर्स की रुपये 750 के स्थान पर रुपये 1000 प्रतिमाह की गयी है।

विधवा, परित्यक्तता एवं तलाकशुदा पेंशन योजना के अन्तर्गत दिनांक 01.03.2019 से 55 वर्ष व अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम आयु की विधवा, परित्यकतता एवं तलाकशुदा पेंशनर को 250/- प्रतिमाह की दर से बढ़ोतरी कर 500 रुपये के स्थान पर 750 रुपये प्रतिमाह की गयी है।

दिनांक 01.07.2019 से विशेष योग्यजन पेंशन की दरों में रुपये 250 प्रतिमाह की बढ़ोतरी कर 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला एवं 58 वर्ष व अधिक आयु के पुरुष किन्तु 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को 750 रु. के स्थान पर रुपये 1000/- प्रतिमाह तथा 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर की पेंशन दरों में 500 रु. की बढ़ोतरी करते हुए 750 रुपये के स्थान पर 1250/- प्रतिमाह की गयी है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

दिनांक 01.03.2019 से राज्य में लघु एवं सीमान्त कृषक वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को 750 रुपये प्रतिमाह एवं 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को 1000 रुपये प्रतिमाह देय है।

वर्तमान में वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्तता एवं तलाकशुदा, विशेष योग्यजन तथा लघु एवं सीमान्त कृषक वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशनर्स को देय पेंशन दर संबंधी जारी आदेशों की प्रति परिशिष्ट संख्या 2 पर संलग्न है।

(3) सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत पेंशन की सभी श्रेणियों में पात्र पेंशनर्स को वर्तमान में पेंशन की बढ़ी हुई दर से पेंशन राशि का भुगतान किया जा रहा है।

उपर्युक्त पेंशन योजनाओं में जिस माह में पेंशन की दर में वृद्धि की गयी है, उस माह की पेंशन राशि अगले माह देय होने के कारण उस योजनान्तर्गत बढ़ी हुई राशि के अनुसार पेंशनर्स को आगामी माह से पेंशन का भुगतान प्रारम्भ कर दिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अजमेर के चन्द्रवरदायी नगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसव सुविधा उपलब्ध कराने की योजना

41. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर शहर के चन्द्रवरदायी नगर में एनयूएचएम के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रारम्भ किया गया था? यदि हां, तो उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कितने पद किस-किस संवर्ग के स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि चन्द्रवरदायी नगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर संसाधनों के अभाव के कारण प्रसव की सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सर्जरी एवं प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चन्द्रवरदायी नगर, अजमेर में कुल 24 (संविदा) पद स्वीकृत हैं, जिसका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त संस्थान पर चिकित्सा अधिकारी एवं स्टाफ नर्स कार्यरत है एवं वर्तमान में उक्त संस्थान पर सामान्य प्रसव की सुविधा उपलब्ध है।

(3) उक्त शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सामान्य प्रसव की सुविधा उपलब्ध है। वर्तमान में उक्त संस्थान पर सर्जन एवं एनेस्थेसिस्ट के पद स्वीकृत नहीं होने के कारण सर्जरी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पीपल्दा में पदस्थापित कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति निरस्त करने की कार्यवाही

42. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कर्मचारियों को कार्य व्यवस्थार्थ अथवा अन्य कारणों से अन्यत्र पदस्थापित करने पर रोक है? यदि हां, तो उसके उपरान्त भी पदस्थापन स्थान से अन्यत्र स्थान पर कर्मचारियों को लगाया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में पदस्थापित विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों तथा चिकित्सकों को अन्यत्र लगाया हुआ है? यदि हां, तो किस-किसको, किसके आदेश से तथा क्या सरकार इस संबंध में आदेश जारी करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार मूल पदस्थापन से अन्यत्र लगाये गए कर्मचारियों एवं चिकित्सकों को अपने मूल स्थान पर पुन: पदस्थापित कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) विगत 5 वर्ष में मूल पदस्थापन स्थान से अन्यत्र कार्य व्यवस्थार्थ या अन्य कारणों से पदस्थापित रहे कर्मचारियों की पदस्थापन अवधि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विभागीय कार्मिकों को पदस्थापन स्थान से अन्यत्र कार्य व्यवस्था पर नहीं लगाये जाने हेतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 07.08.2019 एवं 04.02.2020 को जारी किये गये हैं, जिनकी प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

जी हां। उक्त आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(2) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा, कोटा में कार्यरत अराजपत्रित संवर्ग के कर्मचारी जो अन्यत्र संस्थानों में कार्य व्यवस्था के तहत लगे हैं, की सूचना परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा 07.08.2019 एवं 04.02.2020 को जारी किये गये आदेशों की पालना करवाई जाकर मूल पदस्थापन स्थान से अन्यत्र लगाये गये कार्मिकों को मूल पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित किया जाएगा।

(4) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में गत 5 वर्षों में मूल पदस्थापन स्थान से अन्यत्र संस्थानों में कार्य व्यवस्थार्थ कार्यरत रहे कार्मिकों का अवधि सहित विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डेगाना में 108 व 104 एम्बुलेंस सेवा का सुचारु संचालन

43. श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डेगाना में 108 एवं 104 एम्बुलेंस की सेवाओं का सुचारु रूप से संचालन नहीं हो पा रहा है? यदि हां, तो क्यों एवं किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त सेवाओं के सुचारु रूप से संचालन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार से व कब तक एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) विधान सभा क्षेत्र डेगाना जिला नागौर में एनएचएम के अधीन इंटीग्रेटेड एम्बुलेंस प्रोजेक्ट के तहत वर्तमान में कुल 08 एम्बुलेंस संचालित हैं तथा इनके द्वारा आपातकालीन सेवाएं निरन्तर रूप से दी जा रही हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खरीफ व रबी फसल के अल्पकालीन फसली ऋण का वितरण

44. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में खरीफ एवं रबी के अल्पकालीन फसली ऋण वितरण का लक्ष्य कितना रखा गया है? लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या-क्या वित्तीय प्रबन्ध किये गये हैं? विवरण सदन की मेंज पर रखें।

(2) क्या नाबार्ड, एन.सी.डी.सी. एवं अपेक्स बैंक द्वारा जिलों की केन्द्रीय सहकारी बैंकों को ऋण वितरण के लिए राशि दी गयी है? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि दी गयी है? बैंकवार 20 जनवरी, 2020 तक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में सहकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 में खरीफ, 2019 हेतु राशि रुपये 10000.00 करोड़ एवं रबी 2019-20 हेतु राशि रुपये 6000.00 करोड़ कुल रुपये 16000.00 करोड़ के अल्पकालीन फसली ऋण वितरण के लक्ष्य निर्धारित किये गये है। उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नानुसार वित्तीय प्रबन्ध किये गये हैं:-

राज्य सरकार से ऋण माफी पेटे प्राप्त राशि का ऋण वितरण हेतु उपयोग,

बैंकों द्वारा स्वयं के पास उपलब्ध सीमित वित्तीय संसाधनों का ऋण वितरण हेतु उपयोग,

राज्य सरकार की प्रत्याभूति पर एनसीडीसी से कार्यशील पूंजी हेतु उधार प्राप्त करना,

(सहकारिता मंत्री)

आधार स्तर पर वितरित ऋणों के विरुद्ध शीर्ष सहकारी बैंक एवं नाबार्ड से पुनर्भरण प्राप्त करना, तथा

शीर्ष सहकारी बैंक से तरलता समाधान योजनान्तर्गत ऋण वितरण हेतु राशि प्राप्त करना

(2) जी हां। केन्द्रीय सहकारी बैकों द्वारा आधार स्तर पर वितरित ऋणों के विरुद्ध शीर्ष सहकारी बैंक से पुनर्भरण प्राप्त किया जाता है जिसके विरुद्ध शीर्ष सहकारी बैंक द्वारा नाबार्ड से पुनर्वित्त प्राप्त किया जाता है।

नाबार्ड एवं शीर्ष सहकारी बैंक द्वारा आधार स्तर पर वितरित अल्पकालीन फसली ऋणों के विरुद्ध दिनांक 20.01.2020 तक राशि रुपये 3935.64 करोड़ उपलब्ध करवाये गये हैं।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में केन्द्रीय सहकारी बैंकों को राज्य सरकार की प्रत्याभूति पर एनसीडीसी से कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में राशि रुपये 5000.00 करोड़ का ऋण उपलब्ध करवाया गया है।

शीर्ष सहकारी बैंक द्वारा तरलता समाधान योजनान्तर्गत बैंकों को राशि रुपये 336.00 करोड़ उपलब्ध करवाये गये हैं।

वर्ष 2019-20 में दिनांक 20.01.2020 तक उपरोक्तानुसार केन्द्रीय सहकारी बैंकों को उपलब्ध करवायी गई राशि की बैंकवार विगत परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

दौसा में किसानों की ऋण माफी

45. श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

दौसा जिले में सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में कितने किसानों का ऋण माफ किया गया? ग्राम सेवा सहकारी समितिवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

दौसा जिले में राज्य सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में किसानों की ऋण माफी निम्नानुसार है:-

(सहकारिता मंत्री)

वर्ष 2016-17 में - निल

वर्ष 2017-18 में - 87310

वर्ष 2018-19 में - 60894

वर्ष 2017-18 हेतु ग्राम सेवा सहकारी समितिवार संख्या का विवरण परिशिष्ट-1 पर एवं वर्ष 2018-19 हेतु ग्राम सेवा सहकारी समितिवार संख्या का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मदरसा कर्मियों का नियमितीकरण

46. श्रीमती जाहिदा खान (कामां): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार मदरसा कर्मियों को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) प्रदेश के मदरसों में कितने पैराटीचर कार्यरत हैं? उन्हें कितना-कितना मानदेय दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मंत्रिमण्डल सचिवालय के आदेश क्रमांक प.5(1)मम/2019 दिनांक 01.01.2019 द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों की समस्याओं के निवारण हेतु श्री बुलाकी दास कल्ला, माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग की अध्यक्षता में एक मंत्रीस्तरीय समिति का गठन किया गया है। मदरसा शिक्षा सहयागियों के संबंध में चाही गई सूचना दिनांक 14.03.2019 एवं 16.01.2020 को मंत्रीस्तरीय समिति को प्रेषित की जा चुकी है।

(2) वर्तमान में राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों में 5,897 शिक्षा सहयोगी कार्यरत हैं। वर्तमान में शिक्षा सहयोगियों को न्यूनतम 7602 रु. व अधिकतम 9475 रु. का मानदेय दिया जा रहा है।

थानागाजी में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना

47. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के ऐसे गांव जिनकी आबादी 5000

(श्री कान्ति प्रसाद)

से अधिक है उनमें कितने–कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त गांवों की आबादी को ध्यान में रखते हुए नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना थानागाजी के अधीन 143 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं, जिसमें से 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	**5000 से अधिक आबादी वाले गांव**	**परिक्षेत्र का नाम**	**गांव की आबादी**	**वर्तमान में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र**
1	अंगारी	थानागाजी	5109	1
2	मैजोड़	किशोरी	5079	1
3	थानागाजी	थानागाजी	13292	8
4	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	6105	5

(2) वर्तमान में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने पर भारत सरकार द्वारा रोक लगाई हुई है।

ब्यावर के भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र

48. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में आंगनबाड़ी केन्द्र, उपकेन्द्र तथा शिशु कल्याण केन्द्र कहां-कहां पर स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु कहां-कहां पर भवन उपलब्ध हैं तथा कहां-कहां पर किराये पर चल रहे हैं? सरकार द्वारा इन केन्द्रों पर क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री शंकर सिंह रावत)

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक केन्द्र पर कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के अन्तर्गत 02 परियोजनाएं क्रमश: ब्यावर शहर एवं जवाजा संचालित हैं, जिसके अन्तर्गत परियोजना ब्यावर शहर में 108 मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्र, 09 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र, 02 शिशु पालना गृह (क्रेच) तथा परियोजना जवाजा में 176 मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्र, 36 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं, जिसका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन की स्थिति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) प्रत्येक मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्र पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं आशा सहयोगिनी एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र पर मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय पद स्वीकृत है। विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में केन्द्र पर स्वीकृत तथा कार्यरत स्टाफ का विवरण निम्नानुसार है -

क्र. सं.	परियोजना का नाम	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता		सहायिका		आशा सहयोगिनी		मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	
		स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.
1	ब्यावर शहर	108	106	108	106	108	105	9	8
2	जवाजा	176	176	176	176	176	173	36	36
कुल		284	282	284	281	284	275	45	44

इसके अतिरिक्त जवाजा परियोजना में 3 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पूर्व प्राथमिक शिक्षक (एनटीटी) के पद स्वीकृत हैं जिनमें से 2 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पूर्व प्राथमिक शिक्षक (एनटीटी) कार्यरत हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अन्नपूर्णा माता पहाड़ी (राजसमन्द) में पर्यावरण केन्द्र के जीर्णोद्धार का कार्य

49. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला राजसमन्द में अन्नपूर्णा माता पहाड़ी पर रूठी रानी महल का पर्यावरण चेतना केन्द्र के रूप में जीर्णोद्धार का कार्य कब प्रारम्भ हुआ, कितना कार्य पूर्ण हो चुका है एवं कितना कार्य शेष है?

(2) उक्त कार्य के लिए कितनी राशि किस योजना अथवा संस्था से स्वीकृत की गयी? विगत दो वर्षों में कितनी राशि कब–कब आबंटित की गयी व उनमें से कितनी राशि व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्य हेतु राशि विलम्ब से स्वीकृत करने के क्या कारण रहे तथा अब कब तक कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला राजसमन्द में अन्नपूर्णा माता पहाड़ी पर रूठी रानी महल का चेतना केन्द्र के रूप में जीर्णोद्धार का कार्य 25.12.2018 से प्रारम्भ किया गया। अब तक 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

(2) डीएमएफटी, राजसमंद द्वारा कुल राशि 124.87 लाख स्वीकृत की गयी। इसमें से दिनांक 25.07.2019 को 62.44 लाख तथा दिनांक 09.01.2020 को 37.461 लाख, कुल 99.901 लाख वन विभाग को हस्तानांतरित की गयी। इसके विरुद्ध अब तक 91.61 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है।

(3) डीएमएफटी, राजसमंद बोर्ड की बैठक न होने से उक्त कार्य हेतु राशि विलम्ब से जारी हुई।

खानपुर में वन विकास के कार्य

50. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र खानपुर में विगत 5 वर्षों में विभाग द्वारा किन-किन कार्यों की कितनी-कितनी वित्तीय स्वीकृतियां कब-कब जारी की गयीं तथा कितने कार्यों को पूर्ण किया गया व कितने कार्य लंबित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विगत 5 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र खानपुर में उप वन संरक्षक, झालावाड़ एवं उप वन संरक्षक, (वन्यजीव) मुकुन्दरा राष्ट्रीय उद्यान, कोटा द्वारा कराये गये कार्य एवं उनकी वित्तीय स्वीकृति तथा पूर्णता संबंधित विवरण क्रमश: संलग्न परिशिष्ट ए एवं बी अनुसार है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018-19 तक के समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा वर्ष 2019-20 के कार्य प्रगतिरत हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कठूमर में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

51. श्री बाबूलाल (कठूमर): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कठूमर में एक भी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं है? यदि हां, तो सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त संस्थान कब तक खोलने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। राज्य सरकार की नीति राज्य की प्रत्येक पंचायत समिति में एक राजकीय/निजी आईटीआई खोलने की है। इसके अन्तर्गत राज्य की सभी पंचायत समितियों में आईटीआई स्वीकृत हो चुकी है।

पंचायत समिति कठूमर (अलवर) में 14 निजी आईटीआई संचालित हैं, जिसका विवरण परिशिष्ट-01 पर संलग्न है। फिर भी यदि गुणावगुणों के आधार पर क्षेत्रीय संसाधनों की उपलब्धता होने व जनप्रतिनिधियों की मांग एवं राज्य सरकार के दिशा-निर्देशानुसार वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवा दिये जाते हैं तो पंचायत समिति कठूमर (अलवर) में राजकीय आई.टी.आई. खोला जाना संभव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा में ट्रिपल आई.टी. के भवन का निर्माण

52. श्री संदीप शर्मा (कोटा उत्तर): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री संदीप शर्मा)

(1) क्या कोटा में स्वीकृत ट्रिपल आईटी संस्थान में शिक्षण कार्य प्रारम्भ हो गया है? यदि हां, तो वर्तमान में उक्त संस्थान में कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं एवं कितना स्टाफ कार्यरत है तथा उनमें से कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त संस्थान के भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा? सरकार द्वारा उक्त भवन के निर्माण एवं संसाधनों के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ट्रिपल आईटी को कोटा शहर में आईएल उद्योग की भूमि पर अथवा अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर के परिसर में संचालित ट्रिपल आईटी, कोटा संस्थान में शिक्षण कार्य शैक्षणिक सत्र 2012-13 से चल रहा है। वर्तमान में इस संस्थान में 529 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

उक्त संस्थान में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ हेतु क्रमशः 36 एवं 40 पद स्वीकृत हैं जिनके विरुद्ध कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	विवरण	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद	विशेष विवरण
1	शैक्षणिक	36	11	25	11 पदों के लिए भर्ती प्रक्रियाधीन है, रिक्त पदों के विरुद्ध 08 संकाय सदस्य की संविदागत नियुक्ति समेकित वेतन पर की गई है।
2	गैर शैक्षणिक	40	0	40	रिक्त पदों के विरुद्ध 09 गैर शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति संविदागत समेकित वेतन पर की गई है।

(राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा)

(2) जी नहीं। ट्रिपल आईटी, कोटा का भवन निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया गया है। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार संस्थान के भवन का निर्माण कार्य दिसम्बर, 2021 तक पूर्ण होना अपेक्षित है। भवन निर्माण एवं संसाधनों के लिए राशि रु. 128.00 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं जिसके विरुद्ध राशि भारत सरकार का अंशदान 50 प्रतिशत, राज्य सरकार का अंशदान 35 प्रतिशत व औद्योगिक साझेदारों का अंशदान 15 प्रतिशत है, इसके विरुद्ध केन्द्र सरकार से 25.76 करोड़, राज्य सरकार से 6.11 करोड़ और औद्योगिक साझेदारों से 17.60 करोड़, अत: कुल अंशदान राशि रुपये 49.47 करोड़ ट्रिपल आईटी, कोटा को प्राप्त हो चुका है।

(3) जी नहीं। ट्रिपल आईटी, कोटा को आईएल उद्योग कैम्पस में संचालित किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 26.10.2017 को सचिव, एम.एच.आर.डी., भारत सरकार को पत्र लिखा गया था, परन्तु इस संबंध में कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं हुई।

अन्य विकल्प के रूप में ट्रिपल आईटी, कोटा को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा परिसर में अस्थाई तौर पर आंशिक रूप से शिफ्ट किया जाना पूर्व में तकनीकी शिक्षा विभाग के स्तर पर प्रस्तावित था परन्तु इस संदर्भ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक 25 जून, 2018 द्वारा इस प्रस्तावित कार्यवाही को व्यवहारिक नहीं माने जाने के कारण संस्थान को आंशिक रूप से राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा परिसर में शिफ्ट नहीं किया जा सका। विभाग के स्तर पर कोई कार्यवाही वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

स्टेट मोटर गैराज में वाहन चालकों की नियुक्ति

53. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): क्या राजस्थान स्टेट मोटर गैराज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में 2013-14 में वाहन चालकों की भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी की गयी थी? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सितम्बर 2013 में जिला कलेक्टर (पूल) के

(श्री मदन प्रजापत)

माध्यम से नियुक्ति प्रदान कर दी गयी है? जिलेवार नियुक्त वाहन चालकों के आदेश क्रमांक एवं कार्यग्रहण तिथि सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा बाड़मेर जिले में नियुक्तियां प्रदान नहीं की गयी हैं? यदि हां, तो क्यों तथा उक्त लंबित नियुक्तियां कब तक दे दी जाएंगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 में मोटर गैराज हेतु 130 पदों पर वाहन चालकों की भर्ती हेतु विज्ञप्ति संख्या 1/2013 दिनांक 04.07.2013 जारी की गयी। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है तथा संयुक्त शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-6) विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प.3 (14)संस्था/स्टेमोगै/वाहन चालक भर्ती/2013, जयपुर दिनांक 05.07.2013 के द्वारा समस्त जिला कलेक्टर्स को उनके जिले से संबंधित पूल के वाहन चालकों के रिक्त 254 पदों पर सीधी भर्ती किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। उक्त समस्त जिलों में से 25 जिला पूलों के द्वारा वाहन चालकों के रिक्त पदों हेतु विज्ञप्ति जारी की गयी, जिसका विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(2) (i) हां। सितम्बर, 2013 में जिला कलेक्टर (पूल) बांसवाड़ा के द्वारा वाहन चालकों को नियुक्ति प्रदान की गयी है। नियुक्त वाहन चालकों की सूची आदेश क्रमांक एवं कार्यग्रहण का विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(ii) सितम्बर, 2013 पश्चात् 05 जिला कलेक्टर (पूल) के द्वारा वाहन चालकों को नियुक्ति प्रदान की गई, का विवरण परिशिष्ठ-य पर संलग्न है।

(3) हां। यह सही है कि बाड़मेर जिले में वाहन चालकों को नियुक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं क्योंकि जिला कलेक्टर (पूल) बाड़मेर द्वारा वाहन चालकों की सीधी भर्ती की वर्ष 2013-2014 में विज्ञप्ति संख्या 1514 दिनांक 30.07.2013 जारी की गयी थी जिसे विज्ञप्ति क्रमांक 879 दिनांक 21.10.2019 के द्वारा तत्समय विधान सभा चुनाव/लोक सभा चुनाव/पंचायत चुनावों के कारण भर्ती प्रक्रिया में कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण वाहन चालकों की सीधी भर्ती प्रक्रिया निरस्त की गयी। जिला कलेक्टर (पूल) बाड़मेर के प्रत्युत्तर की प्रति परिशिष्ट-र पर संलग्न है। उक्त लम्बित नियुक्तियां के

(राज्य मंत्री, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज)

लिए वर्तमान में समस्त जिला पूलों से वाहन चालकों के रिक्त पदों की सूचना प्राप्त कर इकजाई कर नये सिरे वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर भर्ती किये जाने की शीघ्र की कार्यवाही की जाएगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रमिक कार्ड के तहत झालावाड़ में लड़की के विवाह हेतु स्वीकृत राशि

54. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) श्रमिक कार्ड द्वारा जिला-झालावाड़ में 01 अप्रैल, 2018 से 31 दिसम्बर, 2019 तक कितने आशार्थियों को लड़की के विवाह हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्ड के तहत श्रमिक कल्याण योजनाओं के कितने प्रकरण वर्तमान में लंबित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मण्डल द्वारा पंजीकृत हिताधिकारियों की वयस्क एवं अविवाहित, 8वीं पास पुत्रियों को शुभशक्ति योजनान्तर्गत आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कौशल प्रशिक्षण हेतु प्रोत्साहन राशि दी जाती है। उक्त योजना में हिताधिकारी की पुत्री को स्वविवेक से दी गयी राशि का प्रयोग विवाह हेतु भी किया जा सकता है। झालावाड़ जिले में 01/04/2018 से 31/12/2019 की अवधि में 1004 आवेदन स्वीकृत कर 5,52,20,000/- रुपये राशि से लाभान्वित किया गया।

(2) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं में कुल 2,27,192 आवेदन विभागीय स्तर पर लंबित हैं। योजनावार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी हां। मंडल द्वारा संवेदनशीलता के आधार पर लंबित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण का हर संभव प्रयास विभाग द्वारा किया जा रहा है।

(राज्य मंत्री, श्रम)

आवेदनों के त्वरित निस्तारण हेतु मंडल मुख्यालय स्तर पर योजनाओं के आवेदन निस्तारण के लिए कण्ट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। लम्बित आवेदनों का निस्तारण वरीयता के आधार पर ''पहले आओ पहले पाओ'' पद्धति से किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)